सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 6

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय – सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	iii
अध्याय I : विहंगावलोकन		
1.1	इस प्रतिवेदन के बारे में	1
1.2	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)	1
1.3	लेखापरीक्षिती विभागों का व्यय विवरण	2
1.4	लेखापरीक्षा प्राधिकार	3
1.5	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	3
1.6	लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए विभागों की प्रतिक्रिया	5
1.7	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	7
1.8	अभिस्वीकृति	10
अध्याय II : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग		
2.1	परिचय	11
2.2	प्रशासनिक ढाँचा	13
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	13
2.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड एवं प्रणाली	14
2.5	लेखापरीक्षा परिणाम	15
2.6	″मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन″ पर लेखापरीक्षा	16
अध्याय III : वाणिज्यिक कर विभाग		
3.1	परिचय	27
3.2	कर प्रशासन	27
3.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	27
3.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य और पद्धति	28
3.5	लेखापरीक्षा परिणाम	28
3.6	टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण परिगणना के कारण कर का अवनिर्धारण	29
3.7	अस्वीकार्य/अतिरिक्त आगत कर छूट	31
3.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	33
3.9	त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाने से वैट का कम आरोपण	34

3.10	टीडीएस और घोषणाओं के विरुद्ध कर की त्रुटिपूर्ण कटौतियाँ एवं समायोजन	35
3.11	निष्कर्ष	35
अध्याय IV : खनिज साधन विभाग		
4.1	परिचय	37
4.2	कर प्रशासन	37
4.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	37
4.4	लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली	38
4.5	वर्तमान प्रवर्तन तंत्र और विभिन्न एजेंसियों/प्राधिकारियों जिनको यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि खनन पट्टे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित हों	40
4.6	खनन कार्य प्रारम्भ करने में सम्मिलित संक्रियाएं	40
4.7	"खनन योजनाओं और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरुप खनन संक्रियाओं" पर लेखापरीक्षा	41
अध्याय V : लोक निर्माण विभाग		
5.1	"लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्नयन" पर लेखापरीक्षा	61
5.2	"लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़कों का निर्माण" पर लेखापरीक्षा	80
अध्याय VI : मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड		
6.1	प्रस्तावना	99
6.2	बोर्ड के उद्देश्य	99
6.3	संगठनात्मक संरचना	99
6.4	वर्तमान समय में आरंभ की गई परियोजनाएं	99
6.5	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	100
6.6	"मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा भवनों के निर्माण" पर लेखापरीक्षा	101
परिशिष्ट		117–278
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		279

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित है। लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित की गयी है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2019–20 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हे प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2019–20 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

अध्याय—I

विहंगावलोकन

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय) के कार्यक्षेत्र में आने वाले मध्य प्रदेश शासन के 21 विभागों में से लेखापरीक्षित किए गए कुल नौ विभागों में से पाँच विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित विषय सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। यह अपेक्षित है कि इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्य करने, उपयुक्त नीतियाँ बनाने एवं ऐसे निर्देश जारी करने में सहायक होंगे, जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो एवं शासन व्यवस्था बेहतर करने में योगदान मिले।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और आवृत्त क्षेत्र, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रति विभागों और शासन की प्रतिक्रिया और पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की व्याख्या करता है।

1.2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)

मध्य प्रदेश शासन के अधीन 54[1] विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों के प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव होते हैं, इनकी सहायता विभागाध्यक्षों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), भोपाल 54 विभागों में से 21 विभागों की लेखापरीक्षा आयोजित करता है। इसके अलावा, यह 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पाँच स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों की भी लेखापरीक्षा करता है, जो इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

जून–जुलाई 2020 में लेखापरीक्षा कार्यालयों का पुनर्संरचना की गई थी। जिसके बाद लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (ए.एम.जी.) की अवधारणा पेश की गई।

लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्संरचना के बाद कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), भोपाल को निम्नलिखित विभागों का लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है:–

---

[1] इन 54 विभागों में वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं आबकारी विभाग को कुल एक विभाग माना जाता है, क्योंकि ये सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के तत्वावधान में कार्य करते हैं, तथापि, लेखापरीक्षा उन्हें उनके कार्यकरण के आधार पर पृथक विभागों के रूप में मानती है और इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जहाँ भी संदर्भित किया गया है, उन्हें पृथकता से दिखाया गया है।

प्रमुख विभाग	लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (ए.एम.जी)
वन और पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	ए.एम.जी.–प्रथम
शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन	ए.एम.जी.–द्वितीय
राज्य वित्त, वाणिज्यिक कर, खनिज साधन, उद्योग, वाणिज्य	ए.एम.जी.–तृतीय
लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, ऊर्जा, बिजली	ए.एम.जी.–चतुर्थ

इन समूहों के अंतर्गत, राज्य शासन के विभागों के प्रशासनिक कार्यालयों, उसके अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, एवं विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निकायों और स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

1.3 लेखापरीक्षिती विभागों का व्यय विवरण

विभागों का व्यय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), भोपाल के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में आने वाले मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा 2017–18 से 2019–20 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान किए गए व्यय का सारांश नीचे **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), भोपाल के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभागों का व्यय

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	2017–18	2018–19	2019–20
1	वन	2,277.47	2,437.90	1,993.88
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	211.53	175.73	70.97
3	नगरीय विकास एवं आवास	5,177.94	5,739.50	4,608.33
4	परिवहन	87.35	82.32	85.50
5	संस्कृति	278.97	230.07	147.73
6	पर्यटन	270.21	170.53	155.40
7	वाणिज्यिक कर	181.35	209.04	199.96
8	आबकारी	1,515.68	1,715.27	1,819.40
9	पंजीयन एवं मुद्रांक	354.72	102.05	115.35
10	खनिज साधन	32.66	684.01	740.64
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1,014.16	767.22	850.43
12	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	987.10	780.85	817.98
13	वित्त	9,654.14	12,280.90	12,288.4
14	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	211.44	191.84	121.60
15	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	253.13	228.95	211.27
16	ऊर्जा	18,065.71	12,682.46	8,177.02
17	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	151.09	257.92	109.26
18	लोक निर्माण	8,172.00	8,647.47	7,886.39
19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,323.66	2,530.04	2,990.54
20	पर्यावरण	0.00	54.74	27.15
21	अध्यात्म	220.91	189.06	55.08
22	विमानन	36.66	27.79	26.84
23	प्रवासी भारतीय	0.00	0.39	0.05
	योग	**51,477.88**	**50,186.05**	**43,499.17**

स्त्रोत : प्रासंगिक वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के वित्त और विनियोग खातों से एकत्रित आँकड़े

कर राजस्व

वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान राजस्व के विभिन्न शीर्षों के तहत राज्य शासन के कुछ विभागों द्वारा जुटाए गए कर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.2** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20
1	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,696.12	18,508.49	20,447.78
2	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,984.04	9,903.20	11,257.71
3	आबकारी	8,245.01	9,542.15	10,829.35
4	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन	4,788.51	5,277.99	5,568.60
5	वाहन कर	2,691.62	3,008.26	3,251.23
	योग	**39,405.30**	**46,240.09**	**51,354.67**

स्त्रोत : मध्य प्रदेश शासन के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए सी.ए.जी. का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा सी.ए.जी. के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से व्युत्पन्न है। सी.ए.जी. शासन के विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार करता है:

- विभाग के व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13 के तहत की जाती है;
- सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है;
- विभागों के राजस्व की लेखापरीक्षा, डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 16 के तहत की जाती है;
- स्वायत्त निकायों की वित्तीय लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[2] और 19(3)[3] के अनुसार की जाती है; तथा

विभिन्न लेखापरीक्षाओं हेतु सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ लेखापरीक्षा मानकों और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमों, साथ ही दिशा–निर्देशों, नियम–पुस्तिकाओं तथा सी.ए.जी. के निर्देशों द्वारा या उनकी ओर से निर्धारित किए जाते हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वर्ष 2020–21 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), भोपाल द्वारा कुल 2,264 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 130 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा आयेजित की गई। यह प्रतिवेदन पाँच विभागों के अंतर्गत, छः लेखापरीक्षा कंडिकाओं (कंडिका 2.1 से 6.6) के रूप में छः[4] लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्रस्तुत करता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र मूल्यांकन है कि कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर–वित्तीय लेनदेन, एक इकाई या इकाईयों के समूह) के संबंध में जानकारी सभी महत्वपूर्ण मसलों पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं आदि, के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लोक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन में है।

---

[2] संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद या उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियाँ नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[3] संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित निगमों (कंपनियाँ नहीं) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[4] छः में से खनिज संसाधन विभाग से संबंधित एक लेखापरीक्षा विषय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19 से इस प्रतिवेदन में स्थगित कर दिया गया था।

निम्नलिखित अनुक्रमण सारणी, आयोजन की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा के संचालन और लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रतिवेदन को दर्शाती है:

संचित्र 1.1: आयोजन, लेखापरीक्षा का संचालन और प्रतिवेदन

जोखिम का मूल्यांकन संस्थाओं/योजनाओं इत्यादि की लेखापरीक्षा हेतु आयोजनों के जोखिमों का मूल्यांकन पर आधारित होती है जिसमें कुछ मानदण्ड सम्मिलित होते हैं जैसे,

- किया गया व्यय
- अंतिम लेखापरीक्षा कब की गई
- गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता
- गतिविधि हेतु शासन द्वारा दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन
- हितधारकों की चिंताएं, आदि

लेखापरीक्षा योजना में सुनिश्चित किया जाता है:

- लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं प्रकार–वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली
- विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षिति की इकाईयों और लेन–देन के नमूने

निरीक्षण प्रतिवेदन इस आधार पर जारी किए जाते हैं:

- अभिलेखों की संवीक्षा/आंकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्यों का परीक्षण
- लेखापरीक्षा प्रश्नों के प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन के साथ वार्ता

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इनसे तैयार किये जाते हैं:

- निरीक्षण प्रतिवेदन या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दी गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया, और
- राज्य विधायिका के पटल पर रखने हेतु राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, एक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित होते हैं, इकाई के प्रमुख को इस निवेदन के साथ जारी किया जाता है कि वे उक्त नि.प्र. प्राप्ति के एक माह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा प्रेक्षण या तो हटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु उन पर आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देना अपेक्षित होता है, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के पहले प्रारूप

कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा के रूप में, शासन को उनके प्रत्युत्तर हेतु जारी किया जाता है। तत्पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है। ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर कार्यालय प्रमुख और उच्चतर अधिकारियों द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाना और उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना अपेक्षित होता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संप्रेषित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला/राज्य स्तर पर आवधिक अंतराल पर बैठकों में चर्चा भी होती है।

31 मार्च 2021 तक, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 7,118 विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदन और 37,044 कंडिकाएं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर), **तालिका 1.3** में दर्शाये गये ब्यौरे अनुसार निराकरण हेतु लंबित थीं।

तालिका 1.3: मार्च 2021 के अंत में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाओं का विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन	लंबित कंडिकाएँ
1	वन	203	2174
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	10	56
3	नगरीय विकास एवं आवास	1,582	8,868
4	परिवहन	595	3,303
5	संस्कृति	105	334
6	पर्यटन	4	31
7	वाणिज्यिक कर	1,555	9,707
8	आबकारी	451	1,831
9	पंजीयन एवं मुद्रांक	824	2,440
10	खनिज साधन	355	2,101
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	5	19
12	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	23	117
13	वित्त	290	730
14	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	9	30
15	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	101	373
16	ऊर्जा	52	87
17	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	5	17
18	लोक निर्माण	332	2,677
19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	562	1,950
20	पर्यावरण	37	121
21	अध्यात्म	3	7
22	विमानन	15	71
23	प्रवासी भारतीय	0	0
	योग	**7,118**	**37,044**

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही के अभाव से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के जारी रहने का जोखिम होता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजकोष को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा कंडिकाओं

में चिन्हित प्रकरणों की समीक्षा और उनके निदान की त्वरित कार्यवाही करने हेतु राज्य शासन को उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों से अपेक्षित है कि वे सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर इसकी प्राप्ति के छः सप्ताह के अंदर भेजें। अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के दौरान, छः प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की ओर आकर्षित करने और छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की गई थी। यह उनके निजी संज्ञान में लाया गया था कि ये कंडिकाएँ भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की जानी संभावित हैं जो कि राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनकी टिप्पणियाँ/प्रत्युत्तर सम्मिलित किया जाना वांछित है। इसके बावजूद, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की तिथि तक तीन[5] प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है। शासन की प्रतिकिया, जहाँ भी प्राप्त हुई है, उसे इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

1.6.3 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा के विधान सभा में प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर, इनपर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को विधिवत इंगित करते हुए विभागीय उत्तर प्रस्तुत करें। इस प्रयोजन के लिए विभागों को लोक लेखा समिति से किसी नोटिस या बुलावे की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

31 मार्च 2021 तक, सात विभागों से वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 59 कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर लंबित है। विवरण **तालिका 1.4** में नीचे दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.4: सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं पर लंबित विभागीय उत्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग	31.03.2021 तक लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि	विभागीय उत्तर प्राप्त करने की नियत तिथि
2013–14	आबकारी	03	22 जुलाई 2015	20 अक्टूबर 2015
2014–15	वन	01	17 मार्च 2016	16 जून 2016
2015–16	पंजीयन एवं मुद्रांक	13	24 मार्च 2017	22 जून 2017
	आबकारी	07		
	वणिज्यिक कर	12		
2016–17	आबकारी	01	10 जनवरी 2019	10 अप्रैल 2019
	वाणिज्यिक कर	08		
	पंजीयन एवं मुद्रांक	04		
2017–18	वन	03	21 सितम्बर 2020	20 दिसम्बर 2020
	लोक निर्माण	02		
	परिवहन	02		
	नगरीय विकास एवं आवास	03		
	योग	**59**		

[5] वाणिज्यिक कर, वन एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों से अपेक्षित होता है कि वे लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर सिफारिशों पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 31 मार्च 2021 तक, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के संबंध में 237 कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.6.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (कोपू) की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2021 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पिछले वर्षों से संबंधित कुल 369 निरीक्षण प्रतिवेदन और 2,347 कंडिकाएँ निराकरण हेतु लंबित थीं। जबकि, **तालिका 1.5** दर्शाये गये विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक, 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 7 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे।

तालिका 1.5: कंडिकाओं का विवरण जिनमें विभागीय उत्तर अप्राप्त रहे

विभाग का नाम	2016–17 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्र.)	2017–18 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्र.)	2018–19 (कंडिका की संख्या और कंडिका क्र.)
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	1 (3.9)	..	..
लोक निर्माण	1 (3.1)	1 (4.1)	..
ऊर्जा	..	3 (2.1, 2.2, 2.3)	..
वित्त	..	1 (5.1)	..
वन	..	..	..
पर्यटन	..	..	..
योग	**02**	**05**	**..**

कोपू द्वारा सिफारिश प्रतिवेदन जारी करने के बाद, 1973–74 से 2014–15 की अवधि के लिए सात[6] विभागों के 16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन मार्च 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे (33 कार्यान्वयन प्रतिवेदन और 154 कंडिकाएँ), जैसा कि **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मध्य प्रदेश शासन के विभागों, की अनुपालन लेखापरीक्षा से लागू नियमों, संहिताओं और नियमावलियों का अनुपालन न होने, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में चूक और उपयुक्तता के मानदण्डों के पालन में विफलता के दृष्टांत सामने आए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य शासन के पाँच विभागों से संबंधित छः अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण समाहित हैं।

1.7.1 मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग) (संदर्भ कंडिका 2.1)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की लेखापरीक्षा में चयनित चार जिला पंजीयकों एवं 10 उप पंजीयक कार्यालयों की नमूना–जाँच के माध्यम से विभिन्न समितियों के कार्यकलापों में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्धारण हेतु सम्पत्ति डाटा संग्रहण एवं डाटा के विश्लेषण के संबंध में कमियाँ पायी गयीं। इसके अलावा, विभाग ने दिशा–निर्देशों से उच्च मूल्य पर हुए लेनदेन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सम्पदा (सॉफ्टवेयर) में निर्दिष्ट मॉड्यूल विकसित नहीं किया, जिस कारण संपत्ति की प्रचलित बाजार दरों का आंकलन करने के लिए डाटा विश्लेषण में पंजीयन कार्यालय को आवश्यक सहायता प्रदान नहीं

[6] इस कार्यालय में दिसंबर 2004 से मार्च 2021 के बीच प्राप्त हुए।

की जा सकी। ऐसे दृष्टांत देखे गए जिनमें भूमि एवं भवन का बाजार मूल्य से कम मूल्यांकन करने एवं मुद्रांक शुल्क गलत दर से आरोपित करने के कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई, जो बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों की दरों के अनुचित कार्यान्वयन को दर्शाता है। ऐसे दृष्टांत भी देखे गए जिसमें भूमि के विकास के अनुबंधों पर पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई और सड़क किनारे संपत्तियों के टुकड़े–टुकड़े कर बेचने के मामले में मूल्यांकन खामियाँ दृष्टिगत हुईं। इन कमियों से ₹ 4.49 करोड़ का राजस्व प्रभावित हुआ।

1.7.2 नियमित और डीम्ड निर्धारित प्रकरणों पर लेखापरीक्षा (वाणिज्यिक कर विभाग) (संदर्भ कंडिका 3.1)

वाणिज्यिक कर विभाग के चयनित 14 कार्यालयों की लेखापरीक्षा जो निर्धारण अभिलेखों की नमूना–जाँच के माध्यम से की गई थी, में विभिन्न उदाहरण देखे गए, जहाँ निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियमों/नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए व्यवसायियों का टर्नओवर गलत निर्धारित किया, स्वीकार्य सीमा से अधिक आगत कर में छूट की अनुमति दी और स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर प्रवेश कर नहीं लगाया गया/कम लगाया गया। इन कमियों से ₹ 18.05 करोड़ का राजस्व प्रभावित हुआ।

1.7.3 खनन योजनाओं और पर्यावरण मानदंडों के अनुरुप खनन संक्रियाएं (खनिज साधन विभाग) (संदर्भ कंडिका 4.1)

खनिज संसाधन विभाग के चयनित जिला खनिज कार्यालयों की लेखापरीक्षा में खनन योजनाओं के अनुमोदन के संबंध में कमियां जैसे अनुमोदन से पूर्व निर्देशांकों का सत्यापन न होना, अनुपलब्ध, अपर्याप्त या गलत निर्देशांक तथा खनन योजना बनाने एवं अनुमोदन की कमजोर प्रणाली का पता चला। विभाग ने उत्खनित खनिजों की मात्रा को सत्यापित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा मासिक और वार्षिक विवरणी के अनिवार्य प्रस्तुतीकरण की निगरानी नहीं की और खनिजों के संदिग्ध अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पंजीकृत वाहन मालिकों द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान नहीं की। खनिज निरीक्षकों द्वारा खानों/खदानों के निरीक्षण में कमी के साथ–साथ खदानों से उत्पादित और प्रेषित मात्रा के निर्धारण में कमी थी। आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने से पहले खनिजों का उत्पादन और खनन योजनाओं, पर्यावरणीय अनुमति और सीटीओ में निर्धारित सीमा से खनिजों का अधिक उत्पादन पाया गया। खनिजों की अधिक/अनाधिकृत मात्रा के परिणामस्वरूप अनारोपित अर्थदंड ₹ 394.22 करोड़ की कम वसूली/वसूली नहीं हुई। साथ ही, 13 जिला खनन अधिकारी कार्यालयों में 885 पट्टों के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा द्वारा जी.आई.एस साधनों के प्रयोग से पट्टे की आवंटित सीमाओं के बाहर उत्खनन जैसी विभिन्न अनियमितताएं, पायी गयीं। सात जिलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) से एकीकृत, रिमोट सेंसिंग इमेजरी की सहायता से 159 स्थानों पर अनावंटित खदानों में संभावित अवैध खनन देखा गया, जो खनन गतिविधियों पर विभाग का कमजोर नियंत्रण दिखा रहा है।

1.7.4 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्नयन (लोक निर्माण विभाग) (संदर्भ कंडिका: 5.1)

लेखापरीक्षा ने 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन से संबंधित पाँच राष्ट्रीय राजमार्ग संभागों और मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) में 43 कार्यों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने प्राक्कलनों को तैयार करने में कमियों को देखा जैसे कि गलत प्राक्कलन, अवांछित मदों का प्रावधान और प्राक्कलनों में आवश्यक वस्तुओं को शामिल न करना, बढ़े हुए अनुमानों पर निविदा आमंत्रण, गलत दर को अपनाना, इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने ठेकेदार को मूल्य समायोजन के अस्वीकार्य और अधिक भुगतान, अग्रिम राशि और रॉयल्टी की कटौती न करना, कार्यों के पूरा होने में विलम्ब इत्यादि से संबंधित अनियमितताओं को देखा।

प्राप्त किए जाने वाले गुणवत्ता आश्वासन के स्तर को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को, जैसे अनिवार्य परीक्षणों को न किया जाना, विभागीय प्रयोगशाला से सड़क कार्यों संबंधी परीक्षणों को नहीं करना तथा जिला–स्तरीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की अनुपलब्धता को भी देखा गया।

1.7.5 केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़कों का निर्माण (लोक निर्माण विभाग) (संदर्भ कंडिका: 5.2)

लेखापरीक्षा ने 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़कों के निर्माण से संबंधित 11 लोक निर्माण संभागों एवं कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय सड़क निधि के 40 अनुबन्धों की जाँच की। लेखापरीक्षा ने योजना और प्राक्कलनों में कमियों को देखा, जैसे, विभागों के बीच योजना और समन्वय की कमी, मिट्टी–कार्य का गलत प्राक्कलन, बिटुमिन की अधिक मोटाई का प्रावधान, सड़क सुरक्षा उपायों को शामिल न करना, बढ़े हुए प्राक्कलनों पर निविदा का निमंत्रण, इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने विनिर्देशों से परे कार्य के कार्यान्वयन, अनुबंधों के अनियमित पुरोबंध, कार्यान्वयन में देरी, ठेकेदारों को अदेय लाभ, कार्यों का विनिर्देशों से निम्नतर कार्यान्वयन इत्यादि से संबंधित अनियमितताओं को देखा।

1.7.6 "मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा भवनों का निर्माण" पर लेखापरीक्षा (शहरी विकास एवं आवास विभाग) (संदर्भ कंडिका: 6.1)

लेखापरीक्षा (2015–16 से 2019–20) के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान, वार्षिक आवास कार्यक्रम तैयार किए गए और एक से छः महीने की देरी के साथ प्रस्तुत किए गए। इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन के लिए वास्तविक उपलब्ध समय में कमी आई। कार्यों के प्राक्कलन से पहले अपर्याप्त सर्वेक्षण और जाँच के कारण, छः संभागों के 12 कार्यों में अनुमानित लागत से 2.31 से 24.63 प्रतिशत की भिन्नताएं देखी गई थीं, जबकि कार्य की अलग–अलग मदों में यह भिन्नता 16 से 4,512 प्रतिशत के बीच थी। पाँच प्रकरणों में बोर्ड द्वारा विवादित भूमि अधिग्रहित की गयी थी, जो अभी भी बोर्ड के कब्जे में नहीं है, जबकि भूमि के लिए ₹ 4.94 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। यह देखा गया कि परियोजनाओं के शुरू करने से पहले कोई मांग सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 167.43 करोड़ मूल्य की अविक्रित संपत्ति का ढेर लग गया।

निर्माण में उपयोग की गई नियंत्रित ब्लास्टिंग से प्राप्त उत्खनित कठोर चट्टान को दरों की अनुसूची के अनुसार विनियमित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 6.66 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। तटबंध कार्य के लिए भुगतान प्रचलित दर के अनुसार विनियमित नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.58 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। तीन संभागों के चार कार्यों में एनआईटी जारी करने की तिथि तक जारी संशोधनों को नहीं अपनाया गया था और ठेकेदार को मूल दरों से भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

दो संभागों के पाँच कार्यों में, कुछ मदों की मात्रा प्राक्कलित मात्रा की तुलना में 17.76 प्रतिशत से 4,492.67 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और करार की शर्तों के विपरीत, ठेकेदार को इसका भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 20.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य शासन के विभागों की लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार प्रकट करता है।

अध्याय–II
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

अध्याय II
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

2.1 परिचय

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग) मध्य प्रदेश शासन के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक प्रमुख विभाग है। यह दस्तावेजों के पंजीकरण का कार्य करता है और आम जनता के विभिन्न दस्तावेजों/विलेखों के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस निर्धारित करने और एकत्र करने के लिए जिम्मेंदार है। विभाग समय–समय पर संशोधित भारतीय मुद्रांक शुल्क (भा.मु.) अधिनियम, 1899 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रशासन एवं इनके तहत बनाए गए नियमो को लागू करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में संपत्तियों के ई–पंजीयन एवं ई–स्टाम्पिंग के लिए "सम्पदा" (स्टाम्प एण्ड मैनेजमेंट ऑफ प्रोपर्टी एंड डाक्युमेंटस् एप्लीकेशन) नामक साफ्टवेयर 01 अगस्त 2015 से प्रारम्भ किया गया था। सम्पदा साफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में कहीं भी स्थित सम्पत्ति का मूल्यांकन, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की गणना तथा उप पंजीयकों के कार्यालयों में स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47ए के साथ पठित धारा 75 के तहत, राज्य शासन ने मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों को बनाया और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018[1] अधिसूचित किए थे, जिसमें संपत्ति दस्तावेजों के पंजीयन हेतु बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बनाने एवं विभिन्न प्रकार की संपत्ति दस्तावेजों के पंजीयन हेतु दरों के निर्धारण करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त राज्य के विभिन्न ग्रामों, नगरपालिकाओं, एवं निगमों में अचल सम्पत्तियों के मूल्यों की सूचीं है, जो राज्य में बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियमों के तहत गठित उप जिला मूल्यांकन समिति (एसडीवीसी), जिला मूल्यांकन समिति (डीवीसी) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड (सीवीबी) द्वारा निर्धारित की जाती है। बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों को तैयार करने के लिए बोर्ड, विभिन्न समितियों एवं उनसे संबंधित भूमिकायें **चार्ट 2.1** में दर्शायी गई है:–

---

[1] बजार मूल्य मार्गदर्शक नियम, 2000 एवं उसके संशोधनों को हटाकर बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम, 2018 जारी किए गये थे।

चार्ट 2.1: राज्य में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त के सूत्रीकरण में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं अन्य विभिन्न समितियों के कार्य और भूमिका

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड

- विश्लेषण तथा अंतिम अनुमोदन के लिए जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रविष्ट संपत्ति के संव्यवहारों की जानकारी/आंकड़े, अनंतिम दरों के साथ प्राप्त करना।
- भूमि भवन तथा अचल संपत्ति के विभिन्न प्रकार के हितों के संबंध में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- निर्माण आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरें, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न हो सकती हैं, नियत करना।

जिला मूल्यांकन समिति

- सम्पत्ति के मूल्यों तथा सम्पत्ति के रुझानों की जानकारी एकत्रित कर जिले के विद्यमान आंकड़ों साथ प्राथमिक आंकड़ो के रूप में संकलित करना।
- उप जिला मूल्यांकन समिति से प्राप्त अन्य जानकारी के साथ प्राप्त प्रारूपों में प्रस्तावित मूल्यों तथा आंकड़ों के रूप में निर्माण दरों, सम्पत्ति की वास्तविक दरों आदि के संबंध में संकलित जानकारी का विष्लेषण करना तथा अनंतिम मूल्यों को नियत करना।
- अनंतिम मूल्यों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के लिए भेजना तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।

उप जिला मूल्यांकन समिति

- सम्पत्ति के मूल्य से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा संकलित करना। इस प्रयोजन के लिए उप पंजीयक कार्यालय मे पंजीकृत हुए दस्तावेजों के आधार पर औसत मूल्य के आंकड़े विचार में लिए जाएंगे। उस कालवधि के दौरान किसी विक्रय के संव्यवहार के न होने की स्थिति में या तो उसी तरह की भूमि/सम्पत्ति के विक्रय के संव्यवहार को आधार बनाया जायेगा अथवा मूल्य सूचकांक के अनुसार मूल्य में वृद्वि की जायेगी। तहसीलदारों के माध्यम से पटवारियों द्वारा संपत्ति की प्रचलित बाजार मूल्य की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य जानकारी जैसे निर्माण लागत, शासकीय विक्रय, नीलामी विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्रित की जाएगी।
- एकत्रित किए गए आंकड़ों का विष्लेषण करना तथा मूल्य प्रस्तावित करना और एकत्रित किए गए समस्त आंकडों तथा जानकारी के साथ संबंधित जिला मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करना।

2.2 प्रशासनिक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का प्रमुख होता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश (म.नि.पं.) विभाग प्रमुख हैं। मुख्यालय कार्यालय पर एक संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन (सं.म.नि.पं.), एक उप महानिरीक्षक पंजीयन (उ.म.नि.पं.), एक संयुक्त संचालक (वित्त), दो वरिष्ठ जिला पंजीयक (व.जि.पं.) एवं एक लेखा अधिकारी (ले.अ.) कार्यरत हैं। विभाग के अन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इन्दौर में स्थित है, जो चार आंचलिक उप महानिरीक्षक पंजीयन के अधीन कार्यरत हैं। राज्य में 51 जिला पंजीयक कार्यालय एवं 234 उप पंजीयक (उ.पं.) कार्यालय हैं। विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था और विभिन्न स्तरों पर कार्यो को नीचे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया हैं:

चार्ट 2.2: संगठनात्मक व्यवस्था

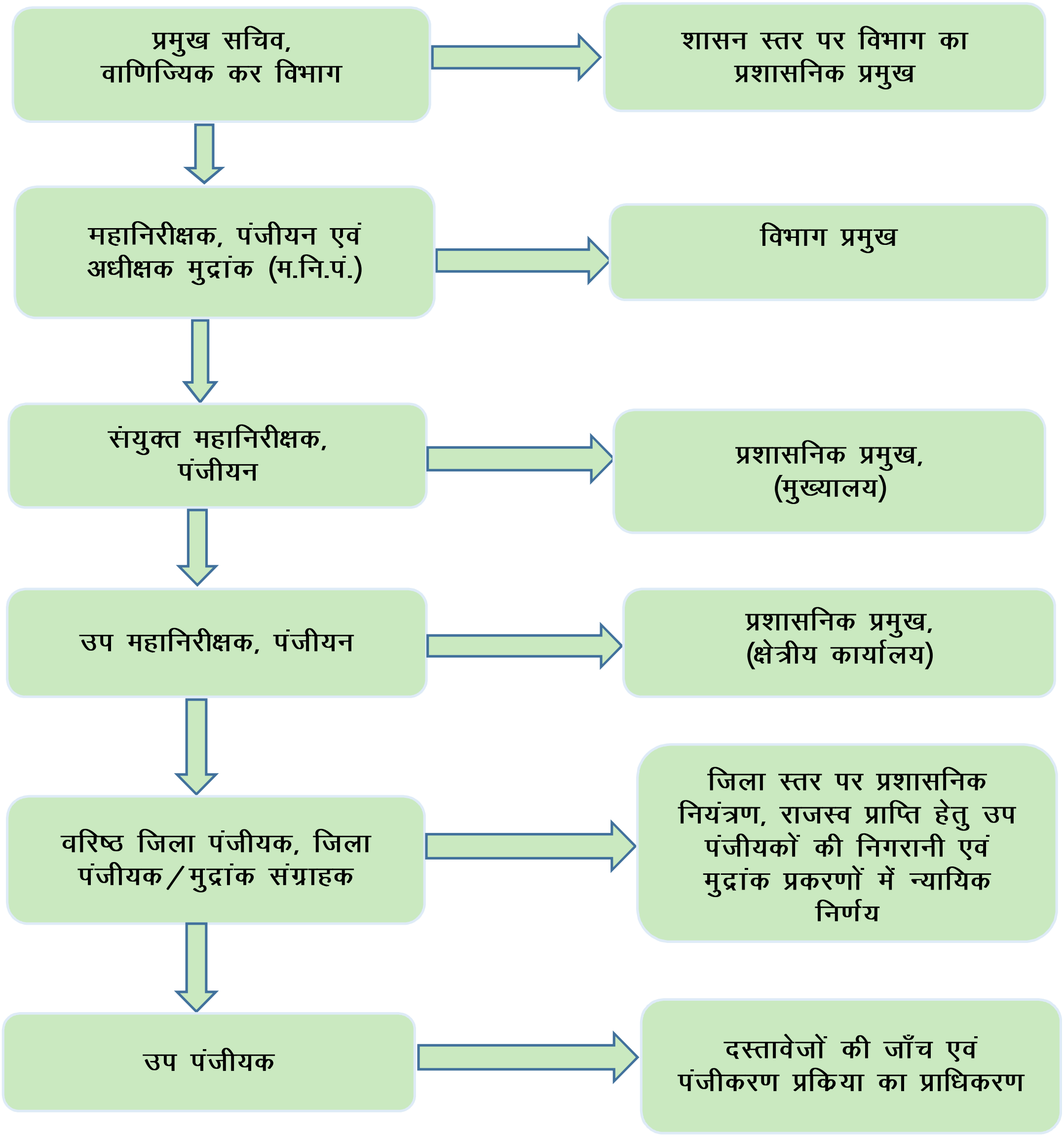

2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विगत पाँच वर्षों, 2015–16 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

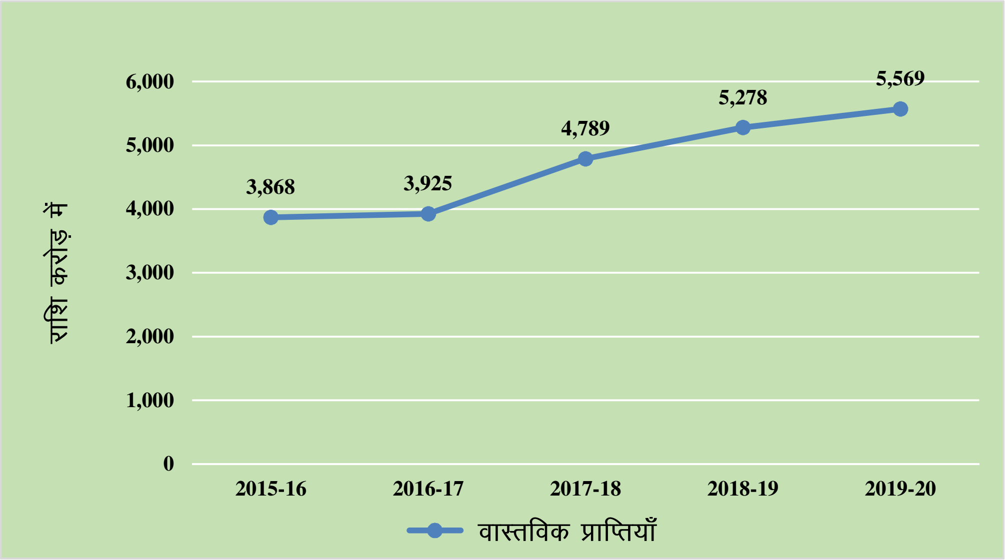

स्त्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे

उक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 से विभाग की वास्तविक प्राप्तियों[2] में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों में 2017–18 की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्तियों में वर्ष 2018–19 की तुलना में 5.5 प्रतिशत की और वृद्धि हुई।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड एवं प्रणाली

2.4.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करते समय निर्धारण मापदण्ड एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ पर्याप्त थी और अधिकतम राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए इसे समय–समय पर संशोधित किया जाता था; तथा
- निर्धारित नियमों एवं विनियमों के प्रतिकूल में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में तैयार की गई प्रणाली अधिकतम राजस्व संग्रहण में प्रभावी थी।

2.4.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा करने के लिए उपयोग किये गए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नानुसार है:

- मध्य प्रदेश बाजार मूल्य सिद्धांतों का बनाया जाना एवं इनका पुनरीक्षण नियम, 2000 एवं 2018;
- मध्य प्रदेश लिखतों के बाजार मूल्य का अवधारण एवं असम्यक रूप से मुद्रांकित लिखतों का निराकरण नियम, 2018;
- भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं इसके तहत बनाए गए नियम;

---

2 वास्तविक प्राप्तियाँ संबंधित वर्ष के वित्त लेखा विवरण क्रमांक 14 के शीर्ष (0030), जैसे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के तहत दर्शाए गए आंकड़े हैं।

- संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में शासन और विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं, परपित्र, आदेश और बाजार मूल्य;
- मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961; और
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982।

2.4.3 लेखापरीक्षा प्रणाली

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की लेखापरीक्षा सितम्बर 2020 से नवम्बर 2020 के दौरान अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक की तीन वर्ष की अवधि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बनाने एवं कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों और लेनदेन संबंधी डाटा की नमूना–जाँच के माध्यम से उप जिला मूल्यांकन समितियों एवं जिला मूल्यांकन समितियों के कार्यालयों में सम्पन्न की गई थी। बाजार मूल्य सिद्धान्तों के बनाने एवं अनुमोदन संबंधि केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अभिलेखों की भी जाँच की गई थी। आगम सम्मेंलन और निर्गम सम्मेंलन 07 अक्टूबर 2020 और 09 दिसम्बर 2021 को क्रमशः आयोजित किए गए थे।

कोरोना महामारी एवं उसके परिणामस्वरूप बाधाओं को दृष्टिगत रखते हुए, महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय, 51 जिला पंजीयक कार्यालयों में से चार[3] एवं 234 उप पंजीयक कार्यालयों में से 10[4] (चयनित चार जिला पंजीयक कार्यालयों के अधीन) का राजस्व प्राप्तियों की वित्तिय गंभीरता, पेशेवर निर्णय एवं लॉजिस्टिक मुद्दों के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था। अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक तीन वर्षो की अवधि के दौरान चयनित 10 उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीबद्व ऑनलाईन दस्तावेजों की भी लेखापरीक्षा की गई थी। कुल मिलाकर, लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2017 और मार्च 2020 के बीच 10 चयनित उप पंजीयक कार्यालयों में पाँच विभिन्न श्रेणियों[5] के लिखतों की नमूना–जाँच की जिसमें अनुबंध, हस्तांतरण, स्वामित्व विलेख, उपहार और पट्टा विलेख (कुल 4,57,323 पंजीकृत लिखतों के विरुद्व कुल 5,993 लिखत) सम्मिलित थे। साथ ही वर्ष 2018–19 के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में देरी के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अप्रैल 2018 से जून 2018 के दौरान ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक बाजार मूल्य अथवा सम्पत्ति के प्रतिफल मूल्य के आठ[6] उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीबद्व 2,501 लिखतों की भी लेखापरीक्षा की गईं।

2.5 लेखापरीक्षा परिणाम

उप जिला मूल्यांकन समिति, जिला मूल्यांकन समिति एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड स्तर पर बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बनाने संबंधी बुनियादी अभिलेखों की जाँच की गई। 5,993 विलेखों की नमूना–जाँच के दौरान 90 प्रकरणों में राशि ₹ 4.49 करोड़ के मुद्रांक शुल्क और/अथवा पंजीयन फीस के कम आरोपण के प्रकरण सामने आए जैसा कि निम्न **तालिका 2.1** में दर्शाया गया हैः

3 जिला पंजीयकः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर।

4 उप पंजीयकः भोपाल 1, भोपाल 2, भोपाल 3, ग्वालियर 1, ग्वालियर 2, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, जबलपुर 1 एवं जबलपुर 2।

5 अनुबंध, हस्तांतरण पत्र, हक–विलेखों के निक्षेप, उपहार एवं पट्टा विलेख।

6 उप पंजीयकः ग्वालियर 1, ग्वालियर 2, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, जबलपुर 1 एवं जबलपुर 2।

तालिका 2.1: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ	प्राकरणों की संख्या	राशि
1	सम्पत्तियों का अधोमूल्यांकन	38	3.18
2	पंजीयन फीस का कम आरोपण	44	0.40
3	सडक से लगी सम्पत्तियों को टुकडों में बाँटकर बहुत कम समयांतराल में एक ही व्यक्ति को बेचने के कारण वृद्धिशील राजस्व की कम प्राप्ति	08	0.91
	कुल	**90**	**4.49**

लेखापरीक्षा के दौरान उक्त प्रणालीगत मुद्दे, नियमों का पालन न होना और सम्पत्तियों के अधोमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति के प्रकरण पाए गए जिनकी अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है। विभाग के अन्तर्गत अन्य इकाईयों में भी इसी प्रकार की अनियमितताएं, त्रुटियाँ/चूक हो सकती है जो कि नमूना–जाँच लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिए, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच कर सकता है कि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त, बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियमों के प्रावधानों अनुसार तैयार किए गए हैं, सम्पत्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य मार्गदर्शक उपबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया है, और करारोपण अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधान अनुसार किया गया है।

2.6 "मध्य प्रदेश में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन" पर लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लेखापरीक्षा में विभिन्न समितियों द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तावों के संशोधन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया और मात्रा की नमूना–जाँच, यह आंकलन करने की दृष्टि से की गई थी कि क्या निर्धारण मापदंड एवं मूल्यांकन प्रणाली उन मूल्यों का पता लगाने के लिए पर्याप्त थी, जो बाजार में प्रचलित वास्तविक लेन देन मूल्यों के करीब थे। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड/जिला मूल्यांकन समितियों/उप जिला मूल्यांकन समितियों की कार्यप्रणाली में पाई गई अनियमितताओं को अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

2.6.1 केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तावों का अनुमोदन

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम, 2018 के अनुसार केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा दर्ज संपत्ति लेनदेन की जानकारी/डाटा विश्लेषण और अंतिम अनुमोदन के लिए अनंतिम दरों के साथ प्राप्त करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने चयनित चार जिला पंजीयक कार्यालयों के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अन्तिम रूप देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की मात्रा आदि संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका 2.2** में दर्शायी गई है:

तालिका 2.2: केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा विचार किए गए और अनुमोदित प्रस्तावों की मात्रा का विवरण

जिला पंजीयक कार्यालय	वर्ष	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे गये कुल प्रस्ताव	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथावत अनुमोदित	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अस्वीकृत	आंशिक सुधार के बाद अनुमोदित
इंदौर	2017–18	194	188	5	1
	2018–19	283	36	247	0
	2019–20	201	0	201	0
भोपाल	2017–18	44	24	20	0
	2018–19	11	11	0	0
	2019–20	24	24	0	0
जबलपुर	2017–18	176	176	0	0
	2018–19	108	108	0	0
	2019–20	617	0	617	0
ग्वालियर	2017–18	314	314	0	0
	2018–19	238	238	0	0
	2019–20	109	0	109	0
योग		**2,319**	**1,119**	**1,199**	**1**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों में नई/पुरानी कॉलोनियों के जोड़नें/घटाने, अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण एवं संपत्तियों के मूल्यों में संशोधन संबंधि प्रस्तावों के कुल 2,319 प्रस्ताव प्रेषित किए गये थे, जिनमें से 2017–19 के लिए 1,119 प्रस्ताव अनुमोदित किए गये थे। जिला मूल्यांकन समिति इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर से वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त 927 प्रस्तावों में से केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा कोई प्रस्ताव अनुमोदित नही किया था। 927 प्रस्तावों में से 831 प्रस्ताव, वर्ष के दौरान प्रचलित संपत्तियों के पंजीबद्व मूल्य पर आधारित संपत्तियों की लोकेशन की दरों/मूल्य में संशोधन वृद्धि से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2019–20 के दौरान, राज्य में संपत्ति के पंजीयन हेतु मूल्यांकन के लिए दरों में सभी स्थानों के लिए समान रूप से 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी, यद्यपि, उप जिला मूल्यांकन समितियों/जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों में 831 स्थानों के लिए चारों जिलों में 1.74 प्रतिशत से 16.13 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी। यद्यपि, वर्ष 2018–19 की तुलना में विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है, तथ्य यह है कि 2019–20 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के लिए दरों में 20 प्रतिशत की कटौती का निर्णय केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किसी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में आगे विचार किया जाएगा।

2.6.2 उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा संपत्ति डाटा मूल्यों के विश्लेषण और डाटा संग्रह में विसंगतियाँ

बजार मूल्य मार्गदर्शक नियम 4(4) के अनुसार, उप जिला मूल्यांकन समितियों को उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों के औसत मूल्यों के आधार पर संपत्ति मूल्यों से संबंधित डाटा एकत्र और संकलित करने के साथ–साथ एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण करने और संपत्ति के मूल्यों को डाटा और एकत्र की गई जानकारी के साथ संबंधित जिला मूल्यांकन समिति को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी। संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के संबंध में जानकारी, पटवारियों द्वारा तहसीलदारों के माध्यम से प्रदान की

जानी थी। अन्य जानकारियाँ, जैसे निर्माण की लागत, बिक्री, आदि समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्र की जानी थी।

कुल 227 उप जिला मूल्यांकन समितियों में से चयनित चार उप जिला मूल्यांकन समितियों के बाजार मूल्य मार्गदर्शक अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यद्यपि चयनित इकाईयों में विक्रय लेन देन हुए थे और पंजीकृत किए गये थे, सभी नमूना–जाँच के वर्षो में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण के लिए न तो संपत्ति के विक्रय लेनदेनों (संपत्ति मूल्यों) से संबंधित डाटा पर विचार किया गया और न ही उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा पटवारियों से तहसीलदारों के माध्यम से संपत्तियों के प्रचलित बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त की गई थी।

साथ ही, निर्माण की लागत, कार्यालयीन बिक्री, नीलामी बिक्री आदि से संबंधित जानकारी भी उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्र नहीं की गई थी। बिक्री लेनदेन को बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्तावों में विचार हेतु सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप, उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक के माध्यम से प्राप्त दरें, बाजार में प्रचलित वास्तविक लेनदेन मूल्यों से यथोचित रूप से करीब होने की संभावना नहीं थीं।

चयनित चार जिलों के 10 उप पंजीयक कार्यालयों में वर्ष 2018–19 में कुल 821 पंजीबद्ध हस्तान्तरण विलेखों (कुल 5,993 चयनित विलेखों में सम्मिलित) में से 770 हस्तान्तरण विलेखों, जिनमें संपत्तियों का बाजार मूल्य अथवा प्रतिफल मूल्य ₹ एक करोड़ अथवा उससे अधिक था, की नमूना–जाँच से, यह देखा गया कि 316 हस्तान्तरण विलेखों के संबंध में:

- 113 विलेख बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरों से एक से 20 प्रतिशत अधिक तक पंजीकृत थे;
- 86 विलेख बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरों से 20 से 50 प्रतिशत अधिक तक पंजीकृत थे;
- 43 विलेख बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरों से 50 से 80 प्रतिशत अधिक तक पंजीकृत थे;
- 12 विलेख बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरों से 80 से 100 प्रतिशत अधिक तक पंजीकृत थे; एवं
- 62 विलेख बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरों से 100 प्रतिशत से अधिक दरों पर पंजीकृत थे।

विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने कहा कि वह इस प्रकरण में विचार करेगा।

आगे उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2022)।

2.6.3 मार्गदर्शक मूल्य के विरूद्ध संपत्ति के उच्च प्रतिफल का डाटाबेस और डाटा विश्लेषण का न होना

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियमों के नियम 4(2) के अनुसार, जिला मूल्यांकन समिति, संपत्ति के मूल्यों और संपत्ति के रुझानों पर जानकारी एकत्र करेगी जोकि मौजूदा डाटा के साथ प्राथमिक डाटा के रूप में संकलित की जाएगी। समिति प्रस्तावित मूल्यों का विश्लेषण करेगी और अनंतिम मूल्यों को दर्ज करेगी तथा केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के अनुमोदन पर विचार करने के लिए उन पर जनता के सुझावों को आमंत्रित करेगी।

लेखापरीक्षा ने ई–संपदा पर निष्पादन लेखापरीक्षा (31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमांक पाँच की कंडिका क्रमांक 2.4.26) में भी मार्गदर्शक मूल्य के विरुद्ध संपत्ति के उच्च प्रतिफल के डाटाबेस और डाटा विश्लेषण मॉड्यूल न होने से संबंधित मुद्दे को इंगित किया था। उसमें विभाग ने आश्वस्त किया था कि सम्पदा के आगामी संस्करण के दौरान लागू किए जाने हेतु लेखापरीक्षा आपत्ति को एक सुझाव के रूप में टीप किया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग के आश्वासन (मई 2016) से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, लेनदेन के संबंध में आवश्यक डाटा, जहाँ पर दरों के वार्षिक विवरण (एएसआर) अनुसार, बाजार मूल्य से प्रतिफल अधिक था, जिला मूल्यांकन समिति को प्रेषित करने के लिए सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया है। साथ ही, पंजीकरण प्राधिकारियों को अभी भी सिस्टम द्वारा स्व–जनित मूल्यांकन के स्थान पर अनुमोदित बाजार मूल्य की हाथ से की हुई गणना पर निर्भर रहना पड़ता है।

महानिरीक्षक पंजीयन ने उत्तर दिया कि, सम्पदा सॉफ्टवेयर का विकास, सिस्टम आवश्यकता अध्ययन (एस.आर.एस.) के आधार पर किया गया था और मार्गदर्शक मॉड्यूल एस.आर.एस. के अनुसार कार्य कर रहा है। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा मार्गदर्शिका बनाई जाती है और केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अग्रेषित की जाती है। इस प्रक्रिया में, विश्लेषण के लिए डाटा प्रणाली के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त किया जाता है और पंजीकरण प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।

तथ्य यह है कि, विभाग द्वारा मई 2016 में दिए गये आश्वासन के बावजूद, जिला मूल्यांकन समिति को लेन–देन के संबंध में आवश्यक डाटा प्रेषित करने के लिए, जहाँ प्रतिफल बाजार मूल्य से अधिक था, मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित नहीं किया जा सका था।

2.6.4 समितियों और उप समितियों की कार्यप्रणाली में कमियाँ

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त समय पर संशोधित किए थे, उप समितियों के मध्य बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया की जाँच की। बैठकों के आयोजन में विलंब, बैठकों के लिए मापदण्डों के अभाव आदि को कंडिका **2.6.4.1** एवं **2.6.4.2** में नीचे दर्शाया गया है:

2.6.4.1 बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके अनुमोदन में देरी

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसार बाजार मूल्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से वार्षिक संशोधन किया जाना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियमों में बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने और समाप्त करने लिए कोई समय सारणी/समय–सीमा विनिर्दिष्ट नहीं थी।

प्रतिवर्ष, कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम बनाने एवं और अंतिम रूप देने में सम्मिलित विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के लिए समय–सारणी विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी किए जाते है। विगत तीन वर्षों के दौरान बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्ताव भेजने और अगले उच्च स्तर पर अग्रेषित करने में विभिन्न समितियों द्वारा लिए गये समय का विवरण नीचें **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: विभिन्न समितियों द्वारा बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण और इसके अनुमोदन का विवरण

वर्ष	उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की नियत तिथि	उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब (दिवस में)				जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की नियत तिथि	जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब (दिवस में)				बजार मूल्य मार्गदर्शक नियमो के अनुसार नियमों के कार्यान्वयन की नियत तिथि/ कार्यान्वयन की वास्तविक तिथि	बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में विलंब (दिवस में)
		भोपाल	इन्दौर	ग्वालियर	जबलपुर		भोपाल	इन्दौर	ग्वालियर	जबलपुर		
2017–18	30/12/2016	14	33	प्रेषित नही	53	28/02/2017	22	24	23	24	01/04/2017 01/04/2017	विलंब नही
2018–19	10/05/2018	01	12	विलंब नही	विलंब नही	20/05/2018	02	18	09	05	01/04/2018 01/07/2018	91
2019–20	31/12/2018	60	60	36	59	15/06/2019	विलंब नही	10	09	विलंब नही	01/04/2019 01/07/2019	91

लेखापरीक्षा ने बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्तावों के तैयार करने और प्रेषित करने में निम्नानुसार विलंब पाया:

- उप जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संबंधित जिला मूल्यांकन समितियों को बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्ताव प्रेषित करने में वर्ष 2017–18 के लिए 14–53 दिनों का विलंब, वर्ष 2018–19 के लिए 01–12 दिनों और वर्ष 2019–20 के लिए 36–60 दिनों तक का विलंब था।
- उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और इन्हे केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अग्रेषित करने में जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा वर्ष 2017–18 में 22–24 दिनों, 2018–19 के लिए 02–18 दिनों और वर्ष 2019–20 के लिए 0–10 दिनों तक का विलंब था।
- नियमों के अनुसार बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रैल से कार्यान्वित किये जाने थे। यद्यपि लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2017–18 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम समय पर कार्यान्वित किए गये थे किन्तु वर्ष 2018–19 और 2019–20 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक अनुमोदन के लिए 28 जून तक का समय विस्तार दिया गया था। परिणामस्वरूप, इन दोनो वर्षो में बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियमों के अनुसार कार्यान्वयन की निर्धारित तिथि से 91 दिवस के विलंब से बाजार मूल्य नियमों का कार्यान्वयन किया गया। साथ ही, यह भी देखा गया कि वर्ष 2019–20 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक उपबंध[7], जो बाजार मूल्य मार्गदर्शिका का अभिन्न भाग है, 01 अप्रैल 2019 से लागू किये गये थे जबकि बाजार मूल्य मार्गदर्शिका 01 जुलाई 2019 से लागू की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने अवगत कराया कि वह इस प्रकरण में विचार करेगा।

2.6.4.2 समितियों की बैठक बुलाने के लिए मानदण्डों का निर्धारण न करना

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम 5 के अनुसार बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों को समय पर संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से लागू किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर, संबंधित समितियों से व्यवस्थित तरीके से

[7] *उपबंध* बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वान्तों में उल्लेखित मूल्यों के अतिरिक्त संपत्ति की विभिन्न श्रेणियों और विभिन्न स्थानों और वास्तविक शर्तों के तहत उनके मूल्यांकन के लिए विस्तृत शर्ते और स्पष्टीकरण है।

और उचित समय पर बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि बोर्ड अंतिम रूप से अपना निर्णय ले सके।

चयनित चार जिला मूल्यांकन समितियों के अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया कि किसी भी नियमों और विनियमों के तहत समितियों के किसी भी स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए कोई समय–सारणी निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप 2017–20 के नमूना–जाँच किए गए वर्षों के दौरान, सभी उप जिला मूल्यांकन समितियों, जिला मूल्यांकन समितियों और केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड में बैठकें मनमाने ढंग से आयोजित की गई थीं जैसा कि नीचे **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: 2017–18 से 2019–20 तक उप जिला मूल्यांकन समितियों, जिला मूल्यांकन समितियों और केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठकों का विवरण

वर्ष	समिति	विवरण	जिला				कुल
			भोपाल	इंदौर	जबलपुर	ग्वालियर	
2017–18	एस.डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	03	01	03	आयोजित नहीं	**07**
		तैयार किए गये प्रस्तावों की संख्या	44	194	170	01	**409**
	डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	02	02	01	01	**06**
		माने गये एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अग्रेषित प्रस्तावों की संख्या	44	194	176	314	**728**
	सी.वी.बी	बैठकों की संख्या	02				**02**
		अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	24	189	176	314	**703**
2018–19	एस.डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	03	01	03	आयोजित नहीं	**07**
		तैयार किए गये प्रस्तावों की संख्या	24	283	83	01	**391**
	डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	02	02	01	01	**06**
		माने गये एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अग्रेषित प्रस्तावों की संख्या	11	283	108	238	**640**
	सी.वी.बी	बैठकों की संख्या	02				**02**
		अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	11	36	108	238	**393**
2019–20	एस.डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	03	01	03	01	**08**
		तैयार किए गये प्रस्तावों की संख्या	375	201	375	01	**952**
	डी.वी.सी	बैठकों की संख्या	02	01	02	03	**08**
		माने गये एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अग्रेषित प्रस्तावों की संख्या	24	201	617	109	**951**
	सी.वी.बी	बैठकों की संख्या	04				**04**
		अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	24	0	0	0	**24**

उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठकें: उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चार चयनित जिलों में 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान उप जिला मूल्यांकन समिति की कुल 22 बैठकें आयोजित की गई और बाजार मूल्य मार्गदर्शक संशोधन के लिए 1,752 प्रस्ताव विचार में लाये गये। यह देखा गया कि 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान ग्वालियर उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित नही की गई और बाजार मूल्य मार्गदर्शक प्रस्ताव जिला पंजीयक कार्यालय को भेजे गये। 2019–20 के लिए, जनवरी 2019 में एक बैठक आयोजित की गई थी और एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठकें: चार चयनित जिलों में ऐसे कम से कम 15,529 स्थान थे जहाँ प्रत्येक वर्ष बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार दरों को संशोधित किया जाना था। जिला मूल्यांकन समिति को उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए

केवल 1,752 प्रस्ताव प्राप्त हुए और 2017–18 से 2019–20 के दौरान केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को कुल 2,319 प्रस्ताव अग्रेषित किए। शेष स्थानों के संबंध में, दरों में कोई संशोधन प्रस्तावित/प्रभावित नहीं किया गया था।

आगे, यह देखा गया कि यद्यपि बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त को सालाना 01 अप्रैल से लागू किया जाना था, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्त को अंतिम रूप देने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की कुछ बैठकें सभी चार चयनित जिलों[8] में मई और जून के महीने में आयोजित की गई थीं। इस प्रकार, जिला मूल्यांकन समिति दरों के निर्धारण के लिए समय पर बैठकें आयोजित करने में विफल रहे जिसके कारण बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों दरों में समय पर वृद्धि के माध्यम से सरकार को अतिरिक्त राजस्व पर नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आंकलन की प्रक्रिया में विभाग में उपलब्ध डाटा से पिछले रुझानों का विश्लेषण और साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में विकास के आधार पर वर्तमान रुझानों पर जानकारी एकत्रित करना और उपयोग करना सम्मिलित है। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा बैठकों के कार्यवृत की जाँच की गई और यह देखा गया कि कार्यवृत में दरों के निर्धारण पर कोई विचार–विमर्श सम्मिलित नहीं था। इसलिये, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि विचार–विमर्श के दौरान निर्धारित बाजार दरें सभी प्रासंगिक कारकों को सम्मिलित करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित थी।

निर्गम सम्मेंलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने कहा कि वह इस प्रकरण में विचार करेगा।

प्रकरण में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2022)।

2.6.5 बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन में कमियाँ

यह आंकलन करने के लिए कि क्या विभाग ने बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों और निर्धारित नियमों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है, जो अधिकतम राजस्व संग्रहण के लिए प्रभावी थी, लेखापरीक्षा ने विभिन्न श्रेणियों के विलेखों, जैसे हस्तान्तरण विलेख, पट्टा विलेख, हक विलेखों के निक्षेप एवं दान आदि, का मूल्यांकन किया। विभिन्न कमियों, जैसे अनियमित दर निर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली, और नियमों में अभाव को कंडिका **2.6.5.1, 2.6.5.2, 2.6.5.3** एवं **2.6.5.4** में दर्शाया गया है:

2.6.5.1 भूमि की प्रकृति और उसके अंतिम उपयोग को ध्यान में रखे बिना भूमि के लिए सामान्य दरों का निर्धारण

बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम 6(1) के अनुसार, भूमि के मूल्यों की गणना करते समय, समिति भूमि के वर्गीकरण/प्रकृति (सिंचित/असिंचित, व्यपवर्तित/गैर–व्यपवर्तित) और भूमि के उपयोग (आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक, आदि) को ध्यान में रखेगी।

चयनित चार जिला पंजीयक एवं 10 उप पंजीयक कार्यालयों के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच में पाया कि इंदौर जिले के मामले में, भूमि की श्रेणियों/प्रकृति और इसके अन्तिम उपयोग में भिन्नता के बावजूद, सिंचित और असिंचित भूमि की बाजार मूल्य मार्गदर्शक दरें (ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में) और आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरें (शहरी क्षेत्रों के मामलों में) 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए अधिकांश क्षेत्रों में समान रखी गई थी।

यह दर्शाता है कि दरों को तर्क संगत आधार पर अथवा भूमि के वर्गीकरण और इसके अंतिम उपयोग के आधार पर नियत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया।

---

[8] 1. **भोपाल और इन्दौर**: वर्ष 2017–18 से 2019–20 के लिए कुछ बैठकें मई और जून 2020 में हुई।
2. **जबलपुर और ग्वालियर**: वर्ष 2019–20 के लिए कुछ बैठकें मई और जून 2020 में हुई।

निर्गम सम्मेंलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने कहा कि वह इस प्रकरण में विचार करेगा।

2.6.5.2 संपत्ति के बाजार मूल्य के अधोमूल्यांकन के कारण ₹ 3.18 करोड़ मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

संपत्तियों के मूल्यांकन के दौरान कृषि भूमि, भवन और भूखंड आदि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक अधिनियम 1899, पंजीकरण अधिनियम, 1908 और बाजार मूल्य मार्गदर्शक उपबंध में निर्धारित विभिन्न प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है।

भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2016 (23 अक्टूबर, 2017 को सम्मिलित) की धारा 48–बी के तहत, जहाँ किसी भी दस्तावेज की एक प्रति से मुद्रांक शुल्क की कमी ध्यान में आती है, वहाँ कलेक्टर, मूल लिखत पर संदत्त शुल्क की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में मूल लिखत है, यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल लिखत प्रस्तुत करे। यदि मूल लिखत, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके समक्ष पेश नहीं की जाती है तो, यह माना जायेगा कि मूल लिखत सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है और कलेक्टर धारा 40 में उपबंधित रीति से कम मुद्रांक शुल्क के साथ साथ शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही कर सकेगा।

23 अक्टूबर 2017 से पहले, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47–ए के तहत, यदि पंजीकरण अधिकारी, किसी भी विलेख को पंजीकृत करते समय, ऐसे विलेखों को पंजीकृत करने से पहले पाता है कि किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों में दर्शाये निर्धारित मूल्य से कम है, तो उसे ऐसी संपत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर लगाए जाने वाले शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक एवं संग्राहक को संदर्भित करना चाहिए।

अप्रैल 2017 और मार्च 2020 के मध्य चयनित दस उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीबद्ध कुल 4,46,616 विलेखों की चार श्रेणियों के विलेखों, जैसे हस्तान्तरण विलेख, पटटा विलेख, हक विलेखों के निक्षेप एवं दान आदि के विरूद्ध लेखापरीक्षा ने चयनित 9,176 में से 5,191 दस्तावेजों की नमूना–जाँच की थी।

यह पाया गया कि नौ उप पंजीयक कार्यालयों[9] के 38 विलेखों में, बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य ₹ 113.86 करोड़ था, तथापि, उप पंजीयकों ने उनके बाजार मूल्य को केवल ₹ 82 करोड़ मानकर उन विलेखों को पंजीकृत किया। उप पंजीयकों ने कृषि भूमि, भवन और भूखंड आदि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए निर्धारित बाजार मूल्य मार्गदर्शक उपबंध के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं किया, साथ ही, उप पंजीयकों ने इन दस्तावेजों को संपत्तियों के सही मूल्य और उन पर शुल्क निर्धारण के लिए कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् को प्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 0.37 करोड़ के पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ जिससे शासन को ₹ 3.18 करोड़ की राजस्व हानि हुई जिसे **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

विभाग ने उत्तर (दिसम्बर 2021) में कहा कि लेखापरीक्षा उपरांत चार[10] उप पंजीयकों द्वारा सात प्रकरणों में ₹ 0.15 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि सात[11] उप पंजीयकों द्वारा अन्य 19 प्रकरणों में राशि ₹ 2.75 करोड़ की वसूली हेतु वसूली नोटिस जारी किये जा चुके हैं। तीन[12] उप पंजीयकों के नौं प्रकरणों में जिला पंजीयकों ने पुर्नमूल्यांकन के क्रम में उप पंजीयकों द्वारा पूर्व में किए गये मूल्यांकन को सही स्वीकार

[9] उप पंजीयक भोपाल 1, भोपाल 2, भोपाल 3, ग्वालियर 1, ग्वालियर 2, इंदौर 1, इंदौर 2, जबलपुर 1 और जबलपुर 2।

[10] उप पंजीयक भोपाल 2, इंदौर 1, इंदौर 2 और जबलपुर 1।

[11] उप पंजीयक भोपाल 1, भोपाल 2, भोपाल 3, ग्वालियर 1, ग्यालियर 2, इंदौर 1 और जबलपुर 1।

[12] उप पंजीयक इंदौर 1, जबलपुर 1 और जबलपुर 2।

किया जबकि एक[13] उप पंजीयक ने शेष तीन प्रकरणों के संबंध में कोई कार्यवाही सूचित नहीं की है (फरवरी 2022)।

नौं प्रकरणों के संबंध में, जिला पंजीयकों ने उप पंजीयकों द्वारा किए गये मूल्यांकन को सही स्वीकार करते हुए भूमि के सही मूल्यांकन निर्धारण के लिए विभिन्न घटकों जैसे स्थान, भूमि की प्रकृति एवं अंतिम उपयोग और इसकी सड़क/हाईवे की निकटता को ध्यान में रखने में विफल रहें। इस प्रकार जिला पंजीयकों द्वारा पारित संशोधित आदेश जिसमें उन्होंने पूर्व में उप पंजीयकों द्वारा किए गये मूल्यांकन को स्वीकार किया गया, उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थे। उन 19 प्रकरणों के संबंध में जहाँ वसूली नोटिस जारी किये गये थे, वसूली की जानकारी प्रतीक्षित है (फरवरी 2022)।

2.6.5.3 बिल्डर्स/विकासकर्ता द्वारा भूमि के विकास से संबंधित अनुबंधों पर पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति

भारतीय मुद्रांक (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2014 की अनुसूची एक–ए के अनुच्छेद 6(डी)(1) में निर्दिष्ट है कि यदि भूमि के विकास से संबंधित अनुबंध में ऐसा प्रावधान है कि विकास के बाद, ऐसी विकसित संपत्ति या उसका हिस्सा विकासकर्ता द्वारा स्वामी के साथ या तो पृथकतः अथवा संयुक्ततः धारित/बिक्रित किया जाएगा, तो इस लेनदेन को हस्तांतरण पत्र[14] के रूप में मानते हुए इसमें दी गई दरों अनुसार शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद–1 के अनुसार पंजीकरण शुल्क की गणना, उस राशि का 0.8 प्रतिशत[15] की दर से, जिस पर मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है, की जायेगी।

पूर्व में लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमांक 5 में विकास अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति को इंगित किया था। इसमें विभाग ने आपत्ति लिए प्रकरणों में अनियमितताओं को स्वीकार किया जाकर उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया था। तथापि, वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान भी समान अनियमितताएं निरंतर पाई गयी।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2017 और मार्च 2020 के दौरान 10 चयनित उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत कुल 10,707 अनुबंध/अनुबंध ज्ञापनों के विरुद्ध चयनित कुल 904 विकास अनुबंधों में से 802 की नमूना–जाँच की और पाया कि सात उप पंजीयकों[16] के तहत 44 विकास अनुबंधों में, विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 100.81 करोड़ का मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया था, जिसके विरूद्ध 0.8 प्रतिशत की दर से ₹ 80.65 लाख की पंजीयन फीस आरोपणीय थी। तथापि, उप पंजीयकों ने 0.4 प्रतिशत की दर से ₹ 40.41 लाख की पंजीयन फीस आरोपित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.24 लाख की पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया हैं।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उपरोक्त प्रकरणों में, सम्पदा सॉफ्टवेयर द्वारा गणना की गई थी और व्यापार नियमों की गलत मैपिंग और उप पंजीयकों द्वारा द्वितीय स्तर सत्यापन के अभाव के कारण, सॉफ्टवेयर ने सभी प्रकरणों में निर्धारित दर से आधे दर पर पंजीयन

---

[13] उप पंजीयक ग्वालियर 2।

[14] विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जायेगा, जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः, धारित/बिक्रित की जाने वाली विकसित संपत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का 2.5 प्रतिशत जो विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तान्तरण पत्र पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो।

[15] राज्य सरकार की अधिसूचना 15 अगस्त 2014 से लागू हुई।

[16] उप पंजीयक भोपाल 1, भोपाल 3, ग्वालियर 1, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3 और जबलपुर 1।

फीस की गणना की गई। इस प्रकार, पूर्व प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही के अभाव में अनियमितता बनी रही।

विभाग ने उत्तर (दिसम्बर 2021) में अवगत कराया कि लेखापरीक्षा उपरांत चार[17] उप पंजीयकों के अधीन 13 प्रकरणों में ₹ 0.22 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी है, जबकि उप पंजीयक ग्वालियर 1 और इंदौर 3 द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 0.05 करोड़ की वसूली हेतु सूचना जारी किये जा चुके हैं। 29 प्रकरणों में, जिला पंजीयकों ने पुनर्मूल्यांकन के क्रम में उप पंजीयकों द्वारा पूर्व में किए गये मूल्यांकन को सही मान्य किया।

अतः जिला पंजीयक भोपाल द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन (जिसमें उप पंजीयकों द्वारा पूर्व में किए गये मूल्यांकन को सही स्वीकार किया गया) स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस राशि पर भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम के अनुच्छेद 1 के अनुसार मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया गया था उस राशि पर 0.8 प्रतिशत की निर्धारित दर से पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

2.6.5.4 सड़क किनारे की संपत्तियों का टुकड़ों में बाँटकर बिक्री का पता लगाने के लिए नियंत्रण तंत्र का अभाव

बजार मूल्य मार्गदर्शक कृषि भूमि उपबंध की कंडिका 1 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग या उनके बाईपास पर स्थित भूमि का मूल्य, उन क्षेत्रों/गांवों को छोड़कर, जहाँ सड़क पर भूमि का मूल्य पृथक से निर्धारित है, कृषि भूमि के निर्धारित मूल्य से क्रमशः 100 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अधिक माना जाएगा। जो भूमि सड़क से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, के लिए सड़क से लगी हुई भूमि की दर उस भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेतु मान्य की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने दस उप पंजीयक कार्यालयों में अप्रैल 2017 और मार्च 2020 के बीच पंजीकृत कुल 3,22,648 विलेखों के विरूद्ध चयनित 5,993 हस्तांतरण विलेखों की नमूना–जाँच की। यह देखा गया कि तीन उप पंजीयकों के तहत आठ हस्तान्तरण विलेखों में सड़क किनारे की भूमि को मालिक द्वारा दो टुकड़ों में बाँटकर (एक हिस्से को सड़क पर माना जाकर और शेष हिस्से को सड़क से बाहर माना जाकर) एक ही क्रेता को बहुत कम समयान्तराल से विक्रय किया गया। तद्नुसार, सड़क से दूर स्थित भूमि का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्ग, जैसा भी मामला हो, के लिए उच्च दरों को जोड़े बिना ही मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार, सड़क किनारे की भूमि को कम समयावधि में टुकड़ों में विभक्त कर बिक्री होने से कुल भूमि के अधोमूल्यांकन के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 0.91 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के वृद्धिशील राजस्व की कम प्राप्ति हुई। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

विभाग ने उत्तर (दिसम्बर 2021) में अवगत कराया कि तीन प्रकरणों में रेवेन्यु रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दी गई है (उप पंजीयक भोपाल 3 का एक प्रकरण, इंदौर 2 के दो प्रकरण) और उप पंजीयक इंदौर 3 का एक प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है। निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2021) में विभाग ने अवगत कराया कि भविष्य में विभाग जी.आई.एस. आधारित प्रणाली की तरफ बढ़ेगा जहाँ वास्तविक बाजार दर को दर्शाने के लिए स्थान और उसके मूल्यांकन का वास्तविक समय का दृश्यावलोकन संभव होगा।

---

[17] उप पंजीयक इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3 और जबलपुर 1।

2.6.6 निष्कर्ष

चयनित महानिरीक्षक पंजीयन, जिला पंजीयक एवं उप जिला पंजीयक कार्यालयों की नमूना–जाँच के माध्यम से पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियाँ सामने आई जो कि नीचे उल्लेखित हैं:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि समितियों ने संपत्ति का डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण का कार्य नियमानुसार नहीं किया;
- लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला मूल्यांकन समिति और केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को समय पर बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अग्रेषण में विलंब हुआ। उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं अन्तिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप, विभाग बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का नियमानुसार प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से अनुमोदन एवं कार्यान्वयन नहीं कर सका। साथ ही, विभाग ने बाजार मार्गदर्शक मूल्य से अधिक प्रतिफल पर हुए लेन–देनों पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संपदा सॉफ्टवेयर में विनिर्दिष्ट माड्यूल विकसित नहीं किया और संपत्ति की प्रचलित बाजार दरों का आंकलन करने के लिए पंजीयन कार्यालय को डाटा विश्लेषण में आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा सकी; और
- भूमि एवं भवन के बाजार मूल्य के अधोमूल्यांकन तथा पंजीयन फीस की गलत दर लागू करने के कारण बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों की दरों के अनुचित कार्यान्वयन से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली के दृष्टान्त पाये गये। भूमि विकास के अनुबंधों पर पंजीयन फीस की कम प्राप्ति और सड़क किनारे की संपत्तियों को टुकड़ों में विभक्त कर बिक्री से मूल्यांकन तंत्र में कमी के उदहारण भी दृष्टिगत हुए।

अध्याय–III
वाणिज्यिक कर विभाग

अध्याय III
वाणिज्यिक कर विभाग

3.1 परिचय

वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) मध्य प्रदेश शासन के लिए उच्चतम राजस्व प्राप्ति लेखांकित करता है। 01 जुलाई 2017 से मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम) के लागू होने तक विभाग ने मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002 (एमपी वैट अधिनियम), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम), प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (ईटी अधिनियम), मध्य प्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 और मध्य प्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 के अंतर्गत माल और सेवाओं पर राजस्व का संग्रहण किया।

राज्य में जीएसटी अधिनियम के लागू होने के बाद से, पहले के अधिनियमों के मौजूदा करदाताओं को जीएसटी सिस्टम पोर्टल में पंजीकरण द्वारा जीएसटी में समपरिवर्तित किया जा रहा है।

3.2 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग, वाणिज्यिक कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है और अधिनियम के अंतर्गत उन्हें आवंटित कार्यों में एक अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर, उप आयुक्त (सं.उ.वा.क.), सहायक आयुक्त (स.आ.वा.क.), वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अधि.), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर निरीक्षक सहायता प्रदान करते हैं।

3.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से वाणिज्यिक कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वाणिज्यिक कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

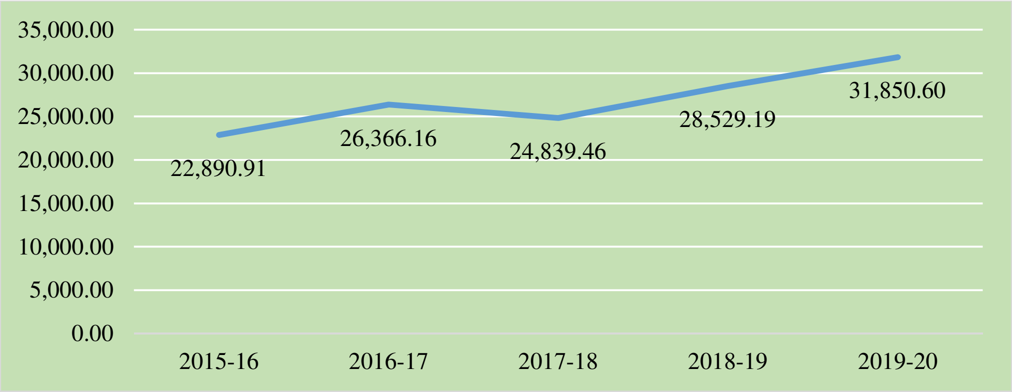

स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व[1] में काफी वृद्धि हुई। 2017–18 में उसके पिछले

[1] विभागीय राजस्व आंकड़े शीर्ष **(0006)**–राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), **(0040)** – बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, जैसे वैट, और **(0042)**–माल और यात्रियों पर कर जैसे प्रवेश कर के अंतर्गत कुल आंकड़े हैं।

वर्ष की तुलना में 5.79 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर, पाँच साल की अवधि 2015–20 के दौरान, साल–दर–साल वाणिज्यिक करों से राजस्व में वृद्धि हुई है। राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी घटक में वृद्धि के कारण है, जो 2017–18 से 2018–19 के दौरान ₹ 8,696.12 करोड़ से बढ़कर ₹ 18,508.49 करोड़ (112 प्रतिशत) हो गया और 2018–19 से 2019–20 के दौरान और बढ़कर ₹ 20,447.78 करोड़ (10 प्रतिशत) हो गया।

3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य और पद्धति

3.4.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- कर योग्य टर्नओवर की गणना स्वीकार्य कटौतियाँ देने के बाद सही ढंग से की गई और कर की उचित दरें लगाई गई थीं; तथा
- आगत कर छूट का दावा और निपटान उचित रूप से किया गया था।

3.4.2 लेखापरीक्षा पद्धति

वाणिज्यिक कर विभाग की लेखापरीक्षा सितंबर 2020 से नवंबर 2020 के दौरान की गई और तीन साल की अवधि 2015–16 से 2017–18 (पहली तिमाही तक)[2] के मूल्य संवर्धन कर (वैट)/केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के निर्धारणों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा को 115[3] कार्यालयों में से 14 चयनित कार्यालयों[4] (चार संभागीय, एक क्षेत्रीय एवं नौ अंचल कार्यालयों) में निर्धारण एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच के माध्यम से संपादित किया गया। कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग से भी जानकारी एकत्र की गई।

कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, इकाइयों[5] का चयन, वित्तीय समालोचनात्मकता और समव्यवसायिक निर्णय के साथ–साथ लॉजिस्टिक मुद्दों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना था कि करों का निर्धारण, आरोपण, संग्रहण और लेखांकन संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावलियों के अनुसार किया गया था और शासन के हितों की रक्षा की गई थी। 14 चयनित कार्यालयों (**परिशिष्ट 3.1**) के निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने लेखापरीक्षा को 2015–16 से 2017–18 की अवधि के लिए कुल 43,385 पूर्ण निर्धारण प्रकरणों को जाँच के लिए प्रदान किया।

कुल निर्धारण प्रकरणों में से लेखापरीक्षा ने सभी 14 चयनित कार्यालयों में 12,610 निर्धारण प्रकरणों की संवीक्षा की और जहाँ कहीं भी कमियाँ पाई गईं, उन्हें समान प्रकृति की लेखापरीक्षा टिप्पणियों में एकत्रित करके आगामी कंडिकाओं में बताया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की एमपी वैट अधिनियम, 2002, प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (ईटी अधिनियम), और सीएसटी अधिनियम, 1956 (सीएसटी अधिनियम), साथ ही राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, और निर्देशों, परिपत्रों/छूट अधिसूचनाओं के मानदंडों से तुलना की गई है।

3.5 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा संवीक्षा में 137 प्रकरणों में विचलन/संबंधित अधिनियमों/संहिताओं/ नियमावलियों के अनानुपालन के दृष्टांत सामने आए, जिनमें ₹ 18.05 करोड़ की राशि के

---

2 जीएसटी अधिनियम 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था।

3 कुल 131 इकाइयों में से 16 इकाइयों लेखापरीक्षा विषय से असंबंधित थी।

4 **सं.उ.वा.क.** भोपाल 2, ग्वालियर 1, इंदौर 1 और सतना; **स.आ.वा.क.** ग्वालियर 1; **वा.क.अधि.** देवास, ग्वालियर 1, इंदौर 13, जबलपुर 2, मंडीदीप, रतलाम 1, शिवपुरी, उज्जैन 1 और बैढ़न।

5 83 कार्यालयों में से जो 2019–20 में लेखापरीक्षा के लिए लंबित थे।

कर का कम आरोपण और अस्वीकार्य/अतिरिक्त आगत कर छूट, जिसमें शास्ति (जहाँ लागू हो) सम्मिलित हैं, जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणियाँ	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	राशि
1	टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण गणना	38	2.55
2	उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट मान्य करना	53	13.83
3	अधिक आगत कर छूट मान्य करना	18	0.51
4	प्रवेश कर का कम आरोपण या अनारोपण	20	0.62
5	कर की त्रुटिपूर्ण दर को लगाना	3	0.14
6	अन्य त्रुटिपूर्ण कटौतियां एवं समायोजन	5	0.40
	योग	**137**	**18.05**

विभाग के अधीन अन्य इकाईयाँ जो कि नमूना लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं, में भी ऐसी ही अनियमितताएँ, त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। अतः विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाईयों की जाँच कर सकता है, कि करारोपण अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.6 टर्नओवर की त्रुटिपूर्ण परिगणना के कारण कर का अवनिर्धारण

म.प्र. वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(ज़ेड़) के अनुसार, किसी अवधि से संबंधित टर्नओवर का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में सामग्रियों के विक्रय, आपूर्ति अथवा वितरण से प्राप्त अथवा प्राप्य कुल विक्रय मूल्य है, जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर उपरोक्त सामग्री का वापसी मूल्य सम्मिलित नहीं है। कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण हेतु, मध्य प्रदेश वैट अधिनियम[6] के अंतर्गत कुल टर्नओवर में से करदत्त माल का विक्रय मूल्य, करमुक्त माल एवं कर की राशि, यदि सकल विक्रय मूल्य में सम्मिलित है तो, कम की जायेगी। लागू प्रावधानों[7] के अनुसार, बिक्री के समय बीजक से प्रमाणित होने वाली छूट को बिक्री मूल्य से बाहर रखा जाएगा, लेकिन कार्योत्तर छूट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार एवं समरूप को अपवर्जित नहीं किया जा सकता।

14 चयनित कार्यालयों में 12,610 प्रकरणों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना–जाँच से पता चला कि 10 कार्यालयों में 38 प्रकरणों में नि.प्रा. ने 35 व्यवसायियों के संबंध में **तालिका 3.2** में दर्शाये गए कारणों से ₹ 28.94 करोड़ का कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

[6] एमपी वैट अधिनियम की धारा 2(एक्स) के अंतर्गत।

[7] एमपी वैट अधिनियम की धारा 2(वी)(तीन) के अंतर्गत।

तालिका 3.2: टर्नओवर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षा आपत्तियों का सार	प्रकरणों की संख्या	निर्धारित करने योग्य सकल टर्नओवर	निर्धारित सकल टर्नओवर	कम निर्धारण	अवनिर्धारण
1	नि.प्रा. ने व्यवसायियों के सकल टर्नओवर (जीटीओ) में चल संपत्तियों और स्क्रैप के बिक्री मूल्य को सम्मिलित नहीं किया।	10	73.28	67.74	5.54	0.59
2	नि.प्रा. ने व्यवसायियों के लेखापरीक्षित खातों में दर्ज बिक्री मूल्य की तुलना में कम बिक्री मूल्य निर्धारित किया।	06	13.76	12.91	0.85	0.13
3	धारा 9ए के तहत सूचीबद्ध माल के जीटीओ पर वजन और मात्रा के आधार पर विचार किया जाना था। नि.प्रा. ने धारा 9ए के माल (रेत, धातु आदि) की मात्रा को वास्तविक निर्धारण योग्य मात्रा से कम माना।	06	15.51	6.89	8.62	0.43[8]
4	नि.प्रा. ने कार्य अनुबंध प्रकरणों से संबंधित निर्धारणों में, सामग्री की खपत के आधार पर होने वाले निर्धारण की तुलना में कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया।	06	15.19	9.30	5.89	0.66
5	अधिनियम की धारा 2 एक्स (2) के साथ पठित धारा 2 (वाय) के अनुसार, ''करदत्त'' माल, जो राज्यांतर्गत व्यापार में खरीदे गए हैं, के संबंध में संव्यवहार के प्रथम बिंदु के अतिरिक्त और कोई कर लागू नहीं होता है। नि.प्रा. में माल को ''करदत्त'' माल के रूप में मानते हुए, कर योग्य टर्नओवर के एक हिस्से की त्रुटिपूर्ण तरीके से कटौती की अनुमति दी।	01	9.26	9.14	0.12	0.04
6	नि.प्रा. ने त्रुटिपूर्ण रूप से व्यवसायियों को कर योग्य बिक्री के स्थान पर ''अर्थ वर्क'' मानते हुए, कर योग्य टर्नओवर पर कटौती का दावा करने की अनुमति दी।	02	1.37	0.00	1.37	0.07
7	नि.प्रा. ने कर योग्य टर्नओवर को जीटीओ के रूप में त्रुटिपूर्ण तरीके से माना और उस पर कर की कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	03	7.52	7.01	0.51	0.05
8	एक व्यवसाई ने निरंतर आठ कर अवधियों के लिए ''शून्य'' विवरणियाँ जमा की। नि.प्रा. ने विवरणियों को स्वीकार किया और बिना किसी अपेक्षित साक्ष्य के शून्य जीटीओ निर्धारित किया।	02	4.58	0.00	4.58	0.37
9	धारा 9 (सी) के अनुसार ट्रांसपोर्टर, सीमेंट और क्लिंकर के परिवहन के लिए लगाए गए भाड़ा शुल्क पर वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। नि.प्रा. ने परिवहन किए गए सीमेंट पर माल ढुलाई प्रभारों पर वैट का निर्धारण करते समय, सीमेंट की मात्रा को ट्रांसपोर्टरों द्वारा ले जाने वाली वास्तविक मात्रा की तुलना में कम माना, जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	01	0.61	0.30	0.31	0.04

8 कर की गणना ₹ 35 प्रति घन मीटर पर की जाती है जैसा कि शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है। 1,23,180.35 घन मीटर मात्रा का कम निर्धारण हुआ।

क्र. स.	लेखापरीक्षा आपत्तियों का सार	प्रकरणों की संख्या	निर्धारित करने योग्य सकल टर्नओवर	निर्धारित सकल टर्नओवर	कम निर्धारण	अवनिर्धारण
10	कर योग्य बिक्री का निर्धारण करते समय नि.प्रा. कार डीलर के प्रारम्भिक स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान में रखने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप अवनिर्धारण हुआ।	01	154.00	152.85	1.15	0.17
	योग	**38**	**295.08**	**266.14**	**28.94**	**2.55**

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, संबंधित नि.प्रा. निर्धारण के समय सही कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2021), एक प्रकरण में (उपरोक्त तालिका का क्रमांक 7), वा.क.अधि., बैढ़न ने कहा (नवंबर 2020) कि लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लेखित राशि कर योग्य बिक्री राशि न हो कर, सकल बिक्री राशि थी। शेष प्रकरणो में, संबंधित नि.प्रा. ने बताया (सितंबर 2020 से नवंबर 2020) कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

वा.क.अधि., बैढ़न का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वा.क.अधि. निर्धारण के समय निर्धारिती की खरीद सूचियों और लाभ और हानि खातों को ध्यान में रखने में विफल रहे, जबकि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध थे।

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन से आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2022)।

3.7 अस्वीकार्य/अतिरिक्त आगत कर छूट

एम.पी. वैट अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवसायी, कुछ शर्तों[9] को पूरा करने पर, आगत कर में से आगत कर छूट का दावा कर सकेगा या यह उसको अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, यदि बिल, चालान, या कैश मेमोरेंडम में विक्रय करने वाले पंजीकृत व्यवसायी द्वारा एकत्रित कर की राशि और क्रय करने वाले पंजीकृत व्यवसायी के टिन को अलग से इंगित नहीं किया जाता है, तो कोई आगत कर छूट का दावा नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी मामले में माल की किसी भी खरीद पर आगत कर छूट की राशि माल की ऐसी खरीद के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत शासकीय कोष में वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

साथ ही, उक्त अधिनियम के नियम 21(9) के साथ पठित धारा 18 के अनुसार, किसी भी विवरणी को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक क्रय और विक्रय का विवरण, विवरणी में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एमपी वैट अधिनियम की धारा 21(2) निर्धारित करती है कि यदि कर का कम निर्धारण के लिए निर्धारिती उत्तरदायी है, तो इस प्रकार निर्धारित कर के तीन गुना की न्यूनतम शास्ति लगाई जानी है।

अधिनियम की धारा 26ए में कहा गया है कि कुछ वर्ग के माल (जैसे सोयाबीन, सरसों, कपास और तिल के बीज) पर आगत कर नहीं लगाया जाएगा।

---

9 यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी मध्य प्रदेश राज्य के भीतर, अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर के भुगतान के बाद, उक्त अनुसूची के भाग 2 और भाग 3 (ए) में निर्दिष्ट माल के अतिरिक्त कोई भी माल खरीदता है, तो उसे आगत कर की राशि का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने भी अगस्त 2014 में सभी अंचल कार्यालयों को निर्देश[10] जारी किया था कि क्रय करने वाले व्यवसायी को आगत कर छूट की अनुमति देने से पहले विसंगतिपूर्ण राशि का मिलान किया जाना चाहिए।

विक्रेता व्यवसायी की कर विवरणी के साथ क्रय व्यवसायी के आगत कर का निर्बाध मिलान सुनिश्चित करने के लिए, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश एक वैट सूचना प्रणाली (वैटिस) का उपयोग करता है, जहाँ सभी विवरण जैसे कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा भुगतान किए गए निर्गत कर और क्रय करने वाले व्यवसायी द्वारा किया गया आगत कर का दावा फॉर्म 75[11] का उपयोग करके मिलान किया जा सकता है।

3.7.1 उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट को मान्य करना

14 चयनित कार्यालयों में सभी नमूना–जाँच किए गए 12,610 प्रकरणों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 11 कार्यालयों में 53 प्रकरणों में निर्धारण के समय (अप्रैल 2018 से मार्च 2020) नि.प्रा. ने ₹ 262.53 करोड़ के क्रय के एवज में ₹ 23.81 करोड़ के आगत कर छूट को मान्य किया। वैटिस में उपलब्ध जानकारी के प्रतिपरीक्षण से ज्ञात हुआ कि व्यवसायियों द्वारा दावा किए गए ₹ 23.81 करोड़ के आगत कर छूट के लिए, बिक्री करने वाले व्यवसायियों ने ₹ 20.35 करोड़ (₹ 208.83 करोड़ की बिक्री के लिए) का निर्गत कर ही दिखाया। नि.प्रा. के पास क्रय और विक्रय से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध होने के पश्चात भी, वे निर्धारण के समय निर्गत कर के साथ आगत कर के दावों का मिलान करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.46 करोड़ के आगत कर का अधिक दावा किया गया। इसके अलावा व्यवसायियों द्वारा आगत कर के दावों के जानबूझकर त्रुटिपूर्ण विवरण के लिए ₹ 10.37 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी आरोपणीय थी। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

विभाग ने कहा (जून 2021) कि वैटिस से एकत्रित जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी विसंगति वैटिस सॉफ्टवेयर में व्यवसायियों द्वारा गलत प्रविष्टियाँ करने के कारण सटीक नहीं हो सकती। तथापि, विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गलत/अधिक दावों के कारण राजकोष को होने वाली हानि को रोकने के लिए निर्गत कर के साथ आगत कर के दावों का उचित मिलान सुनिश्चित करने के लिए वैटिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। विभाग ने अपने दावे के समर्थन में कोई विशिष्ट दृष्टांत भी नहीं दिया, जिससे लगे कि वैटिस डाटा त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा, नि.प्रा. ने वैटिस में विसंगति के कारणों का विश्लेषण किए बिना आगत कर के दावों को स्वीकार कर लिया।

3.7.2 प्रावधान के विरुद्ध अतिरिक्त आगत कर छूट मान्य किया जाना

14 चयनित कार्यालयों में नमूना–जाँच किए गए 12,610 निर्धारण अभिलेखों से पता चला कि सात कार्यालयों में 18 प्रकरणों में, नि.प्रा. ने 14 व्यवसायियों के संबंध में एमपी वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय आगत कर दावों से अधिक के दावों को मान्य किया। इसका विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

[10] परिपत्र संख्या 147/2014–15/30/15/667 दिनांक 21 अगस्त 2014 के द्वारा।

[11] वैटिस में फॉर्म 75 एक व्यवसायी के क्रय विवरण को सूचीबद्ध करता है जो विक्रेता के विवरण के साथ आगत कर छूट दावा करता है।

तालिका 3.3: अधिक आगत जमा मान्य किये का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	नि.प्रा. ने धारा 26 ए के प्रावधान के विरुद्ध तिल के बीज की खरीद पर आगत कर छूट मान्य किया।	01	0.02
2	धारा 14(6) उन अवस्थाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत आगत कर छूट की अनुमति नहीं है, जैसे की टिन का न होना, चालान आदि। नि.प्रा. ने धारा 14(6) के प्रावधानों के विरुद्ध अपूर्ण विवरण जैसे कि टिन का न होना, चालान आदि के आधार पर आगत कर की अनुमति दी।	08	0.29
3	धारा 14(1) उन शर्तों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत आगत कर की छूट की अनुमति दी जा सकती है। नि.प्रा. ने धारा 14(1) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अंतर–राज्यीय बिक्री या पेट्रोल/डीजल में वाष्पीकरण हानि पर व्यवसायियों को आगत कर की छूट दी जिसके परिणामस्वरूप अधिक दावा हुआ।	04	0.07
4	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित खातों में दर्ज किए गए क्रय की तुलना में अधिक पर आगत कर छूट की अनुमति दी।	03	0.09
5	आगत कर छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब क्रय की गई वस्तुओं को पुनः विक्रय के माध्यम से बेचा जाता है। सं.उ.वा.क. कार्यालय, सतना में एक व्यवसायी ने माल क्रय किया और माल के एक हिस्से को पुनः विक्रय न करके अन्य विधि (स्टॉक ट्रांसफर) से बेच दिया। नि.प्रा. ने गलत तरीके से व्यवसायी को स्टॉक ट्रांसफर के माध्यम से निपटाए गए माल के हिस्से पर आगत कर का दावा करने की अनुमति दी।	02	0.04
	योग	**18**	**0.51**

इस प्रकार, एमपी वैट के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, नि.प्रा. ने 18 प्रकरणों में व्यवसायियों को ₹ 0.51 करोड़ के त्रुटिपूर्ण/अधिक आगत कर छूट की अनुमति दी। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ का विवरण, संबंधित नि.प्रा. के उत्तर और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया हैं।

विभाग ने कहा (जून 2021) कि सभी अभिलेखों जैसे बिल, भुगतान, खाता बही लेनदेन आदि की जाँच करके प्रकरणों की जाँच की जाएगी।

3.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

ईटी अधिनियम, 1976 एवं उसके अंतर्गत जारी नियम और अधिसूचनाएँ प्रावधानित करतें हैं कि स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए प्रवेश करने वाले सामानों पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय होगा। इसके अलावा, ईटी अधिनियम की धारा 4ए प्रावधानित करती है कि अधिसूचित वस्तुओं[12] पर प्रवेश कर वर्धित दर पर आरोपणीय है।

14 चयनित कार्यालयों में 12,610 निर्धारण अभिलेखों की नमूना–जाँच से पता चला कि नौ कार्यालयों में 20 प्रकरणों में, पेंट, थिनर, ट्रांसफार्मर, मोबाइल, कोयला, रसायन, तेल आदि जैसे सामानों पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया था या कम आरोपित किया गया जैसा की **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

[12] ट्रांसफार्मर, पीपी, बुने हुए बैग, आदि जैसे सामान, जिन्हें राज्य शासन द्वारा उच्च दरों पर कर आरोपण हेतु अधिसूचित किया गया है।

तालिका 3.4: प्रवेश कर के कम आरोपण/या अनारोपण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा अवलोकन की श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनुसूची दो के अंतर्गत वो माल आते हैं जो स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद बिक्री, उपभोग या उपयोग के लिए होते हैं। यह देखा गया कि नि.प्रा. ने अनुसूची दो वाले माल पर स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के बाद प्रवेश कर नहीं लगाया।	10	0.26
2	कोयले पर प्रवेश कर तीन प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। यह देखा गया कि नि.प्रा. ने कोयले पर तीन प्रतिशत के अपेक्षा एक प्रतिशत प्रवेश कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।	02	0.05
3	ट्रान्सफ़ॉर्मर/पीपी बुने हुए बैगों को 5 प्रतिशत की वर्धित दर से प्रवेश कर वसूली के लिए अधिसूचित किया गया है (धारा 4ए)। नि.प्रा. ने ट्रान्सफ़ॉर्मरों पर दो प्रतिशत तथा पीपी बुने हुए बैगों पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।	02	0.03
4	नि.प्रा. ने प्रवेश कर का निर्धारण करते समय: • सकल टर्नओवर में भाड़ा शुल्क सम्मिलित नहीं किया (दो प्रकरण); • सकल टर्नओवर में मशीन का क्रय मूल्य सम्मिलित नहीं किया (एक प्रकरण); तथा • वास्तव में जो लागू था उससे कम क्रय मूल्य निर्धारित किया (तीन प्रकरण)। इनके परिणामस्वरूप प्रवेश कर का त्रुटिपूर्ण/कम आरोपण हुआ।	06	0.28
	योग	**20**	**0.62**

इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सही दरों पर प्रवेश कर लगाने में संबंधित नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप प्रवेश कर की ₹ 0.62 करोड़ राशि का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। इनका विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

विभाग ने ऊपर **तालिका 3.4** में क्रमांक संख्या 3 में इंगित प्रकरण के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2021)। अन्य प्रकरणों के संबंध में विभाग ने कहा कि प्रकरणों की पुनः जाँच की जाएगी।

3.9 त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाने से वैट का कम आरोपण

एमपी वैट अधिनियम, 2002 की धारा 9 के अनुसार अनुसूची दो में निर्दिष्ट वस्तुओं पर संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित दर से कर लगाया जाएगा और ऐसा कर एक व्यवसायी के कर योग्य टर्नओवर पर लगाया जाएगा।

14 चयनित कार्यालयों में 12,610 निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि तीन कार्यालयों[13] में तीन निर्धारित प्रकरणों में, नि.प्रा. ने पुराने फर्नीचर, सीमेंट और विस्फोटकों पर क्रमशः कर की गलत दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। लेखापरीक्षा अवलोकन, राजस्व की कम वसूली, संबंधित नि.प्रा. के उत्तर और उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रकरणवार विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित नि.प्रा. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2022)।

[13] स.आ.वा.क. ग्वालियर 1, वा.क.अधि. जबलपुर 2 और वा.क.अधि. रतलाम 1।

3.10 टीडीएस और घोषणाओं के विरुद्ध कर की त्रुटिपूर्ण कटौतियाँ एवं समायोजन

एमपी वैट अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, किसी भी माल की बिक्री या आपूर्ति के लिए किसी भी व्यवसायी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने से पहले, कर के रूप में खरीदार द्वारा व्यवसायी को देय राशि के बराबर राशि की कटौती करेगा। राशि की कटौती पर, ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति व्यवसायी को निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म 31/32) में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और राशि को शासकीय कोष में जमा करेगा और इस तरह के भुगतान को दायित्व का एक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन माना जाएगा। व्यवसायी को इस तरह के लेनदेन के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए और इस तरह भुगतान की गई राशि को उसके द्वारा निर्धारित तरीके से समायोजित किया जाएगा।

राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक दिसंबर 2010 के द्वारा अनुसूची II के माल को स्थानीय क्षेत्र में बिक्री (पंजीकृत व्यवसायी द्वारा) के लिए प्रवेश में प्रवेश कर से छूट दी है यदि वे उसके द्वारा किसी अन्य व्यवसायी को बेचे जाते हैं। यह छूट क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी एक घोषणा के अधीन होगी कि माल का उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग/उपयोग के लिए किया जाएगा।

14 चयनित कार्यालयों में 12,610 निर्धारण अभिलेखों की नमूना–जाँच से पता चला कि तीन कार्यालयों[14] में पाँच निर्धारित प्रकरणों में :

- दो प्रकरणों में संबंधित नि.प्रा. ने टीडीएस फॉर्म के बिना या अनुचित टीडीएस फॉर्म पर ₹ 0.20 करोड़ के टीडीएस के गलत समायोजन की अनुमति दी;
- दो प्रकरणों में नि.प्रा. ने घोषणाओं के बदले बेचे गए माल पर ₹ 0.17 करोड़ के अधिक प्रवेश कर की छूट प्रदान की;
- एक मामले में, नि.प्रा. ने स्थानीय क्षेत्र के बाहर माल की बिक्री के लिए एक व्यवसायी को कर के भुगतान से छूट की प्रदान की। बिक्री का दावा प्रमाण द्वारा समर्थित नहीं था, लेकिन नि.प्रा. ने दावे को स्वीकार किया और छूट की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.03 करोड़ की राशि का कर आरोपण नहीं हो पाया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.40 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ। इनके विवरण को **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

3.11 निष्कर्ष

वाणिज्यिक कर विभाग की लेखापरीक्षा, जो की 14 चयनित कार्यालयों में निर्धारण अभिलेखों की नमूना–जाँच के माध्यम से की गई थी, ने विभिन्न प्रकरणों को प्रकट किया जहाँ नि.प्रा. ने व्यवसायियों के सही कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करने में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, स्वीकार्य से अत्यधिक आगत कर की अनुमति दी, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर प्रवेश कर नहीं आरोपित किया या कम किया। इन कमियों का कुल राजस्व प्रभाव ₹ 18.05 करोड़ था।

[14] सं.उ.वा.क. सतना, वा.क.अधि. बैढ़न और वा.क.अधि. 1 उज्जैन।

अध्याय—IV
खनिज साधन विभाग

अध्याय IV
खनिज साधन विभाग

4.1 परिचय

खनिज प्रकृति की अद्वितीय निधि हैं और राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इनका विवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया जा सकता है। ये निधियाँ सीमित और गैर–नवीकरणीय होने के कारण इनका व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से दोहन करने की आवश्यकता है अन्यथा यह अनेक अपूरणीय सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक नुकसान का कारण बन सकती है।

खनिजों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत शासन ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 (2020 में संशोधित) अधिनियमित किया। इसके बाद खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास और परमिट, लाइसेंस और पट्टों के आवंटन/स्वीकृति को विनियमित करने के लिए खनिज रियायत नियम (एमसीआर), 1960 तैयार किये गये थे।

मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 और उसके बाद मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2006 बनाए। ये राज्य शासन को वैध अधिकार और पर्यावरण प्रदूषण के बिना खनन को रोकने, नियंत्रित करने और जाँच करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, राज्य शासन ने राज्य के समुचित एवं निरंतर विकास के लिए खनिज संसाधनों का उचित दोहन सुनिश्चित करने के लिए अपनी खनिज नीति, 2010 भी जारी की थी।

4.2 कर प्रशासन

खनिज साधन विभाग, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, मध्य प्रदेश शासन के पूर्णतः अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (स.भौ.ख.) विभाग का प्रमुख होता हैं जिसकी सहायता मुख्यालय और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उप संचालकों द्वारा की जाती है। जिलाधिकारी जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है और विभागीय अधिकारी, जैसे जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी सहायता करते हैं। जि.ख.अ./स.ख.अ और ख.नि. रॉयल्टी और अन्य खनन प्राप्तियों के निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य के सभी 51 जिलों में, खनिज शाखाएं, कलेक्टर के निर्देशन में कार्य कर रही है।

4.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

पिछले चार वर्षों के दौरान खनिज साधन विभाग की प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 4.1** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.1: प्राप्तियों की प्रवृत्ति (गौण खनिज)

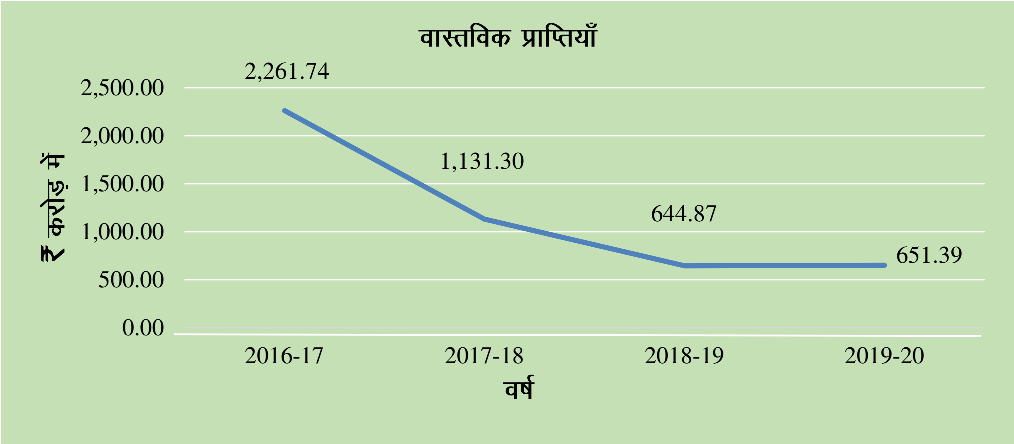

स्त्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, गौण खनिजों से प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। वर्ष 2016–17 से 2019–20 के बीच 71.20 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली

4.4.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से संपादित की गयी थी कि क्या उत्खनन पट्टों का संचालन निर्धारित खनन नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा रहा था और जहाँ आवश्यक हो वहाँ दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे।

4.4.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

राज्य के 51 जिला खनिज कार्यालयों में वर्ष 2018–19 तक 6,456 उत्खनि पट्टे[1] आवंटित किए गए थे, जिनमें से 3,951 कार्यशील हैं और 2,505 अकार्यशील हैं। इन 51 कार्यालयों को राजस्व प्राप्तियों और अन्य जोखिमों के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणी के रूप में अलग किया गया था। तत्पश्चात् विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए, 27 चयनित इकाईयों में से, 11 उच्च जोखिम से (कुल उच्च जोखिम इकाईयों का 60 प्रतिशत), 11 मध्य जोखिम से (कुल मध्य जोखिम इकाईयों का 50 प्रतिशत) और निम्न जोखिम श्रेणियों से पाँच (कुल निम्न जोखिम इकाईयों का 40 प्रतिशत) का चयन स्ट्रेटीफाईड रेण्डम सेम्पलिंग विधि द्वारा किया गया। उपर्युक्त के अलावा एक शीर्ष इकाई अर्थात संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, भोपाल को भी लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

27 चयनित जिला खनिज कार्यालयों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 3,574 उत्खनि पट्टे आवंटित किये गए थे, जिनमें से 2,054 कार्यशील है और 1,520 अकार्यशील हैं। लेखापरीक्षा ने 1,210 (847 कार्यशील एवं 363 अकार्यशील) पट्टों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की, जो कि वर्ष 2018–19 तक राज्य के कुल आवंटित उत्खनि पट्टों का लगभग 18.74 प्रतिशत हैं। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, भोपाल और 27 चयनित जिला खनिज अधिकारियों के कार्यालय में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19[2] की

---

1 उत्खनि पट्टे का अर्थ है गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा।

2 प्रणालीगत मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए वर्ष 2019–20 के लिए प्रासंगिक डाटा को चयनित जि.ख.अ. से भी बुलाया गया था और उपर्युक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अवधि के अभिलेखों की अगस्त 2019 से जनवरी 2020 के दौरान जाँच की गयी। चयनित 27 जिलों में से 20[3] में 37 खदानों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रावधानों के तहत अभिलेखों और अनुपालन की जाँच की गई:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957;
- खान अधिनियम, 1952;
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996;
- खनिज रियायत नियम, 1960;
- मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2006;
- खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017;
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना;
- संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी परिपत्र और निर्देश, तथा
- खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति और संचालन के लिए सहमति क्रमशः राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) द्वारा जारी की गई।

लेखापरीक्षा ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से उपग्रह चित्रण का भी उपयोग किया। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 1,467 उत्खनि पट्टों के निर्देशांकों को गूगल अर्थ की सहायता से भू–संदर्भित किया गया। गूगल अर्थ से प्राप्त उपग्रह छवियों (जनवरी 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान) का विश्लेषण खनन से संबंधित किसी भी असामान्य गतिविधियों की खोज के लिए किया गया था और इस तकनीक पर आधारित प्रेक्षणों/आपत्तियों पर प्रतिवेदन में अलग से चर्चा की गई है।

27 चयनित इकाईयों का भौगोलिक कवरेज और उनकी जोखिम धारणा नीचे दिये गए मानचित्र में दर्शाया गया है।

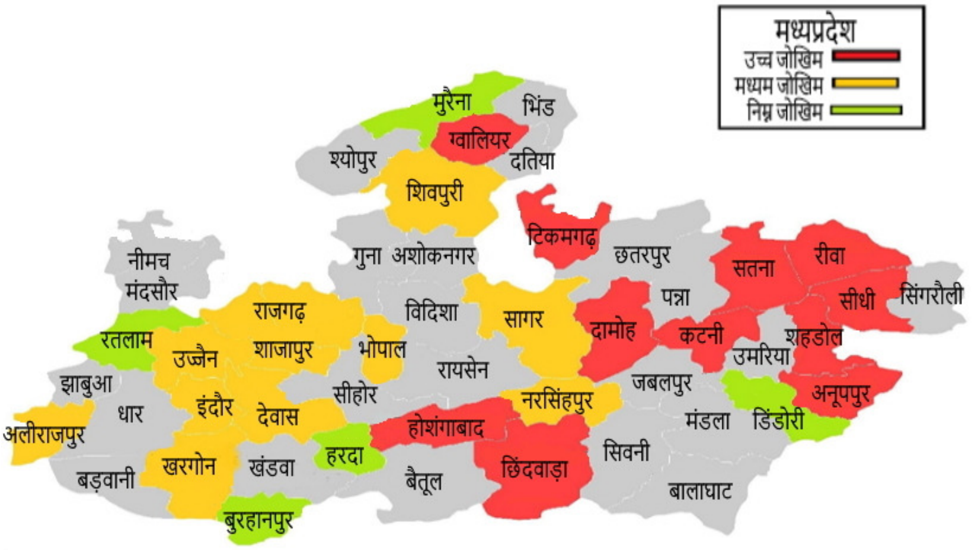

[3] अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, इंदौर, कटनी, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी और उज्जैन।

4.5 वर्तमान प्रवर्तन तंत्र और विभिन्न एजेंसियों/प्राधिकारियों जिनको यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है कि खनन पट्टे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित हों

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)

एमओईएफसीसी ने गौण खनिजों के लिए खनन गतिविधियों को शुरू करने से पहले अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमति (ई.सी.) प्राप्त करने के संबंध में अधिसूचना (जनवरी 2016) जारी की। इसके अलावा, एमओईएफसीसी द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना 2006, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 01 जून और 01 दिसम्बर को संबंधित नियामक प्राधिकरण को अर्ध–वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है।

संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म

संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश शासन ने खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति (ई.सी.) में निर्धारित खनिज की मात्रा से अधिक अतिरिक्त खनन किये गये खनिजों के मूल्य का शत–प्रतिशत वसूली के निर्देश (2019) जारी किये थे।

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सिया) और जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (डिया)

सिया द्वारा पट्टेदार को जारी ई.सी. के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, खनन योजना में प्रस्तावित वृक्षारोपण खनन गतिविधियों के साथ किया जाना चाहिए, और परियोजना प्रस्तावक को पाँच साल तक वृक्षों का रख–रखाव करना होगा। साथ ही, परियोजना प्रस्तावक के ई.सी. आदेशों में निर्धारित शर्त के अनुसार, संबंधित पट्टेदार को खनन योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा, अन्यथा डिया/सिया द्वारा प्रदान की गयी ई.सी. रद्द मानी जाएगी।

इसके अलावा, सिया ने इसे प्रदान करते समय ई.सी. में कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की थीं, और इन शर्तों के पैरा(ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "खनन गतिविधि प्रारम्भ करने से पहले पूरे क्षेत्र में बाड़ लगायी जाएगी"।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी)

एमपीपीसीबी को संबंधित अधिनियम के तहत खनन कार्यों के लिए स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) जैसी अनुमति देने का अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गयी है। खनन कार्य प्रारम्भ करने से पहले एमपीपीसीबी से वायु एवं जल की सहमति लेनी होती है और सहमति में निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है।

4.6 खनन कार्य प्रारम्भ करने में सम्मिलित संक्रियाएं

उत्खनन पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

चरण 1	पट्टेदार मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति (आर.क्यू.पी.) द्वारा तैयार विस्तृत खनन योजना प्रस्तुत करके खनन पट्टे के लिए आवेदन करता है। योजना में अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, निर्देशांक, निष्कर्षण/उत्खनन योजना, पर्यावरण योजना और खदान बंद करने की योजना शामिल होती है।
चरण 2	विभाग खनन योजना का सत्यापन करता है और उसको अनुमोदित करता है।
चरण 3	पट्टेदार सिया से ई.सी. के लिए आवेदन करता है।
चरण 4	एक बार ई.सी. स्वीकृत हो जाने के बाद, पट्टेदार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई के लिए आवेदन करता है।
चरण 5	सीटीई प्राप्त करने के बाद एक निश्चित अवधि के बाद, पट्टेदार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ के लिए आवेदन करता है।
चरण 6	पट्टेदार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार संचालन कर सकता है।

4.7 "खनन योजनाओं और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरुप खनन संक्रियाओं" पर लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रेषण

विभाग की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों को आगामी कंडिकाओं में विस्तारित किया गया है।

4.7.1 खनन योजनाएं

खनन योजना गौण खनिजों के उत्खनन के लिए पट्टा/लाइसेंस/कार्य अनुमति प्रदान करने एवं नवीनीकरण के लिए एक पूर्व–आवश्यकता है। इसे एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति (आर.क्यू.पी.) द्वारा तैयार किया जाना है और विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना है। उत्खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार करना होगा। प्रत्येक खनन योजना में एक खदान बंद करने की योजना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने, खनन संचालन के दौरान वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण उपायों और भूमि सुधार आदि के प्रावधान शामिल है।

इसके अतिरिक्त एमओइएफसीसी ने पाँच हेक्टेयर के बराबर या उससे कम पट्टा क्षेत्र वाली गौण खनिज परियोजना के लिए पहले ई.सी. प्राप्त करने की आवश्यकता को भी अधिसूचित (जनवरी 2016) किया था।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 एवं संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, द्वारा जारी दिशानिर्देश (सितम्बर 2015) के अनुसार, कोई भी गौण खनिज पट्टा तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी खनन योजना आर.क्यू.पी. द्वारा तैयार नहीं की जाती है और संचालक या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की जाती।

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 27 के अनुसार उत्खनि पट्टा स्वीकृत होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी[4] द्वारा क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं सीमांकन की व्यवस्था की जायेगी तथा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कब्जा प्रदान किया जायेगा। पट्टेदार सीमा रेखा के प्रत्येक कोने पर सीमा स्तंभों को स्थापित करेगा और संधारण करेगा। नियम 30 के उप नियम 5 में यह भी प्रावधान है कि पट्टेदार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सीमांकन और कब्जे के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। खदान के स्थान की उचित पहचान के लिए खनन योजना में कम से कम तीन खनन निर्देशांक दर्शाये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(20)(अ)(ब)(स) के अनुसार, पट्टाधारक को उत्खनित/हटाए गए/खपत खनिज की मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2006 का नियम 5–ए पंजीकृत वाहन मालिक द्वारा विवरणियाँ जमा करने का प्रावधान करता है।

विनियामक रूपरेखा के अनानुपालन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

4.7.1.1 उचित निर्देशांक के बिना अनुमोदित खनन योजनाएं

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(5)(i) के अनुसार, खनन योजना में पट्टा अधिकार क्षेत्र की योजना शामिल की जाएगी जिसमें खनिज, स्थान या स्थानों की

---

4 अनूपपुर, भोपाल एवं हरदा।

प्रकृति और सीमा को दर्शाया जाएगा जहाँ खनन कार्यों को आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए पूर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 48 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा एक पर्यावरण योजना तैयार की जाएगी, जिसमें स्वीकृत क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा, स्वीकृत क्षेत्र में पहले से खोदे गये गड्ढे के माप का विवरण और इस क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित खनन रियायतों का विवरण होगा।

अ. लेखापरीक्षा ने उत्खनन क्षेत्रों के 87 अनुचित निर्देशांकों का पता लगाया जो या तो गलत थे या ओवरलैप थे या राज्य की सीमा के बाहर थे। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए इन 87 प्रकरणों का विवरण प्रतिवेदन के जीआईएस अनुभाग (संदर्भ कंडिका 4.7.7) में विस्तृत किया गया है। यह इंगित करता है कि खनन योजनाओं में दिखाए गए निर्देशांकों का खनन विभाग या सिया या एमपीपीसीबी द्वारा अनुमति देने से पहले ध्यान से निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

ब. 25 जिलों में अनुमोदित खनन योजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 13 जिलों में 345 अनुमोदित खनन योजनाओं में, स्वीकृत पट्टा क्षेत्र, सीमा के सीमांकन और सटीक स्थान की पहचान के लिए आवश्यक निर्देशांक दर्ज नहीं पाए गए थे। इनमें से 138 खनन योजनाओं में न्यूनतम तीन निर्देशांकों का भी उल्लेख नहीं किया गया था।

न्यूनतम आवश्यक निर्देशांकों के अभाव में, लेखापरीक्षा जी.आई.एस. अनुप्रयोग पर इन निर्देशांकों का मानचित्रण करने में असमर्थ था और परिणामस्वरूप, खानों में वास्तव में उत्खनित क्षेत्र का पता नहीं लगा सका। निर्देशांक की अनुपलब्धता विभाग ही की वास्तविक खनि सीमा की पहचान करने की क्षमता को बाधित करती है जिसके भीतर ही खनन को प्रतिबंधित किया जाना है।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। आगे लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर विभाग ने बताया कि वर्तमान में सभी खनन योजनाओं को निर्देशों के सत्यापन के बाद ही अनुमोदित किया जाता है।

4.7.1.2 खान बंद करने की योजना का कार्यान्वयन नहीं करना

खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के नियम 26 में कहा गया है कि उत्खनन पट्टा धारक की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार या ऐसे संशोधनों के साथ सुधार और पुनर्वास कार्यों सहित सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पट्टेदारों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा करने पर पाया कि 27 जिला खनिज कार्यालयों में से तीन[5] में पाँच उत्खनि पट्टों में पट्टेदारों ने उत्खनन गतिविधियों को बंद कर दिया लेकिन खान बंद करने की योजना के अनुसार अंतिम खदान बंद नही किया गया था। खान बंद करने की योजना के अनुसार, खदान को बंद करने में बैकफिलिंग[6], लेवलिंग, फेंसिंग और वृक्षारोपण गतिविधियाँ सम्मिलित थीं। खान बंद करने की योजना का पालन न करने और खान बंद करने की गतिविधियों को पूरा न करना मानव जीवन के आकस्मिक नुकसान के साथ–साथ संबंधित पर्यावरणीय परिणामों के जोखिम को दर्शाता है।

---

[5] अनूपपुर, भोपाल एवं हरदा।

[6] बैकफिलिंग का अर्थ है खुदाई किए गए छेद/गड्डा को फिर से भरना।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों के सत्यापन के बाद कार्यवाही की जाएगी।

4.7.2 अपर्याप्त निगरानी

4.7.2.1 पट्टेदार द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत न करना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30(20)(ए)(बी)(सी) के साथ पठित नियम 30(27) के अंर्तगत खनन पट्टे के प्रत्येक पट्टेदार को जि.ख.अ. को मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। निर्धारित तिथियों पर निर्धारित प्रपत्रों में विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर, पट्टेदार शास्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो वार्षिक अनिवार्य भाटक की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी।

जि.ख.अ. द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणियों के प्रस्तुतीकरण/गैर–प्रस्तुत करने के जिलेवार विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्षवार स्वीकृत पट्टों के संबंध में, केवल 75,249 मासिक और 4,791 वार्षिक विवरणियाँ ही प्रस्तुत की गई थीं, जबकि 1,52,570 मासिक और 12,771 वार्षिक विवरणियाँ वास्तव में देय थी जैसा कि **तालिका 4.1** में विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: उत्खनि पट्टा धारक द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत न करना

वर्ष	उत्खनि पट्टो की संख्या	देय विवरणियाँ		प्रस्तुत विवरणियाँ		अप्रस्तुत विवरणियाँ		अप्रस्तुत विवरणियों का प्रतिशत	
		मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक	मासिक	वार्षिक
2016–17	2,755	33,060	2,755	16,329	953	16,731	1,802	50.61	66.41
2017–18	3,189	38,268	3,189	17,654	1,147	20,614	2,042	53.87	64.03
2018–19	3,493	41,847	3,493	19,657	1,181	22,190	2,312	53.03	66.19
2019–20[7]	3,334	39,395	3,334	21,609	1,510	17,786	1,824	45.15	54.71
योग		**1,52,570**	**12,771**	**75,249**	**4,791**	**77,321**	**7,980**	**50.68**	**62.49**

जि.ख.अ. ने विवरणियों की प्राप्ति की निगरानी नहीं की, और ऐसे पट्टेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू करने में भी विफल रहे। पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित विवरणियाँ प्रस्तुत करने के अभाव में विभाग उत्खनित खनिजों की मात्रा का सत्यापन करने तथा पट्टाधारकों द्वारा खनिज के विरूद्ध देय रायल्टी की राशि का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं था।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि पट्टाधारकों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए जि.ख.अ. को निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा, विभाग धीरे–धीरे ई–खनिज पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित कर रहा है और मॉड्यूल के विकास के बाद, निर्धारित समय में विवरणी जमा नहीं करने पर पट्टेदार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई–टीपी) प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

विभाग ने जून 2020 में उत्खनि पट्टों के लिए एक विवरणी मॉड्यूल प्रारंभ किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–टीपी के संबंध में की गई प्रगति पर आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

---

[7] 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गई, उसके बाद वर्ष 2019–20 के लिए 27 जिला खनिज कार्यालयों से जानकारी संकलित की गई।

4.7.2.2 पंजीकृत वाहन स्वामियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत न करना

मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2006 के नियम 5–ए में खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों के ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता है। खान एवं खनिज व्यापारी केवल लाइसेंस धारक पंजीकृत वाहनों से ही खनिजों का परिवहन करेंगे। नियम 5–ए(5) यह भी निर्धारित करता है कि पंजीकृत वाहन के स्वामी प्रत्येक दौर की जानकारी बनाए रखेंगे और अगले महीने की 10 तारीख तक संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन तिमाही विवरणी जमा करेंगे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा पूर्व परीक्षण अनुज्ञापत्र, खनन पट्टे या खनि पट्टे के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनिजों के परिवहन के लिए विभाग के साथ वाहनों के पंजीकरण के लिए खनन विभाग के उपयोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ई–खनिज विकसित किया गया था। यह खनन कार्यों पर नजर रखने के लिए विभिन्न एम.आई.एस. प्रतिवेदन भी तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई–खनिज पोर्टल में पंजीकृत वाहन स्वामियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, पंजीकृत वाहनों के स्वामी पोर्टल पर विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं कर सके।

इस मुद्दे को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या–1) में प्रमुखता से दिखाया गया था। विभाग ने उत्तर में बताया (मार्च 2018) कि पंजीकृत वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणियाँ जमा करने के लिए, ई–खनिज पोर्टल पर मॉड्यूल को विकसित किया जा रहा है, जिसे मार्च 2018 तक पूरा किया जाएगा। हालाँकि, चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इसे विकसित नहीं किया गया (मार्च 2022)।

परिणामस्वरूप, ई–खनिज पोर्टल में विवरणी प्रस्तुत करने के प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण, विभाग द्वारा उत्खनित/वाहनों द्वारा परिवहन किये गये खनिज की मात्रा की प्रामाणिकता का आकलन नहीं किया जा सका।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि विभाग के ई–खनिज पोर्टल पर इन विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.2.3 पर्यावरण अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

एमओईएफसीसी द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 01 जून और 01 दिसंबर को संबंधित नियामक प्राधिकरण को अर्ध–वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने खनन पट्टे की नस्तियों की जाँच की और पाया कि 24[8] जि.ख.अ. में, 188 पट्टाधारकों ने पट्टे की अवधि के दौरान ई.सी. के वार्षिक, साथ ही अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे। इसलिए प्रणाली का पूर्ण अभाव था जहाँ न तो पट्टाधारकों ने संबंधित प्राधिकारियों को विवरणी प्रस्तुत की और न ही संबंधित प्राधिकारियों ने इन पट्टेदारों से जवाबदेही लेने का कोई प्रयास किया।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि विभाग मासिक समीक्षा के माध्यम से इनकी निगरानी करेगा।

---

[8] अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, देवास, डिण्डौरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, कटनी, खरगोन, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, सीधी एवं उज्जैन (होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई)।

4.7.3 खनि निरीक्षक और जिला टास्कफोर्स समितियों की कार्यप्रणाली

4.7.3.1 खनि निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के आदेशानुसार (जून 1977), ख.नि. को प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक छः माह में एक बार अपने क्षेत्र में खदानों का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने ख.नि. द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों के संबंध में जानकारी का विश्लेषण किया और पाया कि 27 जिला खनिज कार्यालयों में खदान पट्टों के 53 प्रतिशत से 62 प्रतिशत के बीच खान निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का अभाव था। विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: खनिज निरीक्षकों द्वारा खनन पट्टों के निरीक्षण में कमी

वर्ष	नमूना जांच किए गए जिला खनिज अधिकारियों में खनन पट्टों की कुल संख्या	मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले कुल निरीक्षण	प्रदान की गई जानकारी के अनुसार किए गए निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण में कमी	निरीक्षण में कमी का प्रतिशत
2016–17	2,755	5,510	2,310	3,200	58.07
2017–18	3,189	6,378	2,443	3,935	61.70
2018–19	3,493	6,986	2,864	4,122	59.00
2019.–20[9]	3,334	6,657	3,120	3,537	53.13

स्त्रोत : जि.ख.अ. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

निर्धारित मानकों के विरुद्ध ख.नि. द्वारा निरीक्षण के अभाव में निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है:–

- उत्खनन और प्रेषण किए जा रहे खनिजों की वास्तविक मात्रा और जो उत्पादन/प्रेषण पंजी में दर्ज किया गया का सत्यापन न करना, जिसके परिणामस्वरूप उत्खनित खनिज कम वर्णित होना।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना का अनानुपालन, खनन योजना/स्कीम और खनन पट्टे के संचालन की अन्य शर्तों का समय पर पता नहीं चलने और रोकने के कारण पर्यावरण और आसपास के निवासियों की आजीविका को नुकसान होना।

शासन ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि गौड खनिज खदानों में कई गुना वृद्धि हुई है और उन पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया है। विभाग समस्या को दूर करने के लिए खनिज अधिकारियों और खनिज निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास 112 ख.नि. की संस्वीकृत कार्मिक संख्या थी, जिसके विरूद्ध उपलब्ध मानव–शक्ति 98 थी (12.5 प्रतिशत की कमी)। निरीक्षणों में कमी का प्रतिशत (2019–20 में 53 प्रतिशत) बहुत अधिक है, उपलब्ध मानव–शक्ति की तुलना में यह दर्शाता है कि ख.नि. ने अपने कर्तव्यों का कुशलता से पालन नहीं किया है।

[9] 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गई, उसके बाद वर्ष 2019–20 के लिए 27 ख.नि.अ. से जानकारी संकलित की गई।

4.7.3.2 खनन निरीक्षकों द्वारा खदान के गड्ढों की माप न करना

खान अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार, एक निरीक्षक एक नोटिस देने के बाद खदान में प्रवेश कर सकता है और वहाँ से किसी भी या उत्पादन के सर्वेक्षण, समतल करने या मापने के उद्देश्य से खदान का सर्वेक्षण, स्तर या माप कर सकता है और धारा 3(1)(बी)(ii) के अनुसार, इसके उच्चतम से निम्नतम बिंदु तक मापी गई खुदाई की गहराई कहीं भी छः मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने जि.ख.अ. द्वारा प्रदान की गई सूचना का विश्लेषण किया और पाया कि 27 जिला खनिज कार्यालयों में से 14[10] में ख.नि. द्वारा खदानों की माप आवधिक अंतराल पर नहीं की गई थी जिससे के यह सुनिश्चित हो सके कि:

- खनन सतही[11] जमीन के नीचे नहीं होता है,
- गड्ढों के बिंदुओं से मापी गई खुदाई की गहराई कहीं भी छह मीटर से अधिक नहीं है।

इस प्रकार, खान गड्ढों की समय–समय पर ख.नि. द्वारा माप न करने के कारण, विभाग खनन के प्रतिकूल प्रभाव का आँकलन करने और या उचित निर्धारण और राजस्व का संग्रहण सुनिश्चित करने में असमर्थ था।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में बताया कि खानों के आवधिक निरीक्षण और माप के लिए जि.ख.अ. को निर्देश जारी (सितंबर 2020) किये गये थे।

विभाग के अभिलेखों (मार्च 2022) के अनुसार निरीक्षणों की संख्या में कोई और सुधार स्पष्ट नहीं था।

4.7.3.3 पट्टों के निर्धारण में कमी

निदेशालय द्वारा सितम्बर 2005 में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार की रायल्टी का निर्धारण प्रत्येक छः माह में एक बार किया जायेगा तथा निर्धारण की प्रक्रिया छः माह की अवधि पूर्ण होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

लेखापरीक्षा ने जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण किया और पाया कि 27 जिला खनन कार्यालयों में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निर्धारण में 38 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक की कमी थी जैसा कि नीचे **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: खनन पट्टों के आवधिक निर्धारण में कमी

निर्धारण वर्ष	पटटो की संख्या	देय निर्धारणों की संख्या	किए गए निर्धारणों की संख्या	नहीं किए गए निर्धारणों की संख्या	कमी का प्रतिशत
2016–17	2,755	5,510	3,353	2,157	39.15
2017–18	3,189	6,378	3,434	2,944	46.16
2018–19	3,493	6,984	3,605	3,379	48.38
2019–20	3,334	6,657	4,120	2,537	38.11
योग	**12,771**	**25,529**	**14,512**	**11,017**	

स्त्रोत : जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी जानकारी

---

10 अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, छिन्दवाडा, डिंडोरी, ग्वालियर, कटनी, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, सतना, शहडोल एवं शिवपुरी।

11 नीचे पड़ा हुआ।

विभाग द्वारा पट्टेदारों के अभिलेखों के समय पर निर्धारण की निगरानी के लिए कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया जा रहा था। इसलिए, लेखापरीक्षा अभिलेखों के निर्धारण के लिए पट्टाधारकों को जि.ख.अ. द्वारा जारी किए गए निर्धारणों और नोटिसों की स्थिति का पता नहीं लगा सका।

इस प्रकार, समय पर निर्धारण पूर्ण न होने के कारण, विभाग खनिजों के निकास एवं प्रेषण की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2020) बताया कि उन्होंने इसके लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी और स्टाफ की कमी के संबंध में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.3.4 टास्क फोर्स समिति की बैठकों में कमी

राज्य खनिज संसाधन विभाग (मार्च 2006) के आदेश के अनुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डी.टी.एफ.) का गठन किया जाना था और डी.टी.एफ. को अवैध खनन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने और अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए समाधान खोजने के लिए मासिक बैठकें करनी चाहिए। राज्य में खनिजों की डी.टी.एफ. को अपने सभी निष्कर्ष राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (एस.एल.टी.एफ.) को प्रस्तुत करना था। डी.टी.एफ. में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.), आर.टी.ओ, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और जि.ख.अ. शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने जिला डी.टी.एफ. से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच की और पाया कि 27 जिला खनिज कार्यालयों (2016–17 से 2019–20) में नियमित मासिक बैठकें नहीं हुई थीं।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डी.टी.एफ. समिति की बैठकों में 83 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक की कमी थी जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: टास्क फोर्स की बैठकों में कमी

वर्ष	टास्क फोर्स की आयोजित की जाने वाली बैठक की संख्या	टास्क फोर्स की बैठक	बैठक में कमी	बैठक में कमी का प्रतिशत
2016–17	324	41	283	88.27
2017–18	324	43	281	83.64
2018–19	324	23	301	94.75
2019–20[12]	324	54	270	83.33

स्रोत : जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2020) कि सभी जिलों में डी.टी.एफ. का गठन किया गया था और डी.टी.एफ. को नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे (सितंबर 2020)।

[12] 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा की गई, उसके बाद वर्ष 2019–20 के लिए 27 जि.ख.अ. से जानकारी संकलित की गई।

4.7.4 आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने से पूर्व खनिजों का अवैध निकास

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार, किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले या औद्योगिक स्थापना के लिए एमपीपीसीबी द्वारा सभी पूर्व–अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद ही सीटीई और सीटीओ प्रदान किया जाएगा। सहमति के नवीनीकरण के लिए वैधता अवधि समाप्त होने से छः महीने पहले आवेदन जमा करना होगा।

गौण खनिजों के लिए खनन गतिविधियों को शुरू करने से पहले अनिवार्य ई.सी. प्राप्त करने के संबंध में एमओईएफसीसी द्वारा जारी अधिसूचना (जनवरी 2016) के अनुपालन में, स.भौ.ख. ने एक आदेश (जुलाई 2016) जारी किया कि ई.सी. के अभाव में खदानों का संचालन नहीं किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 26 के अनुसार जहाँ उत्खनन पट्टा स्वीकृत अथवा नवीकृत किया जाता है, पट्टा प्रदान करने के आदेश के तीन माह के अन्दर भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पट्टा अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है तथा जहाँ ऐसा अनुबन्ध उक्त अवधि में निष्पादित नहीं होता है, पट्टा स्वीकृत करने के आदेश को निरस्त माना जाएगा।

उपरोक्त मानदंडों के अनानुपालन के संबंध में विभिन्न लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

4.7.4.1 पर्यावरणीय अनुमति के बिना खनिजों का अवैध निकास

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति नियमों के अनुसार अन्यथा खनिजों का उत्खनन या परिवहन करते पाया जाता है, तो उसे अवैध खनन/परिवहन का पक्षकार माना जाएगा और जिला प्रशासन अवैध रूप से निकाले गए/परिवहन किए गए खनिजों की रॉयल्टी के 30 गुना तक न्यूनतम शास्ति आरोपित कर सकेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जिला खनिज कार्यालय सतना में एक प्रकरण के संबंध में एक पट्टेदार ने ई.सी. की स्वीकृति से पूर्व पत्थर का उत्खनन एवं खनन किया था। पट्टेदार को अगस्त 2016 में ई.सी. प्रदान की गई थी, लेकिन अप्रैल 2016 से ई.सी. के प्रदान किए जाने तक पाँच महीनों के दौरान, पट्टेदार ने ई.सी. के बिना और पट्टे वाले क्षेत्र के पंजीकरण के बिना अवैध रूप से खदान का संचालन कर रहा था। इस अवधि के दौरान पट्टेदार ने 6,726 घन मीटर पत्थर का खनन किया जिसकी रायल्टी ₹ 0.06 करोड़ थी।

इसके अलावा, निकाले गए खनिजों की मात्रा से संबंधित जानकारी मासिक मैनुअल विवरणी से प्राप्त की गई थी। ई.सी. से संबंधित एक अनिवार्य प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण, पट्टेदार द्वारा ई.सी. के बिना किया गया अवैध खनन विभाग के ध्यान में आने से बच गया।

इससे न केवल राज्य का खनिज राजस्व प्रभावित हुआ बल्कि पर्यावरण मानकों का भी उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ऐसे अवैध उत्खनन के लिए ₹ 2.01 करोड़ की न्यूनतम शास्ति आरोपित करने में विफल रहा।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में बताया कि लेखापरीक्षा के कहने पर अब यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ई.सी. प्राप्त किए बिना कोई ई–टी.पी. जारी नहीं की जा सकती है।

अवैध निकासी के लिये संबन्धित ठेकेदार के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर उत्तर मौन हैं।

4.7.4.2 सीटीओ से पहले और नवीनीकरण के बिना खनिजों का उत्खनन

लेखापरीक्षा ने पाया कि 44 प्रकरणों में नौ जिला खनिज अधिकारियों[13] के अधीन पट्टेदारों ने 3.38 लाख घन मीटर पत्थर, 0.89 लाख घन मीटर नदी की रेत और 0.27 लाख घन मीटर मुर्रम[14] ₹ 4.40 करोड़ के रॉयल्टी[15] मूल्य का, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु एवं जल के संबंध में सीटीओ प्राप्त किए बिना खनन कार्य किया। विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

15 जिला खनिज अधिकारियों[16] के तहत 80 प्रकरणों में, पट्टेदारों ने सीटीओ के नवीनीकरण के बिना ₹ 6.59 करोड़ के रॉयल्टी मूल्य वाले 5.87 लाख घन मीटर पत्थर, 0.12 लाख घन मीटर फ़र्शी पत्थर, 0.17 लाख घन मीटर मुर्रम और 0.38 लाख मीट्रिक टन डोलोमाइट का उत्खनन किया, विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, जि.ख.अ., मुरैना के तहत एक प्रकरण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक पट्टेदार ने स्थापना की सहमति अवधि के दौरान भी बोल्डर का उत्खनन प्रारंम्भ कर दिया, जबकि वह संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं था। इस अवधि के दौरान पट्टेदार ने 7,885 घन मीटर उत्खनन किया। यहाँ तक कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन कर उत्खनन किये गए खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांज़िट पास भी जारी किया गया।

विभाग मासिक विवरणियों (दस्ती) से खनिजों के अवैध उत्खनन के विवरण तथा ई–खनिज पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का प्रति–परीक्षण करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप विभाग दोषी पट्टेदारों से ₹ 329.70 करोड़ की शास्ति वसूल करने में विफल रहा।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में बताया कि अब यह सुनिश्चित किया गया है कि सीटीओ के नवीनीकरण के बिना कोई ई–टीपी जारी नहीं किया जा सकता है।

वैध सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर उत्तर मौन हैं।

4.7.4.3 पट्टे के पंजीकरण से पूर्व खनिजों का उत्खनन

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 26 के अनुसार जहाँ कोई उत्खनन पट्टा प्रदान या नवीकृत किया जाता है, वहाँ पट्टा मंजूर करने के आदेश के तीन माह के अन्दर, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पट्टा अनुबंध निष्पादित किया जाना चाहिये और जहाँ पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे अनुबंध का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूर करने वाला आदेश रद्द किया गया समझा जाएगा। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अनुसार, जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकालेगा, तब राज्य शासन इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही व्ययन कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगी और उस कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने उस भूमि

---

13 दमोह, डिंडोरी, ग्वालियर, इंदौर, खरगोन, मुरैना, शहडोल, शाजापुर और शिवपुरी।

14 सड़क की सतहों के निर्माण में प्रयुक्त लेटराइट का एक रूप।

15 स्टोन के लिए रॉयल्टी– ₹ 100 प्रति घन मीटर, रेत– ₹ 100 प्रति घन मीटर, मुर्रम– ₹ 50 प्रति घन मीटर, फ्लैग स्टोन ₹ 300 प्रति घन मीटर और डोलोमाइट– ₹ 75 प्रति मैट्रिक टन।

16 अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, देवास, डिंडोरी, हरदा, इंदौर, मुरैना, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, शाजापुर, सीधी और उज्जैन।

पर किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा कर लिया है, यथास्थिति, भाटक, रॉयल्टी या कर को भी ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा।

लेखापरीक्षा ने पट्टेदारों की प्रकरण फाइलों की जाँच की और पाया कि जि.ख.अ. रतलाम के तहत एक मामले में पट्टेदार को दस वर्ष (18 दिसम्बर 2017 से 17 दिसम्बर 2027) के लिए 3.75 हेक्टेयर का पत्थर खनन पट्टा[17] आवंटित (26 जुलाई 2018) किया गया था। तथापि, पट्टेदार ने 14 फरवरी 2019 को अर्थात तीन महीने से अधिक की देरी के बाद पट्टा पंजीकृत किया। 25 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 की अवधि के दौरान (पट्टे के पंजीकरण से पहले) पट्टेदार ने पत्थर का 5,200 घन मीटर का उत्खनन किया। पट्टेदार की इस अनियमित कार्यवाही पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अर्न्तगत ₹ 0.16 करोड़ (₹ 300 प्रति घन मीटर की दर से) की शास्ति आरोपणीय होती है।

विभाग ने अपने उत्तर (नवम्बर 2020) में बताया कि, पट्टेदार पर शास्ति आरोपित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

शास्ति की वसूली के संबंध में आगे के विवरण विभाग से प्रतीक्षित हैं (मार्च 2022)।

4.7.5 खनन योजनाओं, ई.सी. और सीटीओ में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्पादन

निर्देशालय, भौमिकी एवं खनिकर्म ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर खनन योजना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया (जून 2018)। अगस्त 2017 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, विभाग ने सभी जि.ख.अ. को निर्देश जारी किए (मई 2019) कि बिना अनुमति के खनन या खनन योजना, पर्यावरण अनुमति और वन अनुमति में निर्धारित मात्रा से अधिक उत्खनन को अवैध खनन माना जाएगा और अवैध खनन के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए अतिरिक्त उत्खनित खनिज के 100 प्रतिशत मूल्य की वसूली की जाए।

इन नियमों/आदेशों के उल्लंघन के मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

4.7.5.1 खनन योजना में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त खनिजों का उत्खनन

लेखापरीक्षा ने पट्टा अभिलेखों में पाया कि 18[18] जिला खनिज कार्यालयों में 47 प्रकरणों में खनन पट्टाधारकों ने अनुमोदित खनन योजना में निर्धारित मात्रा से अधिक 10.46 लाख घन मीटर का अधिक उत्खनन किया।

निर्धारित सीमा से अधिक निकासी के लिए पट्टेदारों से ₹ 30.90 करोड़ की शास्ति वसूल की जानी थी। विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाया गया हैं।

4.7.5.2 पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन

लेखापरीक्षा ने पट्टों से संबंधित अभिलेखों में अवलोकन किया कि आठ[19] जि.ख.अ. के तहत 10 खनन पट्टाधारकों ने ई.सी. में निर्धारित सीमा से 2.21 लाख घन मीटर अधिक खनिजों का उत्खनन किया।

---

[17] रतलाम जिले के बिबडोह में स्थित है।

[18] अलीराजपुर, अनूपपुर, देवास, डिंडोरी, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी और उज्जैन।

[19] अलीराजपुर, भोपाल, डिंडोरी, इंदौर, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी और सीधी।

निर्धारित सीमा से अधिक निकासी के लिए पट्टेदारों से **₹** 6.14 करोड़ की शास्ति वसूल की जानी थी। विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया हैं।

4.7.5.3 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ[20] जिला खनिज कार्यालयों के तहत, 22 खनन पट्टा धारकों ने जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सीटीओ में निर्धारित सीमा से 7.82 लाख घन मीटर अधिक खनिज का उत्खनन किया।

निर्धारित सीमा से अधिक निकासी के लिए पट्टेदारों से **₹** 25.31 करोड़ की शास्ति वसूल की जानी थी। विवरण **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाया गया हैं।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी तीन प्रकार के प्रकरणों के उत्तर में बताया (अक्टूबर 2020) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर मार्च 2019 से ई–पोर्टल में नियंत्रण किया गया और उत्खनन किये जाने वाले खनिजों की मात्रा की सीमा पोर्टल में दर्ज की गई है। ई–टीपी वर्तमान में केवल तीनों मात्राओं में से सबसे कम मात्रा के लिए बनती है। साथ ही विभाग ने इन सभी प्रकरणों में उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.6 संयुक्त भौतिक निरीक्षण

4.7.6.1 खनिजों का अवैध उत्खनन

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग गौण खनिजों के उत्खनन पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक, जैसे रिमोट सेंसिंग या भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रतिचित्रण का उपयोग नहीं कर रहा था।

इसके अलावा, खनन निरीक्षकों द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षणों में कई कमियां थीं जैसा कि ऊपर कंडिका 4.7.3 में पहले ही दर्शाया गया है।

खनन गतिविधियों पर एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने और खनन पट्टा धारकों द्वारा अधिनियमों/नियमों के पालन के लिए, लेखापरीक्षा ने संबंधित जि.ख.अ. और उनके कर्मचारियों के साथ (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के मध्य) 20[21] जि.ख.अ. के तहत 37 स्थलों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान संदिग्ध अवैध उत्खनन के निम्नलिखित दो मामले पाए गए:

- जिला खनिज कार्यालय अनूपपुर के तहत एक मामले में, लेखापरीक्षा ने पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्खनन को देखा (नवंबर 2019) और इसे जि.ख.अ. के ध्यान में लाया गया और बाद में विभागीय सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया (05 नवंबर 2019)। जाँच के दौरान एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा माप करने पर पट्टे के बाहर उत्खनन पाया गया। विभाग द्वारा बिना वैध प्राधिकार के खनन का प्रकरण (07 नवम्बर 2019) पट्टाधारी के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया।

[20] अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, रतलाम एवं सीधी।

[21] अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, इंदौर, कटनी, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी और उज्जैन। (बुरहानपुर, हरदा और खरगोन) जहाँ प्रारंभिक अध्ययन किया गया था, वे संयुक्त भौतिक निरीक्षण के अंतर्गत नहीं आते है। जि.ख.अ. डिंडोरी, ग्वालियर, होशंगाबाद और मुरैना में खनन पट्टों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण, संबंधित जि.ख.अ. (डिंडोरी, ग्वालियर) की अन्य व्यस्तताओं, जिला होशंगाबाद में लगातार बारिश और मुरैना में अपर्याप्त सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों के कारण नहीं किया जा सका।

कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने आदेश (मई 2020) में इस तथ्य को स्वीकार किया कि संयुक्त रूप से निरीक्षण स्थल पर अवैध खनन हुआ था और यह भी बताया कि गतिविधि पट्टेदार द्वारा नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई थी।

- लेखापरीक्षा के दौरान जि.ख.अ, रतलाम के अंतर्गत एक अन्य मामले में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (जनवरी 2020) कि कलेक्टर रतलाम द्वारा 24 नवंबर 2017 से 23 नवंबर 2022 तक पाँच साल के लिए ग्राम आबूपुरा, जिला रतलाम में स्थित दो हेक्टेयर क्षेत्र का पत्थर उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। क्षेत्रीय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंदौर ने 31 अक्टूबर 2017 को खनन योजना को मंजूरी दी और पाँच साल के लिए प्रति वर्ष 33,950 घन मीटर पत्थर के उत्पादन की अनुमति दी। जि.ख.अ., रतलाम के खनि निरीक्षक के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2020) के दौरान, खनि क्षेत्र की माप करने पर पाया गया कि पट्टेदार ने प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, छः मीटर की गहराई से अधिक खुदाई की थी (163.58 मीटर लंबाई, 91.139 मीटर चौड़ाई के साथ–साथ औसत नौ मीटर गहराई)।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि विभागीय अधिकारी फिर से खनन स्थलों का निरीक्षण करेंगे और संबंधित पट्टेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.6.2 बैरियर ज़ोन का अभाव

म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के तहत गौण खनिज के लिए खनन योजना तैयार की जाती है और नियम 44(3)(बी) में प्रावधान है ढेरों को समुचित रूप से सुरक्षित किया जायेगा और उनके यथोचित रूप से चबूतरे बना दिये जायेंगे और ऊपर वनस्पति से या अन्य तरीके से उन्हें स्थिर किया जायेगा। इसके अलावा, खनन योजना और डिया के मंजूरी आदेश में निर्धारित सामान्य शर्तें यह निर्धारित करती हैं कि पट्टा सीमा के साथ औसत परिधि के 7.5 मीटर के पट्टा क्षेत्र (बैरियर ज़ोन के रूप में संदर्भित) का एक गैर–खनन योग्य हिस्सा वृक्षारोपण उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

खनन योजना में बैरियर ज़ोन का प्रावधान पट्टे के चारों ओर एक प्रभावी हरित पट्टी बनाए रखने के लिए था। आठ[22] जि.ख.अ. के अधीन 37 खदान पट्टों में से 15 में विभागीय कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टा सीमा के साथ 7.5 मीटर की औसत परिधि को वृक्षारोपण के लिए आरक्षित के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यदि खनन योजनाओं के अनुमोदन के बाद पट्टों का नियमित निरीक्षण किया गया होता, तो अनुमोदित खनन योजनाओं से विचलन देखा जाता और विभाग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी हरित पट्टी रखने के लिए नियम में उल्लिखित आवश्यक कार्यवाही कर सकता था।

विभाग ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि स्थलों के भौतिक सत्यापन के बाद यदि यह पाया गया कि निर्धारित 7.5 मीटर बैरियर ज़ोन पट्टेदार द्वारा नहीं छोड़ा गया था, तो प्रत्युपाय के रूप में, क्षेत्र को वापस भर कर 7.5 मीटर से बनाए रखा जाएगा। उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और उन प्रकरणों में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

---

[22] अलिराजपुर, अनूपपुर, दमोह, देवास, इंदौर, राजगढ, रतलाम एवं शाजापुर।

4.7.6.3 वृक्षारोपण और खदानों की बाड़ का अभाव

सिया द्वारा पट्टेदार को जारी ई.सी. के नियमों और शर्तों के अनुसार, खनन योजना में प्रस्तावित वृक्षारोपण को खनन गतिविधियों के साथ किया जाना चाहिए, और परियोजना प्रस्तावक को पाँच साल तक वृक्षों का रखरखाव करना होगा। इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक के आदेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, संबंधित पट्टेदार को खनन योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करना होगा, अन्यथा डिया/सिया द्वारा प्रदान की गई ई.सी. को रद्द माना जाएगा।

इसके अलावा, सिया ने इसे प्रदान करते समय ई.सी. में कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की थीं और इन विशिष्ट शर्तों के पैरा(ए) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पूरे क्षेत्र में बाड़ लगाई जायेगी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच ने भी आदेश (सितम्बर 2016) दिया था कि सभी खदानों के चारों ओर बाड़ लगाना आवश्यक है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सीटीई और सीटीओ में निहित शर्तों का भी पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

20 जि.ख.अ. के विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 12[23] जि.ख.अ. के 22 प्रकरणों में पट्टेदारों ने खदानों के चारों ओर वृक्षारोपण एवं बाड़ लगाने के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2020) में बताया कि स्पॉट निरीक्षण के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और खनन योजनाओं को स्थलों के सत्यापन के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। उल्लंघन करने पर विभाग नोटिस भी जारी करेगा।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.7 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के अनुप्रयोग के आधार पर प्रेक्षण

इस लेखापरीक्षा के लिए, 25 जिलों में 2018–19 तक आवंटित खानों के लिए खनन निर्देशांक संबंधित जि.ख.अ. से प्राप्त किए गए थे और 13 जिलों के तहत खनन पट्टों के निर्देशांक, जहाँ कम से कम 60 प्रतिशत निर्देशांक लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर पर प्लॉट किए गए थे।

इन निर्देशांकों को प्लॉट करने के बाद, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को पाया :–

4.7.7.1 गलत और ओवरलैप निर्देशांक

- लेखापरीक्षा ने सात जि.ख.अ. की अनुमोदित खनन योजनाओं में 22 गलत निर्देशांक देखे जो प्लॉट करने योग्य नहीं थे, क्योंकि इनका मान अक्षांश और देशांतर की वैध सीमा से परे था। दो जिलों में, तीन निर्देशांक राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर प्लॉट किए गए थे।
- 13 जिलों के अंतर्गत 175 मामलों में, आवंटित अनुमत क्षेत्र से परे खदान पट्टों से सटे क्षेत्रों में उत्खनन गतिविधियों को देखा गया था।
- 163 मामलों में, गूगल अर्थ के मापन विकल्प से गणना के अनुसार खानों का आवंटित पट्टा क्षेत्र, खनन योजनाओं में उल्लिखित क्षेत्र से अधिक पाया गया।

---

[23] अलिराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, देवास, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, रीवा, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी एवं उज्जैन।

- उन 65 मामलों में ओवरलैप किए गए निर्देशांक देखे गए जहाँ प्लॉट की गई खदानों के निर्देशांक एक दूसरे के ऊपर पाए गए थे।
- 138 मामलों में, खनन योजनाओं में केवल एक या दो निर्देशांक उपलब्ध थे, जबकि, एक क्षेत्र को प्लॉट करने के लिए न्यूनतम तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है।

अवलोकनों की सारांकित स्थिति **तालिका 4.5** में दर्शायी गई है।

तालिका 4.5: निर्देशांकों को प्लॉट करने के बाद पाई गई अनियमितताओं का विवरण

जि.ख.अ. का नाम	कुल आवंटित पट्टो की संख्या	विभाग द्वारा प्रदान किए गए निर्देशांक	वैधानिक सीमा के बाहर उत्खनन	आवंटित से बड़ा क्षेत्र दर्शाने वाले निर्देशांक	कोई वृक्षारोपण नहीं	गलत/ राज्य /जिला के बाहर	ओवर लैप	एक/ दो निर्देशांक
			(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
भोपाल	208	140	12	14	37	3	18	0
बुरहानपुर	66	66	10	14	31	0	6	17
छतरपुर	470	366	35	27	121	10	25	41
दमोह	43	37	3	5	14	1	0	13
देवास	121	85	12	6	23	0	1	2
डिंडोरी	54	52	5	8	33	0	1	0
हरदा	46	44	1	20	26	1	0	0
होशंगाबाद	59	57	33	21	45	0	0	0
इंदौर	200	157	19	6	28	0	0	15
मुरैना	129	81	2	5	23	0	1	2
राजगढ़	105	95	19	15	35	0	2	3
शिवपुरी	88	81	13	4	49	3	5	5
उज्जैन	223	206	11	18	82	4	6	40
कुल	**1,812**	**1,467**	**175**	**163**	**547**	**22**	**65**	**138**

स्त्रोत : जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गए आँकड़े

इस प्रकार, पट्टेदार ई.सी. और खनन योजनाओं में परिकल्पित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के संबंध में नियमों और शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे और विभाग ई.सी. और खनन योजनाओं में परिकल्पित अधिनियम और मानदंडों के अनुपालन को लागू करने में विफल रहा।

उपरोक्त अनियमितताओं के कुछ उदाहरण नीचे उपग्रह चित्रों के साथ दिए गए हैं :

- **जो आवंटित किया जाना था उससे बड़े खनन क्षेत्र का अनियमित आवंटन**

लेखापरीक्षा ने स्वीकृत खनन योजनाओं के अनुसार पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों[24] के निर्देशांकों[25] को प्लॉट किया और पाया कि वर्तमान मामले में खनन क्षेत्र 9.41 हेक्टेयर था। खनन योजना के अनुसार पट्टेदार को 2 हेक्टेयर आवंटित किया जाना था। इस प्रकार, खनन विभाग ने अनियमित रूप से **चित्र 4.1** में दर्शाए गए पट्टेदारों को अतिरिक्त 7.41 हेक्टेयर आवंटित किया।

---

[24] खनन क्षेत्र की गणना अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके गूगल अर्थ से की गई थी।

[25] खनन स्वीकृत योजना के अनुसार निर्देशांक (23°20'25.14"उ, 75°51'37.27"पू), (23°20'26.66"उ, 75°51'39.04" पू), (23°20'40.67" उ, 75°51'39.63" पू), (23°20'37.21" उ, 75°51'26.83" पू)।

चित्र 4.1: आवंटित से बड़ा खनन क्षेत्र दिखा रहा है

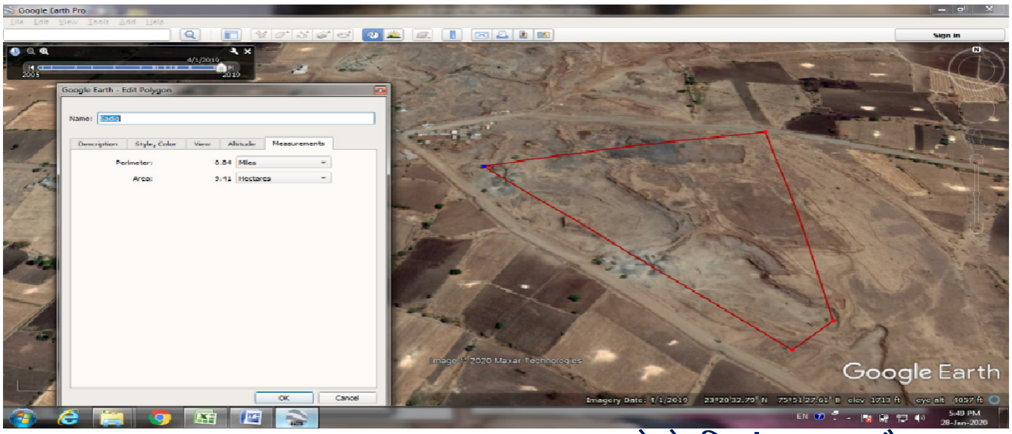

फोटो दिनांक: 01 अप्रैल 2019

तहसील, घाटिया, उज्जैन

- **ओवरलैप किए गए निर्देशांक**

अनुमोदित खनन योजना में खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के सटीक निर्देशांक होने चाहिए। गैर–अनुमोदित क्षेत्र में कोई भी गतिविधि अवैध है और अधिनियमों/नियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित योजनाओं के अनुसार निर्देशांकों की जाँच की और पाया कि तीन मामलों में, अनुमोदित खनन क्षेत्र एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर रहे थे जैसा कि **चित्र 4.2** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि विभाग ने योजनाओं के अनुमोदन से पूर्व निर्देशांकों का सत्यापन नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पट्टेदारों द्वारा गैर–अनुमोदित क्षेत्रों/परिक्षेत्र में गतिविधियाँ की जा रही हों।

चित्र 4.2 : खनन क्षेत्र एक दूसरे पर ओवरलैप थे प्रदर्शित हो रहा है

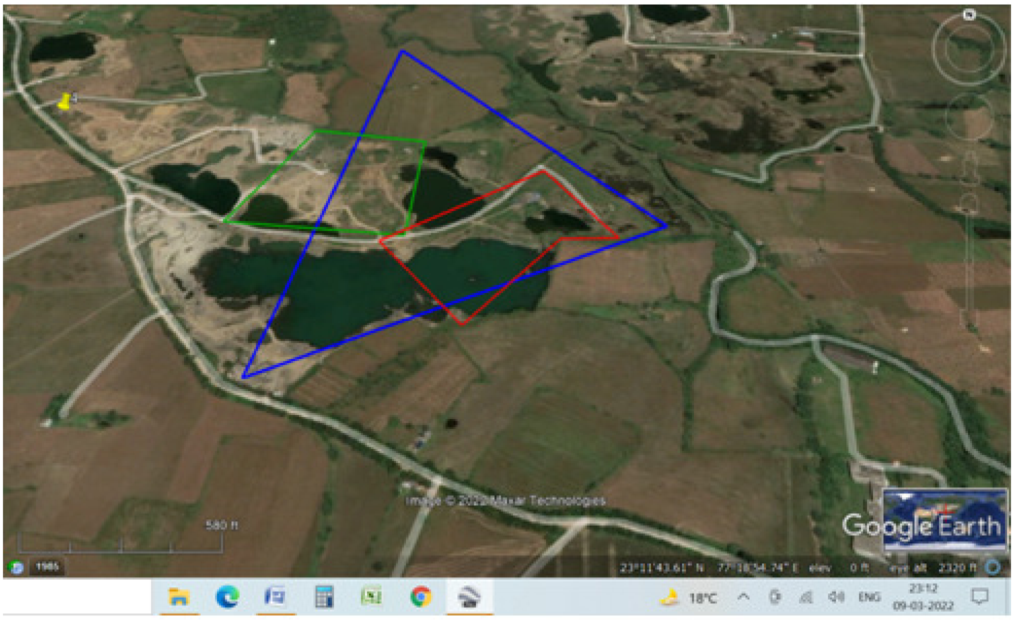

फोटो दिनांक: 01 दिसम्बर 2018

3.000 हेक्टेयर अरविंद अग्रवाल, भोपाल (लाल रंग), 4.000 हेक्टेयर के साथ महाकाल स्टोन क्रशर, भोपाल (हरा रंग) और 4.000 हेक्टेयर मनोज बंसल, भोपाल (नीला रंग)

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में यदि अवैध खनन या अन्य विसंगतियों के साक्ष्य पाए गए तो सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे और उन पट्टेदारों के खिलाफ अवैध खनन के लिए मामले दर्ज किए जाएंगे।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.7.2 खनन योजना मानदंडों का पालन न करना (वृक्षारोपण नहीं किया जाना)

ई.सी./खनन योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार, पट्टाधारकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण करना आवश्यक है। 547 प्रकरणों में ई.सी. एवं खनन योजनाओं में दिये गये सिया के मानकों के अनुसार वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

वर्तमान प्रकरण में देखा जा सकता है कि पौधरोपण का कार्य ई.सी. एवं खनन योजना के अनुसार नहीं किया गया। वास्तव में, अन्य सभी प्रकरणों/चित्रों में वृक्षारोपण की अनुपस्थिति स्पष्ट है जैसा कि इस कंडिका के **चित्र 4.3** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.3: वृक्षारोपण नहीं किया जाना प्रदर्शित हो रहा है

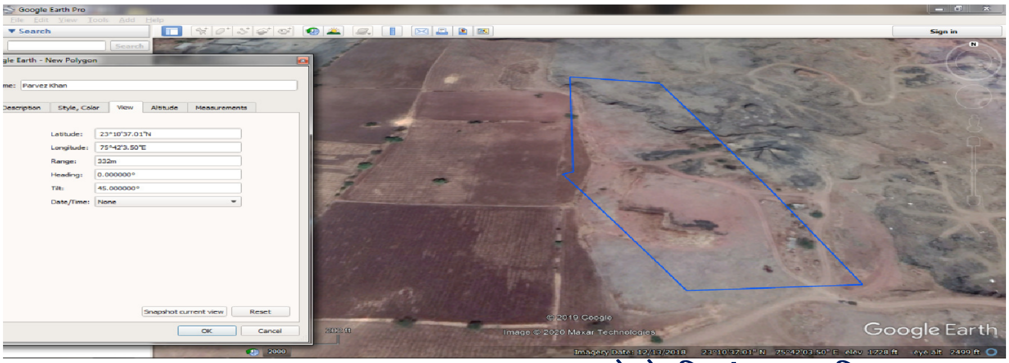

फोटो दिनांक: 13 दिसम्बर 2018

ग्राम जलाला खेड़ी, उज्जैन 2 हे.

4.7.7.3 ई.सी./खनन योजना मानदंडों के उल्लंघन से अवैध उत्खनन

लेखापरीक्षा के दौरान, विभाग राज्य में, विभाग द्वारा अनुमोदित कुल 1,812 पट्टों के विरूद्ध केवल 1,467 स्वीकृत खनन क्षेत्रों के संबंध में निर्देशांक प्रस्तुत कर सका। शेष 345 खनन क्षेत्रों के लिए निर्देशांक की अनुपलब्धता या निर्देशांक की गैर–प्रस्तुतीकरण के कारण प्रदान नहीं किए गए।

निर्देशांक की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए और यह जाँचने के लिए कि क्या राज्य में अनधिकृत खनन गतिविधियाँ की जा रही थीं, लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ पर उपग्रह छवि के माध्यम से सभी 1,467 खनन निर्देशांक (विभाग द्वारा प्रदान किए गए) को मानचित्रित किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने मानचित्रित/अनुमोदित निर्देशांकों से पृथक गतिविधियों की भी जाँच की, विशेष रूप से अभयारण्यों में नदी में और उन क्षेत्रों में जहाँ विशिष्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें उपग्रह छवि के माध्यम से राज्य भर के 25 जिलों में से 13 जिलों[26] में स्थानों की व्यापक खोज की गई।

[26] भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, देवास, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, मुरैना, राजगढ़, शिवपुरी एवं उज्जैन।

लेखापरीक्षा ने सात जिलों में कम से कम 159 स्थलों[27] का पता लगाया जहाँ अधिनियम/नियमों के उल्लंघन कर अवैध खनन किया जा रहा था जैसा कि **तालिका 4.6** मे दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: अवैध खनन क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	कुल स्वीकृत खनन योजनाएं	कुल खनन क्षेत्रों का खोज	अवैध खनन क्षेत्र
बुरहानपुर	66	71	5
देवास	121	124	3
डिंडोरी	54	55	1
हरदा	46	75	29
होशंगाबाद	59	103	44
मुरैना	129	163	34
उज्जैन	223	266	43
योग	**698**	**857**	**159**

संदिग्ध अवैध खनन के विशिष्ट प्रकरणों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

क. मुरैना जिले में चंबल नदी में रेत खनन

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से वैध परमिट के बिना किसी अभ्यारण से वन उपज को हटाना प्रतिबंधित है।

चंबल वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कवर करने वाला एक त्रि–राज्य अभयारण्य है और चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह समृद्ध और विविध वनस्पतियों और जीवों से संपन्न है और मगरमच्छ की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्रायः प्रजातियों में से एक–घड़ियाल का भी घर है।

रेत खनन अभयारण्य के लिए एक बड़ा खतरा[28] है क्योंकि यह न केवल रेत के घोंसले वाली प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवासों को खराब करता है बल्कि नदी के आकारिकी और इसके जल के गुणों को भी प्रभावित करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश[29] (2012) में किसी भी क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी है जब तक एमओईएफसीसी/सिया से पूर्व ई.सी. प्राप्त नहीं हो जाती। आदेश[30] को एनजीटी ने 2013 के अपने फैसले में दोहराया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एमओईएफसीसी/सिया से पूर्व ई.सी. के बिना खनन नहीं किया जा सकता।

एक लेखापरीक्षा टिप्पणी (अगस्त 2020) के उत्तर में विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि उन्होंने मुरैना जिले में किसी भी रेत खनन पट्टे को आवंटित/अनुमोदित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने उपग्रह छवि के माध्यम से राज्य में खनन स्थलों की विस्तृत खोज की और देखा कि चंबल वन्यजीव अभयारण्य (नदी के किनारे) के अन्दर व्यापक रेत खनन गतिविधियाँ की जा रही हैं। लेखापरीक्षा नदी के किनारे कम से कम 27 उत्खनन स्थलों का पता लगा सकी जहां रेत का उत्खनन किया जा रहा था।

---

[27] लेखापरीक्षा ने संदिग्ध अवैध खनन के 296 मामलों का पता लगाया हालांकि, सभी 1,812 साइटों के समन्वय नहीं होने के प्रभाव को बताने करने के लिए, हमने अपने अवलोकन को 159 मामलों तक सीमित कर दिया है।

[28] जिला वन मंडलाधिकारी, मुरैना जिले द्वारा तैयार प्रबंधन योजना की धारा 5.3 के अनुसार।

[29] एसएलपी (सी) क. 2009 का 19628–19629 (दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य)।

[30] ओए क्र. 2013 का 171।

एक प्रकरण में, चंबल नदी में किए जा रहे उत्खनन को दर्शाने वाली उपग्रह छवि को **चित्र 4.4** में दिखाया गया है।

चित्र 4.4: मुरैना जिले में चंबल नदी में रेत खनन प्रदर्शित हो रहा है

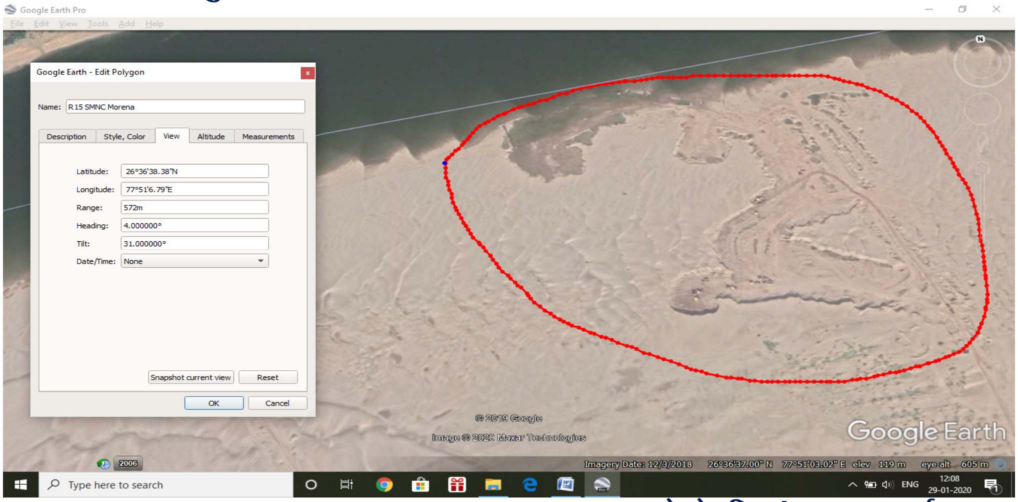

फोटो दिनांक: 12 मार्च 2018

चंबल नदी, जिला मुरैना

(अक्षांश– 26°36'38.38"उ देशांतर– 77°51'6.79"पू)

इस प्रकार खनिज साधन विभाग के साथ–साथ वन विभाग भी अभ्यारण के अंदर चल रहे अवैध खनन का पता लगाने में असमर्थ रहे।

ख. नर्मदा नदी में रेत उत्खनन

एमओईएफसीसी ने स्थायी रेत खनन के लिए 2016 में दिशानिर्देश जारी किए थे। उक्त दिशानिर्देशों के "स्थायी रेत और बजरी खनन के लिए सामान्य दृष्टिकोण" की धारा (एम) में प्रावधान है कि रेत खनन की गहराई तीन मीटर तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी 3 मीटर या नदी की चौड़ाई का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, होनी चाहिए। मध्य प्रदेश रेत खनन नीति 2015 भी इस तथ्य को दोहराती है।

उपग्रह छवियों की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा यह आकलन कर सकी कि कई मामलों में, खनन नीति के उल्लंघन में नर्मदा नदी के अंदर रेत खनन चल रहा है। इस प्रकरण में **(चित्र 4.5)** देखा जा सकता है कि नर्मदा नदी के अंदर ड्रेज पंपों के माध्यम से रेत खनन किया जा रहा है। चित्र में रेत के ढेर और रेत परिवहन को भी देखा जा सकता है।

चित्र 4.5: नर्मदा नदी, जिला हरदा में अवैध रेत खनन प्रदर्शित हो रहा है

फोटो दिनांक: 8 फरवरी 2019

ग्राम दयात जिला हरदा

(अक्षांश– 22°30'6.65"उ देशांतर– 77°3'9.07"पू)

एक अन्य प्रकरण में **(चित्र 4.6)** नदी में रेत के बांध बनाकर नदी के अंदर गहराई में रेत खनन किया जा रहा है। इन बांधों पर अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन के लिए ट्रकों और नावों को देखा जा सकता है।

चित्र 4.6: नर्मदा नदी, जिला हरदा में रेत के बांध बनाकर नर्मदा नदी के अंदर गहराई में रेत खनन प्रदर्शित हो रहा है

फोटो दिनांक : 6 जनवरी 2016

ग्राम सतदेव, जिला हरदा

(अक्षांश– 22°34'30.32"उ देशांतर– 77°11'43.09"पू)

ग. केन नदी में रेत खनन

केन नदी में एक ही स्थान के लिए दो अलग–अलग तिथियों (दिसंबर, 2017 और जनवरी, 2019) में लिए गए **चित्र 4.7** और **4.8** से यह देखा जा सकता है कि केन नदी के अंदर रेत खनन किया जा रहा है। नदी तल के बीचों–बीच परिवहन वाहन भी चलते देखे जा सकते हैं।

चित्र 4.7 और 4.8 में प्रदर्शित हो रहा है कि केन नदी के अंदर रेत खनन किया जा रहा है

फोटो दिनांक: 17 दिसंबर 2017

(अक्षांश– 25°04'37.96"उ देशांतर–80°19'10.03"पू)

फोटो दिनांक: 03 जनवरी 2019

(अक्षांश– 25°04'35.20"उ देशांतर–80°19'10.37"पू)

ऊपर दिखाए गए **चित्र 4.7** और **4.8** राज्य में रेत खनन की सीमा के बारे में संकेत देते हैं जो विभाग से उचित अनुमोदन के बिना और सभी निर्धारित

अधिनियमों/नियमों/दिशानिर्देशों के पूर्ण उल्लंघन में चल रहा है। विभाग अपनी ओर से उस स्थिति की निगरानी करने में विफल रहा है जहां राज्य भर में बड़े पैमाने पर नदी से रेत की निकासी हो रही है। यह न केवल नदी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि नदी द्वारा समर्थित जलीय जीवन को भी प्रभावित करता है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन एवं संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के अलावा, इन गतिविधियों का असर स्थानीय समुदायों की भलाई पर भी पड़ता है।

चित्रों से विभाग को (फरवरी 2020 और जून 2020 के बीच) अवगत कराया गया था और तदनुसार मुद्दों को इंगित किया गया। विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020) कि उसने भारत शासन के रेत दिशानिर्देश, 2020 के प्रवर्तन और निगरानी के अनुसार एक योजना बनाई थी, और होशंगाबाद, भिंड, हरदा और सीहोर जैसे प्रमुख रेत जिलों को सम्मिलित करते हुए एक प्रारंम्भिक परियोजना को लागू किया, जिसमें विभाग अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) लगाकर (टैगिंग), खदानों की भू–बाड़ लगाने (जियो–फेंसिंग), गुप्त कैमरा आदि उपकरणों की मदद लेने जा रहा है।

इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2022)।

4.7.8 निष्कर्ष

खनन विभाग की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को प्रकट किया:

- खनन योजनाओं के अनुमोदन में कमियां थीं जैसे अनुमोदन से पूर्व निर्देशांकों का सत्यापन न करना, खानों के अपर्याप्त अथवा गलत निर्देशांक तथा खनन योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन की कमजोर प्रणाली।
- विभाग ने उत्खनित खनिजों की मात्रा को सत्यापित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा मासिक और वार्षिक विवरणी के अनिवार्य प्रस्तुतीकरण की निगरानी नहीं की और खनिजों के संदिग्ध अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पंजीकृत वाहक मालिकों द्वारा त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान नहीं की।
- खान निरीक्षक द्वारा खानों/खदानों के निरीक्षण में कमी के साथ–साथ खानों से उत्पादित और प्रेषित मात्रा के निर्धारण में कमी थी। इसने प्रणाली को राजस्व की हानि के प्रति बेध्य बना दिया।
- आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने से पहले खनिजों का उत्पादन और खनन योजनाओं, ई.सी. और सीटीओ में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्पादन पाया गया।
- 13 जिला खनिज कार्यालयों में पट्टों के 1,110 मामलों में, भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों के उपयोग के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में पाया कि वैध सीमाओं के बाहर उत्खनन, आवंटित पट्टा क्षेत्र खनन योजना में वर्णित से अधिक पाया गया और पट्टेदारों द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया।

अध्याय—V
लोक निर्माण विभाग

अध्याय V
लोक निर्माण विभाग

5.1 लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्नयन

5.1.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्नयन लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभागों, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश से होकर 8,858 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से 3,808 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, 1,198 किमी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधीन है और शेष 3,852 किमी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

लोक निर्माण विभाग का प्रमुख, शासन स्तर पर प्रमुख सचिव होता है। प्रमुख अभियंता विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता के लिए 11 मुख्य अभियंता[1] होते हैं। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) राज्य में लोक निर्माण विभाग को आवंटित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/ उन्नयन और समग्र परिवीक्षण के लिए जिम्मेदार है। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) को मुख्यालय पर एक अधीक्षण यंत्री एवं संभाग स्तर पर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रीवा और सागर जिलों में छः कार्यपालन यंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

5.1.2 बजट आवंटन और व्यय

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए धनराशि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए ₹ 2,986.65 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया था, जिसमें से संपूर्ण धनराशि व्यय की गई थी। वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि ₹ 474.80 करोड़ वर्ष 2019–20 में 194 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 1,396.50 करोड़ की गई थी।

5.1.3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

यह लेखापरीक्षा अगस्त से नवंबर 2020 के मध्य यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गयी कि क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार करते समय तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान प्रयोज्य सांहितीय एवं संविदात्मक प्रावधानों का पालन किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, भारतीय इंडियन रोड कांग्रेस के विनिर्देशों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों, सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदित रूपांकनों और विनिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों और अनुबंधों के प्रावधानों से व्युत्पन्नित मानदंडों के विरुद्ध आंकलित किया गया था।

---

[1] मुख्यालय में दो और नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, सेतु भोपाल और राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) के छः में से पांच[2] संभागों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा और सागर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) के अभिलेखों की भी जाँच की गई। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान पांच संभागों द्वारा कुल 50 सड़क और पुलों के निर्माण कार्य किए गए। इनमें से सात कार्यों में संविदा राशि के विरूद्ध 25 प्रतिशत या उससे कम व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने पांच चयनित संभागों में शेष 43 कार्य (25 पूर्ण और 18 चालू) लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था जिनमें से 25 अनुबंध अभियांत्रिकी क्रय और निर्माण प्रणाली[3] में थे, 16 मद दर निविदा प्रणाली[4] में थे और दो दर अनुबंध प्रणाली[5] में थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1.4 प्राक्कलन तैयार करने में कमियां

लेखापरीक्षा में प्रकालनों को तैयार करने में कमियां यथा गलत प्राक्कलन, अनावश्यक मदों का प्रावधान और प्राक्कलनों में आवश्यक मदों को शामिल न करना, बढ़े हुए प्राक्कलनों पर निविदा का आमंत्रण, गलत दर को अपनाने जैसी कमियां देखी गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

5.1.4.1 अपेक्षित सर्वेक्षण और जाँच के बिना प्राक्कलन तैयार करना

इंडियन रोड कांग्रेस–स्पेशल पब्लिकेशन 19[6] की विशिष्टता पूर्व–आवश्यक गतिविधियों[7] के दो चरणों को निर्धारित करती है, नामतः व्यवहार्यता अध्ययन और लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की योजना एवं विस्तृत इंजीनियरिंग। सड़क कार्यों के प्राक्कलन अनिवार्य रूप से इन पूर्वापेक्षित गतिविधियों पर आधारित थे और इन प्राक्कलनों के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

अभिलेखों की नमूना–जाँच के दौरान विभाग ने सड़क कार्यों के प्राक्कलनों से संबंधित संभाव्यता अध्ययन एवं विस्तृत सर्वेक्षण तथा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि प्राक्कलन उचित व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत सर्वेक्षण और जाँच के साथ तैयार किए गए थे।

---

2 लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) संभाग जबलपुर की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी क्योंकि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान केवल एक सड़क कार्य कार्यान्वित किया गया था।

3 अभियांत्रिकी क्रय और निर्माण अनुबंध का तात्पर्य है प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित एकमुश्त कीमत के लिए ठेकेदार को जाँच, रूपांकन और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपना। कार्य के प्रत्येक मद को चरणों में विभाजित किया जाता है और आउटपुट विनिर्देशों के आधार पर भुगतान किया जाता है तथा कार्य के प्रत्येक पूर्ण चरण के लिए प्रदर्शन मानक बनाया जाना है।

4 स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट (मद दर निविदा) में, ठेकेदारों को मात्रा बिल के आधार पर काम के प्रत्येक व्यक्तिगत आइटम के लिए दर उद्धृत करने की आवश्यकता होती है।

5 प्रतिशत दर अनुबंध में, ठेकेदारों को कुल अनुमानित लागत के ऊपर या नीचे समग्र प्रतिशत के रूप में दर उद्धृत करना आवश्यक है।

6 इंडियन रोड कांग्रेस–स्पेशल पब्लिकेशन 19, सड़क परियोजनाओं के सर्वेक्षण, जाँच और तैयारी के लिए इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा 2001 में जारी एक मैन्युअल है।

7 पूर्व–अपेक्षित गतिविधियों में यातायात सर्वेक्षण, फुटपाथ डिजाइन, संबंधित अधिकारियों से हाइड्रोलॉजिकल, भौतिक और नींव डाटा का संग्रह, मिट्टी और सामग्री सर्वेक्षण एवं भूमि अधिग्रहण की मात्रा की पहचान शामिल है।

पांच संभागों[8] के 13 कार्यों में, लेखापरीक्षा ने मूल प्राक्कलनों से विचलन के कारण लागत में वृद्धि के दृष्टांत पाये जैसे कि नए पुल कार्यों को जोड़ना, नालियों के आकार में वृद्धि, अतिरिक्त रिटेनिंग वॉल का निर्माण, रिटेनिंग वॉल का निर्माण/ बढ़ाना और नींव की गहराई में वृद्धि, इत्यादि। ये इंगित करते हैं कि प्राक्कलन वास्तविक सर्वेक्षण और जाँच पर आधारित नहीं थे। अतः, गलत प्राक्कलनों के कारण संविदा की राशि में ₹ 79.21 करोड़ की वृद्धि हुई (**परिशिष्ट 5.1**)।

इसी प्रकार, इंदौर एवं सागर संभागों के चार कार्यों में लेखापरीक्षा ने पाया कि गलत प्राक्कलन के कारण कार्य के स्कोप में ₹ 9.85 करोड़ की कमी हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि कई कारणों से कार्य की लागत में वृद्धि हुई, जैसे स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त नालियों एवं मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने की मांग, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान परामर्शी अभियंताओं एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा लिए गए तकनीकी निर्णयों में अंतर, बीना रिफाइनरी द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त सुरक्षा कार्य के कारण आवश्यक अतिरिक्त कार्य तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सीमित संसाधनों से कुछ कार्यों के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट के लिए प्राक्कलन तैयार करना। विभाग ने कार्य के स्कोप में कमी के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कंसलटेंट द्वारा सर्वेक्षण एवं जाँच के बाद तैयार किया गया था और मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) द्वारा अनुमोदित था। आगे, विभाग को प्राक्कलन को अंतिम रूप देने से पहले अतिव्यापी मुद्दों पर बीना रिफाइनरी से परामर्श करना चाहिए था। उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राक्कलन तैयार करना स्वतः इंगित करता है कि पूर्व–अपेक्षित गतिविधियों को या तो पूरा नहीं किया गया था या अपर्याप्त रूप से किया गया था।

5.1.4.2 आवश्यक मदों को सम्मिलित न करना और अनावश्यक वस्तुओं/ मात्राओं का प्राक्कलनों में प्रावधान

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यों हेतु, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोक निर्माण विभाग की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्राक्कलनों तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर आधारित होती है।

तीन संभागों[9] में नौ कार्यों की संवीक्षा के दौरान, मूल प्राक्कलनों को पुनरीक्षित प्राक्कलनों (जहां विचलन 10 प्रतिशत से अधिक थे) और उनके कार्यान्वयन की परस्तर तुलना करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़क सुरक्षा, संरचनात्मक और सड़क कार्यों की अन्य मदों से संबंधित 64 महत्वपूर्ण मदों, अर्थात प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्रैश बैरियर, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट रेलिंग, एम्बैंकमेण्ट का निर्माण इत्यादि को प्राक्कलनों में शामिल नहीं किया गया था लेकिन बाद में आवश्यक मदों के रूप में कार्यान्वित किया गया था। इन पर ₹ 21.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.2** में वर्णित है।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट/प्रतिशत दर अनुबंध पर क्रियान्वित कार्यों के प्राक्कलन विभागीय अधिकारियों द्वारा सीमित संसाधनों/तकनीकी विशेषज्ञता/जनशक्ति/उपकरणों से बिना किसी कंसलटेंट को

[8] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा और सागर।
[9] इंदौर, रीवा और सागर।

नियुक्त किये तैयार किये गये थे। इसने कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा मदों को सम्मिलित करने की आवश्यकता को आवश्यक बना दिया, जो मूल प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं थे। अभियांत्रिकी क्रय और निर्माण प्रणाली पर क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कंसलटेंट द्वारा तैयार किये गये थे। डीपीआर के लिए तैयार किए गए प्राक्कलन ईपीसी अनुबंध का हिस्सा नहीं हैं।

उपरोक्त उत्तर स्वतः इंगित करता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्वेक्षण और जाँच के बिना तैयार किये गये थे। इसके अलावा, अनुबंध में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इंजिनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंधों का हिस्सा नहीं हैं।

साथ ही, सभी पांच संभागों के 22 कार्यों में, उन सभी प्रकरणों में जहां विचलन मूल प्राककलनों से 10 प्रतिशत से अधिक थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि 97 मदों में से ₹ 46.26 करोड़ की 66 मद निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में कार्यान्वित किए गए थे (**परिशिष्ट 5.3**) जबकि ₹ 8.23 करोड़ के 31 मद बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किये गये थे (**परिशिष्ट 5.4**)।

सड़क कार्यों के प्राक्कलनों में सम्मिलित अवांछित मदों से संबंधित कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- इंडियन रोड कांग्रेस विनिर्देश 58 : 2015 की कण्डिका 6.2.5, भारी यातायात की स्थिति में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में लोड ट्रांसफर के लिए अनुप्रस्थ जोड़ों में 32 मिमी तथा 38 मिमी व्यास के डॉवेल बार प्रावधानित करती हैं।

  भोपाल, रीवा और इंदौर संभागों के छः सड़क कार्यों (**परिशिष्ट 5.3** के सरल क्रमांक 3,5,7,25,59 और 60) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में 38 मिमी व्यास के 4,881.96 मीट्रिक टन डॉवेल बार का प्रावधान किया गया था। जबकि, ठेकेदार ने सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब का निर्माण 32 मिमी व्यास के मात्र 3091.13 मीट्रिक टन डॉवेल बार से किया था। इससे ₹ 7.75 करोड़ का अधिक प्राक्कलन हुआ।

  उत्तर में, शासन ने कहा (नवंबर 2021) कि डॉवेल बार के लिए 38 मिमी व्यास स्टील सुदृढीकरण इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विनिर्देशों में केवल अनुशंसित व्यास है, जो केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। 32 मिमी व्यास के डॉवेल बार डिजाइन निदेशक द्वारा तैयार किए गए डिजाइनों के अनुसार प्रदान किए गए थे और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंधों के अनुच्छेद–10 के अनुसार प्रूफ कंसल्टेंट द्वारा समीक्षा की गई थी।

  उत्तर स्वतः यह इंगित करता है कि सीमेण्ट कक्रींट की सड़क/पेवमेंट 32 मिमी के डॉवेल बार (जैसा कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रावधानित है) से बनाई जा सकती थी लेकिन विभाग इसका संज्ञान लेने में विफल रहा जो अधिक प्राक्कलन में परिणित हुआ।

- अनुपयोगी मिट्टी को 1000 मीटर तक हटाने का एक मद तथा समस्त लीड व लिफ्ट सहित बॉरो पिट्स से लाई हुई एक अन्य मद की मिट्टी को भोपाल और सागर के दो कार्यों के प्राक्कलनों में सम्मिलित किया गया था। आगे, समान मात्रा के लिए परिवहन की एक अन्य मद (लोडिंग व अनलोडिंग सहित) थी जिसे प्राक्कलन में भी सम्मिलित किया गया था। चूंकि मिट्टी की लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन पहले से ही पूर्व मद में सम्मिलित थी, इसलिए दूसरे मद की आवश्यकता नहीं थी और इसे कार्यान्वित भी नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलन में लोडिंग व अनलोडिंग सहित परिवहन के अनावश्यक मद को

सम्मिलित करना विभाग के ₹ 1.70 करोड़ के बढ़े हुए प्राक्कलन में परिणित हुई जैसा कि **परिशिष्ट 5.4** के क्रमांक 1 और 4 में वर्णित है।

- दो मदों (दर अनुसूची की 2.4 और 2.5) ''फ्लेक्सिबल पेवमेंट का विखण्डन'' और ''सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट का विखण्डन'' हेतु ₹ 4.15 करोड़ की राशि का प्रावधान छः कार्यों (**परिशिष्ट 5.4** की क्रम संख्या 5, 27, 28, 30, 31 और 32) के प्राक्कलनों में किया गया था, जिसमें 1000 मीटर की दूरी तक विखण्डित सामग्री का निपटान, उपयोगी और अनुपयोगी सामग्रियों का अलग–अलग ढेर लगाना, और ठेकेदार को निर्धारित दर पर उपयोगी सामग्री जारी करना सम्मिलित है। तथापि यह पाया गया था कि इन मदों को ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि उपयोगी और अनुपयोगी सामग्रियों का ढेर लगाने और खुदाई की गई सामग्री ठेकेदारों को जारी करने और इसकी वसूली के विस्तृत माप अभिलेखों में नहीं पाए गए थे। यह इंगित करता है कि संरचनाओं को विखण्डित नहीं किया जाना था। चूंकि यह कार्य नहीं किया गया था, इस प्रकार फ्लेक्सिबल पेवमेंट और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के विखण्डन की अनावश्यक मद को प्राक्कलन में सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.15 करोड़ का बढ़ा हुआ प्राक्कलन बनाया गया था।

  उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि मूल प्राक्कलन में दो किमी की दूरी तक उत्खनित मिट्टी का निपटान एवं बॉरो पिट क्षेत्र से स्वीकृत सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। संभवतः, कंसल्टेंट के अभियन्ता (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) ने यह सुनिश्चित किया होगा कि सड़क कटाई में खोदी गई मिट्टी एमबैंकमेंट के निर्माण के लिए उपयोगी नहीं थी और इसलिए बॉरो एरिया से उपयुक्त मिट्टी के उपयोग का प्रस्ताव रखा।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में मिट्टी के परिवहन के लिए मद को सम्मिलित करना अनावश्यक था क्योंकि बॉरो पिट्स से प्राप्त मिट्टी की दर में सभी लीड और लिफ्ट सम्मिलित थे।

5.1.4.3 बढ़े हुए प्राक्कलनों पर निविदा आमंत्रण

लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर सड़क एवं पुल कार्यों की दरों की अनुसूची प्रकाशित एवं संशोधित की जाती है। 2014 में प्रकाशित दरों की अनुसूची 2016 में संशोधित की गई थी और 06.06.2016 से प्रभावी थी। इसे 2017 में पुनः संशोधित किया गया और 29.08.2017 से प्रभावी हो गयी। 2016 और 2017 की दरों की अनुसूची में, मदों की दरों को क्रमशः 2014 और 2016 से कम कर दिया गया था।

भोपाल संभाग के चार सड़क कार्यों (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन मोड) के लिए जैसा कि **परिशिष्ट 5.5** में वर्णित है, नई दरों की अनुसूची के अस्तित्व में आने के बाद 08.09.2017, 06.11.2017 और 07.11.2017 को निविदाएं जारी की गई थीं। इन निविदाओं के लिए 29.08.2017 से लागू दरों की नई अनुसूची को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके विरूद्ध लेखापरीक्षा ने पाया कि 06.06.2016 से लागू दरों की पुरानी अनुसूची के आधार पर तैयार किए गए प्राक्कलनों पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

इसी प्रकार, सागर संभाग में एक कार्य का प्राक्कलन दिनांक 03.11.2014 से प्रभावी दरों की अनुसूची के आधार पर तैयार किया गया था जबकि दरों की एक नई अनुसूची पहले ही 06.06.2016 से लागू थी जिसमें वस्तुओं की दरें 2014 की पिछली अनुसूची से कम कर दी गई थीं। हालांकि, कार्य के लिए निविदा 30.07.2016 (अर्थात् 06.06.2016 को नई दर अनुसूची के लागू होने के 54 दिनों पश्चात्), को 03.11.2014 की पुरानी दरों की अनुसूची के आधार पर जारी की गई थी।

अतः, पुरानी दरों की अनुसूची के आधार पर प्राक्कलन तैयार करना और वर्तमान दरों की अनुसूची को लागू न करना ₹ 58.48 करोड़ के बढ़े हुए प्राक्कलन में परिणित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 5.5** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि कार्य हेतु निविदा जून 2016 से लागू दर–अनुसूची के अनुरूप तैयार प्राक्कलन के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आमंत्रित की गई थी। प्रत्येक वर्ष संशोधित दर–अनुसूची के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संशोधित प्राक्कलन का अनुमोदन प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। एक बार जब मंत्रालय से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। आगे, 2017 की दरों की अनुसूची में ली गई दरों में. 2016 की दरों की अनुसूची की तुलना में 10 प्रतिशत (लगभग) की कमी की गई थी और यदि निविदाएं दर अनुसूची 2017 पर आमंत्रित की गई होती, तो वस्तु और सेवा कर ठेकेदार को अलग से भुगतान करना पड़ा होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के आदेश (फरवरी 2013) के अनुसार यदि नई दरों की अनुसूची तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन के बाद और निविदा आमंत्रित करने से पहले जारी की जाती है, निविदा को नई अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी तरह के एक प्रकरण में भोपाल–सांची खंड[10] के लिए नई दर–अनुसूची (29.08.2017) जारी होने के आठ दिनों के भीतर (05.09.2017 को) निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र (नवंबर 2018) ने उन कार्यों पर जिन्हें 01.07.2017 को पूरा किया जाना था, इंजिनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंधों में वस्तु और सेवा कर के भुगतान की अनुमति दी है। इस आधार पर, एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंध[11] में वस्तु और सेवा कर का भुगतान किया गया था, जिसके लिए 06.06.2016 को जारी दर–अनुसूची के आधार पर प्राक्कलित लागत पर निविदा आमंत्रित की गई थी।

5.1.4.4 प्राक्कलन में मदों के लिए गलत दर को अपनाना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.017 के अनुसार, सर्वेक्षण के पूरा होने और कार्यपालन यंत्री द्वारा निरीक्षण और अनुमोदित अंतिम संरेखण के बाद, योजनाएं और प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे और मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे।

दो संभागों के दो सड़क कार्यों (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन मोड) में लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृत प्राक्कलनों में एम्बैंकमेण्ट के निर्माण की दर को गलत तरीके से लिया गया था। संवीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि इन कार्यों (**तालिका 5.1**) में ''समस्त लीड व लिफ्ट के साथ बॉरो पिट्स से लाई हुई मिट्टी के साथ एम्बैंकमेण्ट का निर्माण'' मद में क्रमशः 10 किमी और 15 किमी की अतिरिक्त दूरी[12], जोड़ा गया था। चूंकि लीड व लिफ्ट पहले से ही मद में शामिल थे, अतिरिक्त लीड

---

10 भोपाल–सांची–सागर खंड किमी 175 से किमी 187/6 (सागर मंडल), निविदा (₹ 49.06 करोड़) दिनांक 29.08.2017 से प्रभावी दर की नई अनुसूची पर 05.09.17 को आमंत्रित की गई थी।

11 राष्ट्रीय राजमार्ग 59 ए (इंदौर संभाग) पर 182 किमी से 266/6 किमी तक इंदौर–बैतूल मार्ग पर दिनांक 06.06.2016 से प्रभावी पुरानी दर अनुसूची पर निविदा आमंत्रित की गई थी।

12 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के उपशीर्ष 1.0 के पैरा 1.3 के अनुसार, लीड सबसे छोटे व्यावहारिक मार्ग या कारण सहित प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित मार्ग पर मापी गई गाड़ी की दूरी है।

प्रदान करना गलत था। यह ₹ 8.11 करोड़ के बढ़े हुए प्राक्कलन में परिणित हुआ जैसा कि नीचे **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: सड़क कार्यों में मद के लिए गलत दर अपनाने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	दर अनुसूची / मद संख्या	मद का नाम	निविदा प्रतिशत	मद की मात्रा (घमी में)	ली गई दर	ली जानेवाली दर	कार्यान्वित मद का कुल मूल्य	अधिक राशि (कॉलम 10 में से कॉलम 6 में उल्लिखित निविदा प्रतिशत की राशि घटाने के बाद)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10=(8–9)×7**	**11**
1	सागर	साँची–विदिशा–सागर रोड किमी 81 से किमी 175	2014/ 3.13	बॉरो पिट्स से प्राप्त मिटटी से एम्बैंकमेंट का निर्माण	23.44 कम	4,91,507	293	178	565.23	432.74
2	इंदौर	इंदौर–बेतूल रोड किमी 182से किमी 266/6	2016/ 3.10		31.05 कम	4,63,987.90	278.15	160	548.20	377.99
कुल										**810.73**

उत्तर में, शासन ने कहा (नवंबर 2021) कि इंडियन रोड कांग्रेस विनिर्देश–37 के अनुसार, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन में सबग्रेड सामग्री 8 कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात से कम की नहीं होनी चाहिए। वन भूमि होने के कारण इस प्रकार की सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए सबग्रेड सामग्री की दर केवल प्राक्कलन के उद्देश्य के लिए, दूरी सहित ली गई थी। इंजिनियरिंग एण्ड प्रोक्योरमेंट अनुबंध में, खरीद यानी बोली मूल्य तय करने से पहले भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा इंजीनियरिंग अपेक्षित होती है। इसलिए, प्राक्कलन की राशि का बोलीदाता द्वारा अपने स्वयं के किफायती डिजाइन के आधार पर उद्धृत दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी मद में अतिरिक्त लीड को शामिल करने के लिए दरों की अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है जैसा दर–अनुसूची में सभी मद पूर्ण मद हैं, जिसमें सभी लीड व लिफ्ट शामिल हैं। आगे, विभाग द्वारा सबसे पहले प्राक्कलन तैयार और अनुशंसित किए जाते हैं जो विभाग की दर–अनुसूची पर आधारित होते हैं। यद्यपि, दर–अनुसूची में 'एम्बैंकमेण्ट निर्माण' मद की दर ₹ 160 प्रति घन मीटर थी, फिर भी विभाग ने बिना किसी विशिष्ट कारण के ₹ 278.15 प्रति घन मीटर की उच्च दर को अपनाया।

5.1.4.5 सड़क कार्यों की स्वीकृति हेतु त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने के कारण कार्य को हटाना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.111 कहती है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुपालन में, वन भूमि को किसी भी गैर–वन उद्देश्य हेतु व्यपवर्तन के सभी प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। आगे, सड़क

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देशित किया है (अप्रैल 2016) कि परियोजनायें जिनमें 90 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो, को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए लिया जाना है।

अनुबंध की कण्डिका 8.3.3 और 8.3.4 में प्रावधान है कि अनुबंध में निहित किसी भी प्रावधान के विपरीत होते हुए भी, प्राधिकारी किसी भी समय इस अनुबंधित कार्य के किसी भी अंश को वापस ले सकेगा है और कार्यांश वापस लेने की स्थिति में, अनुबंध मूल्य को वापस लिए गए कार्यांश के मूल्य के 90 प्रतिशत की राशि के बराबर कम किया जाएगा।

रीवा एवं इंदौर संभाग के अन्तर्गत दो कार्यो में वन क्षेत्र[13] से गुजरने वाली मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों (अप्रैल 2019 और मार्च 2020) के अनुसार, प्राक्कलनों की स्वीकृति और ठेकेदार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय राज्य शासन ने मंत्रालय को सूचित किया था कि कार्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध थी। फरवरी 2019 (रीवा संभाग) और जनवरी 2020 (इंदौर संभाग) में राज्य शासन ने वन भूमि का व्यपवर्तन न होने अर्थात् भूमि की अनुपलब्धता के कारण सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को वापस लेने का अनुरोध पुनः प्रस्तुत किया था। इन दोनों प्रकरणों में मंत्रालय ने वन भूमि के व्यपवर्तन से संबंधित तथ्यों को स्वीकृति–चरण में सही ढंग से सामने नहीं लाने के लिए विभाग को फटकार लगाई। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सड़कों के चौड़ीकरण के लिए प्राक्कलनों की स्वीकृति का प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भूमि के व्यपवर्तन के अपेक्षित अनुमोदन के बिना तैयार किया गया था।

इंदौर में एक अन्य कार्य में सड़क की लंबाई 100 मीटर कम की गई। कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इंदौर के पत्र (जून 2017) के अनुसार इंदौर–अहमदाबाद रोड (05 किमी से 9.50 किमी) के 4.5 किमी चौड़ीकरण का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था। लेकिन, कार्यान्वयन के दौरान यह पाया गया कि सड़क की वास्तविक लंबाई 4.5 किमी के बजाय 4.4 किमी थी।

इन सभी प्रकरणों में, संभागों द्वारा ₹ 38.97 करोड़ राशि के कार्य की मात्रा में नकारात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था। इसके कारण, विभाग को वापस लिए गए कार्य के मूल्य का 10 प्रतिशत वहन करना पड़ा, क्योंकि अनुबंध की कण्डिका प्रावधानित करती थी कि इस प्रकार वापस लिए गए कार्यों से मूल्य का केवल 90 प्रतिशत ही कम किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 3.90 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भार पड़ा। विवरण नीचे **तालिका 5.2** में दिखाया गया है:

[13] 1. सड़क की कुल लंबाई 97.84 किमी में से 17.908 किमी वन क्षेत्र से गुजर रही थी (रीवा संभाग)।
2. सड़क की कुल लंबाई 81.60 किमी में से 4.75 किमी की लंबाई वन क्षेत्र से गुजर रही थी। (इंदौर संभाग)।

तालिका 5.2: मूल कार्य के स्कोप से कार्यों को वापस लेने के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	कार्य का नाम	सड़क की कुल लम्बाई (किमी)	चौड़ी न की गई लम्बाई (किमी)	कार्य की मात्रा में नकारात्मक परिवर्तन की राशि	अतिरिक्त भार (क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन का 10 प्रतिशत)
1	रीवा	बमीठा–सतना रोड	97.84	17.91	3,013.57	301.36
2	इंदौर	इंदौर–बेतूल रोड किमी 182 से किमी 266/6	81.60	4.75	826.50	82.65
3	इंदौर	इंदौर–अहमदाबाद रोड किमी 05 से 9.50	4.50	0.01	56.45	5.64
कुल					**3,896.52**	**389.65**

यद्यपि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रीवा के प्रकरण में स्कोप में नकारात्मक परिवर्तन को मंजूरी दे दी है, यह स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कोप में नकारात्मक परिवर्तन के कारण सरकार को होने वाले किसी भी नुकसान का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

यदि विभाग ने सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने से पहले तैयार नहीं किया होता तो ₹ 3.90 करोड़ के व्यय से बच सकता था। आगे, सड़कों के कुछ किलोमीटर को चौड़ा न करने के कारण सड़कों के चौड़ीकरण का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाता है।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि बामिठा–सतना मार्ग प्रारम्भ में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अधीन था। वन भूमि के व्यपवर्तन के अभाव में वह कार्य प्रारंभ नहीं कर सका। बाद में 2018 में उक्त कार्य की बोलियों के अनुमोदन के बाद कार्य को लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि, वन भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता बाद में महसूस की गई। इंदौर–बैतूल रोड के प्रकरण में कहा गया कि सड़क को फोर लेन सड़क में बदलने पर विचार किया जा रहा है। सड़क को फोर लेन में बदलने के समय संबंधित हिस्सों का उन्नयन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा सड़क पर पुनर्संरेखण और ओवरले के कार्य को हटाने पर स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तर हालांकि, इस तथ्य का जवाब नहीं देता है कि दोनों प्रकरणों में वन विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना कार्यों का कार्यान्वयन कैसे शुरू किया गया था।

5.1.5 संविदा प्रबंधन में कमियां

संविदा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5.1.5.1 ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता

अनुबंध की कण्डिका 13.1.1 के अनुसार, अतिरिक्त लागत या लागत में कमी सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार से अनुरोध कर प्राधिकारी कार्यों के स्कोप में संशोधन कर सकता है। अनुबंध की कण्डिका 13.1.2 में यह निर्दिष्ट है कि कार्य के स्कोप में परिवर्तन का तात्पर्य होगा (अ) कार्यों की किसी भी मद के विनिर्देशों में परिवर्तन या (ब) परियोजना के दायरे से किसी भी काम को विलोपित करना या (स) कोई अतिरिक्त कार्य।

पूर्ण हो चुके तीन सड़क कार्यों[14] के स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुबन्ध के अनुसार, 500 मि. मी. सब–ग्रेड (एमबैंकमेंट) का निर्माण सॉयल विद लाईम स्टैबिलाईजेशन से किया जाना था। लेकिन, ठेकेदार ने सब–ग्रेड का निर्माण बॉरो पिट्स से प्राप्त 10 प्रतिशत से ज्यादा सीबीआर[15] वाली मिट्टी से किया था (बाहर/बॉरो क्षेत्र से लाई गई मिट्टी जो सॉयल विद लाईम स्टैबिलाईजेशन से सस्ती है)। दर अनुसूची, 2013 और 2014 के अनुसार सब–ग्रेड में सुधार के लिए लाईम स्टैबिलाईजेशन की दर क्रमशः ₹ 463 प्रति घन मीटर और ₹ 475 प्रति घन मीटर थी। अनुबंध की कण्डिका 13.1.2 यह भी निर्दिष्ट करती है कि किसी कार्य की किसी मद के विनिर्देश में परिवर्तन का तात्पर्य होगा कार्य के स्कोप में परिवर्तन।

संबंधित प्राधिकारी के अभियंताओं ने सब–ग्रेड के निर्माण में सॉयल विथ लाईम स्टैबिलाईजेशन से कार्यान्वयन न करने के कारण कार्य के स्कोप में ₹ 11.77 करोड़ के नकारात्मक परिवर्तन के लिए मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, भोपाल को एक प्रस्ताव भी भेजा, जिसका कि नीचे **तालिका 5.3** में वर्णन है:

तालिका 5.3: कार्य के स्कोप में नकारात्मक परिवर्तन पर विचार न करने के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्य का नाम/ संभाग	कार्य जो किया जाना था	किया गया कार्य	मद की मात्रा (घ. मी.)	कॉलम 3 की दर	कॉलम 4 की दर	ठेकेदार को सहायता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=5×(6–7)**
1	विदिशा बाईपास रोड (भोपाल)	सॉयल विथ लाईम स्टैबिलाईजेशन से सब–ग्रेड का निर्माण	बॉरो पिट्स से प्राप्त मिट्टी से सब–ग्रेड का निर्माण	1,09,892.23	₹ 475/घ.मी.	₹ 178/घ.मी.	326.38
2	खुरई बाईपास रोड (सागर)			79,894	₹ 463/घ.मी.	₹ 154/घ.मी.	246.87
3	सागर–छतरपुर रोड किमी 88 से 130			1,95,363	₹ 463/घ.मी.	₹ 154/घ.मी.	603.67
					कुल		**1,176.92**

मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय (एम.ओ.आर.टी.एच), भोपाल कार्य के स्कोप में परिवर्तन की स्वीकृति के निर्णायक प्राधिकारी है। हालांकि कार्य के स्कोप में ₹ 11.77 करोड़ के नकारात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव (प्राधिकारी के अभियंता से प्राप्त) मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय (एम.ओ.आर.टी.एच) को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के विचारार्थ नहीं भेजा गया था और कार्य के स्कोप में हुये नकारात्मक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली राशि को कम किए बिना ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 11.77 करोड़ की अदेय वित्तीय सहायता मिली।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन मोड की परियोजनाओं के प्राक्कलनों में सॉयल विथ लाईम स्टैबिलाईजेशन के साथ सब–ग्रेड का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, संभावित बोलीदाताओं को प्रतिस्पर्धी बोली में बोली मूल्य कम करने के लिए मूल्य इंजीनियरिंग परिपाटी के तहत किफायती तरीके से सब–ग्रेड को डिजाइन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

---

[14] 1. विदिशा बाईपास रोड (भोपाल),
2. खुराई बाईपास रोड, और
3. सागर छतरपुर रोड किमी 88 से 130 (सागर)।

[15] कैलिफोर्निया बिअरिंग अनुपात (सीबीआर) मिट्टी की मजबूती को दर्शाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की कण्डिका 13.1.2 के अनुसार कार्य के स्कोप में परिवर्तन में कार्य की किसी भी मद के विनिर्देशों में परिवर्तन शामिल है। यहां, सॉयल विद लाईम स्टैबिलाईजेशन से सब–ग्रेड के निर्माण का प्रावधान प्राक्कलनों के साथ–साथ अनुबंधों में भी किया गया था। ठेकेदार ने अन्य विनिर्देशों का उपयोग करके सब–ग्रेड का निर्माण किया जहां बॉरो एरिया से प्राप्त मिट्टी का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, विनिर्देश में परिवर्तन के कारण, परिणामी वित्तीय निहितार्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस तथ्य की पुष्टि, प्राधिकारी के अभियंताओं द्वारा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग को कार्य के स्कोप में परिवर्तन के प्रस्तावित (जनवरी 2018) पत्र द्वारा हो गई थी।

5.1.5.2 मूल्य समायोजन पर प्रेक्षण

मूल्य समायोजन श्रम, सीमेंट, स्टील, संयंत्र, मशीनरी व पुर्जों, डामर, ईंधन व स्नेहक, तथा अन्य सामग्रियों की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए अनुबंध मूल्य का समायोजन है।

(क) ठेकेदार को मूल्य समायोजन का अमान्य भुगतान

अनुबंधों की सामान्य शर्तों की कण्डिका 13.4 (स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट प्रणाली) यह निर्धारित करती है कि 12 महीने तक के सभी अनुबंधों के लिए, बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरें उक्त अवधि के लिये स्थिर रहेंगी और अनुबंधों के लिए किसी भी तरह से समायोजन के अधीन नहीं होगा।

दो संभागों[16] के सात स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट मोड के कार्यों में से चार सड़क कार्यों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को 12 माह के भीतर पूरा करने के लिए आवंटित किया गया था। अतः, इन अनुबंधों में, ठेकेदार को मूल्य समायोजन का प्रावधान अनुमत्य नहीं था। हालांकि, मूल्य समायोजन फिर भी प्रदान किया गया था और ठेकेदार को तदनुसार भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। विवरण **तालिका 5.4** में दिखाया गया है:

तालिका 5.4: ठेकेदार को भुगतान किए गए मूल्य समायोजन की राशि का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	माह में पूरा किया जाना था	मूल्य समायोजन की राशि
1	रीवा	सतना बाईपास में सुधार	11	149.54
2	रीवा	भार्गव बाईपास में सुधार	11	125.15
3	रीवा	सज्जनपुर बाईपास में सुधार	11	131.17
4	सागर	सागर–छतरपुर सेक्शन किमी 3/8 से किमी 08	12	39.07
			कुल	**444.93**

शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि मूल्य समायोजन के अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार के अंतिम देयक से प्रस्तावित की गई थी।

(ख) मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन अनुबंध की कण्डिका 19.10.4 के अनुसार, अनुबंध मूल्य को श्रम, सीमेंट, स्टील, संयंत्र, मशीनरी व पुर्जों, डामर, ईंधन व स्नेहक,

[16] रीवा और सागर।

तथा अन्य सामग्री की दरों और कीमतों में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित किया जाएगा। आगे, सभी आधार सूचकांक, आधार तिथि पर सूचकांक की कीमतों के अनुरूप होंगे। कण्डिका 28.1 निर्दिष्ट करती है कि ''आधार तिथि'' कैलेंडर माह की अंतिम तिथि है, जो बोली की देय तिथि से कम से कम 28 दिन पहले होती है।

चार संभागों[17] के आठ सड़कों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्य समायोजन की गणना करते समय, संभागों ने बोली की निर्धारित तिथि के संबंध में मूल्य सूचकांक के लिए गलत आधार तिथि को अपनाया था जैसा के **परिशिष्ट 5.6** में वर्णित है। इस प्रकार, मूल्य भिन्नता की गणना में गलत तरीके के कारण, ठेकेदारों को ₹ 6.42 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि मूल्य समायोजन के कारण हुये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदारों के अन्तिम देयकों से की जायेगी।

(ग) नकारात्मक मूल्य समायोजन का समायोजन न किया जाना

स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट अनुबंध की सामान्य शर्तों की कण्डिका 47.1 और अनुबंध डाटा में दिए गए सूत्रों के अनुसार, मूल्य समायोजन श्रम, सामग्री, ईंधन व स्नेहक की दरों और कीमतों में वृद्धि/कमी के लिए समायोजित किया जाएगा।

इंदौर संभाग के इंदौर–बैतूल मार्ग (266/8 किमी से 278/2 किमी) के मूल्य समायोजन की जाँच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने डामर, स्टील, अन्य सामग्री, संयंत्र व मशीनरी तथा स्नेहक की दर और कीमत में कमी के कारण ₹ 42.90 लाख के मूल्य समायोजन की वसूली की गणना की थी लेकिन ठेकेदार से इसकी वसूली नहीं की गई थी।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मूल्य समायोजन के कारण ठेकेदार को किए गए भुगतान की जाँच की जाएगी और वसूली की जाएगी। अब तक (फरवरी 2022) की गई वसूली की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

5.1.5.3 अनुबंध में गलत मद को शामिल करने के कारण अधिक भुगतान

लोक निर्माण विभाग की दर–अनुसूची में माइल्ड स्टील के दो आइटम सम्मिलित हैं, जैसे ''सब–स्ट्रक्चर में माइल्ड स्टील की सप्लाई, फिटिंग और प्लेसिंग'' (दर–अनुसूची की मद संख्या 13.8) और ''सीमेंट/कंक्रीट रोड में डॉवेल बार के रूप में माइल्ड स्टील का प्रावधान'' (दर–अनुसूची की मद संख्या 6.12)। इन दोनों मदों में अंतर केवल इतना है कि दर–अनुसूची की मद संख्या 13.8 का उपयोग सब–स्ट्रक्चर में किया जाना है और इसमें माइल्ड स्टील की सप्लाई, फिटिंग और प्लेसिंग सम्मिलित है। इसकी तुलना में, दर–अनुसूची की मद संख्या 6.12 में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए क्रैडल, लैप्स इत्यादि सहित डॉवेल बार और टाई रॉड में केवल माइल्ड स्टील की लागत शामिल है और फिटिंग व प्लेसमेंट शामिल नहीं है। तदनुसार पहली मद महंगी है।

आइटम रेट अनुबंध (स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट) में ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित मद के लिए ठेकेदार को भुगतान किया जाना था। रीवा संभाग के पांच स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट अनुबंधों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण के प्राक्कलनों और ठेकेदारों को किए गए भुगतान की जाँच के दौरान जैसा **परिशिष्ट 5.7** में वर्णित है, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक मद ''सब–स्ट्रक्चर में माडल्ड स्टील की सप्लाई, फिटिंग और प्लेसिग" (दर–अनुसूची की मद संख्या 13.8) को प्राक्कलन के साथ–साथ अनुबंधों में सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए गलत तरीके से प्रावधानित किया गया था। इन प्रकरणों में सीमेंट

[17] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा।

कंक्रीट सड़कों के निर्माण में 721.252 एम टी डॉवेल बार[18] (दर–अनुसूची की मद संख्या 6.12) का उपयोग किया गया था। जबकि, भुगतान दर–अनुसूची की मद संख्या 13.8 के लिए किया गया था जो डॉवेल बार से महंगी थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 46.19 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.7** में वर्णित है।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि ठेकेदारों के अन्तिम देयकों में वसूली का प्रस्ताव किया गया है।

5.1.5.4 रॉयल्टी और अग्रिमों की कटौती न करना

(क) सिक्योर्ड एडवांस की राशि ₹ 79.47 लाख की कम वसूली

अनुबंध की कण्डिका 51.3 में प्रावधान है कि ठेकेदार को किए गए अग्रिम भुगतान को प्रत्येक बाद के मासिक भुगतान से उस सीमा तक चुकाया जाएगा, जिस सीमा तक सामग्री को कार्यों में उपयोग किया गया है।

रीवा संभाग के सतना बाईपास सड़क के कार्य की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि साइट पर लाई गई सामग्री के लिए ₹ 229.47 लाख का सिक्योर्ड एडवांस ठेकेदार को दिया गया था। सिक्योर्ड एडवांस के विरूद्ध, क्रमशः तीसरे एवं पांचवें चलित देयकों से ₹ एक करोड़ एवं ₹ 50 लाख की वसूली की गई थी लेकिन कार्य पूर्ण होने के बावजूद ठेकेदार से ₹ 79.47 लाख के एडवांस की वसूली नहीं की गई थी।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि ठेकेदार के अन्तिम देयक में वसूली का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका था।

(ख) मोबिलाइजेशन एडवांस पर ब्याज की वसूली न होना

अनुबंध की कण्डिका 19.2.1 के अनुसार, ठेकेदार को मोबिलाइजेशन एडवांस बैंक दर पर ब्याज वाले अग्रिम के रूप में माना जाएगा, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज जैसा भी मामला हो पर होगा। मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के साथ–साथ प्रावधानों के अनुसार समान किश्तों में ब्याज की वसूली की जाएगी।

रीवा संभाग के रीवा–सिरमौर सड़क और इंदौर संभाग के इंदौर–बैतूल सड़क 148 किमी से 181 किमी से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 10.66 करोड़ (₹ 5.76 करोड़ तथा ₹ 4.90 करोड़) का मोबिलाइजेशन एडवांस ठेकेदारों को दिया गया था और चलित देयकों से वसूल किया गया था, लेकिन उस पर ब्याज की राशि ₹ 71.86 लाख (क्रमशः ₹ 50.04 लाख और ₹ 21.82 लाख) की वसूली नहीं की गई थी।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि ठेकेदार के अन्तिम देयक में वसूली का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका था।

(ग) रॉयल्टी की कम कटौती

गौण खनिज नियम, 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार ठेकेदारों के अंतिम देयक का भुगतान खनन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी की अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा, अन्यथा देयकों से रायल्टी काटकर संबंधित खनन मद में जमा की जायेगी।

उन्नीस कार्यों (नौ पूर्ण और 10 चालू) के देयकों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदारों ने खनन विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी की अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत

---

18 सीमेंट कंक्रीट रोड में जोड़ों में खराबी को रोककर डॉवेल बार अच्छी सवारी गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

नहीं किया था। इसलिए ठेकेदार के देयकों से रॉयल्टी की राशि की कटौती की जानी चाहिए थी। यह भी पाया गया कि कार्य में उपयोग की गई सामग्री के लिए रॉयल्टी के रूप में काटे जाने वाले ₹ 33.72 करोड़ के विरूद्ध ठेकेदार के देयकों से केवल ₹ 11.20 करोड़ की कटौती की गई थी। यह ₹ 22.52 करोड़ के रॉयल्टी की कम कटौती में परिणित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.8** में वर्णित है।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि भोपाल संभाग में रायल्टी से संबंधित मामला मध्यस्थम न्यायाधिकरण में है। सज्जनपुर–बरगावां बाईपास सड़क के मामले में ठेकेदार के अंतिम देयक से आवश्यक कटौती की गई है जबकि शेष प्रकरणों में अंतिम देयकों का भुगतान करने से पहले या ठेकेदार की परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी को वापस करने से पहले खनन विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

5.1.5.5 कार्य पूर्ण होने में विलम्ब

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंध की कण्डिका 10.5 के अनुसार, एक ठेकेदार समय–वृद्धि के लिए तभी हकदार होगा यदि विलम्ब प्राधिकरण/विभाग के कारण, जैसे भूमि प्रदान करने में देरी, पर्यावरण मंजूरी या रेलवे प्राधिकरण की मंजूरी, अप्रत्याशित घटना की स्थिति, कोई अन्य कारण इत्यादि हों। आगे, स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेण्ट की कण्डिका 28.1 के अनुसार, यदि कोई क्षतिपूरक घटना[19] होती है या एक भिन्नता जारी की जाती है, जो ठेकेदार द्वारा शेष कार्य पूरा करने के लिए तेजी लाने के लिए कदम उठाए बिना नियत तिथि तक कार्य पूर्ण करना असंभव बना देती है और जो ठेकेदार पर अतिरिक्त लागत भारित करेगी, तो इंजीनियर नियत पूर्णता तिथि का विस्तार करेगा।

तैंतालिस कार्यों (25 पूर्ण और 18 चालू) की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल तीन कार्य समय पर पूर्ण किए गए थे जबकि पूर्ण कार्यों में माध्यिका विलंब[20] 370 दिनों का था, जबकि चल रहे कार्यों में यह 387 दिनों का था, जैसा कि **परिशिष्ट 5.9** में वर्णित है। देरी का कारण यूटिलिटी विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण और ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन तथा अन्य कारण[21] थे।

उपरोक्त कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय विस्तार प्रदान किया गया था जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं थे। ठेकेदारों को सभी बाधाओं से मुक्त स्थल उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व था। 14 प्रकरणों में अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यूटिलिटी विस्थापन के कार्य को समय पर पूर्ण करवाने में विभाग विफल रहा। आगे, विभाग को समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए ड्राइंग एवं डिजाइनों का समय पर अनुमोदन करना चाहिए था। तथापि, सात प्रकरणों में विभाग समय पर ड्राइंग एवं डिजाइन का अनुमोदन नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आठ कार्यों में समय विस्तार प्रदान करते हुए अपने पत्र में यह भी कहा है कि इन विलम्बों के लिए राज्य शासन (मध्य प्रदेश लोक

---

19 निम्नलिखित घटनायें क्षतिपूरक हैं जब तक कि वे ठेकेदार द्वारा घटित न हों : क) नियोक्ता साईट का कुछ भाग उपलब्ध नहीं करवाता है, ख) अभियंता द्वारा अन्य ठेकेदारों की कार्यसूची को एक तरह से संशोधित करता है जिससे कार्य प्रभावित होता है, ग) अभियंता द्वारा ड्राइंग और काम के विनिर्देश जारी करने में देरी, घ) अभियंता एक उप–अनुबंध को 15 दिनों के भीतर स्वीकृत नहीं करता है, ड) प्रतिकूल जमीनी स्थिति, च) अन्य ठेकेदारों, सार्वजनिक प्राधिकरण, यूटिलिटीज या नियोक्ता तिथियों के भीतर काम नहीं करते हैं, इत्यादि।

20 माध्यिका एक क्रमबद्ध, आरोही या अवरोही संख्याओं की सूची में मध्य संख्या है और औसत से अधिक उस डाटा सेट के बारे में अधिक वर्णनात्मक हो सकती है।

21 अलाइनमेंट में बदलाव, टोल प्लाजा को हटाना, कार्य में धीमी प्रगति, तैयार सड़क का स्तर बढ़ाना, सुरक्षा दीवार का निर्माण, खड़ी फसलें।

निर्माण विभाग) जिम्मेदार थी और वित्तीय भार इनके द्वारा वहन किया जाएगा तथा प्राधिकरण के अभियंताओं को विस्तारित अवधि के लिए देय लागत को राज्य शासन को देय एजेंसी चार्ज से समायोजित किया जाएगा। आगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश (अक्टूबर 2018) के अनुसार, प्राधिकरण के अभियंताओं के अनुबंध की अवधि सिविल निर्माण अनुबंधों के अनुरूप स्वतः बढ़ाई जानी थी। इस प्रकार, ठेकेदार को दिए गए समय विस्तार के कारण, प्राधिकरण के अभियंताओं की अनुबंध अवधि में भी वृद्धि हुई, जिससे ₹ 16.05 करोड़ का वित्तीय प्रभाव और विस्तारित अवधि में मूल्य समायोजन के कारण ठेकेदार को भुगतान किए गए ₹ 11.00 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा (**परिशिष्ट 5.9**)। चूंकि विलम्ब के लिए मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया था, इसलिए इसे प्राधिकरण के अभियंताओं को विस्तारित अवधि के लिए किए गए भुगतान और ठेकेदार को भुगतान किए गए मूल्य समायोजन का खर्च वहन करना होगा।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि भूमि अधिग्रहण में देरी, अतिक्रमण हटाने और यूटिलिटी विस्थापन, और कोविड–19, ये सभी कारण कुछ हद तक विभाग के नियंत्रण से बाहर थे, जिसके कारण परियोजनाओं में देरी हुई थी। राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के स्थानीय प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने में देरी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया है; हालांकि, सार्वजनिक प्रतिरोध और कानून व्यवस्था की समस्याएं प्रमुख बाधाएं थीं। आगे विभाग ने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के प्रकाशन, लाभार्थियों को मुआवजे का भुगतान और यूटिलिटी विस्थापन के प्राक्कलानों के अनुमोदन में देरी के लिए एम.ओ.आर.टी.एच भी कुछ हद तक जिम्मेदार था। क्रियान्वयन के दौरान प्रकट हुई अप्रत्याशित यूटिलिटीज़ भी यूटिलिटी विस्थापन में देरी का एक कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूटिलिटी विस्थापित किया गया, भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण हटाने के लिए शीर्ष स्तर पर किए गए प्रयासों के साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, उत्तर ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन और संरेखण में परिवर्तन के कारण हुई देरी पर मौन है।

5.1.5.6 इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन अनुबंधों के कार्यान्वित कार्य की विस्तृत माप दर्ज नहीं करना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के कंडिका 4.017 के अनुसार, माप पुस्तिका किसी कार्य के लिए संधारित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह किए गए कार्य के सभी लेखांकन का आधार है और इसमें साईट पर दर्ज माप का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए, ताकि किसी भी न्यायालय में निर्णायक साक्ष्य बने। नियमावली की कंडिका 4.023 में आगे कहा गया है कि प्रत्येक माप को लेते समय सीधे माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए और किसी अन्य पुस्तक में नहीं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (योजना क्षेत्र) ने राज्यों के सभी प्रधान सचिवों/सचिवों को संबंधित स्थल अभिलेखों जैसे कि लेवल बुक, रोड रोलर की लॉग बुक, सामग्री रजिस्टर इत्यादि रखरखाव के संबंध में निर्देश जारी किए (07 जनवरी 2019) और आगे राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न केंद्रीय सड़क क्षेत्र की योजनाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सम्बंधित एजेंसी (आर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इत्यादि) की निर्माण नियमावली/प्रयोज्य कोड और अनुबंध की शर्तों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी पांच संभागों में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रणाली के 25 सड़क कार्यों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि

कार्यसार और कार्यान्वित कार्यों का विस्तृत माप पूर्वोक्त निर्देशों के उल्लंघन में माप पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं किया गया था। माप पुस्तिकाओं में विस्तृत माप के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि कार्य स्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन अथवा सड़क के क्रॉस–सेक्शन के अनुसार कार्यान्वित किए गए थे या नहीं।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि एम.ओ.आर.टी.एच के परिपत्र (जनवरी 2019) के अनुसार अभिलेखों का साईट पर संधारण किया जाता है। तथापि, माप पुस्तिकाओं में प्रत्येक मद की विस्तृत माप दर्ज नहीं किया जा रही है। अनुसूची–एच के अनुसार भुगतान के लिए माप पुस्तिकाओं में चरणबद्ध प्रगति दर्ज की जा रही है। आगे यह भी जोड़ा गया कि कार्य हेतु क्रय की नियमावली, 2019 के अनुसार, सिवाय कार्य में वृद्धि एवं कमी की स्थिति के, एकमुश्त अनुबंध में किए गए कार्यों के विस्तृत माप को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.आर.टी.एच ने राज्य की लोक निर्माण विभाग की निर्माण विभाग नियमावली के सम्बंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक माप, जिस समय इसे लिया जाता है, इसे सीधे माप पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाना चाहिए। आगे, ऊपर उद्धृत नियमावली के अध्याय–3 में, यह उल्लेख नहीं है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रणाली में किए गए कार्यों के लिए माप दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, उक्त नियमावली के कंडिका 6.5.2 में प्रावधान है कि वित्तीय मूल्य वाली सभी मदों के माप को माप पुस्तिकाओं और/या लेवल फील्ड पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाएगा।

5.1.6 गुणवत्ता आश्रवासन

लेखापरीक्षा ने कार्य की गुणवत्ता आश्वासन के स्तर को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को देखा, जैसे अनिवार्य जाँचों का नहीं किया जाना, विभागीय प्रयोगशाला से सड़क कार्यों की जाँच नहीं करना और जिला–स्तरीय प्रयोगशालाओं में आवश्यक जाँच उपकरणों की अनुपलब्धता।

5.1.6.1 सड़क कार्यों की गुणवत्ता हेतु आवश्यक जाँच नहीं कराया जाना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के विनिर्देश की कंडिका 902.1 और इंडियन रोड कांग्रेस–विशेष प्रकाशन 11 कंडिका 7.1.1 के अनुसार, सभी कार्यों का निर्माण निर्धारित ड्राइंग या अभियंता द्वारा निर्देशित निर्दिष्ट लाइनों, ग्रेड, क्रॉस–सेक्शन और आकार के अनुसार किया जायेगा। इसका उद्देश्य आवश्यक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल के अनुसार, विभिन्न पेवमेंट के डिजाइन और सवारी गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप एक अच्छी तरह से निर्मित पेवमेंट प्राप्त करना है।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि सभी तीन अनिवार्य परीक्षण, अर्थात होरिजेंटल एलाइनमेंट परीक्षण, सरफेस लेवल परीक्षण और पेवमेंट स्तर की सरफेस रेगुलरिटी परीक्षण, पेवमेंट स्तर की प्रत्येक परत के लिए आयोजित किए गए थे।

सभी पांच संभागो में 33 सड़क कार्यों के (लेखापरीक्षित कुल 43 कार्यों में से 10 पुल कार्यों को छोड़कर) तीन अनिवार्य परीक्षणों के संबंध में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि दो संभागो में तीन सड़क कार्यों[22] में तीन अनिवार्य परीक्षणों में से केवल एक परीक्षण (सरफेस लेवल टेस्ट) आयोजित किया गया था। संभाग के शेष सड़क कार्यों में तीन

---

22 मिहोना–लहार–दबोह और दबोह–भंडेर रोड (ग्वालियर), सतना बेला रोड (रीवा)।

परीक्षणों में से कोई भी परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, सवारी की गुणवत्ता की आवश्यकताओं और सड़कों की लंबी उम्र का आश्वासन नहीं दिया गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (नवंबर 2021) कि एम.ओ.आर.टी.एच ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी हिस्सों के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण व्हीकल[23] परीक्षण और फॉलिंग वेट डिफ्लेक्ट–मीटर[24] परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल टेस्ट 1,153 किलोमीटर पर किया गया है। नेटवर्क सर्वे व्हीकल और फॉलिंग वेट डिफ्लेक्ट–मीटर टेस्ट की शेष लंबाई के लिए एजेंसी का निर्धारण प्रगति पर है, जिसके द्वारा विनिर्देशों के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उत्तर मौन है कि अनिवार्य परीक्षण क्यों नहीं किया गया।

5.1.6.2 विभागीय प्रयोगशाला से सड़क कार्यों का परीक्षण

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के आदेशानुसार (06 सितम्बर 2019) सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय प्रयोगशाला से सड़क कार्यों का न्यूनतम 10 प्रतिशत परीक्षण अनिवार्यतः किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय प्रयोगशाला से कोई परीक्षण नहीं कराया गया था।

आगे, पाँच प्रयोगशालाओं (03 क्षेत्रीय एवं जिला प्रयोगशालाओं[25] और दो जिला प्रयोगशालाओं) द्वारा उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में दी गयी जानकारी के विश्लेषण में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रयोगशालाओ में महत्वपूर्ण परीक्षण उपकरणों की कमी थी, जैसे कंक्रीट कोर ड्रिलिंग के परीक्षण के लिए कोर काटने की मशीन, कैलिफोर्निया बेअरिंग अनुपात मूल्य के परीक्षण के लिए सीबीआर मशीन, ताजा कंक्रीट की स्थिरता और व्यावहारिकता को और अप्रत्यक्ष रूप से कंक्रीट मिश्रण का जल–सीमेंट अनुपात मापने के लिए स्लम्प कोन। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन प्रयोगशालाओं में 36 से 49 प्रतिशत परीक्षण उपकरण उपलब्ध नहीं थे। उपकरणों की अनुपलब्धता का विवरण **परिशिष्ट 5.10** में दिया गया है।

सागर जिला प्रयोगशाला में पांच उपकरण एक वर्ष से अनुपयोगी स्थिति में थे जिनकी मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भोपाल एवं इंदौर संभागों ने उपकरण की आवश्यकता (क्रमशः मार्च 2018 और फरवरी 2019 में) भोपाल वृत्त–2 एवं अधीक्षण यंत्री इंदौर वृत्त को भेजी थी। मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) उत्तर जोन, ग्वालियर ने भी मार्च 2019 में आवश्यक उपकरण के लिए एक प्राक्कलन प्रमुख अभियंता (लोक निर्माण विभाग) को भेजा था जबकि इस मामले पर आगे कोई अनुवर्ती कार्यवाही अभिलेखों में नहीं पाई गई।

उत्तर में, शासन ने (नवम्बर 2021) कहा कि अनिवार्य परीक्षण विनिर्देशों के अनुसार किए जा रहे थे। विभागीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी है। भविष्य में विभागीय प्रयोगशालाओं से कम से कम 10 प्रतिशत अनिवार्य परीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

---

23 नेटवर्क सर्वे व्हीकल में लेजर आधारित ऑटोमेटिक क्रैक डिटेक्शन, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा और व्हीकल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण लगे होते हैं, जो क्रैकिंग, गड्ढों, लेवलिंग, रूटिंग और खुरदरापन जैसे फुटपाथ की सतह के गुणों को सटीक रूप से मापते हैं।

24 फॉलिंग वेट डिफ्लेक्ट–मीटर परीक्षण एक गैर–विनाशकारी परीक्षण विधि है जो एक गतिमान पहिये की लोडिंग का अनुकरण करती है और लोडिंग के बिंदु पर और लोड से विभिन्न ऑफसेट पर फुटपाथ की प्रतिक्रिया को मापती है।

25 क्षेत्रीय सह जिला प्रयोगशाला, ग्वालियर मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग) उत्तर क्षेत्र, ग्वालियर के अधीन है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों सहित लोक निर्माण विभाग के सड़क कार्यों से संबंधित सभी परीक्षण किए जाते हैं।

5.1.7 अनुश्रवण

अनुश्रवण एवं सड़क कार्यों की समीक्षा में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

5.1.7.1 संभाग स्तर पर सड़क कार्यों का अनुश्रवण

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार, एक संभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री अपने संभाग के भीतर सभी कार्यों के कार्यान्वयन और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। आगे इस बात पर जोर दिया गया (नवंबर 2011[26]) कि नियमावली के अनुसार वह कार्यों का बारम्बार निरीक्षण और आवधिक निरीक्षण करेंगे।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यपालन यंत्रियों के निरीक्षण टीप एवं उनकी अनुपालन प्रतिवेदन संभागों में उपलब्ध नहीं थी। जो यह दर्शाता है कि आवश्यक निरीक्षण कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नहीं किया गया और यह संभाग स्तर पर अनुश्रवण की संभावित कमी को भी दर्शाता है। इसने सड़क कार्यों की उप–सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता नियंत्रण जाँच को भी इंगित किया।

उत्तर में शासन ने कहा (नवम्बर 2021) कि कार्यपालन यंत्रियों के निरीक्षण टीप एवं उनका अनुपालन, भविष्य में कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु संधारित किया जायेगा।

5.1.7.2 शीर्ष स्तर पर सड़क कार्यों का अनुश्रवण

संविदा के अनुच्छेद 11.4 के अनुसार, प्राधिकारी (मुख्य अभियंता) निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण कर सकता है और प्राधिकारी के अभियंताओं और ठेकेदार को उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है। आगे, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश (नवंबर 2011) दिया है कि मुख्य अभियंता नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करेंगे और इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ने निर्धारित किया (अप्रैल 2016) कि मुख्य अभियंता कार्य की वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक माह में कम से कम आठ दिनों के लिए अपने क्षेत्र के स्थलों का दौरा करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार मुख्य अभियंता द्वारा वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कुल 288 दिनों का निरीक्षण किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने इस अवधि के दौरान कुल 43 कार्यों (25 पूर्ण और 18 चालू) के विरूद्ध केवल 64 दिनों में 29 कार्यों के निरीक्षण के लिए कार्य स्थलों का दौरा किया। आगे, जहां निरीक्षण किया गया था मुख्य अभियंता द्वारा निरीक्षण टीपों के माध्यम से, फील्ड स्टाफ को गुणवत्ता और कार्य की प्रगति के संबंध में कई निर्देश जारी किए थे। तथापि, अभिलेखों में मुख्य अभियंता के निरीक्षण टीपों पर अनुपालन/अनुवर्ती प्रतिवेदन नहीं पाए गए। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने चल रहे और पूर्ण कार्यों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने सभी कार्यपालन यंत्रियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। तथापि, बैठकों के कार्यवृत्त तैयार या संधारित नहीं पाए गए। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि मुख्य अभियंता के निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं।

शासन ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2021) कि मुख्य अभियंता के निरीक्षण टीपों की संख्या में वृद्धि की जायेगी तथा संबंधित कार्यपालन यंत्रियों से उनकी अनुपालना प्राप्त की जायेगी।

---

[26] मध्य प्रदेश शासन/ लोक निर्माण विभाग/ नं. 2001/19/प्ला./2011–12–6381 दिनांक 30. 11.2011।

इस प्रकार विभाग का वर्तमान अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त नहीं है।

5.1.8 निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजमार्गों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने अवास्तविक सर्वेक्षण और अनुमान डाटा के आधार पर प्राक्कलन तैयार करने, अनुबंध प्रबंधन में कमियों के साथ–साथ गुणवत्ता आश्वासन और अनुश्रवण में कमियां पाईं, जिन्हें ऊपर स्पष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- प्राक्कलन वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे। अपर्याप्त सर्वेक्षण और जाँचों ने प्राक्कलन को बढ़ा दिया जिसमें कई अनुचित मद सम्मिलित थी। प्राक्कलन तैयार करते समय आवश्यक मदों को छोड़ दिया गया था जिन्हें बाद में कार्यान्वयन के दौरान शामिल किया गया था, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई;

- कुछ मामलों में संविदात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। साथ ही, संविदाओं का प्रबंधन भी त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यूटिलिटी विस्थापन में देरी, ड्राइंग और डिजाइन को मंजूरी देने में देरी और आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में देरी के कारण कई सड़क कार्य दो से 36 महीने के विलंब के साथ पूरे किए गए थे। मूल्य समायोजन के अस्वीकार्य भुगतान सहित ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता के उदाहरण थे;

- सड़क की सवारी गुणवत्ता के निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण नहीं किए गए थे। विभागीय प्रयोगशालाओं से भी सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच नहीं कराई गई। आगे, ये प्रयोगशालाएं इन परीक्षणों को करने के लिए पर्याप्त सुसज्जित नहीं थी;

- कार्यों का अनुश्रवण खराब था। निर्दिष्ट आवृत्ति के अनुसार कार्य का निरीक्षण कार्यपालन यंत्रियों और मुख्य अभियंता द्वारा नहीं किया गया था। निरीक्षण टीप में जारी निर्देशों के अनुपालन की सूचना फील्ड कर्मचारियों द्वारा नहीं दी गई थी। सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त तैयार नहीं किया गया। मुख्य अभियंता के निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था या उपलब्ध नहीं था, जो अनुश्रवण में कमियों को दर्शाता है।

5.2 ''लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़कों का निर्माण'' की लेखापरीक्षा

5.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में, लोक निर्माण विभाग, सड़कों, सेतु और भवन निर्माण कार्यो के लिए मुख्य क्रियान्वयन संस्थानों में से एक है। सड़कों की लंबाई का लगभग 77 प्रतिशत लोक निर्माण विभाग (सेतु व सड़क) के पास है, जबकि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम सड़क की लंबाई का लगभग 18 प्रतिशत निर्माण करता है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क की लंबाई का लगभग पाँच प्रतिशत निर्माण करता है।

लोक निर्माण विभाग की दो शाखायें हैं, लोक निर्माण विभाग (सेतु व सड़कों) और लोक निर्माण विभाग (परियोजना क्रियान्वयन इकाई)। सेतु व सड़क शाखा सड़कों एवं पुलों का निर्माण, उन्नयन एवं रखरखाव और भवनों का उन्नयन एवं रखरखाव करता है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई शाखा पर राज्य में भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी है। एक प्रमुख सचिव शासन स्तर पर लोक निर्माण विभाग का प्रमुख होता है। प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष होता है। 11 मुख्य अभियंता[27], दो मुख्यालय कार्यालय में और नौ विभिन्न जोन में, 17 अधीक्षण यंत्री वृत्त स्तर पर और 69 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभागो में कार्यो के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख होते हैं।

भारत सरकार, राज्य शासनों को केंद्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इत्यादि के माध्यम से सड़कों और सेतु के निर्माण एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर ₹ एक प्रति लीटर[28] से उपकर लगाकर सड़कों के विकास के लिए एक केंद्रीय कोष बनाने हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 पारित (नवंबर 2000) किया। केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) नियम, 2007 बाद में जुलाई 2014 में संशोधित (केंद्रीय सड़क निधि नियम, 2014), के अनुसार ग्रामीण सड़कों को छोड़कर, राज्य सड़कों के निर्माण और विकास के लिए निधि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पास रखा जाएगा।

केन्द्रीय सड़क निधि का आवंटन 30 प्रतिशत ईंधन की खपत और 70 प्रतिशत राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। राज्यों को निधियां वार्षिक रूप से आवंटित की जाती हैं और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर तिमाही किश्तों में जारी की जाती हैं।

5.2.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा इस उद्देश्य से संचालित की गई कि क्या मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के समस्त प्रयोज्य सांहितीय और संविदात्मक प्रावधानों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत इंडियन रोड कांग्रेस और केंद्रीय सड़क निधि नियम, 2007 एवं 2014 का प्राक्कलन तैयार करते समय और कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान पालन किया गया है।

वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 की अवधि की अनुपालन लेखापरीक्षा, अगस्त से नवंबर 2020 तक की गई थी। लेखापरीक्षा ने 20 संभागों, जहां केंद्रीय सड़क निधि के

---

27 दो मुख्यालय और नौ जोनल कार्यालय भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, ब्रिज भोपाल और राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल में।

28 केन्द्रीय सड़क निधि उपकर समय–समय पर बदलता रहता है। यह कर पेट्रोल और डीजल पर ₹ नौ प्रति लीटर लगाया जाता है (जुलाई 2019)।

तहत काम किया जा रहा था, में से 11 चयनित संभागों[29] में सभी 40 कार्यों[30] की जाँच की। इसके अतिरिक्त, शीर्ष कार्यालय अर्थात् कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने आयोजना एवं प्राक्कलनों, कार्यान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण में कमी से संबंधित अनियमिततायें पाईं जो अनुवर्ती कंडिकाओं में दी गई हैं।

5.2.3 योजना और प्राक्कलन में कमियां

सड़क निर्माण हेतु समुचित योजना तथा इंडियन रोड कांग्रेस, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन और गम्भीर सुरक्षा मानक वांछित है, जहां अनुमानित लागत ठेकेदार द्वारा उद्धृत लागत का आधार होता है। लेखापरीक्षा ने योजना और प्राक्कलन में कमी के कई प्रकरण देखे, जैसे कि विभागों के बीच योजना और समन्वय की कमी, मिट्टी के काम का गलत आकलन, बिटुमिन की अधिक मोटाई का प्रावधान, सड़क सुरक्षा उपायों को शामिल न करना, बढ़े हुए प्राक्कलन पर निविदा आमंत्रित करना, इत्यादि जिनके परिणामस्वरूप निधियों का अधिक व्यय हुआ, जो बचाई जा सकती थी। इनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं 5.2.3.1 से 5.2.3.3 में की गई है।

5.2.3.1 योजना का अभाव

केंद्रीय सड़क निधि नियम, 2014 का नियम 5(1) प्रावधानित करता है कि केंद्र सरकार कार्यकारी संस्थानों के परामर्श से निधि जारी करने के लिए परियोजनाओं, योजनाओं अथवा गतिविधियों की पहचान करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी तथा कार्यकारी एजेंसियां मानदंडों का पालन करेंगी और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं की पहचान और प्राथमिकता तय करने हेतु इन नियमों के तहत निर्दिष्ट आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्यो के लिए सड़कों/क्षेत्रों के चयन हेतु कोई राज्यव्यापी योजना नहीं बनाई गई थी। साथ ही, विभाग और अन्य संस्थानों, जैसे कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जो राज्य में अधोसंरचना निर्माण की योजना में विशेष रूप से लगे हुए हैं, के मध्य कोई समन्वय नहीं था।

यह पाया गया कि विभाग के द्वारा सड़कों का चयन तदर्थ आधार पर किया गया था। विभाग के पास कोई दस्तावेज, जैसे कि इंडेक्स मैप, कार्य का स्कोप और वास्तविक आवश्यकता पर आधारित परियोजना की प्राक्कलित लागत उपलब्ध नहीं था। यह इंगित करता है कि सड़कों के निर्माण/ उन्नयन के प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि नियमावली के नियम 5(1) के अनुपालन में नहीं बनाए गए थे।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि विभाग द्वारा प्रस्ताव केवल मौजूदा सड़कों के लिए भेजे जाते हैं और इसलिए इंडेक्स मैप, आदि इतने प्रासंगिक नहीं हैं। शासन ने आगे कहा कि राज्य भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते है, राज्य द्वारा भेजे गए कुछ प्रस्तावों को भारत सरकार अपने विचार और निर्णय से स्वकृति देती है।

---

[29] अशोकनगर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर संभाग क्रमांक 1 और 2, रायसेन, रतलाम, सतना और उज्जैन।

[30] 40 कार्यों में से 27 कार्यों को वर्ष 2017–18 और 2019–20 के बीच आवंटित किया गया था। इन 27 कार्यों में से केवल 10 कार्य समय पर पूरे हुए। 40 कार्यों में से शेष 13 कार्यों को वर्ष 2015–16 और 2016–17 के बीच आवंटित किया गया था। इन 13 कार्यों में से पांच कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुए थे (नवंबर 2020), जबकि आठ कार्य 2017–18 और 2020–21 के बीच पूर्ण किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय अभिलेखों में भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव का कोई विवरण नहीं पाया गया था।

5.2.3.2 भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी सर्विसेज के विस्थापन के बगैर कार्यों का आवंटन

लेखापरीक्षा ने पाया कि नियम 6 एवं 7 के विरूद्ध तीन संभागों[31] के तीन कार्यों में ₹ 235.12 करोड़ की राशि के सड़कों के प्रस्ताव भू–अधिग्रहण एवं यूटिलिटी सर्विसेज को विस्थापित किये बिना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अग्रेषित किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट 5.11** में वर्णित है। इस प्रकार, बिना भूमि अधिग्रहण एवं सार्वजनिक सेवाओं के विस्थापन के कार्यों के आवंटन के कारण कार्यों में 337 से 365 दिनो की देरी हुई।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि राज्य को यह जानकारी नहीं होती है कि उसके द्वारा भेजे गए कौन से प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और इसलिए यह विवेकपूर्ण नहीं है कि पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए और स्वीकृति से पूर्व ही सार्वजनिक सेवाओं को स्थानांतरित कर दिया जाए। राज्य सभी प्रकरणों में स्वीकृति के बाद केंद्रीय सड़क निधि नियम के अनुसार राज्य के बजट से आवश्यक भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देता है। बसाहट वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिरोध तथा अन्य संस्थानों की भागीदारी के कारण भूमि अधिग्रहण तथा सार्वजनिक सेवाओं के विस्थापन में कुछ समय लगता है।

प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि करती है कि विभाग द्वारा चयनित प्रस्तावों के लिए, बाधामुक्त भूमि, यद्यपि केन्द्रीय सड़क निधि नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार एक शर्त थी, जो सुनिश्चित नहीं की गई।

5.2.3.3 अनुपयुक्त प्राक्कलन

लेखापरीक्षा ने अनुपयुक्त प्राक्क्लन के दृष्टांत पाये जो नीचे वर्णनित हैं :

(क) मिट्टी के कार्य का अनुपयुक्त प्राक्कलन

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश (मार्च 2017) कहता है कि जहां मिट्टी के उत्खनन की मात्रा मूल प्रावधानित मात्रा के 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगी उन प्रकरणों में शासन के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने रतलाम एवं उज्जैन से संबंधित आठ कार्यों में पाया कि 'भू–उत्खनन और एम्बैंकमेण्ट का निर्माण' मद की कार्यान्वित मात्रा प्राक्कलित मात्रा के विरूद्ध 80 से 266 प्रतिशत के बीच बढ़ गई थी, जो ₹ 3.78 करोड़ की अतिरिक्त लागत में परिणित हुई जैसा कि **परिशिष्ट 5.12** में वर्णित है। तथापि, इनमें से किसी भी मामले में, शासन का अनुमोदन जैसा कि वांछित था, प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने इंदौर–1[32] के एक कार्य में यह भी पाया कि मौजूदा सड़क का तीन साल पहले बिटुमिनस रिन्यूवल हुआ था, जिसमें सब–बेस और बेस कोर्स की सामग्री 20 से अधिक कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात[33] की थी। लेकिन, सड़क मार्ग की खुदाई से प्राप्त इस मिट्टी का उपयोग करने के बजाय, बॉरो एरिया[34] से लाई हुई मिट्टी द्वारा

---

31 कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर; कार्यपालन यंत्री, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, इन्दौर–1।

32 केन्द्रीय सड़क निधि के तहत तराना–मंगलिया–व्यासखेड़ी रोड का निर्माण, लंबाई–32.60 किमी, अनुबंध 03/सीआरएफ/2015–16।

33 कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात – मिट्टी की मजबूती का द्योतक।

34 ''बॉरो एरिया'' का अर्थ उस क्षेत्र से है जहां सामग्री की खुदाई की जाती है ताकि दूसरे क्षेत्र में भराव सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सके।

एम्बैंकमेण्ट के निर्माण की मद को प्राक्कलन में शामिल किया और कार्यपालन यंत्री द्वारा तदनुसार कार्यान्वित किया गया था। इस प्रकार, प्राक्कलन में पहले से उपलब्ध बेस कोर्स की सामग्री का उपयोग न करना वर्द्धित प्राक्कलन और ₹ 1.83 करोड़[35] के परिहार्य व्यय में परिणित हुआ।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि अधिकांश प्रकरणों में मौजूदा सड़कों में सब–ग्रेड वांछित कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात, एम्बैंकमेण्ट वांछित चौड़ाई और ऊंचाई की नहीं है इसलिए निर्माण–पद्धति मौजूदा सड़क को काटने और सामग्री को रूपांकित चौड़ाई में फैलाने, दबाने और इसके पर चयनित मिट्टी (7 से अधिक की कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात वाली) की अतिरिक्त परतें बिछाने की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल तीन वर्ष पूर्व ही 20 से अधिक कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात वाली सबग्रेड सामग्री के साथ सड़क का नवीनीकरण किया गया था। अतः उत्खनन से प्राप्त सामग्री के अनुपयुक्त होने का तर्क समझ से परे है।

(ख) सड़क सुरक्षा उपायों को प्राक्कलन में शामिल न करना

केन्द्रीय सड़क निधि संशोधन नियम, 2016 के नियम 3 के अनुसार आवंटित निधि में से 10 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कार्यों (ग्रामीण सड़कों के अलावा) के लिए निर्धारित की जाएगी। नियम 2 (i)(जी.बी.) के अनुसार सड़क सुरक्षा कार्यो का अर्थ है राज्य की सड़कों पर चिन्हित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट (सड़क दुर्घटना या घातक डाटा के आधार पर) के सुधार कार्य अथवा इस उद्देश्य के लिये स्थापित विशेष निकायों या विशेषज्ञ समितियों की अनुशंसाओं पर आधारित कार्य।

आगे, इंडियन रोड कांग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन 73 की धारा 7.18 के अनुसार दुर्घटना संभावित स्थानों पर मेटल बीम क्रैश बैरियर की न्यूनतम लंबाई 600 मिमी होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान, भारत सरकार द्वारा 69 कार्यों[36] में से 40 कार्यों के लिए ₹ 1,990.75 करोड़ स्वीकृत किए गए थे और पूर्वोक्त नियमों के अनुसार, सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए प्राक्कलन में ₹ 199.08 करोड़ शामिल किए जाने थे। हालांकि, प्राक्कलनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि कार्यपालन यंत्री, उज्जैन के एक कार्य एवं कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर के तीन कार्यों में, प्राक्कलनों में बिना कोई प्रावधान किये तथा सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना सड़क सुरक्षा कार्य पर ₹ 3.34 करोड़ का व्यय किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 5.13** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सड़क सुरक्षा उपायों में रोड मार्किंग, साइनेज, क्रैश बैरियर, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप्स इत्यादि शामिल हैं। इन मदों के लिए कार्य विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राक्कलनों में प्रावधान किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए प्रकरणों के प्राक्कलनों में सड़क सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया था।

---

35 (खुदाई से प्राप्त मिट्टी की मात्रा–उपयोग की गई खुदाई की गई मिट्टी की मात्रा) × कार्यान्वित मद की दर=परिहार्य व्यय (120882.714 घन मीटर–59832.77 घन मीटर) × ₹ 300 = ₹ 1,83,14,983।

36 वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए ₹ 4255.27 करोड़ की राशि के कुल 69 कार्य स्वीकृत किए गए थे।

(ग) बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मोटाई का प्रावधान

इंडियन रोड कांग्रेस के विर्निदेश 37 के अनुसार, दो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एम.एस.ए.)[37] के ट्रैफिक और सात प्रतिशत के कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात वाली सड़कों के लिए बिटुमिनस कंक्रीट की मोटाई 20 मिमी होगी।

लेखापरीक्षा ने रतलाम संभाग में दो कार्यों[38] में पाया कि कार्यपालन यंत्री ने प्राक्कलन तैयार किया था यद्यपि, इन सड़कों पर यातायात संख्या दो एमएसए थी 20 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट के बजाय 30 मिमी बिटुमिनस कंक्रीट की मोटाई का प्रावधान किया था। इस प्रकार, 20 मिमी के बजाय 30 मिमी की मोटाई में बिटुमिनस कंक्रीट का प्रावधान और कार्यान्वयन ₹ 2.70 करोड़[39] के अतिरिक्त लागत में परिणत हुआ।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि विनिर्देशों/ संहिताओं में 30 मिमी से कम मोटाई की बिटुमिनस कंक्रीट परत का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि आई.आर.सी. के विनिर्देश 37 (2012) की कण्डिका 10.1: बिटुमिनस सरफेसिंग विथ ग्रेन्युलर बेस एण्ड ग्रेन्युलर सब–बेस, के अनुसार दो एम.एस. ए. की ट्रैफिक वाली, चार से 15 प्रतिशत सी.बी.आर. सामग्री के साथ क्रमशः प्लेट 2 से प्लेट 8 पर डिजाइन की हुई सड़कों पर बी.सी. की मोटाई 20 मिमी होगी।

5.2.4 संविदा प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने चयनित 11 लोक निर्माण संभागों में केन्द्रीय सड़क निधि के 40 अनुबन्धों की संवीक्षा की। विनिर्देशों से परे कार्य के कार्यान्वयन, निविदाओं के अनियमित पुरोबंध, कार्यान्वयन में देरी, ठेकेदारों को अदेय लाभ, कार्यों का विनिर्देशों से निम्नतर कार्यान्वयन, इत्यादि से सम्बंधित अनियमितताएं देखी गईं, जिनकी चर्चा कंडिका 5.2.4.1 से 5.2.4.6 में की गई है।

5.2.4.1 मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान

(क) गलत आधार सूचकांकों को अपनाना

अनुबंध की धारा 47 के अनुसार, अनुबंध में दिए गए सिद्धांत, प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार घटकों की दरों में वृद्धि या कमी के लिए अनुबंध मूल्य को समायोजित किया जाएगा।

थोक मूल्य सूचकांक के ''आधार वर्ष'' को अप्रैल 2017 में वर्ष 2004–05 से बदल कर वर्ष 2011–12 कर दिया गया था। थोक मूल्य सूचकांक पर समय श्रृंखला डाटा में निरंतरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक सलाहकार[40] के कार्यालय ने 'लिंकिंग फैक्टर' प्रदान किए ताकि मूल्य सूचकांकों की नई श्रृंखला की तुलना पहले वाले से की जा सके। श्रृंखला का उपयोग अप्रैल 2017 से किया जाना था।

---

37 वाणिज्यिक वाहनों की संख्या जो सड़क के डिजाइन किए गए जीवन काल में इस पर चलेंगे। वाणिज्यिक वाहन वे वाहन हैं जिनका वजन तीन टन से अधिक है।

38 मावता–कालूखेड़ा–धोधर–कलालिया फैंटा रिंगनोद रोड का निर्माण, अनुबंध 01/केंद्रीय सड़क निधि/2018–19 एवं हसनपल्ल्या (राज्य राजमार्ग–31) से सरसी बड़वाड़ा (राज्य राजमार्ग–17) जावरा उज्जैन रोड, अनुबंध 01/सी.आर.एफ./2019–20।

39 ₹ 7,699 प्रति घन मीटर दर से बिटुमिनस कंक्रीट 10.551.75 घन मीटर (मोटाई 30 मिमी) का प्रावधान = ₹ 8,12,37,923।

10,551.75 कम (मोटाई 20 मिमी) = ₹ 8,12,37,923X0.02/0.03 = ₹ 5,41,58,615 प्रदान किया जाना चाहिए। अतिरिक्त लागत ₹ 2,70,79,308।

40 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार संभागों[41] के 12 कार्यों में, जिन्हें अप्रैल 2017 से पहले आवंटित किया गया था, सीमेंट और स्टील घटकों के मूल्य समायोजन की गणना हेतु थोक मूल्य सूचकांक, 2004–05 के बजाय थोक मूल्य सूचकांक, 2011–12 को गलत तरीके से को अपनाने के कारण संबंधित ठेकेदारों को ₹ 12.47 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था जैसा **परिशिष्ट 5.14** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिंकिंग फैक्टर को अनुमोदित कर दिया गया है, ऐसे सभी संविदाओं में भुगतान की गई मूल्य भिन्नता की समीक्षा की जायेगी तथा शासनादेश के अनुसार यथोचित समायोजन किया जायेगा।

(ख) पूर्णता के निर्धारित समय से परे मूल्य समायोजन का अस्वीकार्य भुगतान

अनुबंध की धारा 47.1 के अनुसार, निर्धारित अवधि से परे ठेकेदार पर आरोपित विलम्ब से कार्यान्वित कार्यों के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने होशंगाबाद संभाग में एक कार्य[42] में पाया कि अपेक्षित समापन अवधि, वर्षा ऋतु सहित 24 माह थी, परन्तु कार्य 24 माह की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया था। कार्य में विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था क्योंकि विभाग द्वारा अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने में ठेकेदार की विफलता के कारण अनुबंध को समाप्त (अक्टूबर 2019) किया गया था, प्रदर्शन और पूर्णता समय, इन दोनों ही शर्तों पर ठेकेदार विफल रहा था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि देरी ठेकेदार के कारण थी और उपरोक्त अवधि के लिए मूल्य समायोजन स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, विभाग ने ठेकेदार को कार्य पूर्णता की निर्धारित समय से परे की अवधि के लिए ₹ 68.42 लाख के मूल्य समायोजन का भुगतान किया।

इसी प्रकार, उज्जैन एक कार्य[43] दिनांक 25.03.2020 को 316 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किया गया था। मुख्य अभियंता उज्जैन ने ठेकेदार को पत्र लिखा कि ठेकेदार की ओर से विलम्ब के कारण कार्य को समाप्त किया जा सकता है और ठेकेदार को काली सूची में डाला जा सकता है। इसके अलावा, प्रमुख अभियंता/मुख्य तकनीकी परीक्षक ने भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन (जून 2019) में ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति से क्रियान्वयन के कारण विलम्ब के लिए अर्थदंड लगाने का आदेश दिया था। फिर भी, मुख्य अभियंता द्वारा बिना किसी शास्ति के बिना अन्तिम समय विस्तार (मार्च 2020) दिया गया तथा ठेकेदार को निर्धारित समय से परे किये गये कार्य हेतु ₹ 1.01 करोड़ के मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना शास्ति के समय विस्तार प्रदान किया गया था। अतः अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों को मूल्य भिन्नता दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा शास्ति के बिना समय विस्तार की स्वीकृति स्वयं इन मामलों में अनियमित थी।

(ग) मूल्य समायोजन के लिए बिटुमिन घटक की गलत गणना

अनुबंध की धारा 47 के अनुसार, प्रतिशत घटक सम्पूर्ण अनुबंध के लिए मूल्य समायोजन को नियंत्रित करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र (जून 2014) के अनुसार, यदि सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाता है, तो मूल्य समायोजन की गणना के लिए बिटुमिन घटक को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए,

---

41 रायसेन, रतलाम, उज्जैन और इंदौर–1।

42 बनखेड़ी–उमरधा–मथाई–सांडिया रोड का निर्माण, अनुबंध सं. 05/सी.आर.एफ./2016–17।

43 नागदा–बेरछा–राजलाखेड़ी–असावती रोड का निर्माण, अनुबंध सं. 03/सी.आर.एफ./2017–18।

बल्कि घटक ''अन्य सामग्री'' के तहत जोड़ा जाना चाहिए। घटकवार वेटेज **तालिका 5.5** में दिखाई गई है।

तालिका 5.5: मूल्य समायोजन के लिए प्रतिशत घटक

घटक	प्रतिशत में वेटेज	
	बिटुमिन रोड के लिए	सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए
सीमेंट	5	5
स्टील	5	5
पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक	5	5
संयंत्र एवं मशीनरी	5	5
बिटुमिन	10	0
श्रम	25	25
अन्य सामग्री	45	55
कुल	**100**	**100**

छिंदवाड़ा संभाग[44] में, बिटुमिन को ''अन्य सामग्री'' घटकों (**तालिका 5.5**) में शामिल करने के बजाय ''बिटुमिन घटक'' (10 प्रतिशत) में अलग से शामिल किया गया था, यद्यपि यह एक सीमेंट कंक्रीट सड़क थी। इस प्रकार अनुबंध में घटक को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 57.49 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.15** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने सहमति व्यक्त की (अक्टूबर 2021) कि कार्यों में विभिन्न घटकों (सामग्री) का प्रतिशत सीमेंट कंक्रीट सड़कों में तार्किक खपत के अनुसार रखा जाना चाहिए था। कार्यपालन यंत्री ने अनजाने में बिटुमिनस सड़कों के लिए घटकों का उपयोग किया। तथापि, यह इंगित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, दोनों पक्ष उसके प्रावधानों से बंधे थे। वास्तव में बिटुमिन का जो घटक 10 प्रतिशत दर्शाया गया है उसे 15 प्रतिशत रखा जाना चाहिए था। आगे यह भी कहा गया है कि उक्त अवधि के दौरान सीमेंट की कीमतों में वृद्धि इसी अवधि के दौरान बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि से अधिक है। इसलिए, भले ही शुरू से ही घटकों का उचित बंटवारा किया गया हो, ठेकेदार को अधिक भुगतान किए जाने की संभावना थी। अतः कार्यपालन यंत्री की इस कार्यवाही से शासन को कोई हानि नहीं हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य समायोजन की गणना में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। विभाग का उत्तर घटक की कीमतों में बदलाव के बारे में जान लेने के बाद पूर्वाग्रह पर आधारित है।

5.2.4.2 अनावश्यक मदों का कार्यान्वयन

(क) एप्रोच स्लैब के नीचे लेवलिंग कोर्स का अवांछित प्रावधान एवं कार्यान्वयन, ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाना

सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों की धारा 1701 के अनुसार, संरचनात्मक कंक्रीट के काम में फॉर्म वर्क की फिक्सिंग, अस्थायी कार्य आदि सहित, स्ट्रक्चरल कंक्रीट का उत्पादन, परिवहन, रखाव और कम्पैक्शन शामिल रहेगा। प्रासंगिक निर्माण जिसे एक परिभाषित लाइन और ग्रेड में कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है जैसा कि ड्राइंग में दर्शाया गया है और आगे आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई को कार्यान्वयन का अभिन्न अंग माना जाएगा, जिसे ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना है।

[44] खमारपानी स्वामी लोधीखेड़ा रेमंड चौक रोड, अनुबंध सं.28/एम.डी.आर./2016–17।

लेखापरीक्षा ने छः संभागों[45] में पाया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, ''एप्रोच स्लैब के नीचे एम 15 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग कर लेवेलिंग कोर्स'' की एक अलग मद प्रावधानित की गई थी और 24 केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों में से 18 में भुगतान किया गया था। स्ट्रक्चरल कंक्रीट का हिस्सा होने के कारण ''लेवेलिंग कोर्स'' का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ''लेवेलिंग कोर्स'' को एक अलग मद के रूप में कार्यान्वित करने से ठेकेदार को ₹ 1.04 करोड़ का अदेय लाभ हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.16** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि एम 15 ग्रेड में बेस कंक्रीट हमेशा एप्रोच स्लैब के नीचे प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसलिए, लेवेलिंग कोर्स वास्तव में लेवेलिंग का कोर्स नहीं है, बल्कि एप्रोच स्लैब को सपोर्ट करने के लिए बेस कंक्रीट है। शासन ने आगे कहा कि लेवेलिंग कोर्स के रूप में कंक्रीट एम 15 ग्रेड एप्रोच स्लैब के नीचे संरचनात्मक कंक्रीट का हिस्सा नहीं है इसलिए बी.ओ.क्यू. के अनुसार अलग से भुगतान किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि उत्तर में ही कहा गया है कि हमेशा ही एप्रोच स्लैब के नीचे एम 15 में बेस कंक्रीट की आवश्यकता होती है, इसे एप्रोच स्लैब की मद के लिए प्रासंगिक माना जाता है। इस प्रकार, अलग से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

(ख) बैक फिलिंग का अस्वीकार्य भुगतान

सड़क और पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों की धारा 304.5.1 के अनुसार, पुलों, पुलियों, रिटेनिंग वॉल, हेडवॉल, कटऑफ वॉल, पाईप कलवर्ट तथा सदृश संरचनाओं के निर्माण हेतु नीवं के उत्खनन कार्य में सामग्री को हटाना शामिल रहेगा। कार्य में बैक फिलिंग और कार्यस्थल को साफ करना और सभी अधिशेष सामग्री का निबटान शामिल रहेगा। वांछित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संरचनाओं के उत्खनन के लिए मदों की सम्पूर्ण अनुबंधित इकाई दर पर भुगतान किया जाएगा, जिसमें बैक फिलिंग के लिए पूर्ण मुआवजा, कार्यस्थल को साफ करना और सभी अधिशेष सामग्री को उठाकर 1,000 मीटर की दूरी तक हटाया जाना शामिल है।

मद "सेलेक्टेड ग्रेन्युलर मैटेरियल से एबटमेंट, विंग वॉल और रिटर्न वॉल की बैक फिलिंग" मध्यम/ वृहद पुलों के लिए प्रयोज्य थी, न कि ह्यूम पाइप पुलियों के लिए, क्योंकि इनमें ऊपर की दीवारों और सामने की दीवारों को छोड़कर न तो एबटमेंट और न ही रिटर्न–विंग वॉल होती हैं।

लेखापरीक्षा ने सात संभागों[46] के 21 कार्यों में पाया कि विनिर्देशों के प्रावधान के विपरीत, बैक फिलिंग की मद प्रदान की गई थी और एबटमेंट और विंग वॉल के पीछे भरने में कार्यान्वित दिखाया गया था। यह मद केवल मध्यम/ वृहद पुलों के लिए प्रयोज्य थी, न कि ह्यूम पाइप पुलियों के लिए, जबकि ह्यूम पाइप पुलियों के लिए, यह मद कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग था और कार्य के लिए प्रासंगिक था। उपरोक्त प्रकरणों में, इसे अलग से भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.02 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.17** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि एबटमेंट, विंग वॉल और रिटर्न वॉल की बैक फिलिंग के लिए किया गया भुगतान विनिर्देशों के अनुरूप था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त मद को एक अलग मद के रूप में प्राक्कलन में शामिल करना विनिर्देशों के अनुरूप नहीं था और देय नहीं था।

---

45 बैतूल, इंदौर संभाग क. 1 व 2, रायसेन, रतलाम और उज्जैन।

46 रायसेन, रतलाम, उज्जैन, इन्दौर संभाग क्र. 1 एवं 2, बैतूल एवं छिंदवाड़ा।

5.2.4.3 विनिर्देशों से विचलन

(क) पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट स्लैब का विनिर्देशों से निम्नतर कार्यान्वयन

इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विर्निदेश–58 (2015) के प्रावधानों की कण्डिका 7.1.3 के अनुसार, संकुचन जोड़ अनुप्रस्थ जोड़ होते हैं जो कंक्रीट के फुटपाथों में तन्य तनाव से राहत देते हैं। रात के समय ऊपर से नीचे की ओर दरार को रोकने के लिए संकुचन जोड़ों की दूरी 4.5 मीटर तक सीमित होनी चाहिए। आगे, कण्डिका 7.2.6 पेवमेंट गुणवत्ता कंक्रीट स्लैब[47] में उपयोग किए जाने वाले डॉवेल बार के व्यास और लंबाई की अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा ने रायसेन एवं अशोकनगर संभागों में पाया कि डॉवेल बार 4.5 मीटर के स्थान पर 32 मीटर के अन्तराल पर प्रत्येक विस्तार जोड़ पर प्रावधानित एवं कार्यान्वित किये गये थे, जो कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विर्निदेश–58 (2015) के प्रावधानों के विरूद्ध था। इसके परिणामस्वरूप तीन कार्यों[48] में पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट जिसकी राशि ₹ 76.01 करोड़ थी, का अवमानक कार्यान्वयन हुआ।

ग्वालियर संभाग[49] में 12.96 किमी की सड़क में 250 मिमी स्लैब मोटाई के पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट (एम 40) का निर्माण 32 मिमी व्यास के डॉवेल बार को बिछाए बिना किया गया था जो कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विर्निदेश–58 (2015) के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.31 करोड़[50] की राशि के कार्य में सीमेंट कंक्रीट पेवमेण्ट का अवमानक कार्यान्वयन हुआ।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि इंडियन रोड कांग्रेस की विर्निदेश–58 (2015) के अनुसार ऐसी सड़कों पर जहां प्रतिदिन 450 से अधिक वाणिज्यिक वाहन यातायात करते हैं, वहां डॉवेल बार प्रदान किए जाने हैं। इस प्रावधान के बारे में कुछ भ्रम है कि क्या प्रतिदिन 450 वाणिज्यिक वाहन को प्रारंभिक यातायात लिया जाना है या 30 वर्षों के पश्चात् संभावित यातायात के रूप में। उत्तर, हांलाकि (अ) 4.5 मीटर के बजाय 32 मीटर पर डॉवेल बार के प्रावधान और (ब) बिना डॉवेल बार बिछाए 12.96 किमी सड़क के कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप इन दो मामलो में अवमानक कार्यों का कार्यान्वयन हुआ, के संबंध में मौन है।

47

स्लैब की मोटाई (मि.मी.)	डॉवेल बार का व्यास (मि.मी)	लंबाई (मि.मी.)	रिक्ति (मि.मी.)
250	32	450	300
280	36	450	300
300	38	500	300

48

संभाग का नाम	अनुबंध संख्या	पीक्यूसी की कार्यान्वित मात्रा (घ.मी. में)	दर	राशि (₹ करोड़ में)
रायसेन	03/सी.आर.एफ./2017–18	21116.70	5555	11.73
रायसेन	02/सी.आर.एफ./2017–18	43024.50	5600	24.09
अशोकनगर	04/सी.आर.एफ./2015–16	83468.18	4816	40.19
कुल				**76.01**

49 शिवपुरी लूप–शीतला माता–चिनौर–डबरा रोड का निर्माण।

50 ₹ 5,250 की दर से एम 40 की मात्रा 17734.398 घन मीटर = ₹ 9,31,05,590।

(ख) विनिर्देशों के विपरीत कार्यान्वयन

इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विर्निदेश–37 के कण्डिका 5.1 के अनुसार, यदि फुटपाथ संरचना में नमी के संचय को रोकने के लिए आवश्यक पर्याप्त जल निकासी उपायों (अर्थात सतह और उप–सतही नालियों[51]) को नहीं किया जाता है तो फुटपाथ की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

इंदौर–1 एवं रतलाम संभागों में आठ केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों में जल निकासी परत[52] सड़क की पूरी लंबाई तक प्रदान की गई थी लेकिन सतही नाली का न तो प्रावधान किया गया था और न ही कार्यान्वयन किया गया था। नालियों के अभाव में सड़कों पर जलजमाव हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उपरी सतह और सड़क का क्रस्ट भी समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार, जल निकासी परत प्रदान करने का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 146.76 करोड़ की राशि के कार्य का अवमानक कार्यान्वयन हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.18** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सतही जल निकासी का प्रावधान फुटपाथ में जल निकासी परत से संबंधित नहीं है। सतही प्रवाह के लिए आवश्यकतानुसार साइट ड्रेन का प्रावधान किया जाता है। ढलानवाली सतहों पर नालियों का प्रावधान किया जा सकता हैं इससे उन्हें स्वतः सफाई की सुविधा मिलती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनिर्देश केवल ढलानवाली सतहों के लिए सतही नालियों के निर्माण को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, और अन्य संभागों में सभी कार्यों में सतही नाली का प्रावधान किया गया था।

(ग) वेट मिक्स मैकेडम का अवमानक कार्यान्वयन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क और पुल कार्यों के विनिर्देशों की धारा 406.1 के अनुसार, वेट मिक्स मैकेडम को एक या अधिक परतों में, आवश्यकतानुसार, लाइनों, ग्रेड और क्रॉस–सेक्शन में बिछाया जाना चाहिए। प्रभारी यंत्री के अनुमोदन से एकल संकुचित परत की मोटाई 75 मिमी से कम एवं 200 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अशोकनगर संभाग[53] में चेनेज 12,900 मी से 17,520 मी तक को छोड़कर, सड़क की लंबाई के पूरे बिटुमिन के हिस्से में कई परतों के बजाय, वेट मिक्स मैकेडम की 250 मिमी की एकल परत का प्रावधान किया गया था और तदनुसार वेट मिक्स मैकेडम बिछाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़[54] का अवमानक कार्य हुआ क्योंकि वेट मिक्स मैकेडम का कार्यान्वयन विनिर्देशों के प्रावधान की पुष्टि नहीं कर रहा था। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए यथोचित संघनन को प्रदान करने के लिए एक या अधिक परतों का प्रावधान शामिल किया गया है। यथोचित संघनन के अभाव में समय से पहले क्रस्ट के खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

51 सतही जल निकासी भूमि की सतह से अतिरिक्त पानी को हटाना है। यह सामान्य रूप से होता है, या केशिका वृद्धि के कारण फुटपाथ के नीचे से होने की संभावना है।

52 एक जल निकासी परत पेवमेण्ट की संरचना में एक परत है जिसे विशेष रूप से पेवमेण्ट संरचना से पानी के क्षैतिज जल निकासी के लिए डिजाइन किया जाता है। परत को पेवमेण्ट का एक संरचनात्मक घटक भी माना जाता है और यह आधार या सबबेस के हिस्से के रूप में काम करेगा।

53 अशोकनगर, नई सराय से मोहना रोड का निर्माण (अगस्त 01/केंद्रीय सड़क निधि/2017–18।

54 वेट मिक्स मैकेडम की 13,014 घन मीटर मात्र ₹ 1,066 की दर से।

आगे, यह पाया गया कि इंडियन रोड कांग्रेस और एम.ओ.आर.टी.एच के विर्निदेश[55], 24 घंटे के बजाय, सड़क पर वेट मिक्स मैकेडम कोर्स को सात दिनों से 88 दिनों के अंतराल के बाद अगले बिटुमिनस ओवरले कोर्स द्वारा कवर किया गया था। इस प्रकार, इतनी देरी से वाटर मिक्स मैकेडम को कवर करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1.38 करोड़ के कार्य का अवमानक कार्यान्वयन हुआ, बल्कि इसके कारण, समय से पहले क्रस्ट के खराब होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि परतें दो बार बिछाई गई थीं, हांलाकि प्रारंभिक और अंतिम लेवल के आधार पर माप एक बार ली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अलग–अलग परतों के माप के अभाव में, एक समुचित संघनन को सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

(घ) क्रशर रन मैकेडम के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त व्यय

इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी विर्निदेश–37 की कण्डिका 4.2.1.1 के अनुसार ग्रैन्यूलर, सब–बेस मैटेरियल में प्राकृतिक रेत, मुरूम, बजरी, लेटराइट, कंकर, ईंट के टुकड़े, कुचल पत्थर, चूर्णित लावा, चूर्णित कंक्रीट या उनका संयोजन शामिल है। आगे, कंडिका 4.2.1.2 में यह प्रावधान है कि जहां उपरोक्त विर्निदेश के अनुरूप ग्रैन्यूलर सब–बेस मैटेरियल किफायती तौर पर उपलब्ध नहीं है, वहां एम.ओ.आर.टी.एच की धारा 401 के अनुरूप ग्रैन्यूलर सब–बेस, जैसे वाटर बाउंड मैकेडम अथवा वेट मिक्स्ड मैकेडम जो स्थानीय रूप से उपलब्ध अथवा किफायती हैं, अनुशंसित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाँच संभागों[56] में नौ कार्यों में पाया कि सब–बेस मैटेरियल के रूप में सब–बेस (ग्रेड–I) के बजाय, प्राक्कलनों में क्रशर रन मैकेडम की महंगी मद प्रावधानित और कार्यान्वित की गई थी। क्रशर रन मैकेडम के उपयोग की तुलना में अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध ग्रेन्युलर सब–बेस मैटेरियल की अनुपलब्धता का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था। ग्रैनुलर सब–बेस और क्रशर रन मैकेडम की तुलना करने पर पता चला कि ₹ 3.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.19** में वर्णित है।

आगे, इंदौर–1[57] एवं इंदौर–2[58] संभागों में, प्रमुख अभियंता के निर्देशों (मई 2015) कि क्रशर रन मैकेडम मैटेरियल से सब–बेस के कार्य में अधिकतम एग्रीगेट साईज 37.5 मिमी हो, के विपरीत, क्रशर रन मैकेडम का कार्य 53 मिमी के अधिकतम एग्रीगेट साईज के साथ कार्यान्वित किया गया, जिसके लिए क्रमशः ₹ 3.64 करोड़ तथा ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इसी प्रकार, होशंगाबाद संभाग में, एक सड़क[59] पर क्रशर रन मैकेडम (लंबाई 4860 मीटर, चौड़ाई 5.9 मीटर और मोटाई 100 मिमी) को अप्रैल 2020 में कार्यान्वित किया गया था और ड्राई लीन कंक्रीट की अगली परत को छः महीने के अंतराल के बाद कार्यान्वित किया गया था, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी

55 इंडियन रोड कांग्रेस,109 की कण्डिका 4.8 एवं 5 और एम.ओ.आर.टी.एच की धारा 406.3.6 और 406.4 के प्रावधानों के अनुसार, वेट मिक्स मैकेडम कोर्स के अंतिम संघनन के बाद, सड़क को 24 घंटे तक सूखने दिया जाना चाहिए और तैयार वेट मिक्स मैकेडम सतहों पर किसी भी वाहन के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके तुरंत बाद, यातायात को खोलने से पहले अगले बिटुमिनस बेस या सरफेसिंग की आवश्यकता होती है।

56 अशोकनगर, बैतूल, इंदौर संभाग 1 व 2, रतलाम।

57 अनुबंध क्रमांक 03/केंद्रीय सड़क निधि/2015–16।

58 अनुबंध क्रमांक 04/केंद्रीय सड़क निधि/2017–18।

59 बंखेड़ी–उमरधा–मथाई–सांडिया रोड के लिए 26वें रनिंग एकाउंट बिल तक ₹ 920 प्रति घन मीटर की दर से 2870.40 घन मीटर।

सड़क और पुलों की विनिर्देशों की धारा 407.4[60] के विरुद्ध था। चुंकि इस पूरी अवधि के दौरान सड़क पर यातायात बंद नहीं था, क्रशर रन मैकेडम पर यातायात जारी रहा जिससे सड़क के क्षतिग्रस्त होने के संभावना बढ़ी।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि विभाग में पूर्व में सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग में लाई जा रही ग्रेन्युलर सब–बेस मैटेरियल अधिकांश प्रकरणों में उपयुक्त नहीं पाई गई। भारतीय परिस्थितियों में विभाग द्वारा ग्रेन्युलर सब–बेस, यानी क्रशर रन मैकेडम के लिए केवल चूर्णित सामग्री का उपयोग करने के लिए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त में से किसी भी मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उपयुक्त ग्रेन्युलर सब–बेस मैटेरियल की अनुपलब्धता का उल्लेख नहीं किया गया था।

5.2.4.4 ड्राई लीन कंक्रीट की अधिक मात्रा का कार्यान्वयन

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क और पुल कार्यों की विनिर्देशों की धारा 601.6.4 में प्रावधान है कि "ड्राई लीन कंक्रीट इस तरह से बिछाई जाएगी कि यह प्रत्येक तरफ कंक्रीट पेवमेण्ट के पेव्ड शोल्डर सहित प्रस्तावित चौड़ाई से कम से कम 750 मिमी अधिक हो। वास्तविक चौड़ीकरण पेवर की विनिर्देशों के आधार पर तय किया जाएगा, ताकि क्रॉउलर ड्राई लीन कंक्रीट पर चल सके, और अतिरिक्त चौड़ाई की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

हांलाकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 20 कार्यों में, पेवर मशीन को सुकार्यता प्रदान करने के बहाने ड्राई लीन कंक्रीट की अतिरिक्त कार्यान्वित चौड़ाई[61] के लिए ठेकेदारों को ₹ 16.54 करोड़ (**परिशिष्ट 5.20**) का भुगतान किया गया था। यह विनिर्देशों के विरूद्ध था क्योंकि स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित किया गया है कि अतिरिक्त चौड़ाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, और इसका खर्च ठेकेदार के द्वारा वहन किया जावेगा।

आगे, 20 कार्यों में से, अशोकनगर संभाग[62] में एक कार्य में, ड्राई लीन कंक्रीट की प्रारंभिक माप, मापपुस्तिका में 5500 मिमी चौड़ाई के रूप में दर्ज की गई थी, और तदनुसार भुगतान किया गया था। हालांकि, अंतिम भुगतान के समय, सभी चेनेज को ड्राई लीन कंक्रीट की 6500 मिमी चौड़ाई में बदल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 1000 मिमी चौड़ाई के लिए ₹ 1.81 करोड़[63] का परिहार्य भुगतान हुआ।

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क और पुल निर्माण पेवमेंट विनिर्देशों की धारा 602.16.1 और 601.12 के अनुसार, ड्राई लीन कंक्रीट सब–बेस और पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट के लिए देय अनुबंध इकाई दर वांछित कार्यों तथा प्रासंगिक मदों, जैसे ट्रायल लेन्थ का कार्यान्वयन, को विनिर्देशों के अनुसार पूरा करने के लिए होगी। इस प्रकार, ड्राई लीन कंक्रीट और पेवमेण्ट क्वालिटी कंक्रीट के मद में ट्रायल लेन्थ के कार्यान्वयन की दर शामिल है।

---

60 तैयार क्रशर रन मैकेडम सतह पर किसी भी वाहन यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्माण उपकरण की अनुमति इंजीनियर के अनुमोदन से दी जा सकती है।

61 अतिरिक्त चौड़ाई का अर्थ है पेवमेण्ट और पेव्ड शोल्डर्स के ऊपर और सड़क के दोनों ओर 750 मिमी तक की चौड़ाई।

62 वाजिदपुर–शदोरा–नई सराय–मियाना रोड का कार्य।

63 6,500 मिमी चौड़ाई में ड्राई लीन कंक्रीट की कुल मात्रा=39,305.72 घनमीटर और 1,000 मिमी चौड़ाई में ड्राई लीन कंक्रीट की कुल मात्रा = 39,305.72 घनमीटर /6500 × 1000 = 6,047.03 घनमीटर। ₹ 3,000 प्रति घनमीटर की दर से 6,047.03 घनमीटर की लागत = ₹ 1,81,41,090।

आगे, धारा 601.8.1 के अनुसार, ट्रायल लेंथ का कार्यान्वयन ड्राई लीन कंक्रीट के लिए काम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले और पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट के लिए 30 दिन पहले किया जाएगा। यंत्री, ट्रायल लेंथ की जगह और लंबाई जो कि कम से कम 100 मीटर होगी, का भी अनुमोदन करेगा, पेवमेंट सम्पूर्ण चौड़ाई पर दो दिनों में बिछानी होगी। ट्रायल लेन्थ का कार्यान्वयन मुख्य कार्य के बाहर रहेगा। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 4.017 प्रावधानित करती है कि माप पुस्तिका कार्यान्वित कार्य की मात्राओं के सम्पूर्ण लेखाजोखा का आधार होगी और इसमें तथ्यों का ऐसा पूरा ब्यौरा होना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष एक निर्णायक साक्ष्य हो।

लेखापरीक्षा ने 28 सड़क निमार्ण कार्यों की माप पुस्तिकाओं की जाँच के दौरान पाया कि किसी भी कार्य के लिए किसी प्रकार के ट्रायल लेन्थ का कार्यान्वयन नहीं किया गया था। यह न केवल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों के विपरीत था, अपितु 40 कार्यों में से 28 कार्यों में ठेकेदारों को ₹ 2.55 करोड़ का अदेय लाभ भी दिया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 5.21** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ड्राई लीन कंक्रीट का निर्माण मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था तथा अधिक भुगतान यदि कोई हुआ हो, की वसूली की जायेगी। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया था कि ट्रायल लेन्थ की माप को माप पुस्तिकाओं में दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है। अशोकनगर के प्रकरण में ड्राई लीन कंक्रीट का कार्यान्वयन 6500 मिमी की चौड़ाई में किया गया था, और अंतिम देयक के समय वास्तविक रूप से कार्यान्वयन इसी चौड़ाई को गणना में लिया गया था और तदनुसार भुगतान किया गया था। इसलिए अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न ही नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.आर.टी.एच द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों के विरूद्ध निर्देश जारी करना अनियमित था। साथ ही, ट्रायल लेन्थ सम्पूर्ण सड़क के लिए एक मानदण्ड के रूप में कार्य करती है। मापों की अनुपस्थिति में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आगे, अशोकनगर के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को दिखाई गई माप पुस्तिका में 5500 मिमी में ड्राई लीन कंक्रीट के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण सड़क पर माप उप–अभियंता द्वारा दर्ज, अनुमंडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया था एवं ठेकेदार द्वारा सहमति दी गयी थी। इसके अलावा, माप पुस्तिका में उक्त मद के कार्यान्वयन को 6500 मिमी में दर्शाने वाली अतिरिक्त शीट डालकर ठेकेदार को अंतिम भुगतान किया गया था।

5.2.4.5 कार्यान्वयन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 संभागों में 40 केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों में से 21 कार्य प्रगति पर थे और 19 कार्य पूर्ण किए गए थे, जिनमें से छः कार्य समय पर पूर्ण किए गए थे और 13 कार्य 193 से 500 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किए गए थे। चल रहे 21 कार्यों में से 11 कार्य समयानुसार चल रहे हैं और शेष 10 कार्य 422 से 822 दिनों के बीच विलंबित हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 5.22** में वर्णित है। इस प्रकार, ₹ 679.98 करोड़ के अनुबंध मूल्य के पूर्ण हो चुके कार्यों में से लगभग 68 प्रतिशत और ₹ 446.04 करोड़ के अनुबंध मूल्य के 43 प्रतिशत चल रहे कार्यों में देरी हुई। ठेकेदारों के अनुसार देरी के मुख्य कारणों में युटिलिटी सर्विसेज का विस्थापन, कृषि सम्बंधी गतिविधियॉं, सड़क सामग्री की अनुपलब्धता, खनन की अनुमति, इत्यादि शामिल हैं। अनुबंधों के संदर्भ में, ऐसे सभी कारण ठेकेदारों के जोखिम का हिस्सा थे क्योंकि उन्हें जल एवं सड़क सामग्री इत्यादि की उपलब्धता सहित कार्यस्थलों की स्थिति के बारे में जानकारी होना स्वभाविक था।

केन्द्रीय सड़क निधि नियम, 2014 के नियम 7(4) के साथ पठित नियम 6(5)(xiii) के अनुसार स्वीकृत कार्य प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से चार माह के भीतर आवंटित कर दिया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कार्य की स्वीकृति समाप्त समझी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार संभागों में 18 कार्यों[64] में से नौ कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की तिथि से चार महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित नहीं किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 5.23** में वर्णित है। आगे, यह भी पाया गया कि इन नौ कार्यों में से दो कार्य समय पर पूरे कर लिए गए हैं और पाँच कार्य जारी हैं जबकि दो कार्य 540 और 662 दिनों के विलंब से पूरे किए गए थे।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सड़क कार्यों में देरी कई कार्यस्थल विशिष्ट अप्रत्याशित कारणों से होती है जो सामान्यतः विभागीय प्राधिकारियों के नियंत्रण में नहीं होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में देरी के कारणों की जाँच करनी चाहिए थी ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये जा सकते।

5.2.4.6 अनिवार्य कटौतियां

(क) मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न किया जाना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (अप्रैल 2011) के अनुसार, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के भाग तीन की धारा 51.1 में संशोधन किया गया और अनुबंध के साथ संलग्न किया गया, ठेकेदार के द्वारा बिना शर्त नियोक्ता को स्वीकार्य प्रारूप में अग्रिम की राशि की कम से कम 110 प्रतिशत राशि और मुद्रा की एक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध डाटा में बताई गई राशि के अग्रिम का भुगतान करेगा। मोबिलाइजेशन अग्रिम को त्रैमासिक रूप से संयोज्य 10 प्रतिशत की ब्याज दर वाला अग्रिम माना जाएगा।

अशोकनगर संभाग में ठेकेदार को ₹ 6.96 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान (सितम्बर एवं नवम्बर 2017) किया गया था। यद्यपि मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर 10 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर से ₹ 1.23 करोड़ की ठेकेदारों से वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अदेय वित्तीय सहायता तथा ठेकेदार को ₹ 1.23 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.24** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली कार्य के अगले देयकों से की जायेगी।

(ख) ठेकेदारों से रॉयल्टी की कम कटौती

लोक निर्माण विभाग में लागू दर–अनुसूची और अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार, किसी कार्य में कार्यान्वित की जाने वाली मद की दर में रॉयल्टी चार्ज शामिल है। साथ ही, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68(1) एवं मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (फरवरी 2003) के आदेशानुसार ठेकेदारों के अन्तिम देयक का भुगतान खनिज विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा, अन्यथा, देयकों से रायल्टी काटी जायेगी और खनन शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

---

[64] छिंदवाड़ा, इंदौर–1 और 2 और रतलाम।

लेखापरीक्षा ने छः संभागों में 10 अनुबन्धों[65] में पाया कि कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों की रायल्टी में ₹ 3.30 करोड़ की कम कटौती की गई थी जैसा कि **परिशिष्ट 5.25** में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त, ₹ 9.80 करोड़ की रॉयल्टी की कटौती की गई राशि में से ₹ 7.87 करोड़ को सम्बंधित राजस्व शीर्ष में जमा करने के बजाय सिविल डिपॉजिट शीर्ष में रखा गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि शासन के हितार्थ रायल्टी की राशि को खनन विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक संबंधित संभागों द्वारा डिपॉजिट में रखे जाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। विभाग का मत है कि रायल्टी की गणना संघनित मात्रा पर की जानी चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। विभाग ठेकेदार को अंतिम भुगतान से पूर्व कार्य में उपभोग किये गये खनिजों के विरूद्ध शासकीय खातों में रायल्टी शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, रॉयल्टी की गणना, कार्य में उनके उपभोग से पहले साइट पर लाए गए खनिजों की मात्रा पर की जानी चाहिए।

(ग) सुरक्षा अग्रिम प्रदान करने में अनियमितता

अनुबंध की धारा 51.4 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा संबंधित कार्य में उपयोग के लिए कार्यस्थल पर लाई गई अविनाशी सामग्री पर सुरक्षा अग्रिम का भुगतान किया जाना चाहिए। अग्रिम का भुगतान देयक में उल्लेखित राशि के 75 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार संभागों के 12 कार्यों[66] में, ठेकेदार को सीमेंट, रेत, मेटल इत्यादि जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की खरीद के लिए ₹ 37.01 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसे ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 5.26** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि अनुबंध के अनुसार निर्माण स्थलों पर लाई गई अविनाशी सामग्री पर सुरक्षा अग्रिम का प्रावधान है। तदनुसार, प्रभागों ने सुरक्षा अग्रिम का भुगतान किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इंगित किए गए मामलों में खराब होने वाली सामग्री के लिए सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया था।

5.2.5 गुणवत्ता आश्वासन और अनुश्रवण तंत्र

सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और टिकाऊ राष्ट्रीय संपत्ति निर्मित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावशीलता का विश्लेषण प्रयोज्य मानदंडों के संदर्भ में किया गया था। दुर्बल गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र के दृष्टांतो पर कंडिका 5.2.5.1 से 5.2.5.6 में चर्चा की गई है।

5.2.5.1 वांछित संख्या में परीक्षण एन.ए.बी.एल. से करवाने में विफलता

मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (सितंबर 2013 और जनवरी 2016) ने प्रावधानित किया कि जिन कार्यों का मूल्य ₹ 50 लाख से अधिक है, उनके लिए निर्धारित परीक्षणों में से कम से कम 20 प्रतिशत का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और

---

65 बैतूल, छिंदवाड़ा, इंदौर–1, रायसेन, सतना और उज्जैन।

66 अशोकनगर, होशंगाबाद, रतलाम और उज्जैन।

अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड अथवा जोन के स्तर पर विभागीय प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसे परीक्षण पर होने वाले खर्च की वसूली ठेकेदारों से की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार संभागों के नौ कार्यों[67] में, उपयोग की गई सामग्री (स्टील और सीमेंट) की ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोड से वांछित आवृत्ति के अनुसार परीक्षण नहीं करवाये गये थे, जैसा कि **परिशिष्ट 5.27** में वर्णित है। अनिवार्य गुणवत्ता जाँच के अभाव में अवमानक कार्यों के कार्यान्वयन से इंकार नहीं किया जा सकता था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से आवश्यक परीक्षण आवृत्ति के अनुसार किए गए थे। प्रतिवेदन की पुष्टि संभागीय अभिलेखों से की जा सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड/विभागीय प्रयोगशालाओं के परीक्षण प्रतिवेदन न तो लेखापरीक्षा को दिखाये गये और न ही माप पुस्तिकाओं में दर्ज किये गये थे।

5.2.5.2 क्रशर रन मैकेडम का प्लास्टिसिटी टेस्ट न किया जाना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क और पुल कार्यों की विनिर्देशों की धारा 903.2.1 के अनुसार, क्रशर रन मैकेडम के कार्य में उत्कृष्ट पारगम्यता प्राप्त करने के लिए जल निकासी परत के तौर पर उपयोग में ली जाने वाली सामग्री में प्लास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने छः संभागों के 13 कार्यों[68] में पाया कि क्रशर रन मैकेडम मद के लिए ₹ 37.31 करोड़ का भुगतान प्लास्टिसिटी इंडेक्स टेस्ट किए बिना किया गया था, जबकि 40 कार्यों में से 27 में क्रशर रन मैकेडम का प्लास्टिसिटी टेस्ट किया गया था। इस प्रकार, क्रशर रन मैकेडम सामग्री के प्लास्टिसिटी टेस्ट के अभाव में, कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि नहीं की जा सकती और ड्राई लीन कंक्रीट और पेवमेण्ट क्वालिटी कंक्रीट के ओवरले कोर्स की समयपूर्व विफलता से इंकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि **परिशिष्ट 5.28** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि प्लास्टिसिटी की जॉच मिट्टी के महीन कणों <0.425 मिमी की प्रकृति जॉचने का एक बुनियादी उपाय है। कार्यस्थल पर ऐसा ही किया गया था। प्रभारी यंत्री बिना किसी प्रयोगशाला के यह परीक्षण कर सकता है, इसलिए इसे कार्यस्थल पर किया जाता है और तदनुसार कार्य कार्यान्वित किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल पर किए गए प्लास्टिसिटी टेस्ट के परिणाम कार्य विभाग नियमावली की कण्डिका 4.017 के प्रावधानों के अनुसार माप पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं पाए गए थे।

5.2.5.3 परीक्षण परिणाम और देयकों के बिना ह्यूम पाइप का उपयोग

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर–अनुसूची के अध्याय 13 के नोट 7 के अनुसार, सब–स्ट्रक्चर, ह्यूम पाइप्स आईएसआई चिह्नित या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित होंगे। कार्यस्थल पर पाइप को लगाये जाने से पहले अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रभारी यंत्री को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

---

67 बैतूल, इंदौर–1, रतलाम और सतना।

68 बैतूल, इंदौर–1 और 2, रायसेन, रतलाम और सतना।

लेखापरीक्षा ने पाँच लोक निर्माण संभागों[69] में 13 कार्यों में पाया कि ठेकेदार ने ₹ 8.30 करोड़ के ह्यूम पाइप एनपी4/प्री–स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप के कार्य का कार्यान्वयन किया था। न तो ठेकेदारों द्वारा ह्यूम पाइपों की खरीद के मूल देयक विभाग को प्रस्तुत किए गए थे, न ही कार्यों में उनके उपयोग से पहले ह्यूम पाइप्स के परीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 5.29** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि ह्यूम पाइप्स के परीक्षण प्रतिवेदन एवं देयक संभागीय अभिलेखों में उपलब्ध हैं, उनकी लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की जा सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परीक्षण प्रतिवेदन और देयक न तो लेखापरीक्षा को दिखाए गए थे और न ही निर्माण विभाग नियमावली के कंडिका 4.017 के अनुसार माप पुस्तिकाओ में दर्ज पाए गए थे।

5.2.5.4 परीक्षण किए बगैर उत्खनित मिट्टी का अस्वीकरण

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़क और सेतु कार्यों की विनिर्देशों की धारा 301.3.11 में कहा गया है कि उत्खनित सामग्री का उपयोग एम्बैंकमेण्ट के लिए किया जाना चाहिए और सिर्फ उत्खनित सामग्री की अनुपयुक्तता की स्थिति में बाहर से लाई गई सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे, इसका निश्चय उत्खनित सामग्री की उपयुक्तता के संबंध में किये गये परीक्षणों से ही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने चार संभागों[70] में आठ कार्यों में पाया कि 10,14,558 घन मीटर मिट्टी उत्खनित की गई थी, जिसमें से 5,97,043 घन मीटर का उपयोग एम्बैंकमेण्ट में किया गया था। आगे, शेष मात्रा के लिए, एम्बैंकमेण्ट के निर्माण हेतु बाहर से लाई गई मिट्टी का एक अन्य मद भी प्राक्कलनों में प्रावधानित था। मिट्टी के अनुपयुक्त होने की जानकारी देते कोई परीक्षण परिणाम उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, मिट्टी की कैलीफोर्निया बियरिंग अनुपात का परीक्षण किए बिना 4,17,515 घन मीटर उत्खनित मिट्टी का एम्बैंकमेण्ट के लिए उपयोग न करना ₹ 4.01 करोड़ के अतिरिक्त परिहार्य व्यय में परिणत हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 5.30** में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि एम.ओ.आर.टी.एच की विर्निदेश प्रावधानित करती है कि सड़क की कटाई तथा नालियों एवं संरचनाओं की खुदाई से प्राप्त सामग्री को एम्बैंकमेण्ट के निर्माण के लिए उपयोग/प्रयोग किया जा सकता है। उज्जैन और रतलाम की सड़क का संरेखण काली कपास की मिट्टी से होकर गुजरता है और इस सड़क का निर्माण लगभग बीस साल पहले पाँच से अधिक कैलिफोर्निया बियरिंग अनुपात वाली मिट्टी से किया गया था। हांलाकि, यह सड़क रिजिड पेवमेण्ट के रूप में निर्मित किये जाने के लिए प्रस्तावित थी, और न्यूनतम आठ सीबीआर वांछित है। और आगे, क्रस्ट संरचना के अनुसार 500 मिमी सबग्रेड के अलावा 470 मिमी क्रस्ट भी प्रदान करने की आवश्यकता थी। यदि सड़क काटने से प्राप्त पूरी सामग्री का उपयोग एम्बैंकमेण्ट निर्माण में किया जाता तो यह बहुत उँचे एम्बैंकमेण्ट में परिणामित होता, इसलिए सड़क काटने से प्राप्त अनुपयुक्त सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था।

शासन ने इंदौर 1 एवं 2 संभागों की सड़कों के संबंध में आगे कहा कि उत्खनित सामग्री स्पष्ट रूप से काली कपास की मिट्टी थी, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया गया था।

[69] बैतूल, इंदौर संभाग 1, रायसेन, रतलाम और सतना।
[70] इंदौर संभाग 1 व 2, रायसेन, रतलाम और सतना।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिट्टी की उपयुक्तता केवल परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित की जा सकती है।

5.2.5.5 सड़क का संयुक्त भौतिक निरीक्षण

आगरा–मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग–3 से कलमा–भटूनी–कैथा पहुँच मार्ग का दृश्य

कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन यंत्री उज्जैन एवं बैतूल के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किये गये। उज्जैन संभाग में (आगरा–मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग–3 से कलमा–भटूनी–कैथा पहुँच मार्ग के कार्य के लिए) पाया गया कि जॉयण्ट कटिंग के साथ कंक्रीट पेवमेण्ट के जॉयण्टस् को सील करने और सड़क कार्य की फिनिशिंग का कार्य इंडियन रोड कांग्रेस, स्पेशल पब्लिकेशन–57[71] के अनुसार ठीक नहीं था और कुछ स्थानों पर निर्मित पेवमेण्ट क्वालिटी कंक्रीट की ऊपरी सतह पर संकुचन दरारें पाई गईं।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि निर्माण के दौरान, कुछ स्थानों पर परिष्करण और सिकुड़न दरारें आ गई थीं उन्हें विनिर्देशों के अनुसार ठीक कर सुधार दिया गया है।

5.2.5.6 अनुश्रवण में कमी

केंद्रीय सड़क निधि नियम, 2014 के नियम 9 (2) के अनुसार, भारत सरकार एक अधिकारी या संस्था को कार्य के कार्यान्वयन के दौरान प्रत्येक तिमाही में कार्यों का निरीक्षण करने और ऐसे कदम, जो कि समय सारिणी के पालन और उपयुक्त क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हों, उठाने के लिए एक स्वतंत्र गुणवत्ता अनुश्रवक के रूप में नियुक्त करेगी। आगे, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश (अप्रैल 2011) के अनुसार, यह निर्धारित किया गया था कि ₹ तीन करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए, अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता प्रत्येक माह में क्रमशः दो एवं एक बार निरीक्षण करेंगे।

ग्यारह संभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2017–2020 के दौरान अधीक्षण यंत्री द्वारा 2772, मुख्य अभियंता द्वारा 1403 और क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा 123 निरीक्षण कम किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 5.31** में उल्लिखित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अक्टूबर 2021) कि अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, मुख्य तकनीकी अधिकारी एवं प्रमुख अभियंता द्वारा निरीक्षण किये गये थे लेकिन कई प्रकरणों में निरीक्षण नोट निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये थे। सामान्यतः निरीक्षण नोट तब जारी किए जाते हैं जब त्रुटियों को दूर करने अथवा कार्यों में उन्नति हेतु सुधार के उद्देश्य से कुछ अभिमत दिए जाते है। अतः यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि निरीक्षणों की संख्या जारी किये गए निरीक्षण नोटों की संख्या के समान थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 1.090 प्रावधानित करती है कि अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता, दौरा पूर्ण होते ही निरीक्षण नोट जारी करेंगे। इसप्रकार, विभाग का अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त नहीं है।

---

[71] सड़कों के लिए गुणवत्ता प्रणालियों पर दिशानिर्देश।

5.2.6 निष्कर्ष

योजना एवं प्राक्कलनों का निर्माण, संविदा प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन एवं अनुश्रवण में कई कमियां थीं। अनुपयुक्त योजना, अवास्तविक प्राक्कलन और भूमि अधिग्रहण अथवा युटिलिटी सर्विसेज के विस्थापन के बिना कार्यों को सौंपने के कारण बारह मासी सम्पर्क उपलब्ध करवाने की योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

- कई प्रकरणों में यह देखा गया है कि विचलन के लिए स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी। मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज की वसूली न होने के दृष्टांत भी पाए गए थे। मूल्य समायोजन का अस्वीकार्य अधिक भुगतान किया गया था।

- कई कार्यों में अत्यधिक विलंब पाये गये। चालीस में से केवल छः कार्य समय पर पूरे किए गए और 13 कार्य 193 से 500 दिनों के विलंब से पूरे किए गए जबकि जारी 21 कार्यों में से 10 कार्य 422 से 822 दिनों के बीच विलंबित हैं।

अध्याय–VI
मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड

अध्याय VI
मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड

6.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश गृहनिर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना 1960 में राज्य की आवासीय समस्याओं को दूर करने और बेघर लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड आवास परियोजनाओं के निर्माण और जनता के लिए आवासीय भूखंडों के विकास में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त; केन्द्र सरकार, मध्य प्रदेश शासन, अर्ध–शासकीय संस्थानों, निगमों, बैंकों, सहकारी समितियों, आदि के निर्माण कार्य भी बोर्ड द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप में किए जाते हैं।

अपनी स्थापना के बाद से बोर्ड ने कुल 1,84,962 आवासों का निर्माण[1] किया है और विभिन्न आय समूहों के लिए 1,62,681 भूखंड विकसित किये हैं। बोर्ड ने राज्य शासन द्वारा पर्याप्त भूमि उपयोग के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई पुनर्घनत्वीकरण नीति के तहत् परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य भी किया है।

6.2 बोर्ड के उद्देश्य

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य हैं:

- आवासीय सुविधाओं का विकास,
- निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और समयावधि के भीतर योजनाओं को पूर्ण करना,
- ढाँचागत सुविधाओं और आवासों, कॉलोनियों और वाणिज्यिक परिसरों में सुधार और
- विभिन्न विभागों/संस्थाओं के लिए निक्षेप कार्यों के रूप में निर्माण परियोजनाओं का कार्य करना।

6.3 संगठनात्मक संरचना

बोर्ड का प्रबंधन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता राज्य शासन द्वारा नामित एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारी, विधान सभा के दो सदस्य और गैर–सरकारी संगठनों के दो सदस्य शामिल होते हैं। आयुक्त, राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी सहायता के लिए दो अपर आयुक्त (मुख्य अभियंताओं), 12 उप–आयुक्तों, 30 कार्यपालन यंत्रियों और एक–एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, मुख्य वास्तुकार और भूमि अधिग्रहण अधिकारी होते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन में आठ क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व उप–आयुक्त द्वारा किया जाता है। संभाग स्तर पर कार्यपालन यंत्री एवं संपदा अधिकारी होते हैं। कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य में 33 संभागीय कार्यालय हैं।

6.4 वर्तमान समय में आरंभ की गई परियोजनाएं

बोर्ड द्वारा 2015–2020 के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं का सारांश **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है।

---

[1] 31 दिसम्बर 2020 तक।

तालिका 6.1: विगत पाँच वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना	वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	योग
अटल आश्रय योजना	परियोजनाओं की संख्या	7	10	1	1	2	21
	आवासों की कुल संख्या	2,612	2,584	133	42	162	5,533
	राशि	177.22	142.07	9.44	3.37	13.99	346.09
स्व–वित्त योजना	परियोजनाओं की संख्या	10	6	4	1	1	22
	आवासों की कुल संख्या	1,178	605	420	67	73	2,343
	राशि	198.86	103.03	41.63	6.22	9.35	358.8
निक्षेप कार्य	परियोजनाओं की संख्या	11	3	4	15	6	39
	राशि	202.09	20.32	34.85	452.03	84.84	794.13
कुल	परियोजनाओं की संख्या	28	19	9	17	9	82
	आवासों की कुल संख्या	3,790	3,189	553	109	235	7,876
	राशि	577.88	265.42	85.92	461.62	108.18	1,499.02

6.5 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2015–16 से 2019–20 की अवधि को शामिल करते हुए बोर्ड की लेखापरीक्षा अगस्त से दिसम्बर 2020 तक यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि;

- भवनों के निर्माण की योजना और प्राक्कलन समुचित रूप से किया गया था,
- परियोजनाओं का निष्पादन प्रभावी और कुशल था, एवं
- आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित थे एवं उनका अनुपालन समुचित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षो को निम्न से व्युत्पन्न मानदंडों के विरुद्ध आंका गया था:

- मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972;
- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली;
- भवन और सड़कों के लिए दरों की अनुसूची;
- निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/परिपत्र;
- अनुबंध दस्तावेजों में निर्धारित नियम एवं शर्तें; तथा
- बोर्ड द्वारा आवासीय संपत्तियों के पंजीकरण/आवंटन के संबंध में दिशानिर्देश।

राज्य में नौ वृत्त (आठ सिविल+एक विद्युत) हैं जिनमें 29 सिविल और चार विद्युत संभाग कार्यालय हैं। इनमें से, पाँच वृत्त (चार[2] सिविल और एक[3] विद्युत) और 12 संभागों (नौ[4] सिविल और तीन[5] विद्युत संभागों) को यादृच्छिक चयन पद्धति का उपयोग करके चुना गया था। आयुक्त के कार्यालय को भी लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल किया गया था।

2 वृत्त–1 एवं 2 भोपाल, वृत्त–ग्वालियर, वृत्त–जबलपुर।

3 विद्युत वृत्त–भोपाल।

4 संभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 6 भोपाल; संभाग क्रमांक 1 एवं 2 जबलपुर; संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर और मुरैना।

5 भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र, मानदंड और क्रियाविधि पर चर्चा हेतु आयुक्त के साथ आगम सम्मेलन (नवम्बर 2020) आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए आयुक्त के साथ 5 अक्टूबर 2021 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। बोर्ड की प्रतिक्रियाओं को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

6.6 "मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा भवनों के निर्माण" पर लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना और प्राक्कलन, परियोजनाओं के निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र और परियोजनाओं की निगरानी के अन्तर्गत समूहीकृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.6.1 योजना और प्राक्कलन

योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भवनों के निर्माण के लिए योजना और प्राक्कलन में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

6.6.1.1 वार्षिक आवास योजना प्रस्तुत करने में विलंब

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 35 के तहत, बोर्ड को प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले दिन से पहले, वार्षिक आवास कार्यक्रम तैयार करना और सरकार को प्रस्तुत करना अधिदेशित है। इसके लिए बोर्ड को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान आंशिक/पूर्ण रूप से कार्यान्वित की जा सकने वाली परियोजनाओं की उचित संख्या का आंकलन करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा (2015–2020) के अन्तर्गत आने वाली अवधि के दौरान, वार्षिक आवास कार्यक्रम तैयार किये गए और एक से छः महीने की देरी के साथ प्रस्तुत किए गए, जैसा कि **तालिका 6.2** मे वर्णित है।

तालिका 6.2: वार्षिक आवास कार्यक्रम की तैयारी में देरी का विवरण

वर्ष	राज्य शासन को अग्रेषण/प्रस्तुत करने की तिथि	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत करने में विलंब (महीनों में)	शासन द्वारा अनुमोदन की तिथि
2015–16	14/01/2015	1 माह 14 दिन	16/01/2015
2016–17	22/01/2016	1 माह 22 दिन	25/01/2016
2017–18	06/02/2017	2 माह 06 दिन	13/02/2017
2018–19	08/05/2018	5 माह 08 दिन	17/05/2018
2019–20	03/06/2019	6 माह 03 दिन	06/06/2019

स्रोतः बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी

बोर्ड द्वारा वार्षिक आवास कार्यक्रम विलंब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप वार्षिक आवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये वास्तविक उपलब्ध समय में कमी हुई।

उत्तर में, बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2021) कि वर्ष 2018 और 2019 में बोर्ड की बैठकों में विलंब के कारण, वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन में विलंब हुआ।

6.6.1.2 अनुचित प्राक्कलन

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के कंडिका 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी संरचना की सुदृढ़ता के आंकलन एवं

रेखाचित्र के संदर्भ में सभी आवश्यक मदों को प्राक्कलन में शामिल करने के लिए जिम्मेदार है। विस्तृत प्राक्कलन की यथार्थता को अनुमानित और वास्तव में निष्पादित मात्राओं के बीच नाममात्र भिन्नता की सीमा से मापा जाना है। इन मात्राओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर यह दर्शाता है कि प्राक्कलन सही ढंग से नही बनाया गया था।

बारह[6] संभागों के 41 कार्यों में से छः संभागों के 12 कार्यों में लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमानित लागत से 2.31 और 24.63 प्रतिशत के बीच भिन्नता थी जैसा कि **परिशिष्ट 6.1** में वर्णित है। अलग–अलग मदों की भिन्नता 16 से 4,512 प्रतिशत के बीच थी। यह दर्शाता है कि प्राक्कलन बनाने से पूर्व यथोचित सर्वेक्षण और निरीक्षण नहीं किया गया था।

उत्तर में बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन में भिन्नता वास्तविक कार्यस्थल की स्थितियों में परिवर्तन के कारण हुई थी। लोक निर्माण विभाग की नियमावली में प्राक्कलन में विनिर्देश एवं डिजाइन के परिवर्धन एवं परिवर्तन करने का प्रावधान दिया गया था एवं उसी के अनुसार निविदा दस्तावेज में प्रावधान किया गया था।

यथोचित प्राक्कलन अच्छी आयोजना का हिस्सा है। उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि प्राक्कलन तदर्थ तरीके से बनाये गए थे जिसके कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप संपत्तियां अविक्रित रह गईं।

6.6.1.3 विवादित भूमि का अधिग्रहण

बोर्ड को सभी कानूनी पक्षों और इसके अधिग्रहण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की योजना बनानी चाहिए। भूमि खरीदने/अधिग्रहण करने से पहले, बोर्ड को प्रस्तावित स्थल (स्थलों) का यथोचित सर्वेक्षण और निरीक्षण करना चाहिए और केवल ऐसी भूमि (भूमियों) को खरीदा/अधिग्रहित किया जाना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो और सभी बाधाओं (अतिक्रमण और कानूनीवादों सहित) से मुक्त हो।

लेखापरीक्षा ने ऐसे पाँच प्रकरण देखे जहाँ बोर्ड ने ₹ 4.94 करोड़ के व्यय से विवादित भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन अतिक्रमण/कानूनी विवादों के कारण बोर्ड अधिग्रहण नहीं कर सका जैसा कि नीचे **तालिका 6.3** में वर्णित है:

तालिका 6.3: विवादित भूमि का विवरण

स.क्र	इकाई	भूमि का क्षेत्रफल	पटट् का दिनांक	जमीन की कीमत	अधिग्रहण नहीं मिलने का कारण
1	रीवा	2.214 हेक्टेयर (18.101 हेक्टेयर में से)	30/08/2002	0.80	अतिक्रमण, मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है
2	सिंगरौली	11.99 एकड़	12/12/2012	3.02	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला खदानों के विस्तार के कारण
3	सिंगरौली	10.86 एकड़	30/07/2012	0.80	कलेक्टर ने आवंटन रद्द कर दिया
4	उज्जैन	21.61 एकड़	24/05/1997	0.32	भूमि स्वामी द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है
5	संभाग क्रमांक–1, भोपाल	10 एकड़	23/03/2015	1.0	स्वामी जमीन पर अतिक्रमण के कारण योजना प्रारंभ नहीं हो सकी
			कुल	**4.94**	

[6] सिविल संभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 6 भोपाल, संभाग क्रमांक 1 एवं 2 जबलपुर, संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर एवं मुरैना, विद्युत संभाग भोपाल, विद्युत संभाग जबलपुर और विद्युत संभाग ग्वालियर।

बोर्ड ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2021) कि उपरोक्त मामलों में या तो अतिक्रमण या भूमि के न्यायाधीन होने के कारण भूमि का आधिपत्य नहीं लिया जा सका। इसके अलावा, निर्गम सम्मेलन के दौरान, आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड का अपना भूमि बैंक है जिसका उपयोग वे सामान्य तौर पर परियोजनाओं के विकास के लिए करते हैं और इसलिए भविष्य में यह मुद्दे उत्पन्न नहीं होगें। सिंगरौली योजना के संबंध में, जहाँ बोर्ड द्वारा कुछ विकास कार्य किया गया, परन्तु शासन द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के कारण कार्य बन्द करना पड़ा, आयुक्त ने बताया कि विकास पर किये गये व्यय की वसूली की जायेगी तथा इस संबंध में जिला कलेक्टर से पत्र व्यवहार किया जायेगा। संभाग क्रमांक–1, भोपाल के प्लॉट के प्रकरण में आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण होने के मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अन्य दो संभागों में खरीदे गए भूखंडों पर उत्तर हालांकि मौन था जहाँ बोर्ड भूखंडों को खरीदने से पहले यथोचित परिश्रम करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप विवादित भूमि(यों) का अधिग्रहण हुआ।

6.6.1.4 मांग का आंकलन किए बिना आवास परियोजनाओं का निर्माण

किसी भी आवासीय परियोजना की सफलता आवास की मांग पर आधारित होती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवम्बर 1996 में एक परिपत्र के माध्यम से 50 प्रतिशत पंजीकरण के बाद ही किसी भी योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किया गया था।

यह देखा गया कि बोर्ड ने परियोजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व कोई मांग–सर्वेक्षण नहीं किया था। जैसे, बोर्ड ने बाजार की आवश्यकताओं के विश्लेषण और समझ के बिना योजनाओं को प्रारंभ किया और पूर्ण किया। आवास योजनाओं की प्रारंभ से पूर्व मांग–सर्वेक्षण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 167.43 करोड़ मूल्य की संपत्ति अविक्रित रही, जैसा कि नीचे **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.4: चयनित संभागों में अविक्रित संपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र	इकाई	निर्मित संपत्तियों की संख्या	विक्रित की गई संपत्तियों की संख्या	अविक्रित संपत्तियों की संख्या	अविक्रित संपत्तियों का मूल्य	अविक्रित संपत्तियों का प्रतिशत
1	भोपाल–1	52	35	17	5.11	33
2	भोपाल–2	1,355	573	782	96.73	58
3	भोपाल–3	208	159	49	19.11	24
4	भोपाल–4	0	0	0	0	0
5	भोपाल–6	89	34	55	7.15	62
6	जबलपुर–1	0	0	0	0	0
7	जबलपुर–2	318	225	93	13.12	29
8	ग्वालियर –1	270	218	52	14.04	19
9	मुरैना	250	84	166	12.17	66
	योग	**2,542**	**1,328**	**1,214**	**167.43**	**48**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा निर्मित 2,542 संपत्तियों में से 1,328 संपत्तियों (कुल निर्मित संपत्तियों का 52 प्रतिशत) का विक्रय किया जा सका था, जबकि ₹ 167.43 करोड़ मूल्य की 1,214 संपत्तियाँ अविक्रित रही हैं। संभागों में अविक्रित संपत्तियों का प्रतिशत 19 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। यथोचित योजना और मांग निर्धारण के बिना संपत्तियों के निर्माण के

परिणामस्वरूप शासकीय राशि अवरुद्ध रही। इसके अतिरिक्त, चार[7] संभागों में 118 संपत्तियों (976 अविक्रित संपत्तियों में से) के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि संभाग क्रमांक 2, जबलपुर के अन्तर्गत कम से कम पाँच अविक्रित संपत्तियाँ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में थीं। इस प्रकार, लेखापरीक्षा का मत है कि अविक्रित संपत्तियाँ उपेक्षा और जीर्णता की स्थिति में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे उनके भविष्य के मूल्य में ह्रास हो सकता है। यदि बोर्ड ने नवंबर 1996 के सरकारी निर्देश के अनुपालन में परियोजनाओं/योजनाओं को केवल 50 प्रतिशत पंजीकरण के बाद ही कार्यान्वित किया होता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

बोर्ड ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2020) में बताया कि बोर्ड के दिनांक 31/05/2019 के परिपत्र के अनुपालन में, परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही एक परियोजना प्रारंभ की जाती है। नवंबर 1996 के परिपत्र में निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने में बोर्ड की विफलता पर उत्तर मौन है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अविक्रित संपत्तियों के विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना की जानकारी नहीं दी।

6.6.2 परियोजनाओं का क्रियान्वयन

6.6.2.1 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा ने नौ सिविल संभागों द्वारा किए गए 58 कार्यों/परियोजनाओं की नमूना जाँच की और ठेकेदारों को अधिक भुगतान/अनुचित लाभ के प्रकरणों को प्रेक्षित किया जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

(क) उच्च दर से अनियमित भुगतान के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ

सड़क कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची (03 नवम्बर 2014 से प्रभावी) कठोर चट्टान के उत्खनन के लिए निम्नलिखित दर निर्धारित करती है:

तालिका 6.5: उत्खनन की दरों का विवरण

मद संख्या	विवरण	इकाई	दर
3.6	कठोर चट्टान में उत्खनन (प्रतिबंधित विस्फोट)	घन मी.	405
3.7	1,000 मीटर तक के निपटान के साथ कठोर चट्टान (नियंत्रित विस्फोट) में उत्खनन	घन मी.	202

रॉक ब्रेकर (उपरोक्त तालिका की मद संख्या 3.6) के साथ कठोर चट्टान (प्रतिबंधित विस्फोट) में सड़क के लिए उत्खनन की दरों को प्राप्त करने के लिए दर विश्लेषण पुस्तक (डेटा बुक) में, उत्खनक की कार्य क्षमता की गणना एक घंटे में 6 घन मीटर पर की जाती है।

अनुबंध संख्या 6/15–16 (संभाग क्रमांक 4, भोपाल) में हमने पाया कि तृतीय चलित देयक तक, ठेकेदार द्वारा 46,017 घन मीटर कठोर चट्टान मानव शक्ति द्वारा (प्रतिबंधित विस्फोट) मई 2016 तक उत्खनित की गई थी। इसके बाद कार्यपालन यंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर (28 जून 2016) नियंत्रित विस्फोट की अनुमति मांगी थी। अभिलेखों में आगे का कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं था, लेकिन अंतिम देयक के तकनीकी टीप में, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कठोर चट्टान और अन्य सामग्री मशीनों से उत्खनन और विस्फोट के बाद प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा विस्फोट के माध्यम से कठोर चट्टान के एक हिस्से का उत्खनन करने के बावजूद संभाग ने उत्खनन की पूरी मात्रा को मानव शक्ति द्वारा उत्खनन मानकर उच्च दर से भुगतान किया।

[7] भोपाल–संभाग 2 एवं संभाग 3, ग्वालियर–संभाग एवं जबलपुर संभाग–2।

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.66 करोड़[8] का अधिक भुगतान हुआ एवं ठेकेदार को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

आयुक्त ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये तथ्यों को स्वीकार किया और बोर्ड को उचित समायोजन करने का निर्देश दिया।

(ख) उच्च दर अपनाने के कारण अधिक भुगतान

सड़क कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची (29 अगस्त 2017 से प्रभावी) तटबंध के निर्माण के लिए निम्नलिखित दो मदों का प्रावधान करती है।

तालिका 6.6: तटबंध निर्माण मद की दर का विवरण

मद सं.	विवरण	दर (₹ में)
3.10	उत्खनन स्थल से प्राप्त सामग्री से तटबंध का निर्माण सभी लिफ्ट एवं लीड, कार्यस्थल तक परिवहन, आदि के साथ।	144
3.11	सड़क मार्ग काटने, नाले के उत्खनन एवं अन्य संरचना के निर्माण से प्राप्त जमा सामग्री से तटबंध का निर्माण।	65

यदि तटबंध का निर्माण स्थल पर उत्खनित सामग्री से किया गया है, तब भुगतान ₹ 65 प्रति घन मीटर की दर से किया जाना था। ₹ 144 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान तभी किया जाना था जब सामग्री कार्य स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थलों से लाई जाती।

हमने अनुबंध संख्या 41/18–19 (संभाग क्रमांक 1, जबलपुर) में देखा कि कुल 1,15,279 घन मीटर कठोर चट्टान का उत्खनन ठेकेदार द्वारा किया गया था जो ठेकेदार को प्रदाय नहीं किया गया था। समान मात्रा में कठोर चट्टान का उपयोग तटबंध निर्माण के लिए किया गया था इसलिए तटबंध कार्य के लिए भुगतान ₹ 65 प्रति घन मीटर की दर से विनियमित किया जाना चाहिए था (स्थल पर उपलब्ध उत्खनित सामग्री के उपयोग के लिये)। लेकिन संभाग द्वारा मद का भुगतान ₹ 65 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 127.60 प्रति घन मीटर[9] से किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.66 करोड़[10] का अधिक भुगतान हुआ। अधिक भुगतान का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2021) में कहा कि उत्खनन से प्राप्त की गई सामग्री को 1,000 मीटर के अंदर एकत्रित किया गया था और तटबंध में उपयोग की जाने वाली उत्खनित सामग्री को 75 मिमी से अनधिक आकार में विघटित किया जाना था। अतः मद संख्या 3.11 ₹ 65 प्रति घन

[8]

कुल उत्खनित कठोर चट्टान (घन मी. में)	विस्फोट की अनुमति के पूर्व उत्खनित कठोर चट्टान (घन मी. में)	नियंत्रित विस्फोट द्वारा उत्खनित कठोर चट्टान (घन मी. में)	मद संख्या 3.6 एवं 3.7 के दर में अन्तर	अधिक भुगतान	निविदा प्रतिशत	अधिक भुगतान ₹ में
(क)	(ख)	(ग=क–ख)	(घ)	(ग×घ)		
4,20,800.23	46,017	3,74,783.23	203(405–202)	7,60,80,996	–12.44	6,66,16,520

[9] गुणवत्ता संबंधी कारणों से ₹ 144 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 127.60 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया।

[10]

मात्रा (घन मी.) (क)	भुगतान की दर (₹ में) (ख)	भुगतान की जाने वाली दर (₹ में) (ग)	राशि (₹ में) {क×(ख–ग)}	अधिक भुगतान (₹ में)
1,32,198	127.60	65	82,75,559	66,20,475

मीटर की दर से यहाँ लागू नहीं था क्योंकि यह मद आवश्यक आकार में चट्टानों के अन्तर्गत विघटन नहीं करता। मद सं. 3.11 केवल उत्खनित सामग्री के प्रसार से संबंधित है, जबकि दरों की अनुसूची मद सं. 3.10 ₹ 144 प्रति घन मीटर की दर से तटबंध के निर्माण में उत्खनित चट्टानों का आवश्यक आकार में विघटन शामिल था। इसलिए ठेकेदार को भुगतान सही दर से किया गया था एवं कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्खनित कठोर चट्टान को न तो ठेकेदार को प्रदाय किया गया था और न ही कार्यस्थल खाते में सामग्री में लिया गया था जो दर्शाता है कि उत्खनन से प्राप्त की गई कठोर चट्टान का उपयोग तटबंध के निर्माण में किया गया था। साथ ही, उत्तर एक पश्च विचार के रूप में प्रतीत होता है क्योंकि उत्तर में उल्लिखित दरों की अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

(ग) गलत दर लागू करने के कारण अधिक भुगतान

सड़क कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची (अगस्त 2014) में तटबंध के निर्माण के लिए निम्नलिखित दो मदों का प्रावधान है:

तालिका 6.7: तटबंध निर्माण की दरों का विवरण

मद सं.	विवरण	दर (₹ में)
3.14	**सड़क काटने से एकत्रित सामग्री से तटबंध का निर्माण** अनुमोदित सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण जिसमें सीबीआर>5 हो सड़क मार्ग काटने से कार्यस्थल पर एकत्रित हो और नाली से खुदाई और अन्य संरचनाओं की नींव को वर्गीकृत और संघनित किया गया हो ताकि, धारा 300 के प्रासंगिक खंड के अनुसार तालिका 300–1, 300–2 की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।	80
3.19	**चट्टान से भरे जाने वाले तटबंध का निर्माण** चट्टान से भरे जाने वाले तटबंध का निर्माण, 500 मिमी से अनधिक आकार के टूटे हुए कठोर चट्टान के टुकड़ों के साथ जिसमें पत्थर के टुकड़ो के साथ सतह की रिक्तियों को भरना, दानेदार सामग्री के साथ शीर्ष परत को भरना, वाइब्रेटरी रोलर के साथ रोल करना है, उपधारा 313 के अनुसार पूर्ण।	48

संभाग क्रमांक 4 भोपाल की अनुबंध संख्या 6/2015–16 में सड़क मार्ग काटने से (उपरोक्त तालिका की मद संख्या 3.14) से एकत्रित सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण प्रावधानित था। हमने देखा कि ठेकेदार ने 4,20,374.39 घन मीटर चट्टानों के उपयोग से चट्टान से भरे जाने वाले तटबंध का निर्माण किया था। चूँकि ठेकेदार ने चट्टान से भरे जाने वाले तटबंध का निर्माण किया था, उसे ₹ 48 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था (जैसा उपरोक्त तालिका के मद संख्या 3.19 में प्रावधानित था)। तथापि यह देखा गया कि संभाग ने ₹ 48 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 80 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया। परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.18 करोड़[11] का अधिक भुगतान हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि प्राप्त उत्खनित चट्टान बड़े आकार की और 500 मिमी से अधिक आकार की थी। तटबंध के निर्माण में चट्टान का उपयोग करते समय, चट्टानों को 500 मिमी से कम आकार में तोड़ा जाना था।

[11]

तटबंध की मात्रा	भुगतान की दर (₹ में)	भुगतान योग्य दर (₹ में)	वास्तविक भुगतान योग्य दर (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
9,765+4,10,609.39 = 4,20,374.39	80	48	28.019	1,17,78,554

बड़े शिलाखंडों को 500 मिमी से कम के आकार में तोड़ा गया और फिर भरने और निर्माण करने के लिए उपयोग किया गया। मद 3.19, विखंडन कार्य के संबंध में मौन है, जबकि मद संख्या 3.14 स्पष्ट रूप से वर्गीकृत और संघनित सामग्री के लिए बात करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि चट्टान से भरे जाने वाले तटबंध के लिए दर विश्लेषण कार्यस्थल पर उपलब्ध चट्टान को तोड़ने के लिए अतिरिक्त शुल्क प्रावधानित करता है। लेकिन विभाग ने इस पहलू पर विचार नहीं किया और अधिक प्रभार का भुगतान किया।

6.6.2.2 प्रभावी दर लागू न होने के कारण अधिक भुगतान

कार्य अनुबंधों और निविदा स्वीकृति दस्तावेजों के अनुसार, निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि तक, दरों की अनुसूची में जारी किए गए सभी संशोधन कार्यों पर लागू थे।

हमने देखा कि तीन संभागों के चार कार्यों में, (नौ संभागों के 58 कार्यों में से) निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने की तिथि तक जारी संशोधनों को नहीं अपनाया गया था और ठेकेदारों को पूर्व संशोधित दरों से भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **तालिका 6.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.8: संशोधित दर लागू न होने के कारण अधिक भुगतान का विवरण

स. क्र.	अनुबंध सं. /इकाई	एनआईटी का दिनांक	संशोधन का दिनांक	दरों की अनुसूची की मद संख्या	निष्पादित मात्रा (घन मी) (क)	भुगतान की दर (₹ में) (ख)	भुगतान योग्य की गई दर (₹ में) (ग)	राशि {कx(ख–ग)}	अधिक भुगतान (₹ में)
1	7/16–17 संभाग क्र–3 भोपाल	08/07/16	02/12/15	2.28	27,083.38	471	300	46,31,258	41,63,964
2	38/17–18 संभाग क्र–2 जबलपुर	25/04/17	02/12/15	2.28	19,553.77	471	300	33,43,695	25,78,657
3	1/16–17 संभाग क्र–2 भोपाल	15/01/16	02/12/15	2.28	4,606.09	471	300	7,87,641	6,28,538
4	1/17–18 संभाग क्र–3 भोपाल	28/12/16	11/08/16	11.29.02.1	87.04	3,598	2,172	1,24,119	1,03,490
				11.22.2	88.34	3,322	2,356	85,336	71,153
								योग	**75,45,802**

बोर्ड ने संभाग क्रमांक 3 भोपाल के कार्यों के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2021) कि बकाया का समायोजन ठेकेदारों के अंतिम देयकों से किया जायेगा। जबकि संभाग क्र. 2, जबलपुर एवं संभाग क्र. 2, भोपाल के प्रकरण में बोर्ड ने बताया कि कार्य एस.ओ.आर में दी गई दरों के अनुसार निष्पादित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने की तिथि तक के सभी संशोधन कार्यों पर लागू होते हैं। बोर्ड ने एक संभाग के मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करने, जबकि अन्य दो संभागों में (संभाग क्रमांक 2 भोपाल और संभाग क्रमांक 2 जबलपुर) इसी प्रकार की आपत्तियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया।

6.6.2.3 कार्य में विशिष्ट संयंत्र/मशीनरी का उपयोग न करने की दरों को विनियमित न करने के कारण अधिक भुगतान

सड़क एवं पुल कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची की विभिन्न मदों में कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न संयंत्रों एवं मशीनरी की दरें शामिल हैं। दरों की अनुसूची निर्धारित करती है कि यदि ठेकेदार द्वारा निर्दिष्ट संयंत्रों और मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो दरों की अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से कटौती की जाएगी।

चार संभागों के आठ कार्यों में (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से), जैसा कि **परिशिष्ट 6.2** में विवरण दिया गया है, हमने पाया की या तो ठेकेदारों ने कार्य में विशिष्ट संयंत्र और मशीनरी का उपयोग नहीं किया था या कम क्षमता वाले संयंत्र/मशीनरी का उपयोग किया गया था, लेकिन दरों की अनुसूची/अनुबंध के प्रावधान के अनुसार कोई वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 0.76 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने कहा कि आम तौर पर छोटे ठेकेदार छोटे कार्यों में भाग लेते हैं, और उनके पास कार्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं होती है। इसलिए, वे आम तौर पर ऐसी मशीनरी किराए पर लेते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड रखना चाहिए था कि मशीनरी ठेकेदारों द्वारा किराए पर ली गई थी/उपयोग की गई थी।

6.6.2.4 अनुबंध के दायरे से बाहर भुगतान

अनुबंध की कंडिका–32 के अनुसार, निविदा में दिखाई गई मात्रा अनुमानित है और निष्पादित कार्य की मात्रा निविदा या प्राक्कलन में दर्ज की गई मात्रा से अधिक या कम होने पर किसी भी तरह के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

दो संभागों के पाँच कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) में हमने पाया कि खपत/उपयोग की गई कुछ वस्तुओं की मात्रा अनुमानित मात्रा के मुकाबले 17.76 प्रतिशत से 4,492.67 प्रतिशत अधिक की गई थी और इसका भुगतान ठेकेदार को किया गया था, यद्यपि यह उपरोक्त कंडिका के अनुसार ठेकेदार को देय नहीं था। इससे पता चलता है कि उचित सर्वेक्षण और जाँच किए बिना, प्राक्कलन बहुत ही अनौपचारिक आधार पर तैयार किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अनुबंध के दायरे से बाहर कार्य का निष्पादन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.89 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 6.3** विवरण में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसी धारा व्यावहारिक नहीं है एवं अनुबंध में नहीं होनी चाहिए और आश्वासन दिया कि भविष्य के अनुबंधों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। अधिक भुगतान के कारण ठेकेदारों से की जाने वाली वसूली पर उत्तर मौन है।

6.6.2.5 गैर–अनुमोदित कार्यों के निष्पादन के भुगतान के कारण अनधिकृत व्यय

अनुबंध की कंडिका 20.1 के अनुसार, ऐसे सभी मद जो मूल्य के बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में शामिल नहीं हैं, को अतिरिक्त मद माना जाएगा।

तीन संभागों के चार कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) में हमने पाया कि कुछ गैर–अनुबंध मदों को सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना निष्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.96 करोड़ की राशि के कार्य का अनियमित निष्पादन हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.4** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया कि बोर्ड जाँच करेगा एवं अतिरिक्त मदों के लिए मंजूरी के अभिलेख उपलब्ध कराएगा। प्रकरण में आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

6.6.2.6 रॉयल्टी प्रभारों की गैर/कम वसूली

अनुबंध के अनुसार, कार्यों में प्रयुक्त गौण एवं मुख्य खनिजों पर देय रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार ने राज्य शासन को रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है, तो रॉयल्टी की राशि ठेकेदार के चलित या अंतिम देयकों या ठेकेदार को देय किसी भी राशि से शासन को प्रेषण के लिए काट ली जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर से ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद ही कार्य के अंतिम देयक का निपटारा किया जाएगा। रॉयल्टी प्रभारों के संग्रहण से संबंधित प्रकरणों का विवरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

(क) रॉयल्टी की गैर/कम कटौती किया जाना

सात संभागों के 13 कार्यों में (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.5** में दिया गया है, हमने पाया कि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले गौण एवं मुख्य खनिजों पर रॉयल्टी शुल्क ठेकेदारों के बिलों से नहीं काटा गया था और एक संभाग के दो कार्यो में जिसका विवरण **परिशिष्ट 6.6** में दिया गया है, रॉयल्टी शुल्क की कम कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.87 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने कहा कि भविष्य में रॉयल्टी की कम कटौती नहीं की जाएगी। बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे और रॉयल्टी की समय पर कटौती की जाएगी।

संबंधित ठेकेदारों से रायल्टी शुल्क की वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर उत्तर मौन था।

(ख) रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अंतिम बिलों का भुगतान

चार संभागों के 10 कार्यों में, जैसा कि **परिशिष्ट 6.7** में वर्णित है, ठेकेदारों के अंतिम बिलों के भुगतान को रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही मंजूरी दे दी गई, जो अनुबंध की शर्तों के विपरीत है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने कहा कि अब से बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे और समय पर रॉयल्टी की कटौती की जाएगी।

6.6.2.7 अग्रिम भुगतान स्वीकृत कर ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

अनुबंध के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना, नियम से, निषिद्ध है और एक पद्धति, जिसके तहत वास्तव में किए गए कार्य को छोड़कर कोई भुगतान नहीं किया जाना है, को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। विशेष अग्रिम के भुगतान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अपवाद स्वरूप अनुमति उन मामलों में दी जाती है, जहाँ एक ठेकेदार, जिसका अनुबंध पूर्ण कार्य के लिए है, साइट पर लाई गई सामग्री की सुरक्षा पर अग्रिम चाहता हो।

हमने पाया कि अनुबंधों के प्रावधान के विपरीत, सक्षम प्राधिकारी ने ठेकेदारों को ₹ 6.25 करोड़ का विशेष अग्रिम स्वीकृत किया, जैसा कि **तालिका 6.9** में दिखाया गया है।

तालिका 6.9: ठेकेदार को दिए गए अग्रिम भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुबंध सं.	इकाई	पी.ए.सी.	अग्रिम की राशि	वसूली	शेष
1	60/11–12	संभाग क्र. 6 भोपाल	53.79	4.50	0.05	4.45
2	61/11–12	संभाग क्र. 6 भोपाल	37.31	1.75	1.75	0.00
		योग		**6.25**	**1.80**	**4.45**

अनुबंध में "विशेष अग्रिम" का प्रावधान न होने पर भी ठेकेदार के पास निधि की कमी होने के कारण ये विशेष अग्रिम स्वीकृत किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने कहा कि यह विशेष प्रकरण होने के कारण, ठेकेदारों को कार्य समय पर पूरा करने के लिए अग्रिम दिया गया था। शेष राशि, यदि कोई हो, अंतिम बिल के समय वसूल की जाएगी। आयुक्त ने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह के मुद्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामलों में "विशेष अग्रिम" की स्वीकृति अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय सहायता प्रदाय की गई।

6.6.2.8 विलंब के लिए शास्ति का कम अधिरोपण

ऐसे मामलों में जहाँ ठेकेदार को दिए गए ऐसे सभी समयवृद्धि के पूर्ण होने पर भी निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा नहीं किया जाता है, ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति लगाई जाएगी।

पाँच संभागों के आठ कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) में हमने पाया कि, जैसा कि **परिशिष्ट 6.8** में विवरण दिया गया है, ठेकेदारों की तरफ से कार्य में देर हुई लेकिन अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति का आरोपण न करके, ठेकेदारों पर नाममात्र की शास्ति लगाई गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.41 करोड़ की शास्ति का अनारोपण हुआ।

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितम्बर 2021) में कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एवं जहाँ भी देरी ठेकेदारों के कारण हुई थी, शास्ति लगाई गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति नहीं लगाई गई थी। एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि देरी की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, ठेकेदारों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति लगाई जानी चाहिए, जो की इन मामलों में नहीं किया गया था और ठेकेदारों पर केवल नाममात्र की शास्ति लगाई गई थी। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अल्प शास्ति लगाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया था।

आयुक्त ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। तथापि, आयुक्त/बोर्ड शास्ति के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर मौन था।

6.6.2.9 अनिर्दिष्ट सामग्री का प्रयोग

अनुबंधों में, सीमेंट, स्टील, आदि के निर्दिष्ट ब्रांड की एक सूची संलग्न की जाती है, जिसका उपयोग कार्यों पर किया जाना है।

आठ संभागों के 24 कार्यों में (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से), जैसा की **परिशिष्ट 6.9** में विवरण दिया गया है, हमने पाया कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध में निर्दिष्ट ब्रांडों को बदल दिया गया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अन्य ब्रांडों के सीमेंट/स्टील का उपयोग किया गया। बोर्ड ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य का अनुश्रवण करने में विफल रहा और ठेकेदारों को अनुबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए गैर–निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग करने दिया। ऐसी स्थिति में, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निर्दिष्ट ब्रांड और उपयोग किए गए ब्रांड के बीच लागत अंतर के माध्यम से ठेकेदार को लाभ हुआ, और परिणामस्वरूप अवमानक कार्य के निष्पादन से इंकार नहीं किया जा सकता।

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितम्बर 2021) में कहा कि केवल निर्दिष्ट ब्रांडों की सामग्री का उपयोग कार्यों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित मदों का भी उपयोग कार्यों में किया जा रहा है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि अनुबंध में निर्दिष्ट सामग्री का निर्माण कार्यों में उपयोग नहीं किया गया था, जिसे अनुबंध के अनुसार अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए था।

आयुक्त ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में कार्यों में गैर–निर्दिष्ट सामग्री के उपयोग के प्रकरण को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्यों में गैर–निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य के अनुबंध की शर्तों से बाहर जाने का संकेत देता है। हालाँकि, उत्तर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए ठेकेदारों के खिलाफ प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई पर मौन है।

6.6.3 गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र निर्माण में मानक सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करता है। परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों को अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

6.6.3.1 अनुचित गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

अनुबंध की विशेष शर्त के अनुसार, भवन/कार्य का समय–समय पर ठेकेदार और प्रभारी अभियंता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष में दो बार संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिसमें से एक निरीक्षण वर्षा के महीनों जुलाई/अगस्त/सितम्बर के दौरान होगा और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी अभियंता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पाई गई कमियों का वर्णन करते हुए जारी किया जाना है।

यह देखा गया कि बोर्ड द्वारा फरवरी 2019[12] में एक गुणवत्ता नियंत्रण एवं नवीन प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। हालांकि, बोर्ड द्वारा कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया और प्रकोष्ठ स्थानीय रूप से उपलब्ध कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है। प्रकोष्ठ द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। बोर्ड में निर्माण कार्य की आवधिक गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट को अनुश्रवण और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। हमने यह भी देखा कि नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से आठ संभागों के 17 कार्यों में अर्ध–वार्षिक संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान था, जिसमें प्रभारी अभियंता द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 6.10** में विवरण दिया गया है। यह अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितम्बर 2021) में कहा कि निमार्ण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। बोर्ड में स्थापित नई गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग अनुबंध के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करने के दावों के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा।

6.6.3.2 कार्य के लिए तकनीकी कर्मियों की पदस्थापना न करना

अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार, ठेकेदार निर्माण कार्य और नियमित रखरखाव के लिए तकनीकी कर्मियों (कार्यस्थल अभियंता, प्रौद्योगिकीविद्, सर्वेक्षक, आदि) को नियुक्त करेगा। यदि ठेकेदार आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मियों को पदस्थापित करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार से अनुबंध अनुसार वसूली की जाएगी।

बारह संभागों के 81 कार्यों में से नौ संभागों के 30 कार्यों में जैसा कि **परिशिष्ट 6.11** में विवरण दिया गया है, हमने पाया कि कार्य पर आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मियों की वास्तविक पदस्थापना के संबंध में कोई भी समर्थित अभिलेख रिकॉर्ड में नहीं पाए गए थे। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता और प्रगति प्रभावित हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ भी हुआ।

बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2021) कि यदि ठेकेदार अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी कर्मियों को नियुक्त नहीं करता है, तो ठेकेदार के बिलों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूली की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी कर्मियों की वास्तविक पदस्थापना को दर्शाने के लिए हमें कोई सहायक अभिलेख जैसे नियुक्ति पत्र/वेतन पर्ची/ईपीएफ आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

आयुक्त ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में कहा कि आम तौर पर ठेकेदार बड़े कार्यों में तकनीकी कर्मियों की तैनाती करते रहे हैं लेकिन छोटे कार्यों में कमियाँ हो सकती हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा के बाद आवश्यक कटौती की जाएगी।

[12] पत्र क्रमांक जी–33/पी.एम–1/बोर्ड/2019, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार।

6.6.3.3 फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना

अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर एक फील्ड प्रयोगशाला स्थापित करनी थी। फील्ड प्रयोगशाला स्थापित न होने की स्थिति में ठेकेदार से विलंब के लिए ₹ 25,000 प्रति माह की दर से शास्ति वसूली योग्य थी।

छः संभागों के 10 कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) में हमने पाया कि कार्य आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किये जाने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया, लेकिन अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.38 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ मिला, जैसा कि **परिशिष्ट 6.12** में वर्णित है।

आयुक्त ने निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में कहा कि जहाँ भी फील्ड प्रयोगशाला स्थापित हुए, उनसे संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए जाएंगे। हालाँकि, ये अभी भी अपेक्षित हैं (जनवरी 2022)।

6.6.3.4 अनुमोदित डिजाइन मिक्स/जॉब मिक्स के बिना निष्पादित कार्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार, ठेकेदार कार्य में प्रस्तावित जॉब मिक्स फॉर्मूला को कार्य शुरू होने से कम से कम 21 दिन पहले स्वीकृति हेतु अभियंता को प्रस्तुत करेगा। आगे यह प्रावधान है कि ठेकेदार उपयोग किए जाने वाले अनुमोदित स्रोतों की सामग्री के साथ डिजाइन मिक्स का प्रयोगशाला परीक्षण करेगा। परीक्षण मिश्रण अभियंता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में बनाया जाएगा और डिजाइन मिश्रण अभियंता के अनुमोदन के अधीन होगा।

पाँच संभागों के नौ कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) जैसा कि **परिशिष्ट 6.13** में विवरण दिया गया है, में हमने पाया कि, ₹ 11.67 करोड़ मूल्य के कार्यों को बिना स्वीकृत जॉब मिश्रण/डिजाइन मिश्रण के निष्पादित किया गया। स्वीकृत जॉब मिश्रण/डिजाइन मिश्रण के अभाव में अवमानक कार्य के निष्पादन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2021) में आयुक्त ने कहा कि अनुबंध में वांछित कार्य की मदों के निष्पादन से पूर्व बोर्ड अनुमोदित स्रोतों से डिजाइन मिश्रण/जॉब मिश्रण का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

6.6.3.5 अनुमोदित प्रयोगशाला से परीक्षण न करना

अनुबंधों की विशेष शर्त के अनुसार, ठेकेदार कार्य के निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं से आवश्यक परीक्षण करने के लिए बाध्य है। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा निर्धारित परीक्षण शुल्क चलित देयकों/अंतिम देयक से वसूल किया जाना चाहिए।

आठ संभागों के 22 कार्यों (नौ सिविल संभागों के 58 कार्यों में से) में हमने पाया कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, उपयोग की गई सामग्रियों का परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं से किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 6.14** में विवरण दिया गया है ।

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितंबर 2021) में कहा कि सरकारी प्रयोगशाला के साथ–साथ मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं[13] में सामग्री के परीक्षण के लिए एक प्रावधान (अनुबंधों/अनुबंधों की शर्तों में) है और यह उसी के अनुसार किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंधों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परीक्षण केवल सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाना था।

6.6.4 निष्कर्ष

विभाग ने चयनित स्थानों पर आवासों की मांग का सर्वेक्षण किये बिना ही परियोजनाओं को प्रारंभ कर दिया था। जिसके कारण बोर्ड की कई संपत्तियां अविक्रित रहीं, जिससे राशि अवरुद्ध रही एवं परियोजनाओं के रखरखाव और सुरक्षा पर भी पर्याप्त व्यय हुआ।

तैयार किये गये प्राक्कलन वास्तविक नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप आवासीय इकाइयों की कीमतों में वृद्धि हुई जो कि खरीददारों को वहन करनी होगी। यह पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवासों के अविक्रित रहने के कारणों में से एक हो सकता है।

अनुमानित लागत के साथ–साथ, अलग–अलग मदों में भारी भिन्नताएं दर्शाती हैं कि प्राक्कलन उचित सर्वेक्षण और निरीक्षण के बिना तैयार किए गए थे। आगे, कार्य निष्पादन के दौरान प्रतिस्थापित मदों की दरों को विनियमित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अधिक भुगतान हुआ। रॉयल्टी शुल्क की गैर/कम वसूली के साथ–साथ रॉयल्टी अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही ठेकेदार के अंतिम बिलों के भुगतान करने से ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिले।

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में कमियां पाई गईं। संगठन में गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण नहीं किये गये थे। शासकीय प्रयोगशालाओं से किए जाने वाले अनिवार्य परीक्षण निजी प्रयोगशालाओं से किए गए थे जो कार्यों की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में न तो तकनीकी कर्मियों को कार्य स्थल पर नियुक्त किया गया था और न ही कार्यस्थल प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अवमानक कार्यों का निष्पादन हो सकता है।

6.6.5 अनुशंसाएं

- अविक्रित संपत्तियों की संख्या को कम करने के लिए परियोजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व मांग सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- विभाग द्वारा उचित सर्वेक्षण और निरीक्षण के उपरान्त ही परियोजनाओं का प्राक्कलन तैयार करना चाहिए जिससे प्राक्कलित राशि और वास्तविक लागतों में अन्तर और इस प्रकार परियोजनाओं की समग्र लागत में वृद्धि को कम किया जा सके।
- खनन विभाग के नवीनतम आदेशों के अनुसार ठेकेदारों के अंतिम बिलों के भुगतान से पूर्व वैधानिक कटौती जैसे रॉयल्टी की वसूली की जानी चाहिए।

---

[13] परीक्षण और सक्षमीकरण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त।

- विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित करना चाहिए कि आवास उच्चतम संभव गुणवत्ता वाले हों, जिससे क्रेताओं का पैसा वसूल हो सके।

बि. कु. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक: 21 जून 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 23 जून 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.6.4 में संदर्भित)

लोक लेखा समिति द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिसके संबंध में विभाग द्वारा कार्यान्वयन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएँ
वाणिज्यिक कर विभाग					
1999–2000	बारहवीं	2005–06	169	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13	10
2005–06	चौदहवीं	2016–17	383	2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,	07
2005–06	चौदहवीं	2016–17	383	5.6	01
2006–07	चौदहवीं	2015–16	72	1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12	07
2007–08	चौदहवीं	2016–17	384	2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.17	08
2008–09	चौदहवीं	2016–17	385	2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18,	15
2009–10	चौदहवीं	2016–17	388	2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24, 2.25,	10
2009–10	चौदहवीं	2016–17	388	7.2, 7.3	02
2010–11	चौदहवीं	2017–18	463	2.9.10, 2.9.13, 2.9.18, 2.9.20, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.12, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.22	12
2010–11	चौदहवीं	2017–18	463	7.2, 7.3, 7.5	03
				योग	**75**
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग					
1999–2000	बारहवीं	2005–06	169	6.1	01
2005–06	चौदहवीं	2016–17	383	5.2, 5.3, 5.4	03
2006–07	चौदहवीं	2015–16	72	5.2, 5.8	02
2007–08	चौदहवीं	2016–17	384	5.2.8, 5.2.9, 5.2.11 से 5.2.21, 5.3, 5.5	03
2008–09	चौदहवीं	2016–17	385	5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17	11
2009–10	चौदहवीं	2016–17	388	6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10,	09
2010–11	चौदहवीं	2017–18	463	6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19	13
				योग	**42**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएँ
आबकारी विभाग					
2005–06	चौदहवीं	2016–17	383	3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,	06
2006–07	चौदहवीं	2015–16	72	3.2	01
2007–08	चौदहवीं	2016–17	384	3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11	08
2008–09	चौदहवीं	2016–17	385	3.3, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19	09
2009–10	चौदहवीं	2016–17	388	3.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.9, 3.10, 3.12, 3.14	06
2010–11	चौदहवीं	2017–18	463	3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13	05
				योग	**35**
वित्त विभाग					
2006–07	चौदहवीं	2015.16	70	7.2	01
				योग	**01**
खनिज साधन विभाग					
2009–10	चौदहवीं	2016–17	386	9.10, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19	09
2010–11	चौदहवीं	2016–17	390	10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16	10
2011–12	चौदहवीं	2016–17	393	8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17	10
2013–14	चौदहवीं	2017–18	471	7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12	06
				योग	**35**
परिवहन विभाग					
2008–09	चौदहवीं	2015–16	78	4.3	01
2010–11	चौदहवीं	2016–17	391	4.7.7 से 4.7.25, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13	07
2011–12	चौदहवीं	2016–17	392	4.7, 4.8, 4.9, 4.10	04
2012–13	चौदहवीं	2017–18	469	4.7.7, 4.7.8, 4.7.9, 4.7.10, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14	08
2014–15	चौदहवीं	2017–18	472	4.3, 4.4, 4.5	03
				योग	**23**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	लोक लेखा समिति वर्ष	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएँ
लोक निर्माण विभाग					
2003–04	चौदहवीं	2015–16	49	4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3	04
2004–05	चौदहवीं	2015–16	52	3.2,4.3.2, 4.3.3, 4.5.3	04
2005–06	चौदहवीं	2016–17	360	3.7, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7	04
2007–08	चौदहवीं	2017–18	435	4.5.4	01
2010–11	चौदहवीं	2016–17	375	3.4.3	01
2011–12	चौदहवीं	2017–18	466	2.1	01
				योग	**15**
वन विभाग					
2006–07	चौदहवीं	2016–17	365	3.2	01
2010–11	चौदहवीं	2015–16	83	9.6	01
				योग	**02**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग					
2005–06	चौदहवीं	––	364	4.1.3, 4.2.3, 4.3.4, 4.6.4	04
2006–07	चौदहवीं	2016–17	367	4.1.1	01
				योग	**05**
शहरी विकास एवं आवास विभाग					
2008–09	चौदहवीं	2017–18	438	2.2.10	01
2009–10	चौदहवीं	2017–18	442	2.1.7	01
2013–14	चौदहवीं	––	457	2.1, 3.2.1	02
				योग	**04**
				महायोग	**237**

परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.6.5 में संदर्भित)

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जारी सिफारिश प्रतिवेदनों की सूची जिसके संबंध में विभागों द्वारा कार्यान्वयन लंबित है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएँ
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग				
1999–00	तेरहवीं	51	13, 17, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 67, 70, 74, 78, 82, 86, 89, 101, 105, 108, 111, 114	25
2003–04	चौदहवीं	91	4, 8, 12, 16	4
2004–05	तेरहवीं	133	51, 53	2
2004–05	चौदहवीं	107	7, 10, 22, 37, 49, 56	6
2004–05	चौदहवीं	105	7, 22, 30, 37, 53, 65, 73, 91, 102	9
2004–05	चौदहवीं	106	10, 24, 45, 61, 77, 91, 99	7
2005–06	तेरहवीं	150	4	1
2005–06	चौदहवीं	34	12, 16	2
2007–08	चौदहवीं	4	18, 36, 58	3
2010–11	चौदहवीं	68	4	1
2010–11	चौदहवीं	67	4	1
2012–13	चौदहवीं	157	4	1
2012–13	चौदहवीं	156	4, 8	2
2013–14	पंद्रहवीं	6	4	1
			योग	**65**
ऊर्जा विभाग				
2000–01	चौदहवीं	48	62	1
2001–02	चौदहवीं	102	13, 25, 39, 47, 51, 55, 59, 70, 74, 86	10
2009–10	चौदहवीं	113	4	1
2009–10	चौदहवीं	127	4	1
2009–10	चौदहवीं	145	4	1
2010–11	चौदहवीं	146	12, 32, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 84, 88	10
2010–11	चौदहवीं	154	16, 32, 40, 47,51, 58, 62, 66, 77, 89, 105, 109	12
2010–11	चौदहवीं	114	4	1
2011–12	चौदहवीं	133	4	1
2011–12	चौदहवीं	155	14, 18, 25, 29, 36, 40, 44, 48, 59, 69, 76, 83, 96, 122	14
			योग	**52**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा	सिफारिश प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	कुल कंडिकाएँ
			वित्त विभाग	
1973–74	पाँचवीं	8	2, 8	2
1986–87	ग्यारहवीं	2	31, 35, 55, 66, 79	5
1987–88	ग्यारहवीं	109	10, 16, 21	3
2005–06	चौदहवीं	110	25, 29, 33, 37, 41, 53, 60, 64, 76, 80, 84, 88, 100,15	14
2010–11	चौदहवीं	128	27, 34, 42, 46, 72, 76, 88, 92	8
			योग	**32**
			खनिज साधन विभाग	
2011–12	चौदहवीं	129	4	1
			योग	**1**
			परिवहन विभाग	
2010–11	चौदहवीं	116	4	1
			योग	**1**
			शहरी विकास एवं आवास विभाग	
2010–11	चौदहवीं	81	4	1
			योग	**1**
			विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	
2014–15	चौदहवीं	7	4, 8	2
			योग	**2**
			महायोग	**154**

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.6.2 में संदर्भित)

बाजार मूल्य दिशानिर्देशों के बराबर और अधिक पर पंजीकृत विक्रय विलेख को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	इकाई का नाम	2018–19 में एक करोड़ या अधिक बाजार मूल्य/प्रतिफल मूल्य से अधिक पंजीकृत विलेखों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित विलेखों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गये वास्तविक विलेखों की संख्या	बाजार मूल्य से अधिक प्रतिफल मूल्य पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	बाजार मूल्य से अधिक पर पंजीकृत विलेखों का प्रतिशत					बाजार मूल्य से अधिक पर पंजीकृत विलेखों का प्रतिशत
						बजार मूल्य दिशानिर्देश दरों से 01 प्रतिशत अधिक पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	बजार मूल्य दिशानिर्देश दरों से 20 प्रतिशत अधिक पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	बजार मूल्य दिशानिर्देश दरों से 50 प्रतिशत अधिक पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	बजार मूल्य दिशानिर्देश दरों से 80 प्रतिशत अधिक पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	बजार मूल्य दिशानिर्देश दरों से 100 प्रतिशत अधिक पर पंजीकृत विलेखों की संख्या	
1	उप पंजीयक इन्दौर 1	239	239	188	77	24	16	11	04	22	40.95
2	उप पंजीयक भोपाल 3	57	57	57	31	11	07	04	02	07	54.39
3	उप पंजीयक भोपाल 1	41	41	41	18	08	05	00	01	04	43.90
4	उप पंजीयक भोपाल 2	156	95	95	47	24	06	12	01	04	49.47
5	उप पंजीयक इन्दौर 3	130	90	90	60	18	21	05	03	13	66.67
6	उप पंजीयक ग्वालियर 1	50	50	50	05	04	01	00	00	00	10.00
7	उप पंजीयक ग्वालियर 2	59	59	59	01	00	01	00	00	00	01.69
8	उप पंजीयक जबलपुर 1	47	47	47	15	05	07	01	00	02	31.91
9	उप पंजीयक जबलपुर 2	40	40	40	14	04	05	01	01	03	35.00
10	उप पंजीयक इन्दौर 2	341	103	103	48	15	17	09	00	07	46.60
	योग	**1,160**	**821**	**770**	**316**	**113**	**86**	**43**	**12**	**62**	

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.6.5.2 में संदर्भित)

सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति

(राशि ₹ में)

स. क्र.	इकाई का नाम	पंजीबद्ध प्रकरणों की कुल संख्या	जाँचे गये प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	पंजीबद्ध मूल्य / मार्गदर्शिका अनुसार मूल्य	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	अन्तर मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	कुल राशि
1	उप पंजीयक भोपाल 03	26,715	411	07	27,15,34,093	3,70,01,589	2,43,48,172	1,26,53,417	1,38,04,491
					41,56,68,553	33,25,349	21,74,275	11,51,074	
2	उप पंजीयक इन्दौर 01	44,279	448	11	16,16,12,820	1,19,35,123	1,12,77,164	6,57,959	8,50,671
					17,12,97,150	35,51,849	33,59,137	1,92,712	
3	उप पंजीयक भोपाल 02	36,837	389	02	2,68,63,750	30,46,069	24,00,430	6,45,639	7,18,509
					3,59,72,500	2,87,780	2,14,910	72,870	
4	उप पंजीयक भोपाल 01	51,371	700	01	27,24,488	3,44,486	2,59,828	84,658	1,11,208
					36,26,164	1,08,785	82,235	26,550	
5	उप पंजीयक जबलपुर 01	24,048	341	03	4,59,26,750	64,11,492	40,66,785	23,44,707	27,71,110
					7,21,67,125	9,15,609	4,89,206	4,26,403	
6	उप पंजीयक जबलपुर 02	31,259	461	02	81,39,200	9,82,544	7,72,358	2,10,186	2,76,878
					1,03,42,569	3,10,277	2,43,585	66,692	
7	उप पंजीयक ग्वालियर 02	38,792	477	07	22,95,29,015	1,12,12,071	71,10,577	41,01,494	46,79,340
					27,62,55,740	15,51,692	9,73,846	5,77,846	
8	उप पंजीयक ग्वालियर 01	21,811	507	03	3,21,33,788	92,07,420	30,53,711	61,53,709	71,32,212
					9,69,20,219	15,84,967	6,06,464	9,78,503	
9	उप पंजीयक इन्दौर 02	31,840	221	02	4,15,84,200	49,82,788	36,99,903	12,82,885	14,68,534
					5,63,14,406	8,81,856	6,96,207	1,85,649	
	योग	**3,06,952**	**3,955**	**38**	**82,00,48,104**	**8,51,23,582**	**5,69,88,928**	**2,81,34,654**	**3,18,12,953**
					1,13,85,64,426	**1,25,18,164**	**88,39,865**	**36,78,299**	

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.6.5.3 में संदर्भित)

भूमि विकास अनुबंधों पर पंजीयन फीस के कम आरोपण को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स.क.	इकाई का नाम	पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या	जाँचे गये प्रकरणों की संख्या	आपत्ति लिए गये प्रकरणों की संख्या	संपूर्ण विकसित भूमि का पंजीकृत मूल्य	आरोपणीय पंजीयन फीस	आरोपित पंजीयन फीस	अंतर
1	उप पंजीयक भोपाल 03	672	30	06	12,93,58,838	10,34,871	5,24,243	5,10,628
2	उप पंजीयक इन्दौर 01	1099	125	08	44,95,94,417	35,96,755	17,98,882	17,97,873
3	उप पंजीयक इन्दौर 02	1,061	49	03	2,14,36,850	1,71,497	85,749	85,748
4	उप पंजीयक ग्वालियर 01	756	63	01	5,49,91,170	4,39,929	2,19,965	2,19,964
5	उप पंजीयक इन्दौर 03	1,310	114	02	9,86,20,000	7,88,960	3,95,480	3,93,480
6	उप पंजीयक जबलपुर 01	1,217	48	01	5,68,05,000	4,54,440	2,27,220	2,27,220
7	उप पंजीयक भोपाल 01	910	153	23	19,72,57,437	15,78,066	7,89,039	7,89,027
योग		**7,025**	**582**	**44**	**1,00,80,63,712**	**80,64,518**	**40,40,578**	**40,23,940**

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका 2.6.5.4 में संदर्भित)

भूमि को टुकड़ों में विभक्त कर पंजीयन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के वृद्धिशील राजस्व के परित्याग को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	गाँव का नाम, पटवारी हल्का क्रमांक एवं खसरा क्रमांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	पंजीयन संख्या एवं दस्तावेज का दिनांक	विक्रित रकवा (हेक्टेयर में)	पंजीबद्ध मूल्य	यदि विभाजित नहीं किया जाता तो, भूमि का मूल्यांकन	न्यून मूल्यांकन	आरोपणीय	आरोपित	अंतर
										मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क
										जनपद शुल्क	जनपद शुल्क	जनपद शुल्क
										उपकर मुद्रांक शुल्क पर	उपकर मुद्रांक शुल्क पर	उपकर मुद्रांक शुल्क पर
										पंजीयन फीस	पंजीयन फीस	पंजीयन फीस
1	उप पंजीयक भोपाल 03	खेजरा बरामद प.ह.नं. 21, 9/2/1, 11/1/1ए	श्रीमति गंगा बाई पति श्री दीलाराम	श्री दर्वेश कुमार शर्मा पिता श्री जे.सी. शर्मा	एमपी 059712018ए 1789229 06/12/18 (राज्य मार्ग पर)	0.304	1,60,00,000	4,80,09,000	50,09,000	24,00,450	21,50,000	2,50,450
										14,40,270	12,90,000	1,50,270
										4,80,090	4,30,000	50,090
					एमपी059712018 ए1791982 07/12/18	1.213	2,70,00,000			2,40,045	2,15,000	25,045
										3,84,072	3,44,000	40,072
						कुल	**4,30,00,000**			**49,44,927**	**44,29,000**	**5,15,927**
2	उप पंजीयक इन्दौर 03	ग्राम– निपनिया प.ह.नं. 17, 191/2/1/2	मनोज यादव पिता स्व. श्री सुन्दरलाल यादव	मेसर्स ओएसिस गार्डन एवं रिसोर्ट इन्दौर	एमपी 179142017ए 1426342 26/07/17 (आगरा–बॉम्बे रोड बायपास)	0.213 व्यपवर्तित भूमि	3,50,00,000	9,07,50,000	2,63,50,000	45,37,500	32,20,000	13,17,500
										18,15,000	12,88,000	5,27,000
										9,07,500	6,44,000	2,63,500
					एमपी179142017 ए149013 05/08/17	0.372 व्यपवर्तित भूमि	2,94,00,000			4,53,750	3,22,000	1,31,750
										7,26,000	5,15,200	2,10,800
						कुल	**6,44,00,000**			**84,39,750**	**59,89,200**	**24,50,550**

स.क्र.	इकाई का नाम	गाँव का नाम, पटवारी हल्का क्रमांक एवं खसरा क्रमांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	पंजीयन संख्या एवं दस्तावेज का दिनांक	विक्रित रकवा (हेक्टेयर में)	पंजीबद्ध मूल्य	यदि विभाजित नहीं किया जाता तो, भूमि का मूल्यांकन	न्यून मूल्यांकन	आरोपणीय	आरोपित	अंतर
										मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क	मुद्रांक शुल्क
										जनपद शुल्क	जनपद शुल्क	जनपद शुल्क
										उपकर मुद्रांक शुल्क पर	उपकर मुद्रांक शुल्क पर	उपकर मुद्रांक शुल्क पर
										पंजीयन फीस	पंजीयन फीस	पंजीयन फीस
3	उप पंजीयक इन्दौर 02	पिपल्या राऊ प.ह.नं 33/433/4, 353/3ए	रमेश चन्द्र नागवानी	मेसर्स विनायक इन्टरप्राईजेज	एमपी179132017 ए1179487 06/04/17	0.079	1,42,20,000			55,42,000	28,53,000	26,89,000
										22,16,800	11,41,200	10,75,600
										11,08,400	5,70,600	5,37,800
					एमपी179132017 ए1193497 17/04/17 (आगरा–बॉम्बे रोड)	0.063	4,28,40,000	11,08,40,000	5,37,80,000	5,54,200	2,85,300	2,68,900
										8,86,720	4,56,480	4,30,240
						कुल	**5,70,60,000**			**1,03,08,120**	**53,06,580**	**50,01,540**
		मिर्जापुर, प.ह.नं. 24	अनिल मदान	मेसर्स ईगल टेक्सेक कम्युनिकेशन प्रा.लि.	एमपी179132017 ए1345086 23/06/17 (इन्दौर बायपास रोड)	0.240	2,02,50,000			26,32,500	18,78,750	7,53,750
										0	0	0
										5,26,500	3,75,750	1,50,750
					एमपी179132017 ए1355782 28/06/17	0.432	1,73,25,000	5,26,50,000	1,50,75,000	2,63,250	1,87,875	75,375
										4,21,200	3,00,600	1,20,600
										38,43,450	**27,42,975**	**11,00,475**
						कुल	**3,75,75,000**					
						महायोग	**20,20,35,000**	**30,22,49,000**	**10,02,14,000**	**2,75,36,247**	**1,84,67,755**	**90,68,492**

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.4.2 में संदर्भित)

इकाईयों का विवरण और अवधि जिसके लिए निर्धारित प्रकरण उपलब्ध कराये गए थे

स.क.	इकाईयाँ	इन वर्षों के निर्धारित प्रकरण प्रस्तुत किए गए	वर्षों का योग
1	सं.उ.वा.क. संभाग–2 भोपाल	2018–20	2
2	सं.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर	2018–20	2
3	सं.उ.वा.क. संभाग–1 इंदौर	2018–20	2
4	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना	2018–20	2
5	स.आ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर	2017–20	3
6	वा.क.अधि. वृत्त–देवास	2018–20	2
7	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर	2018–20	2
8	वा.क.अधि. वृत्त–13 इंदौर	2018–20	2
9	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर	2018–20	2
10	वा.क.अधि. वृत्त मंडीदीप	2018–20	2
11	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम	2018–20	2
12	वा.क.अधि. वृत्त शिवपुरी	2018–20	2
13	वा.क.अधि. वृत्त–1 उज्जैन	2018–20	2
14	वा.क.अधि. वृत्त बैढ़न	2017–20	3

2017–20	**02 इकाईयाँ**
2018–20	**12 इकाईयाँ**

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.6 में संदर्भित)

टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
1	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसर्स महाकालेश्वर माइंस एंड मेटल्स प्रा.लि. टिन–23259021164 प्रकरण कमांकः–सीएस 00000131190	2016–17	36,17,260	0	36,17,260	1.5	54,259	नि.प्रा. द्वारा कार की विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
2	वा.क.अधि. वृत्त –1 रतलाम मेसर्स मारुती इंडस्ट्रीज टिन–23031803179 प्र.क. सीएस 000000858883	2015–16	1,37,23,361	1,25,64,164	11,59,197	1.5	17,388	नि.प्रा. द्वारा ट्रक की विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
3	वा.क.अधि. वृत्त –1 उज्जैन मेसर्स दिनेश कुमार शर्मा टिन–23672605308 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000958971	2015–16	17,88,54,506	17,21,98,879	66,55,627	14	9,31,787	नि.प्रा. द्वारा प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय को सकल विक्रय में डीएनआई सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
4	वा.क.अधि. वृत्त – 2 जबलपुर मेसर्स समदडिया बिल्डर्स टिन–23766005933 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000833866	2016–17	35,38,12,624	34,34,62,405	1,03,50,219	5	5,17,511	नि.प्रा. द्वारा मशीनरी एवं स्क्रैप की विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
5	वा.क.अधि. वृत्त – 2 जबलपुर मेसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि. टिन–23605808335 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001123100	2016–17	4,50,93,869	3,92,83,664	49,30,500 8,79,705	14 5	6,90,270 43,985	नि.प्रा. द्वारा मशीनरी एवं स्क्रैप की विक्रय को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया। इसलिए वैट की धारा 2(एक्स)(iii) लगाई गई ।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
6	वा.क.अधि. वृत्त – मंडीदीप मेसर्स. एन के इंजी. यूनिट–2 टिन– 23159019913 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000941272	2015–16	2,39,33,297	2,33,27,333	6,425 24,870	1.5 14		नि.प्रा. द्वारा प्लांट एवं मशीनरी एवं वाहन की विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि. वृत्त – देवास मेसर्स रघु प्रिसिशन इंजी. प्रा.लि. टिन–23238002160 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000821205	2015–16	1,11,87,754	1,04,17,859	7,69,895	1.5	11,548	नि.प्रा. द्वारा वाहन के विक्रय मूल्य को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
8	व.क.अधि. वृत्त देवास मेसर्स जाजू हाइजीन प्रा.लि. टिन–23619084372 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000826105	2015–16	5,39,82,356	3,05,91,847	2,33,90,509	14	32,74,671	नि.प्रा. द्वारा मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
9	वा.क.अधि. वृत्त – 2 जबलपुर मेसर्स सुन्दर दास ज्ञानचंद एंड कं. टिन –23435902179 प्रकरण कमांकः–233 /17	2016–17	2,10,03,268	1,98,05,268	11,98,000	1.5	17,970	नि.प्रा. द्वारा डम्पर व ट्रक के विक्रय मूल्य को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स रेलटेक इन्फ्रावेंचर प्रा.लि. टिन–23589154409 प्रकरण कमांकः–543 / 2017	2016–17	2,76,27,491	2,57,40,649	18,86,842	14	2,64,158	नि.प्रा. द्वारा मशीनरी के विक्रय मूल्य को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
11	वा.क.अधि. वृत्त – शिवपुरी मेसर्स इशु मोटर्स टिन–2356570343 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001397117	2016–17	1,06,87,033	94,87,531	11,99,502	15	1,79,925	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित से लेखों में प्रमाणित टर्नओवर से सकम जीटीओ निर्धारित किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
12	वा.क.अधि. वृत्त–13 इंदौर मेसर्स न्यू लुक बिल्डकोन प्रा.लि. टिन–23081204807 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000828307	2015–16	1,24,78,545	1,05,22,835	19,55,710	5	97,786	नि.प्रा. ने लेखापरीक्षित लेखों में प्रमाणित विक्रय से कम विक्रय निर्धारित किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
13	वा.क.अधि. वृत्त–13 इंदौर मेसर्स आर.एस इलेक्ट्रिकल्स एंड कंपनी टिन–23201302420 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001051047	2015–16	2,03,06,343	1,91,42,152	11,64,191	5	58,209	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखों में प्रमाणित विक्रय से कम विक्रय निर्धारित किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
14	वा.क.अधि. वृत्त–13 इंदौर मेसर्स भारती इंटरप्राइजेज टिन–23581304345 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000831696	2015–16	49,08,756	46,75,000	2,33,756	5	11,688	नि.प्रा. ने अंकेक्षित लेखों में प्रमाणित विक्रय से कम विक्रय निर्धारित किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
15	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स अमित ट्रेडर्स टिन–23539180313 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001111324	2016–17	1,39,50,600	1,32,36,529	7,14,071	14	99,970	नि.प्रा. द्वारा एक ही राशि (₹ 1,41,42,281) पर करारोपण तथा आगत कर छूट स्वीकृत किया गया जबकि अंकेक्षित खाता से क्रय तथा विक्रय मूल्य भिन्न प्रकट होते थे।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
16	वा.क.अधि. वृत्त– बैढ़न मेसर्स भैरों सर्विस स्टेशन टिन–23887302951 प्रकरण कमांकः–139 / 2017	2016–17	7,52,29,789	7,20,25,101	4,53,115 12,39,570 15,12,003	14 27 31	63,436 3,34,684 4,68,721	व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाता में दर्ज विक्रय से कम विक्रय को डीम्ड प्रकरण में कर निधारण हेतु लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
17	वा.क.अधि. वृत्त –1 उज्जैन मेसर्स दिनेश कुमार शर्मा टिन–2367265308 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000958971	2015–16	27,115 घ.मी. 1,89,80,500	9,396.65 घ.मी. 65,77,655	17,718.35 घ.मी. 1,24,02,845	35/घ.मी.	6,20,142	नि.प्रा. द्वारा धारा 9 अ के माल (गिट्टी) की मात्रा को कम निर्धारित किया गया जबकि अंकेक्षित खाता में दर्ज रायल्टी राशि से इसकी मात्रा अधिक संगणित होती थी। 35/घ.मी. (प्रति घ.मी. की दर से)	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
18	वा.का.अधि. वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स शिव पाठक टिन–23772605059 प्रकरण कमांकः–सीएस 00001426080	2016–17	4,600 घ.मी. 32,20,000	3,900 घ.मी. 27,30,000	700 घ.मी. 8,57,500	35/घ.मी.	24,500	नि.प्रा. द्वारा धारा 9 अ के माल की मात्रा को कम निर्धारित किया गया जबकि अंकेक्षित खाता में दर्ज रायल्टी राशि से इसकी मात्रा अधिक संगणित होती थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
19	वा.क.अधि.वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स फायबरटेक इन्फ्राकोन प्रा. लि. टिन–23129194807 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000143118	2016–17	1,33,851 घ मी. 9,36,95,700	48,521 घ.मी. 3,39,64,700	85,330 घ.मी. 5,97,31,000	35/घ.मी.	29,86,550	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धातु की 48,251 घन मीटर मात्रा पर करारोपण किया गया जबकि वैटिस रिपोर्ट से व्यवसायी द्वारा 1,33,851 घन मीटर विक्रय प्रमाणित हुआ।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
20	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स पीताम्बर ग्रिट स्टोन टिन–23135208115 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000871660	2015–16	30,582 घ.मी 2,14,07,400	15,843 घ.मी 1,10,90,100	14,739 घ.मी 1,03,17,300	35/घ.मी.	5,15,865	नि.प्रा. द्वारा धारा 9 अ के माल की मात्रा को कम निर्धारित किया गया जबकि अंकेक्षित खाता में दर्ज रायल्टी राशि से इसकी मात्रा अधिक संगणित होती थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
21	वा.क.अधि. वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स महेंद्र कुमार सेठिया टिन–23432606798 प्रकरण कमांकः–1534/17	2015–16	1,912 घ.मी 13,38,400	0	1,912 घ.मी 13,38,400	35/घ.मी.	66,920	नि.प्रा. द्वारा धारा 9 अ के माल (गिट्टी) की मात्रा को कम निर्धारित किया गया जबकि अंकेक्षित खाता में दर्ज रायल्टी राशि से इसकी मात्रा अधिक संगणित होती थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
22	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स पीताम्बर ग्रिट स्टोन टिन–23135208115 प्रकरण कमांकः–ए.एस.1/17	2016–17	23,525घ.मी 1,64,67,500	20,744 घ.मी 1,45,20,800	2,781 घ.मी 19,46,700	35/घ.मी.	97,335	नि.प्रा. द्वारा धारा 9अ के माल (गिट्टी) की मात्रा को कम निर्धारित किया गया जबकि अंकेक्षित खाता में दर्ज रायल्टी राशि से इसकी मात्रा अधिक संगणित होती थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
23	वा.क.अधि.वृत्त–1 रतलाम मेसर्स इंजीनियरिंग एसोसिएट्स टिन–23259125633 प्रकरण कमांकः–सीएस 000001138275	2016–17	5,20,67,226	3,33,27,676	11,24,373 1,76,15,177	5 14	56,219 24,66,125	नि.प्रा. द्वारा संकर्म संविदा अंतर्गत विक्रय का निर्धारण वास्तव में प्रयुक्त हुए माल के विक्रय मूल्य से कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
24	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम मेसर्स माहि इंटरप्राइजेस टिन–23533405956 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001154821	2016–17	92,87,464	37,23,228	42,81,236 12,83,000	5 1.5	2,14,061 19,245	नि.प्रा. द्वारा संकर्म संविदा अंतर्गत विक्रय का निर्धारण वास्तव में प्रयुक्त हुए माल के विक्रय मूल्य से कम निर्धारित किया गया तथा कार की विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
25	वा.क.अधि. वृत्त–देवास मेसर्स राजा कंस्ट्रक्शन टिन– 23849061845 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000837100	2015–16	51,18,133	25,36,128	25,82,005	14	3,61,481	नि.प्रा. द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त हुई सीमेंट के मूल्य को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
26	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स शारदा इंटरप्राइजेज टिन–23399150451 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001111283	2016–17	3,23,96,753	1,78,49,947	63,80,547 81,66,259	5 14	3,19,027 11,43,276	नि.प्रा. द्वारा संकर्म संविदा अंतर्गत सकल विक्रय का निर्धारण वास्तव में प्रयुक्त हुए माल के विक्रय मूल्य से कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
27	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स वसुंधरा कंस्ट्रक्शन टिन–23699129566 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001234158	2016–17	2,17,50,415	2,03,25,139	14,25,276	14 5	1,31,391	नि.प्रा. द्वारा संकर्म संविदा अंतर्गत विक्रय का निर्धारण अंकेषित खाते के अनुसार वास्तव में प्रयुक्त हुए माल के विक्रय मूल्य से कम निर्धारित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
28	वा.क.अधि. वृत्त–1 बैढ़न मेसर्स संत बहादुर सिंह टिन–23407306610 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000892120	2015–16	3,13,28,668	1,52,58,247	38,31,896 1,20,05,899 2,32,626	5 14 15	1,91,595 16,80,826 34,894	नि.प्रा. द्वारा बिना किसी सुसंगत साक्ष्य के सकल विक्रय निर्धारित की गई। करदाता एक ठेकेदार हैं ,उसके द्वारा अंकेक्षित खाता प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे स्टॉक का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष ज्ञात हो अतः ले.प. द्वारा सकल विक्रय निर्धारण हेतु संपूर्ण क्रय को गणना में लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
29	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स एच.पी.फ्यूल स्टेशन टिन–23977306927	2015–16	9,25,93,478	9,13,85,478	12,08,000	31	3,74,480	नि.प्रा. द्वारा डीजल/पेट्रोल को कर चुका मानकर ₹ 12,08,000 की कटौती प्रदान की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
	प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000000963438								
30	वा.का.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स विजय कुमार शर्मा टिन–23289099537 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000000851571	2015–16	98,10,455	0	98,10,455	5	4,90,523	नि.प्रा. द्वारा मिट्टी को कर मुक्त मानकर छूट प्रदान की गई जबकि मिट्टी प्रविष्टी क्रमांक II/II/101 के अंतर्गत 5 प्रतिशत से कर योग्य है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
31	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स संतोष गिरी टिन–23669036740 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 000000849177	2015–16	39,20,459	0	39,20,459	5	1,96,023	नि.प्रा. द्वारा मिट्टी को कर मुक्त मानकर छूट प्रदान की गई जबकि मिट्टी प्रविष्टी क्रमांक II/II/101 के अंतर्गत 5 प्रतिशत से कर योग्य है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
32	वा.क.अधि. वृत्त– 2 जबलपुर मेसर्स एवरग्रीन डेलकाम टिन–23629072246 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 000001250141	2016–17	4,32,72,372	3,99,10,359	21,25,660 12,36,353	14 5	2,97,592 61,818	नि.प्रा. द्वारा धारा 2(एक्स)(iii) की त्रुटिपूर्ण छूट दी गई जबकि विक्रय में कर की राशि सम्मिलित नहीं थी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
33	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स शिव ट्रेडर्स टिन–23759036634 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000001110733	2016–17	1,05,26,645	97,76,705	7,49,940	14	1,04,992	नि.प्रा. द्वारा धारा 2(एक्स)(iii) की त्रुटिपूर्ण छूट दी गई।	नि.प्रा. ने कहा कि आपत्ति में उल्लेखित राशि कर योग्य बिक्री राशि नहीं है बल्कि यह सकल बिक्री राशि है जिसकी पुष्टि 40(ए) फार्म 3 सीडी बिंदु संख्या द्वारा की जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खरीद सूचियों और लाभ हानि खाते की समीक्षा के बाद अवलोकन किया गया है। खाते में दर्ज शुद्ध खरीद मूल्य पर भी व्यवसायी को आगत कर छूट दी गई हैं।
34	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स एस.एम.जे.एक्सिम्प लि. टिन–23969103446	2015–16	2,13,96,459	2,03,77,550	10,18,909	5	50,945	नि.प्रा. द्वारा धारा 2(एक्स)(iii) की त्रुटिपूर्ण छूट दी गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	लेखा/अभिलेख अनुसार विक्रय/मात्रा	नि.प्रा. द्वारा निर्धारित विक्रय/मात्रा	कर योग्य विक्रय/मात्रा का कम निर्धारण	कर की दर	कम प्राप्ति की राशि	लेखा परीक्षा अवलोकन	नि.प्रा. का उत्तर
	प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000000963966								
35	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स कोरामंडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. टिन–23599125144 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000000964060	2015–16	2,58,41,160	0	2,58,41,160	5 14	22,35,517	व्यवसायी के प्रस्ताव अनुसार कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा कोई प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हुआ है, नि.प्रा. द्वारा बिना कोई सुसंगत साक्ष्य लिए सकल विक्रय निरंक निर्धारित की गई, व्यवसायी द्वारा संबंधित अवधि के अंकेक्षित खाता भी प्रस्तुत नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
36	वा.क.अधि. वृत्त– बैढ़न मेसर्स कोरमंडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. टिन–23599125144 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 00000011111229	2016–17	1,99,39,120	0	1,99,39,120	5 14	14,47,536	व्यवसायी के प्रस्ताव अनुसार कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा कोई प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हुआ है। नि.प्रा. द्वारा बिना कोई सुसंगत साक्ष्य लिए सकल विक्रय निरंक निर्धारित की गई , व्यवसायी द्वारा संबंधित अवधि के अंकेक्षित खाता भी प्रस्तुत नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
37	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसर्स जेपी सीधी सीमेंट प्लांट टिन–23826905284 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000001116266	2016–17	60,67,670	29,87,610	30,80,060	14	4,31,208	नि.प्रा. ने धारा 9(सी) के अनुसार सड़क मार्ग से परिवहन किए गए 9,921 मीट्रिक टन सीमेंट पर वैट लगाया जबकि अभिलेखों से स्पष्ट है कि व्यवसायी ने 20,149 मीट्रिक टन सीमेंट (126 किमी/2.39 किमी) का परिवहन किया था।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
38	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसर्स–अग्रवाल मोटर्स प्रोप.कोनकोर्ड टाईअप प्रा.लि. टिन–23667003827 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000001114294	2016–17	1,53,99,71,358	1,52,84,60,101	1,15,11,257	15	17,26,688	व्यापार खाते में दर्ज स्टॉक और खरीद के अनुसार, बिक्री के लिए माल (प्रा. स्टॉक + क्रय – अंतिम स्टॉक) खाते में दर्ज विक्रय से अधिक संगणित होता है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
		योग	**2,95,07,94,187**	**2,66,12,82,639**	**28,95,11,548**		**2,55,16,035**		

परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.7.1 में संदर्भित)

उचित सत्यापन किये बिना आगत कर छूट अनुमत करना

(राशि ₹ में)

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसस महाकालेश्वर माइंस एंड मेटल प्रा.लि. टिन–23259021164 प्रकरण कमांकः–सीएस000001311908	2016–17	2,42,50,392 1,87,88,970	कर 54,61,422 शास्ति 1,63,84,266 **2,18,45,688**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई। फार्म 75 विसंगतिपूर्ण पाए जाने के बावजूद बिना कोई स्पष्टीकरण दिए नि.प्रा. द्वारा आईटीआर की अनुमति दी गई इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि क.नि.अधि. ने गणनाओं, अन्य कमियों का सत्यापन किया और फार्म 75 जारी किया। नि.प्रा. ने आयुक्त द्वारा अपने परिपत्र में जारी निर्देश का पालन नहीं किया। अनुमत आईटीआर उपधारा (6–ए) के प्रावधान के विरुद्ध था क्योंकि खरीद और बिक्री विवरण, एक समान नहीं पाए गए थे।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
2	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसर्स श्री पद्मा मोटर्स टिन–2339603144 प्रकरण कमांकः–सीएस 000001349456	2016–17	4,68,56,615 4,66,00,407	कर 2,56,208 शास्ति 7,68,624 **10,24,832**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
3	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसस कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ल. टिन–2321197002430 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001114272	2016–17	79,28,770 62,63,433	कर 16,65,337 शास्ति 49,96,011 **66,61,348**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
4	सं.उ.वा.क. संभाग–सतना मेसर्स महाकालेश्वर माइंस एंड मेटल प्रा.लि. टिन–23259021164 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001352480	2017–18	14,37,583 7,76,986	कर 6,60,597 शास्ति 19,81,791 **26,42,388**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गइ।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
5	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स एस.के.इंटरप्राइजेस टिन–23965702507 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001396695	2016–17	47,99,769 44,98,472	कर 3,01,297 शास्ति 9,03,891 **12,05,188**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
6	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स जय शिव मेडिकल स्टोर टिन–23105705111 प्र.क्र.सीएस 0000001388104	2016–17	19,83,124 16,54,319	कर 3,28,805 शास्ति 9,86,415 **13,15,220**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
7	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स बबलू ट्रेडिंग कंपनी टिन–23115704378 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000008539954	2016–17	8,80,886 6,88,789	कर 1,92,097 शास्ति 5,76,291 **7,68,388**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
8	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स विकॉन इलेक्ट्रोनिक्स हाउस टिन–23985701911 प्र.क्र.सीएस 0000008540697	2016–17	6,74,143 6,15,497	कर 58,646 शास्ति 1,75,938 **2,34,584**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
9	वा.क.अधि. वृत्त– 1 रतलाम मेसर्स स्पीड वेज टिन–23933400662 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001285301	2016–17	1,07,36,824 80,75,583	कर 26,61,241 शास्ति 79,83,723 **1,06,44,964**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
10	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम मेसर्स ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक्स टिन–23193404270 प्रकरण कमांकः–सीएस 000001341871	2017–18	9,63,237 7,98,188	कर 1,65,049 शास्ति 4,95,147 **6,60,196**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
11	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम मेसर्स खंडेलवाल इंटरप्राइजेंस टिन–23959196664 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001129124	2016–17	10,86,067 5,85,532	कर 5,00,535 शास्ति 15,01,605 **20,02,140**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
12	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम मेसर्स महावीर ट्रेडर्स पेटलावद टिन–23671802051 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000852612	2015–16	25,06,987 23,61,540	कर 1,45,447 शास्ति 4,36,341 **5,81,788**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
13	वा.क.अधि. वृत्त–1, रतलाम मेसर्स राकेश कुमार जैन टिन–23531802613 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000860371	2015–16	7,89,432 1,32,643	कर 6,56,789 शास्ति 19,70,367 **26,27,156**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
14	वा.क.अधि. वृत्त–1, रतलाम मेसर्स श्री राम मेडिकल एजेंसी टिन–23173402632 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001124144	2016–17	19,23,201 18,70,328	कर 52,873 शास्ति 1,58,619 **2,11,492**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
15	वा.क.अधि. वृत्त– 13, इंदौर मेसर्स भारती इंटरप्राइजेज टिन–23581304345 प्रकरण कमांकः–सीएस0000000831696	2015–16	2,37,514 2,28,930	कर 8,584 शास्ति 25,752 **34,336**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
16	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स योगेश अग्रवाल टिन–23182608924 प्रकरण कमांकः–सीएस 000001456477	2016–17	1,88,850 9,510	कर 1,79,340 शास्ति 5,38,020 **7,17,360**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
17	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन	2016–17	4,50,829	कर 69,599	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में धारा 14(6–अ) के प्रथम नियम का उल्लेख किया जिसके अनुसार यदि विक्रेता

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	मेसर्स मालवा आयल सेंटर टिन–23432603306 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001548203		3,81,230	शास्ति 2,08,797 **2,78,396**		व्यवसायी अवधि की विवरणी जमा कर देता है तो विक्रेता द्वारा की गई खरीद के संबंध में कर का भुगतान किया गया माना जाएगा, जब तक कि यह अन्यथा नहीं पाया जाता है।
18	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स मंत्री मेडिकोज टिन–23562605126 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001314010	2016–17	4,24,091 3,83,245	कर 40,846 शास्ति 1,22,538 **1,63,384**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधान में '' जब तक यह अन्यथा नहीं पाया जाता है'' शब्द सम्मिलित है, इसलिए, फार्म 75 से मेल नहीं होने के बावजूद नि.प्रा. द्वारा अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी गई।
19	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स सौकत अली, लियाकत अली टिन–23422605882 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000775055	2014–15	3,56,404 3,14,083	कर 42,321 शास्ति 1,26,963 **1,69,284**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
20	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स मोदी सेल्स टिन–23759048371 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001062810	2015–16	5,98,655 3,90,837	कर 2,07,818 शास्ति 6,23,454 **8,31,272**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
21	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स जगरेखा इंटरप्राइजेस टिन–2323289115154 प्रकरण कमांकः–सीएस0000001084142	2015–16	2,24,293 1,65,028	कर 59,265 शास्ति 1,77,795 **2,37,060**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
22	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स अमित ट्रेडर्स टिन–23479098839 प्रकरण कमांकः–सीएस0000001083937	2015–16	2,98,114 2,30,950	कर 67,164 शास्ति 2,01,492 **2,68,656**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
23	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स शंति डेवलपर्स	2015–16	4,95,942 2,90,124	कर 2,05,818 शास्ति 6,17,454	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	टिन–23299132516 प्रकरण कमांकः–सीएस0000001084954			**8,23,272**		
24	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स कैलाश टेलिकम्युनिकेशन टिन–23612607863 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001059864	2015–16	1,70,620 82,785	कर 87,835 शास्ति 2,63,505 **3,51,340**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
25	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स महाकाल कृपा एजेंसी टिन–23469160823 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001087621	2015–16	11,1970 55,334	कर 56,636 शास्ति 1,69,908 **2,26,544**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
26	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स श्री वरधानी मातृछाया ट्रेडर्स टिन–23529075457 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001064621	2015–16	2,87,719 1,74,663	कर 1,13,056 शास्ति 3,39,168 **4,52,224**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
27	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स फेंटासी एन एक्स टिन–23449177800 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001322762	2016–17	3,56,487 2,76,048	कर 80,439 शास्ति 2,41,317 **3,21,756**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	
28	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स इंडिया आटो मोबाइल टिन–23912606049 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001425449	2016–17	8,01,903 7,85,149	कर 16,754 शास्ति 50,262 **67,016**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में धारा 14(6–अ) के प्रथम परंतुक का उल्लेख किया जिसके अनुसार यदि विक्रेता व्यवसायी अवधि की विवरणी जमा कर देता है तो विक्रेता द्वारा की गई खरीद के संबंध में कर का भुगतान किया गया माना जाएगा, जब तक कि यह अन्यथा नहीं पाया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधान में जब तक यह अन्यथा नहीं पाया जाता है'' शब्द सम्मिलित है, इसलिए, फार्म 75 से मेल नहीं होने के बावजूद नि.प्र. द्वारा बिना प्रावधानों तथा आयुक्त मोहोदय के

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
						परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन किये अतिरिक्त आईटीआर की अनुमति दी गई।
29	वा.क.अधि.वृत्त–1,उज्जैन मेसर्स श्री बालाजी मशीनरी टिन–23429092054 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001416123	2016–17	1,51,829 1,07,993	कर 43,836 शास्ति 1,31,508 **1,75,344**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
30	वा.क.अधि. वृत्त–1, उज्जैन मेसर्स सतनाम मेडिकल स्टोर टिन–23452605138 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000994829	2015–16	732576 695562	कर 37,014 शास्ति 11,042 **1,48,056**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
31	वा.क.अधि.वृत्त–2, जबलपुर मेसर्स कामाक्षी कंस्ट्रक्शन टिन–23889121884 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001299047	2016–17	3,34,652 2,43,454	कर 91,198 शास्ति 2,73,594 **3,64,792**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
32	सं.उ.वा.क. संभाग–2 भोपाल मेसर्स सतरंग स्टील एंड एलाय प्रा.लि. . टिन–23794104571 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001093253	2016–17	93,25,500 63,74,665	कर 29,50,835 शास्ति 88,52,505 **1,18,03,340**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
33	सं.उ.वा.क. संभाग–2 भोपाल मेसर्स सतरंग स्टील एंड एलाय प्रा.लि. टिन–23794104571 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001181696	2017–18	32,41,596 19,27,481	कर 13,14,115 शास्ति 39,42,345 **52,56,460**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
34	वा.क.अधि. वृत्त–देवास मेसर्स आराध्य डिस्पोजल प्रा.लि. टिन–23709104442 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001076865	2016–17	24,37,475 1,55,543	कर 22,81,932 शास्ति 68,45,796 **91,27,728**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में बताया गया की क्रय बीजक, बैंक स्टेटमेंट, विक्रेता को भुगतान आदि के सत्यापन पश्च्यात ही आगत कर स्वीकृत किया गया है ।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
						उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नि.प्रा. द्वारा धारा 14(6–अ) के प्रावधान तथा आयुक्त के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
35	वा.क.अधि. वृत्त–देवास मेसर्स यादव कृशि सेवा केंद्र, ब्यावरा टिन–23792401833 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000809844	2015–16	4,74,20,488 4,61,52,574	कर 12,67,914 शास्ति 38,03,742 **50,71,656**	नि.प्रा. द्वारा फार्म 75 का मिलान किये बिना व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर की राशि अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में बताया गया की, चूंकि व्यवसायी के कमीशन पर आगत कर छूट भी स्वीकार्य है, इसलिए आकलन सही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी के कमीशन पर आगत कर हमेशा तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रय बीजकों में सम्मिलित होता है, इसलिए फॉर्म 75 में दिखाए गए टैक्स में व्यवसायी के कमीशन पर आगत कर सम्मिलित होता है। नि.प्रा. ने धारा 14(6ए) के प्रावधानों और इस संबंध में आयुक्त के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।
36	वा.क.अधि. वृत्त–देवास मेसर्स रोहित ट्रेडर्स टिन–23379002043 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001121398	2016–17	48,68,014 47,17124	कर 1,50,980 शास्ति 4,52,670 **6,03,560**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
37	वा.क.अधि. वृत्त–देवास मेसर्स खंडेलवाल इलेक्ट्रिकल्स टिन–23192300507 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001115982	2016–17	11,38,783 10,55,446	कर 83,337 शास्ति 2,50,011 **3,33,348**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
38	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स आर.डी.वी. ऑटोमोटिव टिन–23929137691 प्रकरण कमांकः–सीएस 00000001111261	2016–17	1,12,92,034 80,19,219	कर 32,72,815 शास्ति 98,18,445 **1,30,91,260**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
39	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स प्रज्ञा बैटरी टिन–23267305329	2015–16	52,59,828 47,54,200	कर 5,05,628 शास्ति 15,16,884 **20,22,512**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया की परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	प्रकरण कमांकः–सीएस0000000963151					
40	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स शाह ट्रेडर्स टिन–23627302415 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001109975	2016–17	20,49,480 18,63,839	कर 1,85,641 शास्ति 5,56,923 **7,42,564**	नि.प्रा. द्वारा बिना फार्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
41	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स श्री साईं नाथ इंटरप्राइसजेज टिन–2323177306009 प्रकरण कमांकः–सीएस 00000001110346	2016–17	39,22,889 38,07,440	1,15,449 शास्ति 3,46,347 **4,61,796**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
42	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स साईं ट्रेडर्स टिन–23297306622 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001110459	2016–17	8,07,452 6,06,891	कर 2,00,561 शास्ति 6,01,683 **8,02,244**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
43	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स श्रंगार श्री सीधी टिन–23079154945 प्रकरण कमांकः–सीएस0000001111289	2016–17	18,78,766 17,72,426	कर 1,06,340 शास्ति 3,19,020 **4,25,360**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
44	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स पीताम्बर ग्रिट स्टोन टिन–234135208115 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000871660	2015–16	2,69,654 2,40,971	कर 28,683 शास्ति 86,049 **1,14,732**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
45	वा.क.अधि. वृत्त –1 ग्वालियर मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स टिन–23949030504 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001093200	2015–16	7,72,040	कर 77,204 शास्ति 2,31,612 **3,08,816**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
46	वा.क.अधि. वृत्त–मंडीदीप मेसर्स विनिसन पोलिफेब उद्योग टिन–23114101356 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000967178	2015–16	55,55,349 42,39,635	कर 13,15,714 शास्ति 39,47,142 **52,62,856**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
47	वा.क.अधि. वृत्त–मंडीदीप मेसर्स राजकुमार इंटरप्राइजेज टिन–23749014713 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000924687	2015–16	3,02,942 2,78,377	कर 24,565 शास्ति 73,695 **98,260**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
48	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स मित्तल सेल्स टिन–23695703186 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड	2016–17	1,45,58,287 1,38,95,257	कर 6,63,030 शास्ति 19,89,090 **26,52,120**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
49	वा.क.अधि. वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स महेंद्र कुमार सेठिया टिन–23432606798 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड 1534/17	2015–16	11,63,939 8,06,500	कर 3,57,439 शास्ति 10,72,317 **14,29,756**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
50	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स पीताम्बर ग्रिट इंडस्ट्रीज टिन–234135208115 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड ए.एस–आई/17	2016–17	2,31,354 1,82,447	कर 48,907 शास्ति 1,46,721 **1,95,628**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
51	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स टिन–23665206126 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड 619/17	2016–17	32,48,197 26,24,671	कर 6,23,526 शास्ति 18,70,578 **24,94,104**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी ।

नियमित मूल्यांकन वाले प्रकरणों में उचित सत्यापन के बिना आगत कर छूट (आईटीआर) की अनुमति						
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	कर निर्धारण की अवधि	नि.प्रा. द्वारा अनुमत आगत कर/फार्म–75 अनुसार आगत कर	अधिक आगत कर छूट/शास्ति की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
52	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स राजीव इंटरप्राइजेस टिन–23059151843 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड 604/17	2016–17	52,52,449 8,07,530	कर 44,44,919 शास्ति 1,33,34,757 **1,77,79,676**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
53	वा.का.अधि. वृत्त–मंडीदीप मेसर्स चौकसे ट्रेडर्स टिन–23759117532 प्रकरण कमांकः–सीएस डीम्ड	2015–16	7,79,278 7,29,363	कर 49,915 शास्ति 1,49,745 **1,99,660**	नि.प्रा. द्वारा बिना फॉर्म 75 का मिलान किये व्यवसायी द्वारा दावा की गई आगत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
		योग	**कर** **शास्ति** **योग**	**3,45,83,315** **10,37,49,945** **13,83,33,260**		

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.7.2 में संदर्भित)

प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट

(राशि ₹ में)

नियमित मूल्यांकन प्रकरणाों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट							
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु	नि.प्रा. द्वारा स्वीकृत आगत कर छूट/लेखों के अनुसार आगत कर छूट/स्वीकार करने योग्य आगत कर छूट	आगत कर छूट का अधिक अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	स.आ.वा.क. संभाग–1, ग्वालियर मेसर्स स्वामी सर्वानन्द गृह उधोग टिन–23045101513 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 000000104716	2016–17	तिलहन	81,66,476 79,57,901	2,08,575	राज्य सरकार ने अप्रैल 2012 की अधिसूचना के द्वारा 'तिलहन' को धारा 26ए(1) के अन्तर्गत टी.डी.एस. कटौती हेतु अधिसूचित किया। म.प्र वैट अधिनियम 2002 की धारा 26(4) के अन्तर्गत पुनः निर्दिष्ट किया गया कि जो वस्तुयें धारा 26, की उप धारा 1 के अर्न्तगत अधिसूचित की गई है, उनके लिये आगत कर छूट का न तो दावा किया जा सकता है और न ही स्वीकृत किया जा सकता है। नि.प्रा. द्वारा उपरोक्त नियमों के विरुद्ध तिलहन की खरीदी पर आगत कर छूट प्रदान की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
2	स.उ.वा.क. सतना मेसर्स सासन पावर लि. टिन–23597305875 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000001095694	2016–17	विद्युत उत्पादन	12,07,110 2,49,431	9,57,679	व्यवसायी द्वारा क्रय देयक में वसूली गई आगत कर छूट से अधिक आगत कर छूट का दावा किया गया व नि.प्रा. द्वारा इसी छूट को अनुमत किया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
3	स.उ.वा.क. सतना मेसर्स सासन पावर लि. टिन–23597305875 प्रकरण क्रमांकः–सीएस 0000001287254	2017–18	विद्युत उत्पादन	8,06,832 93,803	7,13,029	व्यवसायी द्वारा क्रय देयक द्वारा वसूली गई आगत कर छूट से अधिक आगत कर छूट का दावा किया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित मूल्यांकन प्रकरणाों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट							
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु	नि.प्रा. द्वारा स्वीकृत आगत कर छूट/लेखों के अनुसार आगत कर छूट/स्वीकार कर ने योग्य आगत कर छूट	आगत कर छूट का अधिक अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
4	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स एच.ई.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. टिन–23989065328 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001250563	2016–17	कार्य अनुबंध	6,27,441 1,91,882	4,35,559	कय करने वाले व्यवसायी को बिना टिन नम्बर वाले कय देयकों पर आगत कर छूट प्रदाय की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
5	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स पी.सी.सी. इनफा प्रा.लि. टिन–23449175957 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001249184	2016–.17	9 अ, वस्तु रेत/मेटल	47,542	47,542	नि.प्रा. ने धारा 9 (अ) पर आगत कर छूट की अनुमति दी हैं जबकि ये वस्तुएं इस प्रकरण में आगत कर छूट के लिए पात्र नहीं हैं ।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
6	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स सिन्हा इनफा टैक प्रा.लि. टिन–23597302286 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001189437	2016–17	कंक्रीट मिक्सर	56,000 0	56,000	म.प्र. वैट ऐक्ट की धारा 14(6)(vi) के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवसायी द्वारा प्लाट और मशीनरी अथवा इसके हिस्से के लिये न ही आगत कर छूट का दावा किया जाना चाहिये और न ही इसे स्वीकृत किया जाना चाहियें। राज्य सरकार द्वारा उसकी अधिसूचना कमांक 28 दिनांक 17/08/2007 के द्वारा कंक्रीट मिक्सर मशीन को धारा 14(6) के अनर्तगत अधिसूचित किया गया। नि.प्रा. द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत आगत कर छूट अनुमत की गयी।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
7	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स सिन्हा इनफा टैक प्रा.लि टिन–23597302286 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001189437	2016–17	संविदा कार्य	1,77,319 90,559	86,760	नि.प्रा. द्वारा उन कय देयको पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई जिन पर केता व्यवसायी के टिन नम्बर अंकित नहीं पाये गये जो कि धारा 14 (6) के नियमों के विरुद्ध था।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

नियमित मूल्यांकन प्रकरणाों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट							
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु	नि.प्रा. द्वारा स्वीकृत आगत कर छूट/लेखों के अनुसार आगत कर छूट/स्वीकार कर ने योग्य आगत कर छूट	आगत कर छूट का अधिक अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
8	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स प्रेम मोटर्स प्रा.लि. टिन–23405302881 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000001001707	2016–17	मोटर गाड़ी वं एसेसरीज (अनुषांगिक)	67,86,896 64,92,848	2,94,048	नि.प्रा. द्वारा उन क्रय देयकों पर भी आगत कर छूट प्रदाय की गई जिन पर क्रय करने वाले व्यापारी की टिन संख्या नहीं दर्शायी गयी जो कि म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(6)(X) के विरूद्ध है।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में बताया गया कि यदि क्रय करते समय आगत कर का भुगतान किया गया है तो व्यापारी को आगत कर छूट से रोका नहीं जा सकता। उत्तर म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(6)(X) के विरूद्ध है।
9	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स संत बहादुर सिंह टिन–23407306610 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000000892120	2016–17	कार्य अनुबंध	17,33923 14,50,412	2,83,511	नि.प्रा. द्वारा उन क्रय देयकों पर भी आगत कर छूट प्रदाय की गई जिन पर टिन संख्या अंकित नही पाई गई जो कि धारा 14(6) के नियमों का उल्लंघन है।	नि.प्रा. बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
10	वा.क.अधि वृत्त–1 रतलाम मेसर्स अभिनव ऑटोमोबाईलस टिन–23023401793 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000001124037	2016–17	डीजल, पेट्रोल, तेल	2,12,60,818 2,07,91,473	4,69,345	नि.प्रा. द्वारा पेट्रोल/डीजल व तेल के आदिशेष पर आगत कर की छूट की अनुमति दी गयी।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2015–16 में पेट्रोल/डीजल पर आगत कर छूट इनको टैक्स चुकाई गई वस्तु मानते हुए नहीं दी गई थी इस कारण से 2016–17 के आदिशेष पर आगत कर छूट प्रदाय की गई। उत्तर इस कारण से स्वीकार नहीं है क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिस के अनुसार पूर्व वर्ष के क्रय पर आगत कर छूट अनुमत की जा सकें दूसरा यदि इन वस्तुओं को करदत्त वस्तु माना गया तो इन की बिक्री पर भी टैक्स अधिरोपित नहीं किया गया होगा इसके अतिरिक्त पेट्रोल एवं डीजल में वाष्पन की प्रवृत्ति पायी जाती हे और अ़ात कर छूट के प्रावधानो के अनुसार पेट्रोल डीजल बिकी की गई मात्रा पर दी आगत कर दूट प्रदाय की जा सकती है अत आगत कर छूट प्रदाय किये जाने से व्यवसायी को इनकी

नियमित मूल्यांकन प्रकरणाों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट							
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु	नि.प्रा. द्वारा स्वीकृत आगत कर छूट/लेखों के अनुसार आगत कर छूट/स्वीकार कर ने योग्य आगत कर छूट	आगत कर छूट का अधिक अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
							वाषीकृत मात्रा पर भी अ्रगत कर छूट मिल जायेगी। नि.प्रा.. द्वारा लेखा परीक्षा अधिकारी की पूर्व वर्ष के निर्धारण से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमे कि व्यापारी को दोहरे आगत कर छूट की स्वीकृत किये जाने की संभावना बनती है।
11	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स ओम इंजीनियरिंग वर्क्स टिन–23756105218 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000001250576	2016–17	लौहा, मशीनरी	20,67,656 19,44,899	1,22,757	नि. प्रा. द्वारा कुल आगत कर में केन्द्रीय बिकी कर को घटाकर आगत कर छूट प्रदान की गई जबकि म.प्र. वट अधिनियम की धारा 14(1)(अ)(1अ)(19) के अनुसार वास्तव में भुगतान किया गया आगत कर या केन्द्रीय बिकी कर में जो भी कम हो को आगत कर छूट के रुप में अनुमन्य किया जाना चाहिये।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि प्रकरण के सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
12	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स बी.के. फिल्ट्रेशन सिस्टम टिन–23359117766 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001185072	2016–17	प्रदूषण उपकरण	2,14,302 1,36,748	77,554	नि.प्रा. द्वारा आगत कर छूट धारा 14(1)(अ) (1अ) के प्रावधनों को लागू किये बिना स्वीकार की गयी।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
13	वा.क.अधि. वृत्त–शिवपुरी मेसर्स पुलिस कल्याण फिलिंग स्टेशन टिन–23895703949 प्रकरण कमांकः– डीम्ड प्रकरण	2016–17	डीजल, पेट्रोल	1,82,88,780 1,82,31,719	57,061	नि.प्रा. द्वारा म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1एसी) के प्रावधानों के विरुद्ध डीजल, पेट्रोल में पाई गयी कमी के मूल्य पर भी आगत कर छूट अनुमत की गयी।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
14	स.उ.वा.क. सतना मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि. महान एल्यूमीनियम प्रोजेक्ट	2016–17	एल्यूमीनियम इनगोट	15,57,34,189 15,52,93,762	4,40,427	नि.प्रा. द्वारा आगत कर छूट की वापसी हेतु स्टॉक ट्रांसफर 17.81 प्रतिशत स्वीकृत किया गया जबकि कुल स्टॉक ट्रांसफर 18.07 प्रतिशत पाया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित मूल्यांकन प्रकरणाों में प्रावधान के विरूद्ध अधिक आगत कर छूट							
स.क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु	नि.प्रा. द्वारा स्वीकृत आगत कर छूट/लेखों के अनुसार आगत कर छूट/स्वीकार कर ने योग्य आगत कर छूट	आगत कर छूट का अधिक अनुदान	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	टिन–23756306036 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000001077280						
15	स.उ.वा.क सतना मेसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि. महान एल्यूमीनियम प्रोजक्ट टिन– 23756306036 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000001259496	2017–18	एल्यूमीनियम इनगोट	2,54,91,258 2,53,15,875	1,75,383	नि.प्रा. द्वारा आगत कर छूट की वापसी हेतु स्टॉक ट्रांसफर 32.92 प्रतिशत स्वीकृत किया गया जबकि कुल स्टॉक ट्रांसफर की गणना 33.49 प्रतिशत की दर से की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
16	स.आ.वा.क संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मूंदड़ा सेल्स एजेंसी टिन– 23335101984 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001047183	2016–17	स्वर्ण और रजत	29,79,241 27,28,875	2,50,366	नि.प्रा. द्वारा अंकेक्षित लेखे द्वारा सत्यापित कय से अधिक राशि पर आगत कर छूट प्रदाय की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
17	स.आ.वा.क संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मूंदड़ा सेल्स एजेंसी टिन–23335101984 प्रकरण कमांकः– सीएस 00000927550	2015–16	स्वर्ण और रजत	25,07,325 23,45,490	1,61,835	नि.प्रा. द्वारा अंकेक्षित लेखे द्वारा सत्यापित कय से अधिक राशि पर आगत कर छूट प्रदाय की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
18	वा.क.अधि वृत्त–रतलाम मेसर्स सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स टिन–23093404907 प्रकरण कमांकः–717/17	2016–17	इलेक्ट्रोनिक उपकरण	8,85,388 6,68,772	2,16,616	नि.प्रा. द्वारा अंकेक्षित लेखे मे दर्शाये कय मूल्य के विरुद्ध अधिक मूल्य पर आग्रत कर छूट अनुमत की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
			योग		**50,54,047**		

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.8 में संदर्भित)

प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

(राशि ₹ में)

नियमित कर निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण							
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	अनारोपण/कम आरोपण की राशी	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	स.उ.वा.क. सतना मेसर्स विंध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट टिन– 23077300826 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001125893	2016–17	पेन्ट,थिनर 3,32,17,220	2 1	3,32,172	नि.प्रा. द्वारा 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया जबकि इन वस्तुओं पर प्रवेश कर 2 प्रतिशत की दर से लगाया जाना चाहिये था।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
2	वा.क.अधि. वृत्त शिवपुरी मेसर्स श्री राम मोबाईल टिन– 23339097980 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000008827388	2016–17	मोबाईल 42,12,240	2 1	42124	नि.प्रा. द्वारा मोबाइल खरीदी पर गलत दर से 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लिया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
3	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मार्बलस विनायक लि. यूनिट–2 टिन–23415304185 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001002759	2016–17	पेट कोक 10,11,462	3 0	30,444	नि.प्रा. द्वारा कर चुके माल घटाने की अनुमति दी गई जबकि कय देयकों से प्रमाणित हो रहा है कि इन वस्तुओं पर पूर्व में कर नही चुकाया गया था।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
4	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसस मार्बलस विनायक लि. यूनिट–2 टिन–23415304185 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001002759	2016–17	पैकिंग मेटिरियल 73,11,168	1 0	73,112	नि.प्रा. द्वारा कर चुके माल घटाने की अनुमति दी गई जबकि कय देयकों से प्रमाणित हो रहा है कि इन वस्तुओ पर पूर्व में कर नही चुकाया गया था।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित कर निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण							
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	अनारोपण/कम आरोपण की राशी	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
5	स.आ.वा.का संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स स्वामी सर्वानंद गृह उद्योग टिन–23045101513, प्रकरण कमांकः–सीएस 000000104715	2016–17	तेल 12,41,70,957	1 0	12,41,710	नि.प्रा. द्वारा स्पाट बिकी को गलत तरीके से घटाया जाना अनुमत किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
6	स.आ.वा.का संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स आनंद ऑयल कॉरपोरेशन टिन– 23665100978 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000	2016–17	तेल 4,60,05,949	1 0	4,60,060	नि.प्रा. द्वारा बाहर ही बाहर की गई बिकी की गलत कटौती को अनुमत किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
7	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स विजय कुमार शर्मा टिन–23289099537 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000851571	2015–16	मिट्टी 93,40,622	1 0	93,406	नि.प्रा. द्वारा ₹ 93,40,622 की मिटटी के कय पर प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
8	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स संतोष गिरी टिन–23669036740 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000000849178	2015–16	मिट्टी 37,25,610	1 0	37,256	नि.प्रा. द्वारा ₹ 37,25,610 के कय पर प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
9	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स आर.आर एण्ड सन्स टिन–23729104731 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001082552	2015–16	मशीनरी 1,49,00,000	2 0	2,98,000	नि.प्रा. द्वारा मशीन के कय मूल्य पर प्रवेश कर अधिरोपित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित कर निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण							
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	अनारोपण/कम आरोपण की राशी	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
10	वा.क.अधि. वृत्त–1 ग्वालियर मेसर्स अजय कटारे टिन– 23465206915 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001093125	2015–16	सीमेन्ट/लोहा, स्टील 18,78,148	2 0	37,563	नि.प्रा. द्वारा बिना प्रवेश कर चुकाये गये कयों को प्रवेश कर चुका कय मानते हुये कर में कमी किये जाने को अनुमत किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
11	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मार्बल विनायक लि. यूनिट–3 टिन–23749023637 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001278943	2016–17	पेट कोक 1,08,66,196	3 1	2,17,324	नि.प्रा. द्वारा पेट कोक के कय पर प्रवेश कर 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि पेट कोक, कोयले से अलग है और 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। नि.प्रा. का उत्तर इसलिये मान्य नहीं है क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम के अनसूची II की 5 वी प्रविष्टि के अनुसार कोयला कोक के साथ ही साथ उपने सभी रुपो में (चारकोल के अतिरिक्त) 3 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर योग्य है।
12	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मार्बल विनायक लि. यूनिट–2 टिन–23415304185 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001002759	2016–17	पेट कोक 1,28,18,918	3 1	2,56,378	नि.प्रा. द्वारा पेटकोक के कय पर 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि पेटकोक कोयले से भिन्न है एवं 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य हे। नि.प्रा. का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कर अधिनियम के अनुसूची–2 की 5 वी प्रविष्टि के अनुसार कोयला कोक के साथ ही साथ उपने सभी रुपो में (चारकोल के अतिरिक्त) 3 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर योग्य है।
13	स.उ.वा.क. सतना विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजक्ट टिन–23077300826 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001125893	2016–17	ट्रांसफार्मर 52,59,846	5 2	1,57,795	व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर से ट्रांसफार्मर उपयोग व उपभोग हेतु कय किया गया। नि.प्रा. द्वारा 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया जबकि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना क्र. 3 दिनाक 17.02.2009 के अनुसार ट्रांसफार्मर पर 3 प्रतिशत की बढी हुई दर से प्रवेश कर आरोपित किया जाना चाहिये था।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित कर निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण							
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	अनारोपण/कम आरोपण की राशी	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
14	स.उ.वा.क. संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स पार्वती स्वीटनर एण्ड पॉवर लि. टिन– 23729047307 प्रकरण कमांकः– सीएस 0000000997609	2016–17	पौली प्रापलीन वोवेन बैग्स 19,28,412	5 1	77,136	नि.प्रा. द्वारा 1 की दर से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया जबकि ये वस्तुयें अधिसूचना स. ए–03–195–05–01–V(14), दिनांक 01.04.2007 के अनुसार 5 की दर से कर योग्य है।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
15	वा.क.अधि. वृत्त–1 उज्जैन मेसर्स बालाजी इंजीनियरिंग वर्क्स टिन–23462602368 प्रकरण कमांकः–2428/17	2016–17	मशीनरी पूर्जे 54,85,045 43,81,131	2 0	1,09,700 43,811	नि.प्रा. द्वारा ₹ 54,85,045 मूल्य के मशीनरी पूर्जो के कय पर 2 प्रतिशत की दार से प्रवेश कर नहीं लगाया गया व ₹ 43,81,131 मूल्य के मशीनरी पूर्जो पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से गलत प्रवेश कर अधिरोपित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
16	वा.क.अधि. वृत्त–बैढ़न मेसर्स युनिवर्सल ट्रेडिंग कॉपोरेशन टिन–23647301337 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001109805	2016–17	एचईएमएम स्पेअर्स 37,14,011	1 0	37,140	नि.प्रा. द्वारा सकल टर्नओवर में भाडे को शामिल नहीं किया गया तथा साथ ही अन्तर्राज्यीय बिकी के कय मूल्य को घटाया नहीं गया।	नि.प्रा. द्वारा उत्तर दिया गया कि उस माल पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिये जिसे राज्य में प्रवेश के बाद राज्य से बाहर बेचा जाता हे अतः पूरा बिकी मूल्य गणना हेतु लिया जाना उचित होगा। उत्तर इस कारण से मान्य नहीं है क्योंकि प्रवेश कर प्रकरण में सकल टर्नओवर की गणना करते समय कय मूल्य को लिया जाता हे अतः अंतर–राज्यीय बिकी में कय मूल्य को सकल टर्न ओवर से घटाया जाना सही होगा।
17	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स सुन्दरदास ज्ञानचन्द एण्ड कं. टिन–23435902179 प्रकरण कमांकः–233/17	2016–17	जे.सी.बी. 38,12,561	1 0	38,126	व्यवसायी द्वारा सकल टर्नओवर में जे.सी.बी. मशीन के कय मूल्य को सम्मिलित नहीं किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
18	वा.क.अधि. वृत्त– बैढ़न मेसर्स आगरा इनफास्ट्रक्चर प्रा.लि. टिन–23239107593	2016–17	सीमेंट एवं मशीन 60,96,293	1 0	60,963	नि.प्रा. द्वारा 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तु/सामान के कय मूल्य का कम निर्धारण किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

नियमित कर निर्धारण प्रकरणों में प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण							
स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	अनारोपण/कम आरोपण की राशी	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
	प्रकरण क्रमांकः—सीएस 0000001106740						
19	स.उ.वा.क. संभाग—1, इन्दौर मेसर्स जे.बी.एम. ऑटो लि. टिन—23839049139 प्रकरण क्रमांकः—सीएस 0000001070915	2016—17	मोटरगाडी के पुर्जे 13,13,83,998	1 0	13,13,840	नि.प्रा. द्वारा वैटिस डाटा में फार्म 49 में सत्यापित मोटर गाडी के पुर्जो, मशीनों के पुर्जो, हार्डवेयर एवं कांटेदार तारों के क्रय को टर्नओवर में सम्मिलित न करते हुये राशि का कम निर्धारण किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
20	वा.क.अधि. वृत्त—1 ग्वालियर मेसर्स पुंज लॉयड लि. टिन—2368530318 प्रकरण क्रमांकः—सीएस 0000000862409	2015—16	मशीनरी पुर्जे 6,40,56,632	2 0	12,81,133	नि.प्रा. द्वारा फार्म—49 के अनुसार राज्य के बाहर से किये गये क्रय के विरुद्ध कम टर्नओवर का निर्धारण किया गया।	नि.प्रा. द्वारा बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
			योग	**कर**	**61,95,382**		

परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.9 में संदर्भित)

नियमित रूप से निर्धारित प्रकरणों में कर की गलत दर लागू करना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	माल/वस्तु कर योग्य टर्नओवर जिस पर गलत दर लागु की गई	लागू की जाने वाली कर की दर लागू दर (प्रतिशत)	कर का कम आरोपण	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	वा.क.अधि. वृत्त–2 जबलपुर मेसर्स ध्रुव विनिमय प्रा.लि. टिन–231259068015 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001250137	2016–17	सीमेन्ट 2,97,96,355	14 5	13,08,238	नि.प्रा. द्वारा सम्पूर्ण कर योग्य टर्नओवर पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि व्यवसायी द्वारा कार्य संविदा में 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल/वस्तु का भी उपयोग किया गया। करारोपण व्यवसायी को दी गई आगत कर छूट के अनुपात में अर्थात ₹ 1,43,11,189 पर 5 प्रतिशत की दर से एवं ₹ 1,54,85,166 पर 14 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जाना चाहिये था।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी।
2	स.आ.वा.क. वाणिज्यिक कर संभाग–1 ग्वालियर मेसर्स मुन्द्रा सेल्स टिन–2335101984 प्रकरण कमांकः–सीएस 000000927550	2015–16	सी.सी.टी.वी./ कैमरा/ कूलर /जनरेटर/ पुराने फर्नीचर आदि 3,10,897	14 1.5	38,862	नि.प्रा. द्वारा पुराने फर्नीचरों की बिकी पर 14 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी।
3	वा.क.अधि. वृत्त–1 रतलाम मेसर्स ओसवाल ट्रेडिग कम्पनी टिन–23612900900 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001278937	2016–17	विस्फोटक 4,94,450	14 5	44,500	नि.प्रा. द्वारा विस्फोटक की बिकी पर 5 प्रतिशत की दर लागू की गई जबकि विस्फोटक 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होते है।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के बाद कार्यवाही की जायेगी।
			कुल योग	**कर**	**13,91,600**		

परिशिष्ट 3.7

(कंडिका 3.10 में संदर्भित)

वैट एवं प्रवेश कर के नियमित निर्धारित प्रकरणों में टीडीएस और घोषणाओं के विरूद्ध कर की गलत कटौती

(राशि ₹ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम व्यवसायी	निर्धारण अवधि	स्वीकार योग्य कटौती राशि	नि.प्रा.. द्वारा दी गई छूट/कमी	अधिक/गलत छूट पर कर की राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) का उत्तर
1	स.उ.वा.क. संभाग सतना मेसर्स कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड टिन–23297002430 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001114272	2016–17	टी.डी.एस. फार्म 79,55,198	98,42,644	18,87,446	नि.प्रा. द्वारा ₹ 98,42,644 की स्त्रोत पर की गई कटौती को वैट से समायोजित कर दिया गया। लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि ₹ 18,87,446 मूल्य की स्त्रोत पर की गई कटौती स्वीकार करने योग्य इसलिये नहीं थी क्योंकि टी.डी. एस. फार्म पर अंकित टिन व्यवसायी के टिन संख्या से भिन्न था।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
2	वा.क.अधि. वृंत्त–1, उज्जैन मेसर्स राजेश अग्रवाल, टिन–232726073782 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001425799	2016–17	टी.डी.एस. फार्म 8,06,026	8,53,761	47,735	नि.प्रा. द्वारा अन्य वित्तीय वर्ष से संबंधित टी.डी.एस. फार्म पर समायोजन स्वीकार किया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
3	स.उ.वा.क. संभाग सतना मेसर्स महाकालेश्वर माइन्स एण्ड मेटल्स प्रा.लि. टिन–23259021164 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001311910	2016–17	प्रवेश कर घोषणा पत्र 62,86,16,803	67,43,00,057	13,70,498	नि.प्रा. द्वारा प्रवेश कर की छूट ₹ 67,43,00,057 पर दी गई जबकि प्रकरण के साथ मात्र ₹ 62,86,16,803 मूल्य का घोषणा प्रपत्र संलग्न पाया गया ₹ 4,56,83,254 पर 3 प्रतिशत की दर से ₹ 13,70,498 कर की गणना की गयी है।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
4	स.उ.वा.क. संभाग– सतना मेसर्स महाकालेश्वर माइन्स एण्ड मेटल्स प्रा.लि. टिन–23259021164 प्रकरण कमांकः–सीएस 0000001352482	2017–18	प्रवेश कर घोषणा पत्र 3,19,47,274	4,33,54,948	3,42,230	नि.प्रा. द्वारा प्रवेश कर पर ₹ 4,33,54,948 की छूट अनुमत की गयी जबकि व्यवसायी द्वारा ₹ 3,19,47,274 का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया परिणाम स्वरुप 3 प्रतिशत की दर से ₹ 3,42,230 कम कर अधिरोपित किया गया।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
5	वा.क.अधि. वृत्त, बैढन मेसर्स एसएमजे लिमिटेड टिन– 23969103446 प्रकरण कमांकः–सी एस 0000009639966	2015–16	स्थल विक्रय 1,06,55,006	1,06,55,006	3,19,650	नि.प्रा. द्वारा स्पॉट बिक्री पर बिना किसी सबंधित साक्ष्य के छूट प्रदाय की गई।	नि.प्रा. द्वारा कहा गया कि सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
				योग	**39,67,559**		

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.7.4.2 में संदर्भित)

संचालन की सहमति प्राप्त करने से पहले खनिजों का उत्खनन

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	दमोह	श्री जगदीश पटेल	खादेरी, बटियागढ़, दमोह	14	1.710	26/09/2017 से 25/09/2027	गिट्टी	अक्टूवर 2018 से मार्च 2019	6,500	नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
2	दमोह	मैसर्स पी.वी.एस. इन्फ्रा रिर्सोसेस	पदाचिर तेंदुखेडा, दमोह	121, 123, 127, 128, 129, 130	6.000	22/03/2018 से 21/03/2028	गिट्टी	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	8,080	नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
3	दमोह	श्री जगदीश पटेल	खादेरी, बटियागढ़, दमोह	15/1	2.000	26/09/2017 से 25/09/2027	गिट्टी	दिसम्बर 2018 से मार्च 2019	2,800	नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
4	डिंडोरी	मैसर्स अनिल बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड	बिलासपुर, बहेरा मल, तहसील डिंडोरी	1453	1.200	14/12/2018 से 13/12/2020 (2 वर्ष)	गिट्टी	14/12/2018 से 13/12/2020	7,000	जि.ख.अ. ने बताया कि कार्य शुरू करने से पहले अस्थायी अनुज्ञा–पत्र धारक द्वारा पर्यावरण अनुमति प्राप्त किया गयी थी कुल खुदाई मात्रा के लिए रॉयल्टी का भुगतान किया गया था जो कि सरकारी काम में उपयोग किया गया था, इसलिए जुर्माना स्वीकार्य नहीं है।	अस्थायी अनुज्ञा–पत्र धारक ने संचालन की सहमति प्राप्त करने से पहले काम शुरू किया। इसलिए, जुर्माना लगाया जा सकता है।
5	डिंडोरी	श्री कृष्ण कुमार	खिर्सारी, डिंडोरी	19/1, 19/2, 19/3	1.000	02/11/2016 से 01/11/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	3,425	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	3,028		
								2018–19	1,877		
6	डिंडोरी	श्री भीम अवधिया	गणेशपुर धनगांव रैयत, डिंडोरी	99	1.000	03/05/2017 से 02/05/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	630	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	1,411		

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
										जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	
7	डिंडोरी	श्रीमती आशिया बेगम	मेहदवानी, शाहपुरा, डिंडोरी	626/1	1.000	29/04/2016 से 28/04/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	65	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	953		
8	डिंडोरी	श्री टीकाराम साहू	बड़गांव, शाहपुरा, डिंडोरी	1683	2.000	11/01/2016 से 10/01/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	253	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	1,282		
9	डिंडोरी	श्री संदीप राय	बरद्वार, शाहपुरा, डिंडोरी	62/5, 62/6, 65	2.000	03/03/2017 से 02/03/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19 (पूर्व 26/01/2019)	1,249	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
10	डिंडोरी	श्री राजीव कुमार साहू	मोहतारा, बजग, डिंडोरी	6/1, 10	1.000	31/03/2018 से 30/03/2028	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	926	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
11	डिंडोरी	श्री सुमित खानूजा	जमुनिया, डिंडोरी	83	2.000	08/02/2016 से 07/02/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	3,200	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	2,000		
								2018–19	1,300		

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
12	डिंडोरी	श्रीमती प्रीति खानूजा	मडियारस, डिंडोरी	2594/2, 2595/2, 596/2, 2598/2, 2599/2, 2620, 2621, 2623 से 2628, 2609 से 2612	5.610	10/12/2015 से 09/12/2025	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18 (जनवरी 2018 से मार्च 2018)	238	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	6,390		
13	डिंडोरी	श्री प्रमोद कुमार साहू	रत्न माल, बजग, डिंडोरी	1	2.000	06/04/2017 से 05/04/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	580	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	3,760		
14	डिंडोरी	श्री प्रमोद कुमार साहू	करोंदा रैयत, बजग, डिंडोरी	24	2.000	13/06/2018 से 12/06/2028	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	1,149	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
15	डिंडोरी	श्री मन्नू सिंह	जमुनिया मॉल, डिंडोरी	915/1	1.000	04/02/2017 से 03/02/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	70	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	834		
16	डिंडोरी	श्री अरुण कुमार गुप्ता स्टोन क्रशर / श्री अरुण कुमार गुप्ता	शाहपुरा, शाहपुरा, डिंडोरी	807/2	1.000	09/05/2017 से 08/05/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	2,730	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	2,400		
								2018–19	3,109		

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
17	डिंडोरी	श्री नवल सिंह	रेहंगी मॉल, डिंडोरी	308/1, 308/3	2.000	11/03/2016 से 10/03/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18 (19/04/2018 से पहले)	1,436	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
18	डिंडोरी	श्री प्रकाश कुमार राय	अंडाई, डिंडोरी	37	1.000	05/02/2016 से 04/02/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	2,298	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	791		
								2018–19	1,043		
19	डिंडोरी	श्री अरविंद कुमार विश्वकर्मा	बरखोह रैयत, डिंडोरी	127	2.000	30/05/2017 से 29/05/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	485	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
20	डिंडोरी	श्री सुमित खानूजा,	जमुनिया मॉल, डिंडोरी	852, 545	3.070	13/03/2018 से 12/03/2028	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	1,500	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
21	डिंडोरी	श्री बालमुकुंद	खुदिया रैयत, डिंडोरी	56	1.000	06/06/2017 से 05/06/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	620	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	398		
22	डिंडोरी	श्री मनोज बर्मन	सुंदरपुर रैयत, डिंडोरी	318	1.000	09/06/2016 से 08/06/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	975	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	13		

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
										जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	
23	डिंडोरी	श्री प्रमोद सोनापाली	झाँकी, डिंडोरी	303	1.000	24/04/2015 से 23/04/2020	गिट्टी (पत्थर)	2016–17	876	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	218		
24	डिंडोरी	श्री अर्पित नायक	रहांगी, डिंडोरी	22	1.000	31/10/2014 से 30/10/2024	गिट्टी (पत्थर)	2017–18	292	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
25	डिंडोरी	श्री चंद्र प्रकाश शर्मा	भरद्वारा रैयत, डिंडोरी	405/02	2.000	31/03/2018 से 30/03/2028	गिट्टी (पत्थर)	2018–19	722	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
26	डिंडोरी	श्री उदय नारायण सचान	झाँकी, डिंडोरी	322	2.000	24/08/2017 से 23/08/2027	गिट्टी (पत्थर)	2016–17	1,020	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	747		
								2018–19	287		
27	डिंडोरी	श्री सूरज प्रकाश खत्री	बहेरा मल, डिंडोरी	350/1, 350/2, 350/3	1.000	17/05/2017 से 16/05/2027	गिट्टी (पत्थर)	2018–19	759	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
28	ग्वालियर	मेसर्स केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	जिगनिया, ग्वालियर	323 320	3.064 2.000	30/03/2017 से 29/03/2019 (2 वर्ष)	गिट्टी	30/03/2017 से 29/03/2019	1,74,135	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
29	इंदौर	श्री सतीश जाट	मतलाबपुरा, इंदौर	198/1/1	3.000	13/06/2014 से 12/06/2024	गिट्टी	01/04/2016 से 31/03/2017	7,200	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है ।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
30	खरगोन	श्री आशिक पुत्र श्री अमानुल्ला	पीपलजोपा, कसरावद, खरगोन	सर्वे क. 127	1.200	31/01/2014 से 30/01/2024	गिट्टी	पूर्व 20/12/2018	3,540	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
31	मुरैना	श्री लोकेन्द्र सिंह	वंदवारी, मुरैना	1539	2.600	16/08/2016 से 15/08/2026	गिट्टी	01/12/2016 से 08/03/2017 (09/03/2017 से पहले)	7,885	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
32	मुरैना	श्री देवराज सिंह	उरहाना, मुरैना	1251	2.500	12/09/2016 से 11/09/2026	गिट्टी	01/04/2017 से 08/11/2017 (09/11/2017 से पहले)	5,953	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
33	मुरैना	श्री मोहित शर्मा	उल्हाना, मुरैना	1244	4.000	12/09/2016 से 11/09/2026	गिट्टी	01/06/2017 से 14/12/2017 (15/12/2017 से पहले)	755	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
34	मुरैना	श्री कोशलेंद्र सिंह कौरव	फुलोइडा, कैलारस, मुरैना	353	4.227	18/12/2016 (कब्जे की तारीख) से 31/03/2021	पत्थर	01/06/2011 से 16/05/2017 (17/05/2017 से पहले)	21,850	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
35	शहडोल	श्री राकेश सिंह चंदेल	खमरौद, बुधर शहडोल	85/1	2.000	15/03/2017 से 14/03/2027	गिट्टी	जून–2017	25	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
36	शहडोल	श्री राजेश कुमार तिवारी	चारहेत, जयसिंहनगर, शहडोल	2145/1	2.000	03/01/2017 से 02/01/2027	गिट्टी	16/08/2017 से पहले	35	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
37	शहडोल	मैसर्स साईनाथ कंस्ट्रक्शन, प्रो./ श्रीमती माधुरी सिंह	पटासी, सोहागपुर, शहडोल	116/2,	1.000	28/09/2015 से 27/09/2025	गिट्टी	01/11/2016 से 06/12/2017	399	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
38	शहडोल	मेसर्स डी वी प्रोजेक्ट लिमिटेड कोरबा (सीजी)	कोतमा, सोहागपुर, शहडोल	486	3.197	27/05/2016 से 26/05/2018	मुरूम	16/06/2016 से 02/04/2018	27,182	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
39	शाजापुर	श्री निर्भय सिंह गुर्जर	मकोड़ी, गुलाना, शाजापुर	63	2.000	31/03/2016 से 29/03/2026	गिट्टी	अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,860	पट्टेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
40	शिवपुरी	मैसर्स ओम स्टोन क्रशर प्रो. वेद प्रकाश शर्मा)	बमोर, बदरवास, शिवपुरी	1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3	2.000	11/8/2016 से 10/8/2026	गिट्टी	जून 2017 से मार्च 2019	22,480	पट्टेदार ने अनुमत्य सीमा से अधिक उत्खनन नहीं किया एवं सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। पट्टेदार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया (अगस्त, 2017)।
41	शिवपुरी	श्री दीपक शर्मा	डबरादीनारा, करेरा, शिवपुरी	213, 213/3, 215	4.000	14/6/2018 से 13/6/2028	गिट्टी	पूर्व 28/04/2019	6,124	पट्टेदार ने अनुमत्य सीमा से अधिक उत्खनन नहीं किया और खनिज रियायत प्राप्त किए बिना खनन पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत जुर्माना लागू होता है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अनुसार एक व्यक्ति किसी भी खनन गतिविधि को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा। अतः शास्ति आरोपणीय है।
42	शिवपुरी	श्री शुभम बंसल	खुदावली, करेरा, शिवपुरी	1780/3/1	4.000	16/3/2018 से 15/3/2028	गिट्टी	पूर्व 05/09/2018	2,390	पट्टेदार ने अनुमत्य सीमा से अधिक उत्खनन नहीं किया और खनिज रियायत प्राप्त किए बिना खनन पर एम एम डी आर अधिनियम की धारा 21 के तहत जुर्माना लागू होता है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अनुसार एक व्यक्ति किसी भी खनन गतिविधि को अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा। अतः शास्ति आरोपणीय है।

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
43	शिवपुरी	श्री काले खान	सिरसोना, करेरा, शिवपुरी	157, 158	5.300	26/10/2015 से 31/3/2020	रेत	01/04/2016 से 31/03/2017	42,470	निर्देश का पालन किया जाएगा।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
44	शिवपुरी	श्री बासित अली	सिनावलकला, खनियाधना, शिवपुरी	1572, 1614, 1712, 1	5.560	30/12/2015 से 31/3/2020	रेत	01/04/2016 से 31/03/2017	46,748	निर्देश का पालन किया जाएगा।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
योग	**09 जिला खनिज अधिकारी**				**114.992**				**4,54,750 घ.मी.**		

परिशिष्ट 4.2

(कंडिका 4.7.4.2 में संदर्भित)

संचालन की सहमति के नवीनीकरण के बिना खनिजों का उत्खनन

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	अलीराजपुर	श्री सुरपाल अजनार	कंदलाराव, जोबट, अलीराजपुर	898, 904, 905, 920	3.490	19/05/2009 से 18/05/19	गिट्टी	01/09/2018 से 26/02/2019	62,575	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
2	अलीराजपुर	श्री अम्बे क्रशर	मधुपल्वी, सोंडवा, अलीराजपुर	12/2	8.000	03/06/2015 से 02/06/2025	गिट्टी	01/04/2017 से 06/03/2018	95,718	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
3	अलीराजपुर	श्री देवेंद्र सिंह, राठवा	अंबदोरी, काठीवाड़ा, अलीराजपुर	477	4.440	11/11/1998 से 10/11/2018	डोलोमाईट	11/11/2012 से 10/11/2018	9,380	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
4	अलीराजपुर	श्री दीपक गुप्ता	अम्बी, अलीराजपुर	102, 104, 119	4.500	07/03/2015 से 06/03/2045	डोलोमाईट	31/01/2018 से 31/03/2019	12,070	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
5	अलीराजपुर	श्री शशि कान्त	बारी, अलीराजपुर	535/553	9.610	13/03/2001 से 12/03/2021	डोलोमाईट	01/04/2017 से 31/01/2019	12,629	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
6	अलीराजपुर	श्री हरि नारायण लाल चंद	पनवानी, अलीराजपुर	171,178, 179,182, 183,324, 337	8.000	02/07/1999 से 01/07/2049	डोलोमाईट	01/04/2016 से 31/03/2019	3,925	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
7	अलीराजपुर	श्रीमती संगीता	कोल्याबायदा, जोबट, अलीराजपुर	279, 280, 281, 283	1.500	03/06/2010 से 02/06/2020	गिट्टी	01/02/2015 से 17/07/2017	8,098	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
8	अलीराजपुर	श्रीमती प्रमिला	कोल्याबायदा, जोबट, अलीराजपुर	78, 81, 286	0.940	26/11/2010 से 25/11/2020	गिट्टी	01/02/2015 से 17/07/2017	15,240	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
9	अलीराजपुर	श्रीमती सरमी	अंबाजा, सोंडवा, अलीराजपुर	120, 123	2.000	01/04/2009 से 31/03/2019	गिट्टी	01/01/2016 से 31/12/2018	4,625	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क्र.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क्र.	क्षेत्र (हे. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
10	अनूपपुर	श्रीमती इंद्राणी सिंह, पत्नी श्री सुदामा सिंह	बंधमार, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	276 / 2, 277 / 2	0.809	10 / 09 / 2010 से 09 / 09 / 2020	गिट्टी	01 / 12 / 2017 से 28 / 02 / 2019	210	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
11	अनूपपुर	श्री नीरज कुमार सोनी	निगवानी, कोतमा, अनूपपुर	1316 / 1	4.500	15 / 11 / 2017 से 14 / 11 / 2027	मुरम	01 / 02 / 2019 से 31 / 03 / 2019	17,152	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
12	अनूपपुर	श्री रघुवन चौकसे	अधवार, पुष्पराजगढ़, अनूपपुरी	106 / 7	1.619	23 / 09 / 2009 से 22 / 09 / 2019	गिट्टी	01 / 01 / 2018 से 16 / 05 / 2018	10	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
13	अनूपपुर	मेसर्स बजरंज स्टोन क्रशर प्रो. श्री भीमसेन गुप्ता	बरटोला, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर	356 / 6, 356 / 3 / 2 356 / 3 / 1	2.306	22 / 03 / 2012 से 21 / 03 / 2022	गिट्टी	01 / 10 / 2018 से 31 / 03 / 2019	2,872	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
14	अनूपपुर	मेसर्स पांडे स्टोन क्रशर प्रो. श्रीमती सुधा पांडेय	तिवारीटोला, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर	48 / 1	1.011	13 / 07 / 2015 से 12 / 07 / 2025	गिट्टी	01 / 07 / 2018 से 31 / 03 / 2019	4,183	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
15	अनूपपुर	मेसर्स राय स्टोन क्रशर प्रो. श्रीमती किरण राय	दुधमनिया, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर	6 / 1	1.011	22 / 04 / 2015 से 21 / 04 / 2025	गिट्टी	01 / 06 / 2017 से 31 / 03 / 2019	21,547	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
16	अनूपपुर	मेसर्स संतोष कुमार जायसवाल	विचारपुर, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर	18	0.748	10 / 09 / 2008 से 09 / 09 / 2018	गिट्टी	01 / 04 / 2017 से 31 / 03 / 2019	1,982	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
17	छतरपुर	मेसर्स विद्याचल मिनरल्स	नयागांव, राजनगर, छतरपुर	873	9.000	09 / 05 / 2013 से 08 / 05 / 2023	स्टोन	01 / 01 / 2017 से 12 / 07 / 2017	2,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
18	देवास	माँ लक्ष्मी स्टोन	जामगोड, देवास	1079, 1080, 1081, 1082, 1086 / 2	2.770	19 / 05 / 2016 से 18 / 05 / 2026	गिट्टी	05 / 2017 से 08 / 2017	7,292	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसकी निगरानी पहले से जानी चाहिए जो नहीं की जा रही है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।
19	देवास	श्री फिरोज पटेल	कन्हैरिया, तनखुर्द, देवास	918	4.000	24 / 08 / 2015 से 23 / 08 / 2025	गिट्टी	02 / 2017 से 05 / 2018	9,920	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसकी निगरानी पहले से जानी चाहिए जो नहीं की जा रही है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
											इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।
20	देवास	श्री जीवन सिंह	नापाखेड़ी, देवासी	494/2	1.00	30/04/2011 से 30/04/2021	गिट्टी	04/2018 से 03/2019	3,740	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसकी निगरानी पहले से जानी चाहिए जो नहीं की जा रही है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायी जाती है।
21	डिंडोरी	मैसर्स माँ भवानी	दंडविदयपुर, डिंडोरी	594, 596	0.910	11/11/2016 से 10/11/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/11/16 से 15/11/17, 01/11/18 से 31/03/2019	2,271	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
22	डिंडोरी	मेसर्स चाचा भतीजा	मोहतारा, बजग, डिंडोरी	57	1.000	26/04/2016 से 25/04/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/08/2017 से 30/09/2017	720	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
23	डिंडोरी	श्री सुमित खानूजा	जमुनिया, डिंडोरी	90	0.870	16/12/2011 से 15/12/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/09/2017 से 31/03/2019	1,369	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
24	डिंडोरी	मेसर्स माँ शारदा स्टोन क्रशर	कुदा, डिंडोरी	537/2	1.000	13/03/2017 से 12/03/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/04/2017 से 31/03/2018	300	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
										उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	
25	डिंडोरी	मैसर्स अभिषेक स्टोन क्रशर	शाहपुरा, डिंडोरी	790/1	0.700	01/10/2013 से 30/09/2023	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/04/2017 से 31/03/2019	1,090	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
26	डिंडोरी	श्री प्रताप सिंह धुर्वे	डूंगरिया, शाहपुरा	81, 82	1.000	17/03/2016 से 16/03/2026	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/07/2018 से 31/03/2019	2,080	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
27	डिंडोरी	श्री आकाश छावड़ा	घानाघाट, डिंडोरी	355/1, 355/2	1.300	25/12/2015 से 24/12/2025	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/04/2018 से 31/03/2019	344	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
28	डिंडोरी	श्री प्रभात अग्रवाल	धोराई, डिंडोरी	90	1.000	12/06/2008 से 11/06/2018	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	01/06/2016 से 31/03/2018	1,847	पोर्टल पर ई–टीपी सुविधा शुरू होने के कारण ठेकेदार ने संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना ही उत्खनन किया, संबंधित ठेकेदारों को सूचना–पत्र जारी कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क्र.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क्र.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
29	हरदा	श्री दिलीप कौशल	चौकड़ी, खिरकिया, हरदा	508 / 5	1.581	16 / 9 / 2005 से 15 / 9 / 2015	गिट्टी	04 / 2016 से 03 / 2019	5,583	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
30	हरदा	श्री राजेश सिरोही	धनवाड़ा, खिरकिया, हरदा	103 / 1,2, 94 / 1	3.500	08 / 11 / 2016 से 07 / 11 / 2026	गिट्टी	03 / 2017 से 15 / 05 / 2018	9,300	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
31	हरदा	श्री हुकुम सिंह बघेल	बम्हनगांव, खिरकिया, हरदा	3 / 4k, 3 / 2k, 3 / 1g, 3 / 2kh	4.425	15 / 12 / 2016 से 14 / 12 / 2026	पत्थर	01 / 04 / 2016 से 15 / 05 / 2018	1,725	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
32	हरदा	श्री रूपेश पाठक	झिरी, हरदा	170 / 7	0.965	30 / 07 / 2010 से 29 / 07 / 2020	पत्थर	30 / 7 / 2015 से 08 / 02 / 2018	500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
33	हरदा	जम्भ कंस्ट्रक्शन	खराद, खिरकिया, हरदा	36	4.856	13 / 4 / 2017 से 12 / 4 / 2027	पत्थर	13 / 4 / 2017 से 05 / 08 / 2018	6,441	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
34	हरदा	श्री योगेश पवार	चौकड़ी, खिरकिया, हरदा	443 / 2	4.047	29 / 9 / 2015 से 28 / 9 / 2025	पत्थर	01 / 04 / 2018 से 06 / 01 / 2019	100	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
35	हरदा	श्री विकास पाठक	जमन्या, सिराली, हरदा	117 / 119 / 3, 4	0.952	30 / 07 / 2010 से 29 / 07 / 2020	पत्थर	17 / 02 / 2017 से 07 / 03 / 2019	1,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
36	इन्दौर	सोम प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड	रंगवासा, देपालपुर, इंदौर	131 / 1 / 1 / 2	4.000	31 / 01 / 2008 से 29 / 01 / 2018 एवं 31 / 01 / 2018 से 29 / 01 / 2028	पत्थर	01 / 04 / 2016 से 21 / 05 / 2018	66,164	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
37	इन्दौर	श्री महेंद्र यादव	बड़गोंडा, इंदौर	287 / 6 / 2	1.200	16 / 12 / 2010 से 15 / 12 / 2020	पत्थर	04 / 2016 से 03 / 2019	7,195	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
38	इन्दौर	श्री गणेश पाटीदार	जामली, महू, इंदौर	54,55,48/2,4, 8/3, 56/1,56 /2, 51/2, 48/1, 52	3.250	13/10/2009 से 12/10/2019	पत्थर	04/2018 से 03/2019	9.742	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
39	इन्दौर	श्री पवन मिश्रा	बड़गोंडा, महू, इंदौर	286/3, 285, 782/1/2	2.500	13/07/2014 से 12/07/2024	पत्थर	01/04/2016 से 28/01/2018	5,990	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
40	मुरैना	श्री मनोज कुमार शर्मा	माजरा, जौरा, मुरैना	444	2.000	22/10/2016 से 21/10/2026	गिट्टी	मार्च 2019	50	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
41	मुरैना	श्री रामस्वरूप गुर्जर	छाजेद, जौरा, मुरैना	1078	2.000	29/04/2011 से 28/04/2021	गिट्टी	29/04/2016 से 15/02/2017	510	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
42	मुरैना	श्री बनवारी लाल गुर्जर	बुरावाली, जौरा, मुरैना	181/1, 188	2.111	10/04/2017 से 09/04/2027	गिट्टी	10/04/2018 से 31/03/2019	150	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
43	मुरैना	मैसर्स बेतवा पल्सेस एंड वियर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	पाडावली, जौरा, मुरैना	883	1.500	23/09/2016 से 31/03/2021 (घोष खदान)	शिला पट्ट	23/09/2017 से 12/06/2018	665	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
44	मुरैना	श्री लक्ष्मण सिंह गुर्जर	राचोली, जौरा, मुरैना	62	2.090	16/08/2016 से 15/08/2026	शिला पट्ट	16/08/2017 से 31/03/2019	11,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
45	मुरैना	श्री राहुल हर्षाना	खेरिया चुनहेटी, जौरा, मुरैना	1	4.000	2306/2017 से 22/06/2027	गिट्टी	23/06/2018 से 31/03/2019	17,542	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
46	रतलाम	मैसर्स वी.वी.सी रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर	खमरिया, आलोट, रतलाम	775	2.000	06/08/2016 से 5/08/2021	गिट्टी	06/08/2016 से 30/09/2016, 01/09/2017 से 08/04/2018	3,912	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
47	रतलाम	श्री सुरेश कुमार पटेल	रोजाना, रतलाम	33/2	3.000	02/08/2016 से 01/08/2026	गिट्टी	01/05/2018 से पहले, 21/02/2019 से 06/03/2019	639	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
48	रतलाम	श्री अफसर अली	सांवलिया रुंडी, रतलाम	3/1/1	4.000	24/11/2011 से 23/11/2021	गिट्टी	27/08/2017 से 21/01/2018	364	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
49	रतलाम	श्री राम चंद्र	रोजाना, जावरा, रतलाम	33/2	3.000	24/11/2011 से 23/11/2021	गिट्टी	01/11/2016 से 12/05/2017, 16/12/2017 से 31/03/2019	5,423	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
50	रतलाम	श्री विक्रम सिंह राठौर	लूनेरा, रतलाम	117/1	2.000	26/12/2011 से 25/12/2021	गिट्टी	01/12 2016 से 12/05/2017	28	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
51	रतलाम	मेसर्स यू.वी. इन्फ्रास्टक्चर	जेठाना, पिपलोदा, रतलाम	42/1	2.000	24/12/2016 से 23/12/2026	गिट्टी	08/11/2018 से 31/03/2019	7,419	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
52	रतलाम	श्री संतोष कुमार	खारवकला, आलोट, रतलाम	4	2.000	05/01/2011 से 04/01/2021	गिट्टी	01/04/2016 से 31/03/2019	9,018	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
53	रतलाम	श्री लक्ष्मीकांत राठौर	सांवलिया रुंडी, रतलाम	3/1/1	2.000	05/01/11 से 04/01/2021	गिट्टी	01/01/2017 से 17/03/2017, 01/05/2018 से 03/08/2018	780	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
54	रतलाम	श्री भरत राठौर	सरवानी खुर्द, रतलाम	4	2.000	01/09/2016 से 31/08/2026	गिट्टी	01/06/2018 से 31/03/2019	16,639	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
55	रतलाम	श्रीमती आरती रारोटिया	रिंगनोद, जावरा, रतलाम	486/1/1 k/1	2.000	13/07/2015 से 12/07/2025	गिट्टी	01/04/2017 से 31/03/2019	2,173	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
56	रतलाम	श्रीमती सुनीता कुमावत	राजपुरा, रतलाम	2/4/2	1.200	27/11/2016 से 26/11/2026	गिट्टी	01/12/2018 से 31/03/2019	1,440	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
57	रतलाम	मोह. जाकिर हुसैन	बंजली, रतलाम	136/1/1/1	1.000	24/11/11 से 23/11/2021	गिट्टी	01/11/2016 से 11/07/2018	343	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
58	रतलाम	श्रीमती सितारा खान	खेरी, आलोट, रतलाम	18	1.000	27/06/2017 से 26/06/2027	गिट्टी	01/01/2019 से 31/03/2019	1,910	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
59	रतलाम	श्रीमती रेणुका रारोटिया	ममातखेड़ा, पिपलोदा, रतलाम	3, 4/8	1.253	01/01/2011 से 31/12/2021	गिट्टी	01/01/2018 से 31/03/2019	88	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
60	रीवा	श्री डी. एल. मिश्रा	पहाड़िया, रायपुरकरचुई, रीवा	1254/3, 1255/4	0.810	29/05/2010 से 28/05/2020	पत्थर	अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2018	1,023	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
61	रीवा	भोले स्टोन क्रेशर	मरहा, हुजूर, रीवा	542/1, 542/3	1,.279	23/01/2014 से 22/01/2024	गिट्टी	04/16 से 03/19	7,256	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
62	रीवा	जय भोले स्टोन क्रशर	मरहा, हुजूर, रीवा	430	1.620	27/10/2014 से 26/10/2024	गिट्टी	25/07/2017 से 31/03/2019	13,723	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
63	रीवा	श्रीमती श्यामवती तिवारी	मरहा, हुजूर, रीवा	566/1, 566/2	1.969	17/11/2015 से 16/11/2025	गिट्टी	25/11/2017 से 29/02/2018	8,769	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
64	सतना	मैसर्स पांडे स्टोन क्रशर, प्रो. श्री राकेश कुमार पाण्डेय	सिलौटी, मैहर, सतना	52 p	1.984	07/02/2016 से 06/02/2026	गिट्टी	07/02/2018 से 28/02/2018	1,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
65	शहडोल	मैसर्स बजरंज स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री सर्वेश सिंह	मऊ, बोहरी, शहडोल	194	1.521	30/05/2010 से 29/05/2020	गिट्टी	01/09/2016 से 16/05/2017	765	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
66	शहडोल	मैसर्स साईनाथ कंस्ट्रक्शन, प्रो. श्रीमति माधुरी सिंह	पटासी, शहडोल	116/2/1	1.000	28/09/2015 से 27/09/2025	गिट्टी	01/11/2016 से 06/12/2017	1,565	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
67	शहडोल	मैसर्स शिवम स्टोन क्रशर, प्रो. श्रीमति मधु तिवारी	नवलपुर, सोहागपुर, शहडोल	1366/1/1	4.000	28/10/2015 से 27/10/2025	गिट्टी	15/11/2016 से 23/10/2017	5,220	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
68	शशाजापुर	श्री राकेश सोलिया	कांजा, शाजापुरी	880/1	3.000	13/04/2015 से 12/04/2025	गिट्टी	01/04/2018 से 15/05/2018	225	अगस्त 2018 से मार्च 2019 के मध्य किसी भी खनिज का उत्पादन नहीं किया गया था और एक प्रकरण में संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक केवल 38 घन मीटर का खनन किया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
69	शाजापुर	श्री अभय कुमार जैन	भीलवारिया, शाजापुर	697/3	2.000	17/01/2016 से 16/01/2026	गिट्टी	01/08/2018 से 17/01/2019	4,625	अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के मध्य किसी भी खनिज का उत्पादन एवं परिवहन नहीं किया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
70	शाजापुर	श्री जय प्रकाश	कांजा, शाजापुर	881/1	2.000	28/08/2014 से 27/08/2024	गिट्टी	01/03/2018 से 31/05/2018	66	अगस्त 2018 से मार्च 2019 के मध्य किसी भी खनिज का उत्पादन एवं परिवहन नहीं किया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
71	सीधी	श्री संतोष कुमार सिंह	हटवाखास, सिंहवाल, सीधी	794	2.000	16/09/2010 से 15/09/2020	पत्थर	अप्रैल 2017 से फरवरी 2018	52,531	खनन योजना, पर्यावरण अनुमति एवं संचालन की सहमति पट्टेदार से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि

स.क्र.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क्र.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
											पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है।
72	सीधी	श्री विनोद सिंह	झरिया, बहारी, सीधी	100	4.000	18/03/2008 से 17/03/2018	पत्थर	फरवरी 2016 से फरवरी 2017	3,500	खनन योजना, पर्यावरण अनुमति एवं संचालन की सहमति पट्टेदार से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है।
73	सीधी	श्री विजय कुमार शर्मा	पैपखरा, सीधी	103, 106	2.600	11/01/2017 से 10/01/2027	गिट्टी	जनवरी 2017 से मार्च 2019	910	खनन योजना,पर्यावरण अनुमति एवं संचालन की सहमति पट्टेदार से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है।
74	उज्जैन	श्री राघवेंद्र सिंह	बंदरवा, तराना, उज्जैन	1508/02, 1508/4	3.000	01/12/2007 से 30/11/2017 एवं 01/12/2017 से 30/11/2027	गिट्टी	01/12/2016 से 31/03/2018	2,198	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
75	उज्जैन	श्रीमती आशा महता	पिंगलेश्वर, उज्जैन	257, 258, 259	1.809	08/02/2008 से 07/02/2018	गिट्टी	जनवरी 2018	945	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पट्टे की अवधि	खनिज का नाम	अवधि जिसके लिए संचालन की सहमति प्राप्त नहीं हुई	संचालन की सहमति के बिना उत्खनन (घ.मी.)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
76	उज्जैन	करारा कंस्ट्रक्शन	जसवंत नगर, तराना, उज्जैन	35	3.000	28/02/2008 से 27/02/2018 एवं 28/02/2018 से 27/02/2028	गिट्टी	01/02/2018 से 31/03/2019	10,666	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
77	उज्जैन	श्रीमती आशा महता	उन्दासा, उज्जैन	818/1, 819/1/2 820/8, 820/2, 820/3	3.311	20/10/2015 से 19/10/2025	गिट्टी	01/11/2016 से 31/08/2017	9,391	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
78	उज्जैन	महाकाल स्टोन क्रशर	नजरपुर, घटिया, उज्जैन	1210/1	1.000	08/01/2012 से 07/01/2022	गिट्टी	अप्रैल 2016 से मार्च 2019	4,885	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
79	उज्जैन	श्री सत्यनारायण	दबलागोरी, उज्जैन	145	3.000	14/06/2014 से 13/06/2024	गिट्टी	जनवरी 2017 से मार्च 2019	21,374	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
80	उज्जैन	श्री अमित गुप्ता	चक्जैरामपुर, उज्जैन	174/1, 174/4	1.000	19/04/2010 से 18/04/2020	गिट्टी	अप्रैल 2016 से मार्च 2018	3,948	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
योग	**15 जिला खनिज अधिकारी**				**201.157**				**6,16,703 घ.मी. 38,004 मी.टन**		

परिशिष्ट 4.3

(कंडिका 4.7.5.1 में संदर्भित)

खनन योजनाओं में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन

(राशि ₹ में)

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (हे. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अलीराजपुर	श्री सुरपाल अजनार	खंडलाराव, जोबट, अलीराजपुर	898, 904, 905, 920	3.490	03/11/2009 से 02/11/2019 (19/5/09 से 18/5/19)	गिट्टी	2018–19	14,250	1,30,207	1,15,957	300.00	3,47,87,100	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
2	अनूपपुर	मेसर्स सरस्वती माइनिंग एंड स्टोन क्रशिंग, प्रो. राजेश कुमार जैन	बड़ी तुम्मी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	217/1	1.250	10/10/2016 से 09/10/2026	गिट्टी	2018–19	23,378	38,300	14,922	300.00	44,76,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
3	अनूपपुर	श्रीमती इंद्राणी सिंह पत्नी श्री सुदामा सिंह	बंधामार, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	276/2, 277/2	0.809	10/09/2010 से 09/09/2020	गिट्टी	2017–18	5,580	49,180	43,600	300.00	1,30,80,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
4	अनूपपुर	श्री नीरज कुमार सोनी	निगवानी, कोतमा, अनूपपुर	1316/1	4.500	15/11/2017 से 14/11/2027	मुरूम	2018–19	15,000	32,558	17,558	150.00	26,33,700	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
5	अनूपपुर	श्रीमती लक्ष्मी देवी खेड़िया पत्नी श्री हरि नारायण खेड़िया	पटना, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	8/1	0.809	09/04/2014 से 08/09/2024	गिट्टी	2017–18	5,630	9,670	4,040	300.00	12,12,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	अनूपपुर	मेसर्स रीवा स्टोन क्रशर, प्रो. श्री गया प्रसाद अग्रवाल	बरटोला, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	349	1.618	25/04/2012 से 24/04/2022	गिट्टी	2018–19	16,800	20,438	3,638	300.00	10,91,400	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
7	देवास	श्री बाबूलाल पटवाला	धमांडा, देवासी	37/1	3.740	14/07/2009 से 13/07/2019	गिट्टी	2016–17	20,000	22,232	2,232	250.00	5,58,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना के अनुसार उत्खनन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।
8	देवास	श्री अनिल लाठी	कांकरिया, खातेगांव, देवास	44/1	0.700	21/10/2010 से 20/10/2020	गिट्टी	2017–18	3,464	5,120	1,656	250.00	4,14,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना के अनुसार उत्खनन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।
							गिट्टी	2018–19	3,464	9,740	6,276	250.00	15,69,000		

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (हे. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	देवास	श्री जितेंद्र सिंह परिहार	विजयपुर, देवास	8	1.000	24/03/2016 से 23/03/2026	गिट्टी	2017–18	9,894	20,244	10,350	250.00	25,87,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना के अनुसार उत्खनन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी की कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
10	डिंडोरी	श्री अरुण कुमार गुप्ता	शाहपुरा, डिंडोरी	807/2	1.000	09/05/2017 से 08/05/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	2,850	3,109	259	400.00	1,03,600	सत्यापन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
11	ग्वालियर	श्री रामनिवास शर्मा	परसेन, ग्वालियर	4157, 4158, 4174, 4175	3.000	23/04/2010 से 22/04/2020	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	98,931	2,00,000	1,01,069	200.00	2,02,13,800	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
12	ग्वालियर	श्री अनुराग सिंह कुशवाह	पदमपुर खेड़िया, मुरार, ग्वालियर	364	1.000	29/04/2014 से 28/04/2024	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	13,429	24,405	10,976	200.00	21,95,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	13,429	18,622	5,193	200.00	10,38,600		
13	ग्वालियर	मैसर्स एमराल्ड इंडस्ट्रीस / श्री अनिल भंसाली	सुमारपाड़ा, ग्वालियर	169	2.440	17/07/2012 से 16/07/2022	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	3,45,450	4,30,064	84,614	200.00	1,69,22,800	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ग्वालियर	श्री भूरे सिंह यादव	जिगनिया, टप्पामुरार, ग्वालियर	319, 320	2.000	06/12/2014 से 05/12/2024	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	25,173	1,78,539	1,53,366	200.00	3,06,73,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
15	ग्वालियर	मैसर्स माँ पिताम्बरा ग्रेनाइटस/श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर	तुरकपुरा ग्वालियर	159/2 (205)	1.735	03/08/2015 से 02/08/2025	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	20,000	54,210	34,210	200.00	68,42,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
16	ग्वालियर	मैसर्स राजावत स्टोन इंडस्ट्री/श्री राम नरेश सिंह परमार	लखनपुरा, डबरा, ग्वालियर	8,9	3.400	08/03/2011 से 07/03/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	75,000	99,155	24,155	200.00	48,31,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
17	इन्दौर	मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेस	केसरीवर्दी, महू, इंदौर	228	1.193	03/03/2016 से 02/03/2026	गिट्टी	2018–19	9,690	12,110	2,420	400.00	9,68,000	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया है।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
18	कटनी	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	परसवाड़ा, बरही, कटनी	358	15.00	30/11/2015 से 29/11/2025	रेत	2016–17	1,20,000	1,40,171	20,171	500.00	1,00,85,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
19	खरगौन	श्रीमती विनीता अग्रवाल पत्नी श्री बबन अग्रवाल	रंगगांव, खरगोन	3/1	1.652	16/05/2017 से 15/05/2027	गिट्टी	2018–19	19,400	23,048	3,648	300.00	10,94,400	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अधिक उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य सत्यापन के बाद वसूल किया जाना चाहिए। प्रकरण में सत्यापन के बाद

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (हे. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है।
20	मुरैना	श्री आशीष मुद्गल पुत्र श्री रामब्रिज मुद्गल	गडगेर, मुरैना	962, 964, 971, 972, 984	0.047, 0.335, 0.141, 0.099, 0.418	23/11/2016 से 22/11/2026	शिला पट्ट	2018–19	2,500	2,975	475	500.00	2,37,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
21	मुरैना	श्री संदीप सिंह धाकड़, पुत्र श्री श्यामलाल धाकड़	किसरोली, कैलारस, मुरैना	735	4.000	01/05/2010 से 30/04/2020	गिट्टी	2017–18	15,000	16,221	1,221	200.00	2,44,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
22	राजगढ़	अनीता गोयल	पचौर, पचौर, राजगढ़	648/1/2	0.512	30/09/2016 से 29/09/2026	गिट्टी	2017–18	1,995	8,263	6,,268	303.80	19,04,218	संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म से सम्मति मिलने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	1,995	10,167	8,172	303.80	24,82,654		
23	रतलाम	मैसर्स वी.वी. सी. रियलइन्फ्रा स्ट्क्चर	स्ट्रक्चर खमरिया, आलोट, रतलाम	775	2.000	06/08/2016 से 05/08/2021	गिट्टी	2016.–7	27,210	28,112	902	300.00	2,70,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	23,013	44,480	21,467	300.00	64,40,100		
24	रतलाम	श्री मोहब्बत अली	नामली, रतलाम	143/1	1.000	14/11/2016 से 13/11/2026	गिट्टी	2018–19	10,925	17,115	6,190	300.00	18,57,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
25	रतलाम	श्री कैलाश कुमावत	सरवानी खुर्द, रतलाम	1	1.900	21/10/2015 से 20/10/2025	गिट्टी	2017–18	5,700	10,355	4,655	300.00	13,96,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	रतलाम	श्री सुरेश कुमार पटेल	रोजाना, जावरा, रतलाम	33 / 2	3.000	02 / 08 / 2016 से 01 / 08 / 2026	गिट्टी	2018–19	19,000	31,923	12,923	300.00	38,76,900	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
27	रीवा	श्री शंकरदत्त शुक्ला	जोन्ही, हुजूर, रीवा	144 / 1 / 1, 114 / 1 / 2, 144 / 1k,14 4 / 3	1.868	30 / 03 / 2017 से 29 / 03 / 2027	गिट्टी	2018–19	15,909	16,531.25	622.25	200.00	1,24,450	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
28	रीवा	श्री रमाकांत पाण्डेय	पाथरगढ़ी, हुजूर, रीवा	126 / 1	1.199	13 / 10 / 2014 से 12 / 10 / 2024	गिट्टी	2017–18 2018–19	6,772 6,772	8,129 8,148	1,357 1,376	200.00 200.00	2,71,400 2,75,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
29	रीवा	मेसर्स के वी टेक्नो	सरदमन, हनुमना, रीवा	74 / 1	4.260	25 / 10 / 2017 से 24 / 10 / 2027	गिट्टी	2018–19	1,25,286	2,02,909.7	77,623.7	200.00	1,55,24,740	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
30	रीवा	श्री जयगुरुदेव स्टोन	साकारवत, हुजूर, रीवा	563 / 1	2.383	22 / 12 / 2013 से 21 / 12 / 2023	गिट्टी	2017–18	8,000	10,970	2,970	200.00	5,94,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	रीवा	श्री आकाश सिंह चौहान	हर्राहा, मानगंज, रीवा	29/1	0.809	05/02/2004 से 04/02/2024	गिट्टी	2018–19	3,998	5,186	1,188	200.00	2,37,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
32	रीवा	श्री अमित कुमार सिंह	लोधी, हनुमना, रीवा	508/3	2.000	08/06/2016 से 07/06/2026	शिला पटट्	2017–18	4,200	5,719	1,519	1000.00	15,19,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
33	रीवा	मैसर्स तथागत स्टोन क्रेशर	सुमेदा, हुजूर, रीवा	101, 102, 377, 378	4.991	22/12/2013 से 23/12/2023	गिट्टी	2017–18	27,930	37,580	9,650	200.00	19,30,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि खनन योजना एवं पर्यावरण अनुमति में इंगित मात्रा के अनुसार उत्खनन सुनिश्चित नहीं किया गया।
34	सतना	मैसर्स स्वामी नीलकंठ स्टोन क्रेशर	बठिया, मैहर, सतना	720, 721,722	1.902	21/07/2010 से 20/07/2020	गिट्टी	2017–18	12,257	27,291	15,034	200.00	30,06,800	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
35	सतना	मैसर्स प्रभात स्टोन क्रेशर	काकलपुर, अमरपाटन, सतना	547	0.457	28/11/2011 से 27/11/2021	गिट्टी	2017–18	3,800	9,628	5,828	200.00	11,65,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	3,278	4,630	1,352	200.00	2,70,400		

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	सतना	श्री शैलेन्द्र शर्मा, पटना स्टोन माइंस	पटना, नागोड, सतना	60/6, 60/8	2.090	28/09/2017 से 27/09/2027	गिट्टी	2018–19	10,000	10,100	100	200.00	20,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
37	शहडोल	श्री शिवशक्ति स्टोन क्रेशर, प्रो. श्रीमती राजश्री सिंह	मऊ, ब्योहारी शहडोल	194	1.214	31/05/2010 से 30/05/2020	गिट्टी	2018–19	11,260	18,900	7,640	300.00	22,92,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
38	शहडोल	श्री राजेश केडिया	सोनाहा, बुधर, शहडोल	172/8	1.416	15/04/2015 से 14/05/2025	गिट्टी	2017–18	10,000	16,096	6,096	300.00	18,28,800	पट्टेदार द्वारा वर्ष 17–18 में किये गये उत्पादन का प्रतिवेदन पोर्टल से निकालने पर उसके द्वारा किया गया खनन 11,842 घनमीटर पाया गया जबकि कैलेण्डर वर्ष 2016–17 एवं 18–19 के आधार पर गणना करते समय खनन अनुमति से अधिक नहीं पाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
39	शहडोल	मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड श्री पवन कुमार सिंघानिया	लालपुर, सोहागपुर, शहडोल	2098/1	4.000	09/01/2018 से 08/01/2028	गिट्टी	2018–19	10,000	23,430	13,430	300.00	40,29,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	शाजापुर	श्री रखब चंद्र जैन	मझनिया, शाजापुर	581	4.000	20/11/2015 से 19/11/2025	गिट्टी	2017–18	30,000	48,611	18,611	900.00	1,67,49,900	पट्टाधारक ने नियमानुसार रायल्टी का भुगतान किया, यद्यपि पट्टाधारी ने संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन किया, अतः संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म से सम्मति प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	30,000	56,760	26,760	1100.00	2,94,36,000		
41	शाजापुर	श्री जितेंद्र सिंह मेवाड़ा	कोंटा दक्षिण, मोहन बडोदिया, शाजापुर	555	5.200	01/07/2015 से 31/03/2020	रेत	2017–18	13,000	35,667	22,667	900.00	2,04,00,300	पट्टाधारक ने नियमानुसार रायल्टी का भुगतान किया, यद्यपि पट्टाधारी ने संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन किया, अतः संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म से सम्मति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	शिवपुरी	मैसर्स जयसिद्ध बाबा स्टोन क्रशर	बमौर, बदरवास, शिवपुरी	1722, 1725, 1726	1.800	03/8/2017 से 02/8/2027	गिट्टी	2017–18	11,020	12,415	1,395	220	3,06,900	कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर उत्पादन की गलत प्रविष्टि की गई है। पट्टेदार ने मैनुअल रिटर्न जमा करने का अनुरोध किया।	उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है। उपरोक्त राशि वसूली योग्य है। अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
43	सीधी	श्री संतोष सिंह	हटवाखास, सिहावल, सीधी	794	2.000	16/09/2010 से 15/09/2020	गिट्टी	2018–19	56,840	1,01,565	44,725	303.80	1,35,87,455	पट्टेदार से अभिलेख मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है। नतीजतन, अवैध खनन हुआ है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ेगा।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	सीधी	श्री राजशिला, स्टोन क्रशर	अकला, बहरी, सीधी	41, 57, 70, 71	3.020	01/06/2017 से 31/05/2027	गिट्टी	2018–19	63,504	65,582	2,078	303.80	6,31,296	पट्टेदार से अभिलेख मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है। नतीजतन, अवैध खनन हुआ है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ेगा।
45	सीधी	श्री गणेशप्रताप सिंह	बरमानी, गोपदबनास, सीधी	1284, 1285,1 287	1.500	26/11/2015 से 25/11/2025	गिट्टी	2017–18	8,820	12,918	4,098	303.80	12,44,972	पट्टेदार से अभिलेख मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (हे. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							गिट्टी	2018–19	8,820	10,883	2,063	303.80	6,26,739		पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है। नतीजतन, अवैध खनन हुआ है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ेगा।
46	सीधी	श्री अमित सिंह	हरदी, सिहावल, सीधी	79	2.370	16/05/2011 से 15/05/2021	गिट्टी	2018–19	9,690	64,053	54,363	303.80	1,65,15,479	पट्टेदार से अभिलेख मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि पट्टेदार द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं और न ही गड्ढे के मुंह की माप की जा रही है और न ही चेक पोस्ट किया जा रहा है। जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उतनी ही मात्रा में उत्पादन किया गया जितना रिटर्न में दिखाया गया है। नतीजतन, अवैध खनन हुआ है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ेगा।

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	खनन की अवधि	खनन योजना के अनुसार उत्खनन (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा (घ.मी) (स्तंभ 11 – 10)	खनन किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ.मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, अतिरिक्त उत्खनित खनिज का 100 प्रतिशत मूल्य (स्तंभ 12 X 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	उज्जैन	श्रीमती आशा मेहता	उन्दासा, उज्जैन	818/1, 819/1/2, 820/8, 820/2, 820/3	3.311	20/10/2015 से 19/10/2025	गिट्टी	2018–19	14,193	15,363	1,170	303.80	3,55,446	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि खनन योजना के अनुसार उत्खनन को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी एवं कार्यवाही नहीं की गई, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे शासन के संज्ञान में लाया गया। अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
				योग	**18**				**14,73,499**	**25,19,798**	**10,46,299**		**30,90,30,549**		

परिशिष्ट 4.4

(कंडिका 4.7.5.2 में संदर्भित)

पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन

(राशि ₹ में)

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनरन की अवधि	खनन योजना के अनुसार खनन की अनुमति (घ.मी.)	पर्यावरण अनुमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	उत्खनित किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ. मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त उत्खनित खनिज का शत–प्रतिशत मूल्य की वसूली (कालम 14 x 15)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अलीराजपुर	श्री अम्बे क्रशर	मधु पाल्वी, सोंडवा, अलीराजपुर	12/2	8.00	03/6/2015 से 02/06/2025	गिट्टी	2017–18	1,17,600	1,00,000	1,15,129	15,129	300.00	45,38,700	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
2	भोपाल	श्री विशाल शिवहरे	दिल्लोद, बरसिया	81	3.900	15/04/2010 से 14/04/2020	गिट्टी	2016–17	90,583	30,875	45,100	14,225	180.00	25,60,500	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि सभी पट्टेदारों द्वारा नियमित विवरणियाँ जमा नहीं की जा रही थी और चेक पोस्ट भी नहीं बनाये गये थे, जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं है कि वही खनिज पट्टेदार द्वारा उत्खनित किया गया है जैसा कि विवरणियों में उल्लेख किया गया है। इसलिए

स.क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनरन की अवधि	खनन योजना के अनुसार खनन की अनुमति (घ.मी.)	पर्यावरण अनुमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	उत्खनित किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ. मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त उत्खनित खनिज का शत–प्रतिशत मूल्य की वसूली (कालम 14 x 15)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																पट्टाधारकों द्वारा खनिज उत्खनन की सही मात्रा की जाँच करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।
3	डिण्डोरी	श्री रमेश पुरुषवानी	बटुधा, डिंडोरी, डिंडोरी	155, 156	2.000	28/01/2011 से 27/01/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	7,716	4,500	6,553	2,053	400.00	8,21,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	7,716	4,500	7,523	3,023	400.00	12,09,200		
4	डिण्डोरी	श्री कृष्ण कुमार	खिर्सारी, डिंडोरी, डिंडोरी	19/1, 19/2, 19/3	1.000	02/11/2016 से 01/11/2021	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	2,631	2,631	3,424	793	400.00	3,17,200	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	2,631	2,631	3,028	397	400.00	1,58,800		
5	डिण्डोरी	श्री प्रमोद कुमार साहू	रत्न मॉल, बजग, डिंडोरी	1	2.000	06/04/2017 से 05/04/2027	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	3,420	3,420	3,760	340	400.00	1,36,000	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
6	इन्दौर	श्री सतीश जाट	मतलबपुरा, महू, इंदौर	198/1/1	3.000	13/06/2014 से 12/06/2024	गिट्टी	2017–18	लागू नहीं	18,000	75,621	57,621	400.00	2,30,48,400	जि.ख.अ.ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	खनन अधिकारी द्वारा अर्द्ध हास्यिा का उत्तर नहीं दिया गया। उत्तर के लिए संचालक भौमिकी
								2018–19	25,000	18,000	18,996	996	400.00	3,98,400		

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनरन की अवधि	खनन योजना के अनुसार खनन की अनुमति (घ.मी.)	पर्यावरण अनुमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	उत्खनित किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ. मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त उत्खनित खनिज का शत–प्रतिशत मूल्य की वसूली (कालम 14 x 15)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																एवं खनिकर्म को पत्र लिखा गया है। उनके स्तर पर कार्यवाही का अपेक्षित है।
7	नरसिंहपुर	श्री मिथिलेश राजपूत	बकोरी, नरसिंहपुर	17 / 2	2.000	22 / 02 / 2017 से 22 / 02 / 2027	गिट्टी	2018–19	11,760	11,760	19,874	8,114	303.80	24,65,033	संबंधित कार्यवाही पट्टेदार द्वारा की जानी है। जिसके लिए पत्र जारी किया गया है।	उत्खनन निर्धारित सीमा से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। यदि खनिज का उत्खनन निर्धारित सीमा से अधिक किया गया है तो नियमानुसार शास्ति का अधिरोपण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
8	सतना	मेसर्स शारदा स्टोन क्रशर, प्रो. श्रीमती उषा सिंह, पत्नी श्री. अमर सिंह चौहान	बठिया, मैहर, सतना	937, 938, 939	1.463	19 / 04 / 2012 से 18 / 04 / 2012	गिट्टी	2017–18	1,03,652	50,027	94,100	44,073	200.00	88,14,600	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनरन की अवधि	खनन योजना के अनुसार खनन की अनुमति (घ.मी.)	पर्यावरण अनुमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	उत्खनित किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ. मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त उत्खनित खनिज का शत–प्रतिशत मूल्य की वसूली (कालम 14 x 15)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	शिवपुरी	राघवेंद्र सिंह तोमर	बमोर, बदरवास, शिवपुरी	1582	2.000	03/12/2015 से 02/13/2025	गिट्टी	2018–19	9,211	4,000	72,300	68,300	220	1,50,26,000	जि.ख.अ., शिवपुरी ने बताया कि पोर्टल पर उत्पादन का गलत इन्द्राज किया गया है। मासिक विवरणी 950 घनमीटर के वास्तविक मासिक उत्पादन के साथ प्रस्तुत किया गया था।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, पट्टेदार के शपथ पत्र को निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उक्त शपथ पत्र ऑडिट ज्ञापन जारी करने के बाद दिया जाता है। अतः ई–खानिज पोर्टल पर उपरोक्त प्रविष्टि कर लेखापरीक्षा को सूचित करें। इसे सरकार के संज्ञान में लाया गया।
10	सीधी	श्रीमती सुशीला तिवारी	झरिया, बहारी, सीधी	21	1.500	04/01/2017 से 03/01/2027	गिट्टी	2017–18	11,760	2,376	4,996	2,620	303.80	7,95,956	पट्टेदार से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रदान की जाएगी।	उत्तर स्वीकार्य है क्योंकि सभी पट्टेदारों द्वारा नियमित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही थी और जिसके कारण यह पता
								2018–19	11,760	2,376	6,054	3,678	303.80	11,17,376		

स. क	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनरन की अवधि	खनन योजना के अनुसार खनन की अनुमति (घ.मी.)	पर्यावरण अनुमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	उत्खनित किये गए खनिज का मूल्य (प्रति घ. मी.)	उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त उत्खनित खनिज का शत–प्रतिशत मूल्य की वसूली (कालम 14 x 15)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																लगाना संभव नहीं है कि पट्टेदार द्वारा उसी खनिज का उत्खनन किया गया है जैसा कि विवरणियों में उल्लेख किया गया है। विभाग द्वारा कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई है कि पट्टाधारकों द्वारा खनिज उत्खनन की सही मात्रा की जाँच की जा सके।
योग										2,55,096	4,76,458	2,21,362 घ. मी.		6,14,07,366		

परिशिष्ट 4.5

(कंडिका 4.7.5.3 में संदर्भित)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई संचालन की सहमति में निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन

(राशि ₹ में)

स. क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (हे. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनन की अवधि	संचालन की सहमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	निकाले गए खनिज का मूल्य (घ.मी.)	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य (कालम 12 x 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अनूपपुर	मेसर्स सरस्वती स्टोन क्रशर प्रो. राजेश कुमार जैन (6498)	बड़ीतुम्मी, पुष्पराजगढ़, अनुपपूर	237/1	2,200	04/10/2016 से 03/10/2026	गिट्टी	2017–18	40,465	70,565	30,100	300.00	90,30,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	30,487	40,400	9,913	300.00	29,73,900		
2	भोपाल	श्री यावर मोहम्मद खान	हिनौती सड़क, भोपाल	856, 857, 858, 889/2, 860	4,000	18/09/2009 से 17/09/2019	गिट्टी	2017–18	6,100	22,235	16,135	220.00	35,49,700	विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	6,100	38,445	32,345	250.00	80,86,250		
3	छतरपुर	श्री रमेश पाठक	पथरिया, छतरपुर,	199/1/1	4,000	11/10/2010 से 10/10/2020	गिट्टी	2017–18	26,000	31,554	5,554	300.00	16,66,200	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	26,000	84,635	58,635	300.00	1,75,90,500		
4	छतरपुर	श्रीमती सावित्री मिश्रा	परवा, राजनगर, छतरपुर	1288	4,000	03/06/2010 से 04/06/2020	बोल्डर	2016–17	4,000	9,000	5,000	300.00	15,00,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	4,000	46,217	42,217	300.00	1,26,65,100		
5	छतरपुर	श्री अविनाश श्रीवास्तव	नौगांव, छतरपुर	60	4,000	30/06/2009 से 29/06/2019	गिट्टी	2018–19	30,000	51,746	21,746	300.00	65,23,800	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनन की अवधि	संचालन की सहमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	निकाले गए खनिज का मूल्य (घ.मी.)	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य (कालम 12 x 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	छतरपुर	श्रीमती उषा द्विवेदी	परवा, राजनगर, छतरपुर	1288	3,000	03/06/2010 से 02/06/2020	बोल्डर	2016–17	4,000	6,590	2,590	300.00	7,77,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	4,000	8,423	4,423	300.00	13,26,900		
7	छतरपुर	श्री दीप सिंह	मुदवुरा, नौगांव, छतरपुर	1/2/2	2,200	14/09/2009 से 13/09/2019	बोल्डर	2018–19	2,000	5,770	3,770	300.00	11,31,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
8	दमोह	श्री संजय कुमार चौरसिया	देवदरा, पटियागढ़, दमोह	2	4,000	10/10/2016 से 09/10/2026	गिट्टी	2018–19	18,000	46,791.40	28,791.40	303.80	87,46,827	नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
9	ग्वालियर	मेसर्स तेजवंत जैन	बिलौआ, डबरा, ग्वालियर	3717/2	2,000	30/08/2010 से 29/08/2020	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2018–19	12,000	40,100	28,100	200.00	56,20,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
10	ग्वालियर	मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन कंपनी/ रवींद्र सिंह यादव	बिलौआ, डबरा, ग्वालियर	3921	1,730	10/01/2015 से 09/01/2025	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2016–17	566	2,850	2,284	200.00	4,56,800	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	566	63,362	62,796	200.00	1,25,59,200		
								2018–19	566	383,23	37,757	200.00	75,51,400		
11	ग्वालियर	श्री बलराम सिंह यादव	बिलौआ, डबरा, ग्वालियर	3921	1,500	13/04/2014 से 12/04/2024	गिट्टी (स्टोन बोल्डर)	2017–18	1,800	24,130	22,330	200.00	44,66,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।

स. क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनन की अवधि	संचालन की सहमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ. मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	निकाले गए खनिज का मूल्य (घ.मी.)	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य (कालम 12 x 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	इंदौर	अतुल कंस्ट्रक्शन	रंगवासा, देपालपुर, इंदौर	125/1/3	2,300	10/07/2011 से 09/07/2021	गिट्टी	2018–19	10,000	11,936	1,936	400.00	7,74,400	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
13	इंदौर	श्री बलवीर सिंह परमार	सेजवानी, देपालपुर, इंदौर	284/1/1/1	2,022	12/06/2011 से 11/06/2021	गिट्टी	2016–17	1,000	9,960	8,960	400.00	35,84,000	जि.ख.अ .ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	1,000	23,465	22,465	400.00	89,86,000		
14	इंदौर	पृथ्वी इंफ्रास्ट्रक्चर	जमन्या जागीर, महू, इंदौर	3	3,980	13/10/2011 से 12/10/2021	गिट्टी	2017–18	9,649	14,693	5,044	400.00	20,17,600	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	9,649	38,760	29,111	400.00	1,16,44,400		
15	इंदौर	अग्रवाल इंटरप्राइजेज	केसरवर्दी, महू, इंदौर	223, 224, 227	1,400	11/08/2010 से 10/08/2020	गिट्टी	2017–18	5,000	12,765	7,765	400.00	31,06,000	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	5,000	6,119	1,119	400.00	4,47,600		

स.क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनन की अवधि	संचालन की सहमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ.मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	निकाले गए खनिज का मूल्य (घ.मी.)	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य (कालम 12 x 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	
16	इंदौर	प्रीति अग्रवाल	बड़गोंडा, महू, इंदौर	289/1/1, 289/1/2	1,700	18/06/2009 से 17/06/2019	गिट्टी	2016–17	500	19,480	18,980	400.00	75,92,000	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	500	6,070	5,570	400.00	22,28,000		
17	इंदौर	श्री पवन मिश्रा	बड़गोंडा, महू, इंदौर	286/3, 285, 782/1/2	2,500	13/07/2014 से 12/07/2024	गिट्टी	2018–19	7,500	13,215.55	5,715.55	400.00	22,86,220	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
18	इंदौर	श्री धरती हाईवे	पेंडमी, इंदौर	98/1, 98/2/1, 98/2/	4,900	24/12/2016 से 23/12/2026	गिट्टी	2017–18	20,520	72,812	52,292	400.00	2,09,16,800	जि.ख.अ. ने उत्तर नहीं दिया, प्रकरण संचालक	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2018–19	20,520	2,18,280	1,97,760	400.00	7,91,04,000		

स. क.	जि.ख.अ. का नाम	पट्टेदार का नाम	गाँव, तहसील और जिला	खसरा क.	क्षेत्र (है. में)	पटटे की अवधि	खनिज का नाम	उत्खनन की अवधि	संचालन की सहमति के अनुसार उत्खनन की अनुमति (घ. मी.)	पट्टेदार द्वारा उत्खनन (घ.मी.)	उत्खनन की अधिक मात्रा (घ.मी.)	निकाले गए खनिज का मूल्य (घ.मी.)	सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वसूली, 100 प्रतिशत अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य (कालम 12 x 13)	जि.ख.अ. का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				3										भौमिकी एवं खनिकर्म के संज्ञान में लाया गया।	
19	कटनी	श्री प्रमोद पटेल	दादर सिंहुदी, धीमरखेड़ा, कटनी	362, 363, 432	1,200	15/10/2011 से 14/10/2021	गिट्टी	2018–19	5,000	6,067	1,067	500.00	5,33,500	सत्यापन के पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
20	कटनी	श्री अजय सिंह	बिच्छपुरा, बरही, कटनी	1051, 1054	1,900	02/08/2008 से 01/08/2018	गिट्टी	2017–18	20,000	23,060	3,060	500.00	15,30,000	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
21	रतलाम	श्री विक्रम सिंह राठौर	लूनेरा, रतलाम	117/1	2,000	26/12/2011 से 25/12/2021	गिट्टी	2018–19	2,500	3,645	1,145	300.00	3,43,500	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
22	सीधी	श्री अजय प्रताप सिंह	कतार्वर कुसुमी, सीधी	1443	1,300	10/05/2011 से 09/05/2021	गिट्टी	2016–17	7,320	10,323	3,003	303.80	9,12,311	सत्यापन पश्चात वसूली की कार्यवाही की जाएगी।	अंतिम उत्तर अपेक्षित है।
								2017–18	7,320	10,221	2,901	303.80	8,81,324		
				योग	**8.042**				**3,49,628**	**11,32,008**	**7,82,380**		**25,31,08,232**		

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका 5.1.4.1 में संदर्भित)

अपेक्षित सर्वेक्षण एवं जांच के अभाव में गलत आकलन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रमांक	संभाग	कार्य का नाम	अनुबंध का तरीका	प्राक्कलनों से विचलन का कारण	राशि
मूल प्राक्कलनों से विचलन के कारण लागत में वृद्धि का विवरण					
1	भोपाल	ब्यावरा–मकसूदनगढ़ रोड	ईपीसी	पुराने पार्वती नदी पुल के एप्रोच का उन्नयन	0.80
				बीना रिफाइनरी पाइप संरक्षण कार्य	3.47
2	रीवा	सतना बाईपास	एसबीडी	सात नये पुलियाओं का निर्माण रिटेनिंग वॉल का निर्माण	5.91 0.94
3	रीवा	सतना–बेला रोड	ईपीसी	पाइप पुलिया का निर्माण, मुख्य कैरिज वे की सुरक्षा, रेलवे ओवर ब्रिज में परिवर्तन, रिटेनिंग वॉल और कठोर फुटपाथ का निर्माण।	11.17
4	रीवा	रीवा–सिरमौर रोड	ईपीसी	4 मौजूदा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी पुलिया और एक छोटा पुल का चौड़ीकरण।	1.83
5	सागर	सगर–छतरपुर रोड पर आरओबी	ईपीसी	नाले के आकार में वृद्वि।	0.70
6	सागर	विदिशा–सागर रोड किमी 81 से किमी 175	ईपीसी	चौड़ीकरण संभव नहीं था इसलिए नए पुल का निर्माण किया गया, 21 एचपी पुलिया को चौड़ा किया गया।	6.70
7	सागर	सगर–बीना रोड किमी 01 से किमी 49/4	ईपीसी	अतिरिक्त रिटेनिंग वॉल का निर्माण एवं 05 नं. पुलों का चौड़ाई में कमी।	1.21
8	इंदौर	खुदेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल	एसबीडी	नींव के स्तर में 2.5 मीटर की वृद्धि।	1.39
9	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 182 से किमी 266/6	ईपीसी	04 की संख्या में नए छोटे पुलों का निर्माण।	6.49
10	ग्वालियर	दबोह–भंडार–यूपी बॉर्डर रोड	ईपीसी	लघु पुल का पुनर्निर्माण 28.7 किमी सड़क को मौजूदा चौड़ाई में वाइट टॉपिंग के स्थान पर 4 लेन तक चौड़ा करना	1.04 7.35
11	ग्वालियर	पोरसा अटर भिंड रोड	ईपीसी	16000 आरएमटी . की लंबाई में आरसीसी नाले का निर्माण	13.73
12	ग्वालियर	मुरैना–अम्बा–पोरसा रोड	ईपीसी	आरओबी पर सफेद टॉपिंग के स्थान पर आरओबी की मरम्मत 12000 आरएमटी की लंबाई में आरसीसी नाले का निर्माण	01.49 10.30

13	ग्वालियर	मिहोना बाईपास लहार बायपास स्टार्ट के लिए समाप्त	ईपीसी	लहार कस्बे में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण	4.69
				कुल	**79.21**
मूल प्राक्कलनों से विचलन के कारण लागत में कमी का विवरण					
14	सागर	भोपाल सांची खंड किमी 175 से किमी 187/6	एसबीडी	लघु पुल की लंबाई में परिवर्तन	1.77
15	सागर	सागर–छतरपुर रोड किमी 188/4 पर उच्च स्तरीय पुल	एसबीडी	पुल निर्माण की ड्राइंग डिजाइन और स्पैन व्यवस्था में बदलाव	1.48
16	सागर	सागर–छतरपुर मार्ग पर संख्या 29 पुलिया एवं लघु पुल का पुनर्निर्माण	एसबीडी	02 छोटे पुलों का विलोपन	5.80
17	इंदौर	इंदौर बैतूल रोड किमी 78 से किमी 92	एसबीडी	संकरी पुलिया व लघु पुल का पुनर्निर्माण एवं सबमर्सिबल पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	0.80
				कुल	**9.85**

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका 5.1.4.2 में संदर्भित)

प्राक्कलनों में आवश्यक मदों/मात्राओं को शामिल न करना

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
1	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	8.2	आरसीसी क्रैश बैरियर		0	90	90	3,467	3.12	सड़क सुरक्षा
2	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	2.3 (iii)	चूना मोर्टार में पत्थर की चिनाई का विखण्डन	घन मीटर	0	132.12	132.12	276	0.36	काम शुरू करने के लिए
3	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	2.3 (i)	चूना कंक्रीट का विखण्डन		0	76.52	76.52	202	0.15	काम शुरू करने के लिए
4	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	12.39	एच वाई एस डी बार (नींव)		0	1.935	1.935	75,306	1.46	संरचना के निर्माण के लिए
5	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	13.6	एच वाई एस डी बार (संरचनाएं)		0	5.756	5.756	75,415	4.34	संरचना के निर्माण के लिए
6	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	8.11	सड़क अंकन		0	53	53	636	0.34	सड़क सुरक्षा
7	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	8.21 (बी)	मेटल बीम क्रशर		0	530	530	5,971	31.65	सड़क सुरक्षा
8	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	12.38	पीसीसी एम 15 लेवलिंग कोर्स		0	12.74	12.74	4,268	0.54	संरचनाओं के निर्माण के लिए
9	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	14.1	20 मिमी फाइबर बोर्ड		0	61.27	61.27	418	0.26	सड़क सुरक्षा
10	सागर	किमी 84/6 पर पुलों की निर्माण	8.7	नई ठोस सतह में दो कोट पेंट करना		0	226.38	226.38	51	0.12	सड़क सुरक्षा
11	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	2.3	कंक्रीट स्लैब का विघटन		0	13.332	13.332	323	0.04	काम शुरू करने के लिए
12	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	2.3	पत्थर के फ़र्श का विघटन		0	48.884	48.884	202	0.10	काम शुरू करने के लिए
13	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	2.3	कंक्रीट का विघटन		0	33.93	33.93	276	0.09	काम शुरू करने के लिए

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
14	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	21.4 (iii)	फ्लेक्सिबल फुटपाथ का विघटन		0	92.625	92.625	237	0.22	काम शुरू करने के लिए
15	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	8.11	सड़क अंकन		0	62	62	636	0.39	सड़क सुरक्षा
16	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	8.21(बी)	धातु बीम बाधा		0	570	570	5,971	34.03	सड़क सुरक्षा
17	सागर	किमी 85/6 पर पुलों की निर्माण	8.7	नई ठोस सतह में दो कोट पेंट करना		0	126.38	126.38	51	0.06	सड़क सुरक्षा
18	सागर	भोपाल सांची खंड किमी 175 से कमी 187/6	8.25	मेटल बीम क्रैश बैरियर ए टाइप.ए, (डब्ल्यू)		1,000	17,860	16,860	3,300	556.38	सड़क सुरक्षा
19	सागर	भोपाल सांची खंड किमी 175 से किमी 187/6	6.16	पी/एल कारखाने ने सीसी पेवर ब्लॉक बनाया		2,400	9,212	6812	625	42.58	फुटपाथ के निर्माण के लिए
20	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.1 i बी (ii)	संरचना के लिए खुदाई साधारण चट्टान 3 मीटर से 6 मी		2,851.071	8,400.624	5,549.553	150	8.32	संरचना के निर्माण के लिए
21	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.1 ii बी (ii)	संरचना के लिए खुदाई साधारण चट्टान 3 मीटर से 6 मी		0	2,895.681	2,895.681	104	3.01	संरचना के निर्माण के लिए
22	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.3	सादा सीमेंट कंक्रीट एम 15 प्रदान करना		839.996	980.728	140.732	5,000	7.04	संरचना के निर्माण के लिए
23	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.8(i)	पीसीसी ग्रेड एम 20 उपलब्ध कराना और बिछाना		685.398	2,751.997	2,066.599	5,700	117.80	संरचना के निर्माण के लिए
24	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	IV (ए)	आरसीसी ग्रेड एम 30		2,626.83	6,534.885	3,908.055	6,800	265.75	संरचना के निर्माण के लिए
25	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.31	गैर लेपित एच वाई एस डी बार रखना		384.946	620.426	235.48	62,000	146.00	संरचना के निर्माण के लिए
26	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	13.6 I (ए)	उप संरचना में सामान्य/आरसीसी 5 मीटर तक की ऊंचाई		1,049.934	1,751.25	701.316	6,000	42.08	संरचना के निर्माण के लिए

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
27	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	IV (ए)	आरसीसी ग्रेड एम 30 ऊँचाई 5 मीटर तक		322.8	1,914.803	1592.003	6,700	106.66	संरचना के निर्माण के लिए
28	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	14.1 (iii) (ए)	आरसीसी को तैयार करना और रखना, ऊंचाई 5 मीटर से 10 मीटर		2,067.545	2,859.86	792.315	7,400	58.63	संरचना के निर्माण के लिए
29	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	14.17 II	फिलर संधि–स्थल, 20 मिमी प्रदान करना और फिक्स करना		825.37	2,582.272	1,756.902	419	7.36	संरचना के निर्माण के लिए
30	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	5.6 ए (I)	बी.सी. , 100–120 टीपीएच का उपयोग करते हुए, ग्रेडिंग II		873.826	1,005.386	131.56	9,000	11.84	संरचना के निर्माण के लिए
31	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	5.11	मैस्टिक डामर 25 मिमी प्रदान करना और बिछाना		4,860.12	5,990.583	1,130.463	600	6.78	संरचना के निर्माण के लिए
32	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	14.7	एम 30 की आरसीसी रेलिंग का निर्माण		666	1,010.032	344.032	2,074	7.14	सड़क सुरक्षा के लिए
33	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	4.11	वेट मिक्स मैकाडाम		7,387.19	8,304.884	917.694	1,450	13.31	रोड क्रस्ट के निर्माण के लिए
34	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	3.12	बाहर से लायी गई मिटटी से प्राप्त सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण		43,006.8	62,180.398	19,173.598	160	30.68	रोड क्रस्ट के निर्माण के लिए
35	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.1	संरचना II के लिए साधारण चट्टान की खुदाई (i) गहराई 3 मीटर से 6 मीटर		69.05	272.87	203.82	329	0.67	संरचना के निर्माण के लिए
36	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.1	(ii) 6 मी से अधिक गहराई		79.45	797.22	717.77	492	3.53	संरचना के निर्माण के लिए
37	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.2	अतिरिक्त आइटम जोड़ें यदि साधारण चट्टान का डिवाटरिंग किया गया		79.45	797.22	717.77	75	0.54	संरचना के निर्माण के लिए

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
38	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.3	नींव में एम 15 नाममात्र का मिश्रण प्रदान करना		17.184	59.94	42.756	4,299	1.84	संरचना के निर्माण के लिए
39	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.4	फाउंडेशन बॉक्स फिलिंग में रेत भरना		1875.93	2,561.35	685.42	1,800	12.34	संरचना के निर्माण के लिए
40	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.8	नींव ग्रेड में एम 30 पी/एल प्लेन/आरसीसी		785.95	856.782	70.832	5,337	3.78	संरचना के निर्माण के लिए
41	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	13.6	सब.स्ट्रक्चर में प्लेन/आरसीसी 10 मी से ऊपर		59.14	91.476	32.336	5,999	1.94	संरचना के निर्माण के लिए
42	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	13.1	इलास्टोमेरिक बेयरिंग की आपूर्ति, फिटिंग और फिक्सिंग		1,24,800	2,34,000	1,09,200	0.78	0.85	संरचना के निर्माण के लिए
43	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	14.1	(i) एम 35 आरसीसी/ पीएससी ग्रेड तैयार करना एवं प्रस्तुत करना		457.8	661.495	203.695	6,481	13.20	संरचना के निर्माण के लिए
44	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	5.6	बीसी (iv) ग्रेडिंग II (30–45) मिमी मोटाई के लिए		129.56	145.53	15.97	7,669	1.22	संरचना के निर्माण के लिए
45	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	5.2	टैक कोट		2,367.4	7,276.85	4,909.45	14	0.69	बिटुमिनस सड़क के निर्माण के लिए
46	रीवा	भार्गव बाईपास	3.10	बॉरो पिट से प्राप्त सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण		0	43,570	43,570	144	62.74	रोड क्रस्ट के निर्माण के लिए
47	रीवा	भार्गव बाईपास	3.7	अनुपयोगी मिट्टी को हटाना		0	15,293.31	15,293.31	45	6.88	रोड क्रस्ट के निर्माण के लिए
48	रीवा	भार्गव बाईपास	14.4	सीसी वियरिंग कोर्स एम 30 उपलब्ध कराना और बिछाना		0	36	36	10,392	3.74	सीसी रोड निर्माण के लिए
49	रीवा	भार्गव बाईपास	9.2	ह्यूम पाइप बिछाना 1000 मिमी व्यास		0	20	20	5,668	1.13	पुलिया निर्माण हेतु
50	रीवा	भार्गव बाईपास	9.8	पीसीसी एम 15 प्रदान करना		0	174.72	174.72	4,353	7.61	संरचना के निर्माण के लिए

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
51	रीवा	भार्गव बाईपास	12.8 ए (ई)	आरसीसी ग्रेड एम 25		0	4,400	4,400	4,456	196.06	संरचना के निर्माण के लिए
52	रीवा	भार्गव बाईपास	8.25	मेटल बीम क्रेश बैरियर		0	620	620	3,406	21.12	सड़क सुरक्षा
53	रीवा	सुहागी बाईपास	12.8	उपलब्ध कराना और बिछाना (ए) पीसीसी एम 15		140	168	28	4,572	1.28	संरचना के निर्माण के लिए
54	रीवा	सुहागी बाईपास	13.8	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्रदाय		9.38	15.54	6.16	48,370	2.98	सीसी रोड निर्माण के लिए
55	रीवा	सुहागी बाईपास	13.7	एच वाई एस डी बार प्रदान करना		1.113	13.52	12.407	48,936	6.07	संरचना के निर्माण के लिए
56	रीवा	सुहागी बाईपास	14.6	सबस्ट्रक्चर में (ए) पीसीसी एम 15		31.5	70	38.5	4,918	1.89	संरचना के निर्माण के लिए
57	रीवा	सज्जनपुर बाईपास	3.10	बॉरो पिट से प्राप्त सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण		0	32,199.45	32,199.45	144	46.37	रोड क्रस्ट के निर्माण के लिए
58	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.8 (i)	रेट्रो. परावर्तित यातायात संकेत 90 सेमी समबाहु त्रिभुज		0	114	114	3,291	3.75	सड़क सुरक्षा
59	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.3 (iii)	60 सेमी वृत्ताकार		0	21	21	2,962	0.62	सड़क सुरक्षा
60	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.5	दिशा और स्थान पहचान चिन्ह 0.9 वर्गमीटर तक आकार के बोर्ड।		0	148.08	148.08	6,641	9.83	सड़क सुरक्षा
61	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.7	दिशा और स्थान पहचान चिन्ह 0.9 वर्गमीटर से अधिक आकार के बोर्ड।		0	9.6	9.6	11,603	1.11	सड़क सुरक्षा
62	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.17	रोड डेलिनेटर्स की आपूर्ति और डेलिनेटर्स की स्थापना		0	180	180	224	0.40	सड़क सुरक्षा

स. क्र.	संभाग	सड़क का नाम	एसओआर मद संख्या	आवश्यक वस्तुओं के नाम	इकाई	प्राक्कलन में मद की मात्रा	मूल प्राक्कलन से संशोधित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मदों की दर	राशि	वस्तुओं की अनिवार्यता
63	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.25	धातु बीम क्रैश बैरियर		0	4,770	4,770	3,406	162.47	सड़क सुरक्षा
64	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181	8.28	लेंस रिफ्लेक्टर के साथ रोड मार्कर/रोड स्टड		0	3,253	3,253	545	17.73	सड़क सुरक्षा
									कुल	**2,103.01**	

परिशिष्ट 5.3

(कंडिका 5.1.4.2 में संदर्भित)

प्राक्कलनों में अनुचित मात्रा में मदों का प्रावधान

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/ अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
1	भोपाल	विदिशा बायपास रोड	4.2 एवं 3.13	सबग्रेड में सुधार के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन	बॉरो पिट से प्राप्त सीबीआर >10 सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण	1,09,892.23 घन मीटर	1,09,892.23	0	475	178	297	326.38
2			3.12	बॉरो पिट से प्राप्त सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण	प्राक्कलन के अनुसार समान	4,38,401.03 घन मीटर	3,10,218	1,28,183	168	168	–	215.35
3		शुजालपुर–अष्टा खंड	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	1,387.65 मीट्रिक टन	950.41	437.24	43,621	43,621	–	190.73
4		मकसूदनगढ़–सिरोंज खंड	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	921.79 मीट्रिक टन	653.63	268.16	39,259	39,259	–	105.28
5		खिलचीपुर जीरापुर रोड	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	561.26 मीट्रिक टन	157.87	403.39	43,621	43,621	–	175.97
6	रीवा	सतना बाईपास	8.1 बी	सीटू सीसी एम 20 में कास्ट करें	प्राक्कलन के अनुसार समान	20,000 मीट्रिक टन	10,000	10,000	229	229	–	22.90
7			13.8	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्रदाय	डॉवेल बार	586 मीट्रिक टन	184	402	53,744	–	–	216.05
8			4.15	मीडियन और आइलैंड का निर्माण	प्राक्कलन के अनुसार समान	4,500 घन मीटर	3,296	1,204	151	–	–	1.82
9			12.8	प्लेन/आरसीसी उपलब्ध कराना और बिछाना (ए) पीसीसी एम 15	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,700 घन मीटर	856	844	5,080	–	–	42.88
10			12.8	(बी) पीसीसी एम 20	प्राक्कलन के अनुसार समान	6,000 घन मीटर	3,093	2,907	5,583			162.3

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/ अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
11	रीवा		8.27	प्रबलित सीसी पाइप प्रदान करना और बिछाना 300 मिमी व्यास	प्राक्कलन के अनुसार समान	10,750 मीट्रिक टन	225	10,525	1,618	–	–	170.29
12		भार्गव बाईपास	12.1	संरचना के लिए खुदाई 3 वर्ग मीटर तक की गहराई	प्राक्कलन के अनुसार समान	19,932 घन मीटर	7,549	12,383	58	–	–	7.18
13			4.1	जीएसबी	प्राक्कलन के अनुसार समान	2,718 घन मीटर	10,92	1,626	849	–	–	13.8
14			12.8	प्लेन/आरसीसी प्रदान करना और बिछाना (ए) पीसीसी एम 15	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,510 घन मीटर	550	960	5,080	–	–	48.77
15			12.8	(बी) पीसीसी एम 20	प्राक्कलन के अनुसार समान	6,493 घन मीटर	742	5,751	5,583	–	–	321.08
16			13.8	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्रदाय	डॉवेल बार	708.19 मीट्रिक टन	202	506.19	53,744	–	–	272.05
17		सुहागी बाईपास	12.8	प्लेन/आरसीसी प्रदान करना और बिछाना (बी) पीसीसी एम 20	प्राक्कलन के अनुसार समान	602 घन मीटर	490	112	5,025	–	–	5.63
18		सज्जनपुर बाईपास	12.8 बी	प्लेन/प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पीसीसी ग्रेड एम 20 के साथ प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	6,020 घन मीटर	3,387.018	2,632.982	5000	–	–	131.65
19			13.8	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्रदाय	डॉवेल बार	656.60 मीट्रिक टन	195.52	461.08	50,000	–	–	230.54
20			6.16 (i)	पी/सीसी पेवर ब्लॉक। एम 35 ग्रेड के 100 मिमी मोटे सीसी पेवर ब्लॉक	प्राक्कलन के अनुसार समान	14,000 वर्गमीटर	1434	12,566	840	–	–	105.55
21		गंगेओ बाईपास।	12.8 ए	पी/एल, प्लेन/रेनफोर्सड पीसीसी एम 15	प्राक्कलन के अनुसार समान	604 घन मीटर	513	91	4,572	–	–	4.16
22			13.8	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्रदाय	डॉवेल बार	283 मीट्रिक टन	132	151	48,370	–	–	73.04
23		रीवा–सिरमौर रोड	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	469.64 मीट्रिक टन	236	233.64	39,259	–	–	91.72

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/ अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
24	सागर	सागर–छतरपुर रोड किमी 88 से किमी 130	4.3 और 3.12	सबग्रेड में सुधार के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन	बॉरो पिट से प्राप्त सीबीआर >10 सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण	1,95,363 घन मीटर	1,95,363	0	463	154	309	603.67
25		खुरई बाईपास	4.3 और 3.12	सबग्रेड में सुधार के लिए लाइम स्टेबलाइजेशन	बॉरो पिट से प्राप्त सीबीआर >10 सामग्री से एमबैंकमेंट का निर्माण	79,894 घन मीटर	79,894	0	463	154	309	246.87
26		29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	2.3	संरचनाओं का विघटन (ए) लाइम कंक्रीट ग्रेड एम 10	प्राक्कलन के अनुसार समान	225.34 घन मीटर	6.66	218.68	300	300	निरंक	0.66
27			2.3	(बी) लाइम कंक्रीट ग्रेड एम 15 और 20	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,179.13 घन मीटर	563.367	615.76	380	380	निरंक	2.34
28			2.3	(सी) एम 20 और ऊपर	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,608.07	1,436.331	171.74	990	990	निरंक	1.7
29			12.5	कुंडलाकार स्थान प्रदान करना और भरना	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,668.12 घन मीटर	1,212.211	455.91	5,000	5,000	निरंक	22.8
30			14.1	II ए एम 30	प्राक्कलन के अनुसार समान	556.8 घन मीटर	225.027	331.77	7,400	7,400	निरंक	24.55
31			13.10 (ए)	बैक फिलिंग	प्राक्कलन के अनुसार समान	8,396.78 घन मीटर	6,266.093	2130.7	1,000	1,000	निरंक	21.31
32			13.11	प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	2,082.37 घन मीटर	1,708.277	374.09	1,241	1,241	निरंक	4.64
33			14.21	पट्टी सील विस्तार	प्राक्कलन के अनुसार समान	332 आरएम	192	140	12,000	12000	निरंक	16.8
34			14.9	ड्रेनेज स्पाउट	प्राक्कलन के अनुसार समान	198 नंबर	168	30	1,327	1,327	निरंक	0.4
35			14.11	आरसीसी एप्रोच स्लैब	प्राक्कलन के अनुसार समान	809.67 घन मीटर	721.108	88.562	8,900	8,900	निरंक	7.88
36	सागर	29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	15.1	प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,318.82 घन मीटर	491.519	827.3	2,259	2,259	निरंक	18.69

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
37			15.5	फ़िल्टर प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,511.59 घन मीटर	1,090.019	421,57	1,400	1,400	निरंक	5.9
38			4.12	क्रशर रन मैकाडाम	प्राक्कलन के अनुसार समान	11,613.3 घन मीटर	5,477.09	6,136.2	1,100	1,100	निरंक	67.5
39			5.1	प्राइम कोट	प्राक्कलन के अनुसार समान	50,651 वर्गमीटर	23,949.2	26,702	36	36	निरंक	9.61
40			5.2 (I)	प्रदान करना 25 प्रति किग्रा	प्राक्कलन के अनुसार समान	98,221.5 वर्गमीटर	18966.43	79,255	13	13	निरंक	10.3
41			5.5 II	डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,524.49 घन मीटर	1,352.285	172.21	8,000	8,000	निरंक	13.78
42			15.8	(सी) सीमेंट कंक्रीट एम 15	प्राक्कलन के अनुसार समान	281.2 घन मीटर	198.487	82.713	5,100	5,100	निरंक	4.22
43			5.8	ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सरफेसिंग	प्राक्कलन के अनुसार समान	32,453.5 वर्गमीटर	11,496.32	20,957	122	122	निरंक	25.57
44			5.10 बी	सील कोट	प्राक्कलन के अनुसार समान	32,453.5 वर्गमीटर	11,496.32	20,957	50	50	निरंक	10.48
45		बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.1	साधारण मिट्टी 6 मी से ऊपर की गहराई	प्राक्कलन के अनुसार समान	693.34 घन मीटर	265.69	427.65	560	560	निरंक	2.39
46			12.2 (I) सी	6 मीटर से अधिक गहराई (100 प्रतिशत अतिरिक्त)	प्राक्कलन के अनुसार समान	693.34 घन मीटर	265.69	427.65	75	75	निरंक	0.32
47			12.5	आधार के चारों ओर कुंडलाकार स्थान उपलब्ध कराना और भरना	प्राक्कलन के अनुसार समान	156.76 घन मीटर	29.508	127.252	4,800	4,800	निरंक	6.11
48			12.3	गैर लेपित एच वाई पी एस डी बार आपूर्ति, फिटिंग और रखना	प्राक्कलन के अनुसार समान	63.567 घन मीटर	48.097	15.47	72,500	72,500	निरंक	11.22
49			13.7	सबस्ट्रक्चर में एच वाई पी एस डी बार सुदृढीकरण की आपूर्ति, फिटिंग और रखना	प्राक्कलन के अनुसार समान	49.103 टन	27.45	21.653	75,000	75,000	निरंक	16.24

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/ अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
50	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	13.1 ए	एबटमेंट, विंग वॉल और रिटर्न वॉल के पीछे भरना	प्राक्कलन के अनुसार समान	2,857.86 घन मीटर	1,427.31	1,430.55	980	980	निरंक	14.02
51			13.1 ए	बॉक्स एबटमेंट के लिए	प्राक्कलन के अनुसार समान	501.7 घन मीटर	98.4	403.3	1,000	1,000	निरंक	4.03
52			4.1	ग्रेनुलर सब बेस	प्राक्कलन के अनुसार समान	1549 घन मीटर	1,235.59	313.41	800	800	निरंक	2.51
53			4.11	वेट मिक्स मैकेडम	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,733.23 घन मीटर	719.47	1,013.76	1,500	1,500	निरंक	15.21
54			5.5 ii	ग्रेडिंग II के लिए सघन श्रेणीबद्ध बिटुमिनस (i)	प्राक्कलन के अनुसार समान	194.33 घन मीटर	168.84	25.49	7,800	7,800	निरंक	1.99
55			5.1	प्राइम कोट	प्राक्कलन के अनुसार समान	4,778.9 वर्गमीटर	2,814.18	1,964.72	35	35	निरंक	0.69
56	इंदौर	इंदौर–अहमदाबाद रोड किमी 5.0 से किमी 9.5	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	302.60 मीट्रिक टन	214.642	87.958	61,069	61,069	निरंक	53.72
57		ठिकरी–अंजद रोड	6.12	38 मिमी व्यास डॉवेल बार	32 मिमी व्यास डॉवेल बार	1,239.02 मीट्रिक टन	878.58	360.44	43,621	43,621	निरंक	157.23
58		इंदौर–बैतूल रोड किमी 266/8 से 278/2	3.13	जमा सामग्री के साथ एमबैंकमेंट का निर्माण	प्राक्कलन के अनुसार समान	19,720	7,028.970	12,691.030	90	90	निरंक	11.42
59			4.18	क्रशर रन मैकेडम बेस प्रदाय	प्राक्कलन के अनुसार समान	11,669.600	9,276.920	2,392.680	1,350	1350	निरंक	32.3
60			4.12	डब्ल्यूएमएम	प्राक्कलन के अनुसार समान	7,830	6,359.48	1,470.52	1,450	1450	निरंक	21.33
61			5.1	प्राइम कोट बिटुमिन इमल्शन के साथ प्राइमर कोट प्रदान करना और लगाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	34,800	28,504.000	6,296.000	32	32	निरंक	2.01

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एसओआर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/ अनावश्यक मदों का नाम	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	वास्तव में कार्यान्वित मात्रा	मद की मात्रा में अंतर	मूल प्राक्कलन में ली गई वस्तुओं की दर	वास्तव में कार्यान्वित वस्तु की दर	दर में अंतर	राशि
62	इंदौर	इंदौर–बैतूल रोड किमी 266/8 से 278/2	5.9	सिंगल वियरिंग कोर्स के रूप में सरफेस ड्रेसिंग को साबित करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	34,800	28,504	6,296.000	40	40	निरंक	2.52
63			5.2	बिटुमिन इमल्शन के साथ टैक कोट प्रदान करना और लगाना (i) 0.25 किग्रा प्रति वर्गमीटर सामान्य बिटुमिन सतहों का उपयोग करके	प्राक्कलन के अनुसार समान	1,16,000	96,869	19,131.000	12	12	निरंक	2.3
64			5.6	सघन बिटुमिन मैकाडम घने बिटुमेनस को प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	12,760	10,905	1,855.000	6,400	6,400	निरंक	118.72
65			5.8	बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके बिटुमिनस कंक्रीट को प्रदान करना और बिछाना	प्राक्कलन के अनुसार समान	4,640	3,838.750	801.250	8,100	8,100	निरंक	64.9
66			4.15	सभी लिफ्टों की खुदाई सहित अनुमोदित सामग्री या चयनित मिट्टी के साथ शोल्डर्स का निर्माण	प्राक्कलन के अनुसार समान	16,074.120	2,610.720	13,463.400	225	225	निरंक	30.29
											कुल	**4,626.26**

परिशिष्ट 5.4

(कंडिका 5.1.4.2 में संदर्भित)

अनुचित/अनावश्यक मदों का प्राक्कलन में प्रावधान किया गया परन्तु कार्यान्वित नहीं किया गया है

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एस.ओ.आर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/अनावश्यक मदों का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	दर	राशि
1	भोपाल	विदिशा बाईपास रोड	1.1	लोडिंग अनलोडिंग सहित ढीली मूरम/रेत/मिट्टी का परिवहन और ढेर लगाना	90,541.80 घन मीटर	80	72.43
2	रीवा	सतना बाईपास	12.1	संरचना के लिए खुदाई 3 वर्ग मीटर तक की गहराई	20,400 घन मीटर	128	26.11
3			4.1	ग्रेनुलर सब बेस	2,550 घन मीटर	849	21.64
4	सागर	खुरई बाईपास	3.9	लोडिंग अनलोडिंग (परिवहन) सहित ढीली मूरम/रेत/मिट्टी	1,09,890 घन मीटर	89	97.80
5		विदिशा–सागर रोड किमी 81 से 175	2.4	फ्लेक्सिबल फुटपाथ का विघटन	70,000 वर्गमीटर	281	196.70
6		29 नंबर पुलिया का पुनर्निर्माण	12.4	रेत भरना	2,147.38 घन मीटर	2,000	42.95
7			12.8	(ii) पीसीसी एम 25 प्रदान करना और बिछाना	336.47 घन मीटर	6,000	20.19
8			12.8	(v) पीसीसी ग्रेड एम 15	437.616 घन मीटर	7,000	30.63
9			13.6 V (ए)	प्लेन आरसीसी सब स्ट्रक्चर आरसीसी ग्रेड एम 35 ऊंचाई 5 मीटर से 10 मीटर	10.29 घन मीटर	7,250	0.75
10			14.1	I ए एम 25 प्रदान करना और बिछाना	185 घन मीटर	7,250	13.41
11			14.1	II बीएम 10 एम . से ऊपर	362.544 घन मीटर	7,500	27.19
12			4.17	फुटपाथ और अलगाव	999 वर्गमीटर	479	4.79
13			12.7 बी	रैंडम रबल मैसनरी	338.30 घन मीटर	5,300	17.92
14			4.1	ग्रेनुलर सब बेस	929.5 घन मीटर	849	7.89

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एस.ओ.आर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/अनावश्यक मदों का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	दर	राशि
15		बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	12.2 (i) ए	अतिरिक्त मिट्टी में खुदाई और पानी निकालने के लिए	1,107.77 घन मीटर	50	0.55
16			12.2 (i) बी	3.0 मीटर गहराई से परे 6.0 मीटर (75 प्रतिशत अतिरिक्त) तक	1,038.71 घन मीटर	70	0.73
17			8.24 (i)	एक रेलफोर्स सीमेंट कंक्रीट दुर्घटना एम 20 ग्रेड कंक्रीट का प्रावधान	157.6 मीट्रिक टन	5,000	7.88
18			14.2	पानी के आधार सीमेंट के 2 कोट प्रदान करना और लगाना	3,440.08 मीट्रिक टन	60	2.06
19			2.3 बी	सीमेंट मोर्टार में बी रबल स्टोन मैसनरी	752 घन मीटर	280	2.11
20			5.3 (ii)	टैक कोट	3,238.9 वर्गमीटर	20	0.65
21			5.6 (iv)	बिटुमिन कंक्रीट ग्रेडिंग (30–45 मिमी मोटाई)	33.096 घन मीटर	8,500	2.81
22			5.8 (ii)	ओजीपीसी	1,540 वर्गमीटर	150	2.31
23	सागर	बावना नदी पर एच/एल पुल का निर्माण	5.10 (ii)	सील कोट	1,540 वर्गमीटर	155	2.39
24			8.34	220 × 1000 मिमी गार्ड स्टोन प्रदान करना और ठीक करना	196 प्रत्येक	260	0.51
25			9.4 बी	आरसीसी ह्यूम पाइप को साबित करना और बिछाना 1200 मिमी व्यास	20 आरएम	8,000	1.6
26			14.1 ए	फर्निशिंग और प्लेसिंग रेनफोर्स्ड/प्री–स्ट्रैस्ड (i)सॉलिड स्लैब सुपरस्ट्रक्चर के लिए	8.75 घन मीटर	7,800	0.68
27	ग्वालियर	पेरसा–अटर–भिंड सड़क का उन्नयन	2.4	फ्लेक्सिबल फुटपाथ को तोड़ना	36,498 घन मीटर	228	83.22
28			2.5	सीसी फुटपाथ को तोड़ना	2,100 घन मीटर	968	20.33
29		मुरैना–अम्बा–पोरसा रोड	2.4	फ्लेक्सिबल फुटपाथ को तोड़ना	26,741 घन मीटर	228	60.97

स. क्र.	संभाग	सड़क कार्य का नाम	एस.ओ.आर मद संख्या	प्राक्कलन में अनुचित/अनावश्यक मदों का नाम	प्राक्कलन में मद की मात्रा	दर	राशि
30			2.5	सीसी फुटपाथ को तोड़ना	962.5 घन मीटर	968	9.32
31		मिहोना बाईपास लहार बाईपास तक समाप्त	2.4	फ्लेक्सिबल फुटपाथ को तोड़ना	19,321.15 घन मीटर	228	44.05
						कुल	**822.57**

परिशिष्ट 5.5

(कंडिका 5.1.4.3 में संदर्भित)

बढ़े हुए प्राक्कलनों पर निविदा आमंत्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

स. क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	एनआईटी का दिनांक	एसओआर 2016/2014 के अनुसार कार्य की लागत	एसओआर 2017/2016 के अनुसार कार्य की लागत	कार्य की लागत में अंतर
1	भोपाल	शुजालपुर से अष्टा रोड	07/11/17	185.04	170.04	15.00
2	भोपाल	पचौर–शुजालपुर रोड	07/11/17	144.55	132.08	12.47
3	भोपाल	खिलचीपुर–जीरापुर रोड	08/09/17	77.30	67.96	09.34
4	भोपाल	ब्यावरा–मकसूदनगढ़ रोड	06/11/17	199.57	180.12	19.45
5	सागर	सागर–छतरपुर रोड पर 29 नंबर पुलियों और छोटे पुलों का पुनर्निर्माण	30/07/16	34.46	32.24	2.22
		कुल		**640.92**	**582.44**	**58.48**

परिशिष्ट 5.6

(कंडिका 5.1.5.2 में संदर्भित)

मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	सड़क कार्य का नाम	बोली देय तिथि	ली गई आधार तिथि	आधार तिथि ली जानी है	मूल्य समायोजन भुगतान किया गया	भुगतान किया जाने वाला मूल्य समायोजन	अतिरिक्त भुगतान
1	भोपाल	मकसूदनगढ़–सिरोंज रोड	26/02/18	31/12/17	31/01/18	696.72	536.41	160.31
2	रीवा	बमीठा–पन्ना–नागोद–सतना रोड	20/02/18	31/12/17	31/01/18	553.68	454.81	98.87
3	रीवा	सतना–बेला रोड	27/11/17	01/10/17	31/10/17	474.66	426.17	48.49
4	इंदौर	इंदौर बैतूल रोड किमी 182 से 266/6	13/02/17	31/12/16	31/01/17	767.10	647.82	119.28
5	ग्वालियर	मुरैना–अम्बा–पोरसा रोड	29/05/18	30/04/18	31/05/18	566.29	495.78	70.51
6	ग्वालियर	पोरसा अटेर भिंड रोड	29/05/18	30/04/18	31/05/18	662.22	581.62	80.60
7	ग्वालियर	मिहोना बाईपास से लहार बाईपास	07/03/18	31/01/18	28/02/18	427.75	411.23	16.52
8	ग्वालियर	दबोह–भांडेर–यूपी बॉर्डर रोड	07/03/18	31/01/18	28/02/18	667.39	619.97	47.42
					कुल	**4,815.81**	**4,173.81**	**642**

परिशिष्ट 5.7

(कंडिका 5.1.5.2 में संदर्भित)

गलत दरों के आरोपण के कारण अधिक भुगतान

(राशि ₹ लाख में)

स. क्र.	सड़क का नाम	प्राक्कलन में सम्मिलित मद	मद वास्तव में कार्यान्वित	कार्यान्वित मात्रा (एमटी में)	वास्तव में भुगतान की गई दर[1]	एसओआर के अनुसार भुगतान की जाने वाली दर	दर में अंतर	अतिरिक्त भुगतान
1	सतना बाईपास	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट	डॉवेल बार प्रदान करना	184.000	48,000	43,621[2]	4,379	8,05,736
2	भार्गव बाईपास	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट	डॉवेल बार प्रदान करना	200.360	50,000	43,621	6,379	12,78,096
3	सुहागी बाईपास	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट	डॉवेल बार प्रदान करना	09.380	48,370	39,259[3]	9,111	85,461
4	सज्जनपुर बाईपास	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट	डॉवेल बार प्रदान करना	195.452	50,000	43,621	6,379	12,46,788
5	गंगेओ बाईपास	माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट	डॉवेल बार प्रदान करना	132.060	48,370	39,259	9,111	12,03,199
			कुल	**721.252**				**46,19,280**

---

1 ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर माइल्ड स्टील की आपूर्ति, फिटिंग और प्लेसमेंट मद के प्रति।

2 एसओआर 2016

3 एसओआर 2017

परिशिष्ट 5.8

(कंडिका 5.1.5.4 में संदर्भित)

रॉयल्टी की कम कटौती

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की तिथि	अंतिम/आरए बिल का भुगतान	कटौती की जाने वाली राशि	कटौती की गई राशि	लघु कटौती
1	भोपाल	विदिशा बाईपास	15/11/17	नवंबर/2018	112.53	70.33	42.20
2	सागर	खुरई बाईपास रोड	30/06/17	09/03/20	78.65	40.17	38.48
3	सागर	विदिशा सागर रोड किमी 81 से 175	जारी है	08/08/20	451.04	133.94	317.10
4	सागर	सागर–बीना रोड किमी 1 से 49/4	जारी है	26/10/20	167.77	79.76	88.01
5	सागर	धसान नदी पर उच्च स्तरीय पुल किमी 146/8–10 पर	30/06/20	15/07/20	9.05	7.43	01.62
6	सागर	भोपाल–सांची–सागर रोड पर उच्च स्तरीय पुल किमी 128/8–10 पर	20/11/18	09/04/19	7.83	00.00	07.83
7	रीवा	भार्गव बाईपास खंड	31/05/19	06/07/20	70.67	52.14	18.53
8	रीवा	सज्जनपुर बाईपास खंड	31/08/19	27/01/20	94.45	57.63	36.82
9	रीवा	बमीठा–पन्ना–नागोद–सतना	जारी है	10/07/20	179.53	103.20	76.33
10	रीवा	रीवा–सिरमौर खंड	जारी है		402.08	80.00	322.08
11	रीवा	सतना–बेला खंड	जारी है	30/08/20	411.77	35.00	376.77
12	इंदौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 59 ए के किमी 129 से 147 तक	30/06/17	30/07/18	85.80	10.23	75.57
13	इंदौर	इंदौर बैतूल रोड किमी 148 से किमी 181 तक	31/01/19	06/07/20	90.03	40.00	50.03
14	इंदौर	इंदौर बैतूल रोड किमी 266/8 से 278/2 तक	10/06/17	30/03/17	39.09	00.00	39.09
15	इंदौर	इंदौर बैतूल रोड के खुंडेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल	22/10/18	02/01/18	5.29	00.00	05.29
16	ग्वालियर	मुरैना अम्बा पोरसा रोड	जारी है		217.94	17.30	200.64
17	ग्वालियर	पोरसा अटेर भिंड रोड	जारी है		320.13	27.90	292.23
18	ग्वालियर	मिहोना बाईपास से लहार बाईपास	जारी है		229.03	154.09	74.94
19	ग्वालियर	दबोह–भंडार–यूपी बॉडर रोड	जारी है		399.77	211.43	188.34
				कुल	**3,372.45**	**1,120.55**	**2,251.90**

परिशिष्ट 5.9

(कंडिका 5.1.5.5 में संदर्भित)

कार्य पूर्ण होने में विलंब का कारण एवं अतिरिक्त लागत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संभाग	कार्य की संख्या	समय पर पूरा हुआ	विलंबित	पूर्ण कार्यों के लिए विलंब (दिनों में)	चल रहे कार्यों के लिए नवंबर 2020 तक विलंब (दिनों में)	देरी का कारण	परामर्श के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त लागत	विस्तारित अवधि में मूल्य समायोजन के कारण अतिरिक्त लागत
1	भोपाल	6	2	4	बिना विलंब से	246, 381, 382, 382 (04 कार्य)	भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, कोविड 19 का प्रकोप	2.99	—
2	रीवा	8	0	8	90, 111, 283, 319, 344 (05 कार्य)	370, 392, 392 (03 कार्य)	युटिलिटी विस्थापन शिफ्टिंग, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, कोविड 19 का प्रकोप, ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, अन्य कारण[4]	5.00	2.61
3	इंदौर	9	1	8	58, 90, 168, 466, 586, 1046 (06 कार्य)	335, 437 (02 कार्य)	युटिलिटी विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, अन्य कारण	0.64	3.69
4	सागर	16	0	16	277, 316, 350, 391, 394, 556, 655, 715, 746, 869,1099 (11 काम)	267, 544, 587, 600, 699 (05 कार्य)	युटिलिटी विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, कोविड 19 का प्रकोप, ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन, अन्य कारण	5.08	—
5	ग्वालियर	4	0	4	.....	177, 177, 401, 401 (04 कार्य)	युटिलिटी विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, कोविड 19 का प्रकोप,	2.34	4.70
							कुल	**16.05**	**11.00**

[4] संरेखण में परिवर्तन, टोल प्लाजा को हटाना, एक कार्य में धीमी प्रगति, पूर्ण जलाशय स्तर का उठाव, गार्ड दीवार को ऊपर उठाना, खड़ी फसलें।

पूर्ण किए गए कार्यों के लिए विलंब की माध्य अवधि

सं. क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
दिनों में देरी	58	90	90	111	168	277	283	316	319	344	**350**	**391**	394	466	556	586	655	715	746	869	1046	1099

पूर्ण कार्यों के लिए माध्य विलंब =(350+391)/2=370.5 दिन

चल रहे कार्यों के लिए विलंब की माध्य अवधि

सं. क्र.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
दिनों में देरी	177	177	246	267	335	370	381	382	**382**	**392**	392	401	401	437	544	587	600	699

चल रहे कार्यों के लिए माध्य विलंब =(382+392)/2 =387 दिन

परिशिष्ट 5.10

(कंडिका 5.1.6.2 में संदर्भित)

विभागीय प्रयोगशाला से सड़क कार्यों का अनिवार्य परीक्षण

स. क्र.	जिला	प्रयोगशाला का प्रकार	आवश्यक उपकरण	प्रयोगशाला में उपकरण उपलब्ध नहीं है (संख्या)	कमी (प्रतिशत में)	टिप्पणी
1	रीवा	जिला	21	10	47.62	–
2	भोपाल	क्षेत्रीय	53	26	49.06	उपकरणों की आवश्यकता दिनांक 05.03.2018 को उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी।
3	इंदौर	क्षेत्रीय	53	19	35.85	उपकरणों की आवश्यकता दिनांक 21.02.2019 को उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी।
4	सागर	जिला	21	उपलब्ध नहीं कराया	–	5 उपकरण एक वर्ष से अनुपयोगी थे।
5	ग्वालियर	क्षेत्रीय	53	उपलब्ध नहीं कराया[5]	–	उपकरण के लिए अनुमान दिनांक 25.03.2019 को उच्च अधिकारियों को भेजे गए थे[6]।

[5] लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से प्रयोगशाला में 53 उपकरण की उपलब्धता की जानकारी के लिए अनुरोध किया ।

[6] लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अपेक्षित उपकरण वही उपकरण थे जिनके लिए लेखापरीक्षा ने पूछताछ की थी। मामले को स्पष्ट करने के लिए विभाग को पत्र (फरवरी 2021) जारी किया गया है।

परिशिष्ट 5.11

(कंडिका 5.2.3.2 में संदर्भित)

भूमि अधिग्रहण एवं युटिलिटी सर्विसेज का विस्थापन किये बिना कार्य आदेश जारी करना

स.क्र	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की प्र. स्वी. की राशि (₹ लाख में)	भूमि अधिग्रहण एवं युटिलिटी सर्विसेज के कारण काम में देरी	टिप्पणी
1	ईई लो नि (बी/आर) संभाग, अशोकनगर	04/सी.आर. एफ/2015–16	वाजिदपुर–शदोरा–नैसराय–मिअना सड़क का निर्माण	9,440.00	365 दिन	युटिलिटी सर्विसेज का विस्थापन एवं भूमि का अधिग्रहण नहीं होना
2	ईई लो नि (बी/आर) संभाग, ग्वालियर	03/सी.आर. एफ/2015–16	मकोड़ा–चिमक–बडगौर सड़क का निर्माण	6,900.00	337 दिन	युटिलिटी सर्विसेज का विस्थापन एवं भूमि का अधिग्रहण नहीं होना
3	ईई लो नि (बी/आर) संभाग, इंदौर –1	03/सी.आर. एफ/2015–16	तराना–मंगलिया–व्यासखेड़ी सड़क का निर्माण	7,172.00	कार्य समय से पूर्ण हुआ	युटिलिटी सर्विसेज का विस्थापन एवं भूमि का अधिग्रहण नहीं होना
	कुल	**तीन कार्य**		**23,512.00**		

परिशिष्ट 5.12

(कंडिका 5.2.3.3 में संदर्भित)

मिट्टी के काम का गलत आकलन

स.क्र.	अनुबंध क्र./संभाग	एस.ओ.आर/मद का नाम	अनुमानित मात्रा (घन मीटर में)	कार्यान्वित मात्रा (घन मीटर में)	दर प्रति घन मीटर में	अतिरिक्त लागत	वृद्धि प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7=(5–4)×6	8
1	03/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	3.3 मिट्टी में खुदाई	94,802.20	2,00,168.05	61.50	64,79,999.65	111
2	10/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	3.10/24 बौरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इम्बैंकमेंट निर्माण	81,619.00	1,47,131.75	150.00	98,26,913.10	80
3	01/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.3 मिट्टी में खुदाई	14,200.00	51,976.34	44.45	16,79,158.09	266
4	01/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.11 सड़क काटने से जमा सामग्री से इम्बैंकमेंट निर्माण	12,780.00	37,932.58	64.00	16,09,765.12	197
5	02/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.3 मिट्टी में खुदाई	21,000.00	53,178.74	44.45	14,30,344.77	153
6	02/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.11 सड़क काटने से जमा सामग्री से इम्बैंकमेंट निर्माण	18,900.00	39,900.66	72.00	15,12,047.52	111
7	05/सीआरएफ/2017–18, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.3 मिट्टी में खुदाई	1,05,752.52	2,23,939.47	38.00	44,91,104.10	112
8	02/सीआरएफ/2015–16, ईई, लो. नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	3.13 बौरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इम्बैंकमेंट निर्माण	77,687.30	1,58,912.98	133.00	1,08,03,015.44	105
कुल	**8 कार्य**		**4,26,741.02**	**9,13,140.56**		**3,78,32,347.79**	**80 से 266**

परिशिष्ट 5.13

(कंडिका 5.2.3.3 में संदर्भित)

अनुमानों में सड़क सुरक्षा उपायों को शामिल न करना

स.क्र	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा (मीटर में)	दर (₹)	कुल राशि (₹ में)	प्रा.स./दिनांक
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, ग्वालियर	03/सी.आर.एफ/2015–16	मकोड़ा छिमक बडगौर सडक	800	3,714	2,971,200	34–11/05/2020
		02/सी.आर.एफ/2016–17	शिवपुरी लूप शीतला माता सडक	4,066	4,840	19,679,440	26–20/08/2020
		03/सी.आर.एफ/2016–17	पिछोर इंदरगढ़ रोड	1,147	3,445	3,951,415	18–08/01/2020
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	10/सी.आर.एफ/2017–18	तराना से बिछौद, नजरपुर सडक	1,444	4,731	6,831,564	15–21/06/2020
कुल				**7,457**		**3,34,33,619**	

परिशिष्ट 5.14

(कंडिका 5.2.4.1 में संदर्भित)

मूल्य समायोजन के कारण अधिक भुगतान (गलत आधार सूचकांकों को अपनाना)

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	निविदा खुलने की तिथि	सीमेंट और स्टील के लिए भुगतान की गई राशि	भुगतान की जाने वाली सीमेंट और स्टील की राशि (वसूली)	कुल वसूली योग्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रायसेन	07/सी.आर.एफ/2015–16	01/09/15	2.10	–10.28	–12.38
		02/सी.आर.एफ/2017–18	12/01/17	16.82	–28.14	–44.96
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	01/सी.आर.एफ/2017–18	09/02/17	65.37	–60.03	–125.40
		02/सी.आर.एफ/2017–18	09/02/17	72.77	–71.87	–144.64
		04/सी.आर.एफ/2017–18	19/01/17	93.55	–75.38	–168.93
		05/सी.आर.एफ/2017–18	16/02/17	128.06	–168.92	–296.98
		07/सी.आर.एफ/2017–18	27/02/17	92.22	–50.89	–143.11
		01/सी.आर.एफ/2015–16	27/02/17	11.70	–16.41	–28.11
3	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	02/सी.आर.एफ/2015–16	10/11/15	11.79	–6.02	–17.81
		03/सी.आर.एफ/2017–18	20/01/17	131.27	–15.89	–147.16
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर–1	02/सी.आर.एफ/2017–18	06/02/17	48.50	–30.99	–79.49
		01/सी.आर.एफ/2017–18	06/02/17	17.57	–20.33	–37.90
	कुल	**12 कार्य**			**–555.15**	**–1,246.87**

परिशिष्ट 5.15

(कंडिका 5.2.4.1 में संदर्भित)

मूल्य समायोजन के लिए बिटुमेन घटकों की गलत गणना

स. क्र	यूनिट का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्र.	विभाग द्वारा अनुबंध की धारा 26 के अनुसार किया गया भुगतान			भुगतान किया जाना था		अतिरिक्त भुगतान
				वृद्धि घटक	अंश (प्रतिशत में)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	अंश (प्रतिशत में)	राशि (₹ में)	
1	लो नि वि, छिंदवाडा	मेसर्स आर्कान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	28/एमडीआर/ 2016–17	मजदूरी	25	60,87,120.00	25	60,87,120.00	0.00
				सीमेंट	5	10,93,563.00	5	10,93,563.00	0.00
				स्टील	5	38,28,608.00	5	38,28,608.00	0.00
				बिटुमिन	10	99,79,964.00	0	0.00	99,79,964.00
				पीओएल	5	61,61,672.00	5	61,61,672.00	0.00
				सयंत्र एवं मशीनरी	5	–83,926.00	5	–83,926.00	0.00
				अन्य समग्री	45	1,90,38,789.00	55	2,32,69,631.00	–42,30,842.00
				योग	**100**	**4,61,05,789.00**	**100**	**4,03,56,668.00**	**57,49,121.00**

परिशिष्ट 5.16

(कंडिका 5.2.4.2 में संदर्भित)

एप्रोच स्लैब के नीचे लेवलिंग कोर्स का अनुचित प्रावधान एवं कार्यान्वयन, ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	लेवलिंग कोर्स की मात्रा (क्यूबिक मी. में)	दर (₹ में)	भुगतान की गयी राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6=4×5
1	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रायसेन	02/सी.आर.एफ/2017–18	89.25	3,822.00	3.41
2	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	07/सी.आर.एफ/2017–18	179.26	4,100.00	7.35
		01/सी.आर.एफ/2017–18	29.16	4,342.28	1.26
		02/सी.आर.एफ/2017–18	62.64	4,342.28	2.72
		05/सी.आर.एफ/2017–18	338.40	4,083.00	13.81
		01/सी.आर.एफ/2015–16	85.57	4,083.00	3.49
		06/सी.आर.एफ/2017–18	158.41	3,000.00	4.75
		01/सी.आर.एफ/2019–20	52.41	3,720.00	1.94
3	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	03/सी.आर.एफ/2017–18	130.36	3,543.00	4.61
		08/सी.आर.एफ/2017–18	111.00	4,000.00	4.44
		09/सी.आर.एफ/2017–18	29.08	4,885.00	1.42
		10/सी.आर.एफ/2017–18	115.44	3,000.00	3.46
4	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग,इंदौर –1	03/सी.आर.एफ/2015–16	332.70	4,000.00	13.30
		02/सी.आर.एफ/2017–18	83.49	3,908.00	3.26
		01/सी.आर.एफ/2017–18	23.10	4,205.00	0.97
5	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग,इंदौर– 2	04/सी.आर.एफ/2017–18	28.90	4,215.00	1.21
6	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, बेतुल	03/सी.इ/2016–17	422.00	4,885.00	20.64
		04/सी.आर.एफ/2016–17	274.10	4,201.00	11.51
		18 कार्य	**2,545.28**		**103.55**

परिशिष्ट 5.17

(कंडिका 5.2.4.2 में संदर्भित)

बैकफिलिंग का अस्वीकार्य भुगतान

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	बैकफिलिंग की मात्रा	दर	भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4	5	6=4×5
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रायसेन	7/ सी.आर.एफ/2015–16	1,812.52	700.00	12,68,763.30
		2/ सी.आर.एफ/2017–18	4,115.07	504.00	20,73,995.28
		3/ सी.आर.एफ/2017–18	820.62	504.00	4,13,592.48
		4/ सी.आर.एफ/2015–16	3,205.28	862.00	27,62,951.36
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	1/ सी.आर.एफ/2017–18	478.40	869.34	4,15,892.26
		7/ सी.आर.एफ/2017–18	3,239.11	800.00	25,91,284.00
		4/ सी.आर.एफ/2017–18	3,309.69	100.00	3,30,968.70
		6/ सी.आर.एफ/2017–18	2,768.16	700.00	19,37,712.00
		2/ सी.आर.एफ/2017–18	985.73	869.34	8,56,934.52
		1/ सी.आर.एफ/2019–20	1,227.81	200.00	2,45,562.00
		5/ सी.आर.एफ/2017–18	5,483.19	583.00	31,96,699.77
		1/ सी.आर.एफ/2015–16	1,096.17	583.00	6,39,067.11
3	इ.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	2/ सी.आर.एफ/2015–16	67.96	810.00	55,047.60
		3/ सी.आर.एफ/2017–18	2,592.46	625.00	16,20,290.00
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर–1	3/ सी.आर.एफ/2015–16	1,690.16	858.00	14,50,160.71
		2/ सी.आर.एफ/2017–18	4,994.66	782.00	39,05,824.12
		1/ सी.आर.एफ/2017–18	685.30	841.00	5,76,337.30
5	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर–2	4/ सी.आर.एफ/2017–18	262.07	843.92	2,21,166.11
6	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, बेतुल	3/ सी.आर.एफ/2016–17	8,682.46	978.00	84,91,445.88
		4/ सी.आर.एफ/2016–17	4,623.16	881.00	40,73,003.96
7	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, छिन्दवाड़ा	28/एम.डीआर/2016–17	2,885.66	1,056.00	30,47,253.79
		कुल 21 कार्य	**55,025.64**		**4,01,73,952.25**

परिशिष्ट 5.18

(कंडिका 5.2.4.3 में संदर्भित)

विनिर्देशों के विपरीत कार्यान्वयन

स.क्र	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	कार्य का विवरण	पी.क्यू.सी. (एम–40) (क्यूबिक मी. में)	पीक्यूसी पर खर्च की गई लागत (रु लाख में)
1	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर–1	02/ सी.आर. एफ/2017–18	सीआरएफ के तहत तिलोर खुर्द पिपलाड़ा–तनोरिया सडक का निर्माण, लंबाई 40. 4855 किमी	2,301.75	81.25
2	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	07/ सी.आर. एफ/2017–18	खाचरोद से बेटलावाडी, रिंगनिया, बारबोदना, नामली, धामनोद सडक का निर्माण	36,495.57	1,835.73
		01/ सी.आर. एफ/2017–18	राजाखेड़ी सरसी नामली सडक का निर्माण, लंबाई 28.70 किमी	39,141.08	1,992.22
		02/ सी.आर. एफ2017–18	एसएच–31 बदला चौराहा सांखेड़ी गुनावाड़ धोसवास सडक 22.80 किमी का निर्माण	31,996.07	1,628.55
		04/ सी.आर. एफ/2017–18	ताल–करवाखेड़ी–माधोपुर असावती खाचरोद बदावां सडक (महिदपुर–सीतामऊ सडक) का निर्माण, लंबाई 42.50 किमी	50,242.69	2,260.92
		05/ सी.आर. एफ/2017–18	अलोटे (नागेश्वर तीर्थ) से पाटनतालोद–डूंगरिया–जुतावद–सगवाली एस्संखेड़ी गोगापुर सीसी सड़क का निर्माण, लंबाई 40.80 किमी	60,108.58	3,175.54
		06/ सी.आर. एफ/2017–18	आलोट बरखेड़ा सिपावरा चौमाला सड़क का निर्माण, लंबाई 30 किमी	41,390.99	1,945.38
		01/ सी.आर. एफ/2015–16	सीआरएफ के तहत गोगापुर ताल आलोट सुवासरा सडक पर सीसी रोड निर्माण, 24 किमी	32,042.69	1,756.90
			कुल आठ कार्य		**14,676.49**

परिशिष्ट 5.19

(कंडिका 5.2.4.3 में संदर्भित)

क्रशर–रन–मैकाडम (सीआरएम) के निष्पादन के कारण अतिरिक्त व्यय

स.क्र	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	सीआरएम/जीएसबी की मात्रा	सीआरएम की दर	जीएसबी की दर	सीआरएम के कार्यान्वयन पर वास्तविक व्यय	जीएसबी के कार्यान्वयन पर किया जाने वाला व्यय	अतिरिक्त भुगतान	कार्य की स्थिति (दिसंबर 2020)
1	2	3	4	5	6	7 = 4×5	8 =4×6	9	10
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर –1	3/जी/2015–16	36,486.451	1,000	943	3,64,86,451.00	3,44,06,723.00	20,79,728.00	पूर्ण
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर –2	4/सी.आर.एफ/2017–18	10,133.52 2,373.85	917.26 908	849 849	1,14,51,146.00	1,06,18,757.00	8,32,389.00	पूर्ण
3	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, अशोकनगर	1/सी.आर.एफ/2017–18	29,882	904	849	2,70,13,328	2,53,69,818.00	16,43,510.00	प्रगति पर
		2/सी.आर.एफ/2018–19	84,843	745	575	6,32,08,035.00	4,87,84,725.00	1,44,23,310.00	प्रगति पर
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	1/सी.आर.एफ/2017–18	28,694.158	936.90	849	2,68,83,556.00	2,43,61,340.00	25,22,216.00	पूर्ण
		7/सी.आर.एफ/2017–18	28,102.080	880	849	2,47,29,830.40	2,38,58,665.92	8,71,164.48	पूर्ण
		2/सी.आर.एफ/2017–18	24,191	936.90	849	2,26,64,547.90	2,05,38,159.00	21,26,388.90	पूर्ण
5	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, बेतुल	3/सी.ई/2016–17	96,905	1,000	943	9,69,05,055.00	9,13,81,415.00	55,23,640.00	पूर्ण
		4/सी.ई/2016–17	91,839.430	1,033	943	9,48,70,131.00	8,66,04,177.00	82,65,954.00	पूर्ण
	नौ कार्य				**कुल**	**40,42,12,080.3**	**36,59,23,779.92**	**3,82,88,300.38**	

परिशिष्ट 5.20

(कंडिका 5.2.4.4 में संदर्भित)

निर्दिष्ट चौड़ाई से अधिक ड्राई लीन कंक्रीट (डीएलसी) का कार्यान्वयन

स.क्र	संभाग का नाम	अनुबंध क्र.	100 मिमी मोटाई में कार्यान्वयन डीएलसी की मात्रा (वर्ग मीटर में)	ली जाने वाली चौड़ाई/ कार्यान्वित चौड़ाई (मीटर में)	देय डीएलसी की मात्रा	डीएलसी की अतिरिक्त मात्रा	डीएलसी की दर (₹ में)	अतिरिक्त खर्च (₹लाख मे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7×8
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रायसेन	03/ सी.आर.एफ/2017–18	10,127.00	5.50/6.50	8,569.00	1,558.00	2,714.00	42,28,412
		04/ सी.आर.एफ/2015–16	13,662.37	7.00/8.00	11,954.57	1,707.80	2,396.00	40,91,889
		02/ सी.आर.एफ/2017–18	19,055.00	5.50/6.50	16,123.46	2,931.54	2,788.00	81,73,134
		07/ सी.आर.एफ/2015–16	6,898.00	5.50/6.50	5,836.77	1,061.23	2,700.00	28,65,332
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	05/ सी.आर.एफ/2017–18	26,136.45	5.50/6.50	22,115.45	4,021.00	2,338.00	94,01,098
		01/ सी.आर.एफ/2015–16	15,129.00	5.50/6.50	12,801.46	2,327.54	2,483.00	57,79,282
3	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सडक) संभाग, इंदौर–1	03/ सी.आर.एफ/2015–16	24,685.57	7.00/8.00	21,513.24	3,172.33	2,400.00	76,13,582
		02/ सी.आर.एफ/2017–18	20,747.65	5.50/6.50	17,289.70	3,457.95	2,158.00	74,62,256
		01/ सी.आर.एफ/2017–18	7,312.55	5.50/6.50	6,187.54	1,125.01	2,101.00	23,63,646
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, ग्वालियर	03/ सी.आर.एफ/2015–16	28,873.79	5.50/6.50	25,155.46	3,718.33	2,525.00	93,88,778
		03/ सी.आर.एफ/2016–17	7,241.36	7.00/8.00	6,278.41	962.95	2,200.00	21,18,490
		02/ सी.आर.एफ/2016–17	35,537.42	5.50/7.00	30,606.34	4,931.08	2,350.00	1,15,88,033
5	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, होशंगाबाद	05/ सी.आर.एफ/2016–17	4,611.75	5.50/6.50	3,904.00	707.75	2,102.00	14,87,691
6	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, अशोकनगर	04/ सी.आर.एफ/2015–16	39,305.72	5.50/6.50	33,258.68	6,047.04	3,000.00	1,81,41,120
7	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, बेतुल	03/ सी.आर.एफ/2016–17	47,893.77	5.50/5.90	44,646.73	3,247.04	2,670.00	86,69,597
		04/ सी.आर.एफ/2016–17	50,898.00	5.50/6.50	43,067.53	7,830.47	2,443.00	1,91,29,838
8	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, छिंदवाडा	28/सी.आर.एफ/2016–17	24,084.38	7.0/8.0	21,073.83	3,010.55	2,484.00	74,78,216
9	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, सतना	02/ सी.आर.एफ/2017–18	13,401.66	5.50/6.50	11,339.86	2,061.80	2,000.00	41,23,608
		01/ सी.आर.एफ/2017–18	12,625.37	5.50/6.50	10,683.00	1,942.37	2,200.00	42,73,214
		03/ सी.आर.एफ/2017–18	26,032.48	5.50/6.50	14,301.65	11,730.83	2,300.00	2,69,80,898
20 कार्य								**16,53,58,113**

परिशिष्ट 5.21

(कंडिका 5.2.4.4 में संदर्भित)

परीक्षण मार्ग कार्य का कार्यान्वयन न करा कर ठेकेदार को अनुचित आर्थिक लाभ

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	100 एमएम डीएलसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित (घन मीटर में)	डीएलसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्माण न करवाकर अनुचित लाभ (₹ लाख में)	100 एमएम पीक्यूसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित निर्माण (घन मीटर में)	पीक्यूसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित निर्माण न करवाकर अनुचित लाभ (₹ लाख में)	कुल अनुचित लाभ (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8=5□7
1	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	01/सीआरएफ/2015–16	55	1.36	148.5	8.14	9.5
		01/सीआरएफ/2017–18	55	1.19	148.5	7.56	8.75
		06/सीआरएफ/2017–18	55	1.21	148.5	6.98	8.19
		02/सीआरएफ/2017–18	55	1.19	148.5	7.56	8.75
		04/सीआरएफ/2017–18	55	1.54	148.5	6.68	8.22
		05/सीआरएफ/2017–18	55	1.28	148.5	7.85	9.13
2	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. उज्जैन	02/सीआरएफ/2015–16	55	1.4	148.5	7.65	9.05
		03/सीआरएफ/2017–18	55	1.45	148.5	6.38	7.83
		08/सीआरएफ/2017–18	55	1.32	148.5	7.05	8.37
		09/सीआरएफ/2017–18	55	1.29	148.5	7.42	8.72
		10/सीआरएफ/2017–18	55	1.1	148.5	8.13	9.23
3	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर –I	03/सीआरएफ/2015–16	70	1.68	189	9.45	11.13
		02/सीआरएफ/2017–18	55	1.18	148.5	6.98	8.17
		01/सीआरएफ/2017–18	55	1.15	148.5	7.31	8.46

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	100 एमएम डीएलसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित (घन मीटर में)	डीएलसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्माण न करवाकर अनुचित लाभ (₹ लाख में)	100 एमएम पीक्यूसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित निर्माण (घन मीटर में)	पीक्यूसी में परीक्षण मार्ग कार्य का निर्धारित निर्माण न करवाकर अनुचित लाभ (₹ लाख में)	कुल अनुचित लाभ (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8=5□7
4	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर –II	04/सीआरएफ/2017–18	55	1.16	148.5	6.95	8.11
5	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. रायसेन	07/सीआरएफ/2015–16	55	1.48	148.5	8.32	9.80
		02/सीआरएफ/2017–18	55	1.53	148.5	8.32	9.84
6	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. ग्वालियर	03/सीआरएफ/2015–16	55	1.39	154	9.47	10.86
		03/सीआरएफ/2016–17	55	1.21	154	7.93	9.14
		02/सीआरएफ/2017–18	80	1.88	224	11.76	13.64
7	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. अशोकनगर	04/सीआरएफ/2015–16	55	1.65	137.5	6.62	8.27
		04/सीआरएफ/2017–18	55	1.10	137.5	6.74	7.84
		01/सीआरएफ/2017–18	60	1.31	137.5	7.14	8.45
8	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. होशंगाबाद	05/सीआरएफ/2016–17	55	1.15	165	9.05	10.2
9	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. बेतुल	03/सीआरएफ/2016–17	59	1.56	151	8.15	9.72
		04/सीआरएफ/2016–17	65	1.58	154	7.54	9.13
10	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. सतना	02/सीआरएफ/2017–18	65	1.30	137.5	6.66	7.96
		03/सीआरएफ/2017–18	65	1.49	137.5	7.02	8.51
		28 कार्य	**1619**	**38.13**	**4254.5**	**216.81**	**254.97**

परिशिष्ट 5.22

(कंडिका 5.2.4.5 में संदर्भित)

कार्य की कार्यान्वयन में विलंब

इकाई	अनुबंध क्रमांक	लंबाई (किमी में)	किए गए कार्य की लंबाई (किमी में)	कार्य की स्थिति			कुल	अनुबंध राशि	पीएसी (₹ लाख में)	कुल भुगतान राशि	वाउचर क्र./ दिनांक
				विलंब दिनों में							
रतलाम	01/2015–16	24	24	समय से पूर्ण		भौतिक रूप से पूर्ण		3,038	3,600.02	3,170.76	50–15/03/18
रायसेन	04/ सीआरएफ/2015–16	18.04	18.04	विलंब से पूर्ण	365			3,512.91	3,981.51	4,227.48	20–18/12/17
रायसेन	07/2015–16	10.4	10.4	समय से पूर्ण		भौतिक रूप से पूर्ण		1,903.05	2,227.5	2,076.71	01–02/07/18
उज्जैन	02/सीआरएफ/ 2015–16	3.2	3.2	विलंब से पूर्ण	394			1,626.25	1,563.29	1,486.08	10 वां एवं अंतिम बिल प्राइस एडजस्टमेंट कारक की वजह से रोका गया
इंदौर–I	03/2015–16	32.6	32.6	समय से पूर्ण	.			5,697.47	6,495.33	6,501.99	01–01/02/18
ग्वालियर	03/सीआरएफ/ 2015–16	43.23	26.37	विलंब से पूर्ण	337			6,453.13	7,548.95	7,250.92	34–11/05/2020
अशोकनगर	04/2015–16	59	59	विलंब से पूर्ण	365			7,785.02	9,883.11	415.97	13–02/07/2020
	कुल (2015–16)	**190.47**	**173.61**	**5**		**2**	**7**	**30,015.83**	**35,299.71**	**25,129.91**	
ग्वालियर	03/2016–17	9.25	9.25	समय से पूर्ण	–	–	–	1,060.85	1,338.7	1,683.72	18–08/01/2020
ग्वालियर	02/2016–17	51.4	46.26		822	चलित		7,090.32	8,783.92	9,430.12	26–20/08/2020

इकाई	अनुबंध क्रमांक	लंबाई (किमी में)	किए गए कार्य की लंबाई (किमी में)	कार्य की स्थिति			कुल	अनुबंध राशि	पीएसी (₹ लाख में)	कुल भुगतान राशि	वाउचर क्र./ दिनांक
				विलंब दिनों में							
होशंगाबाद	05/2016–17	33.8	5.408		427	चलित		4,911.32	5,883.65	1,608.09	23–04/06/2020
बेतूल	03/सीआरएफ/2016–17	83	83	विलंब से पूर्ण	234			12,463.26	14,492.6	14,423.44	06–24/04/2019
बेतूल	04/सीआरएफ/ 2016–17	72.5	72.5	विलंब से पूर्ण	374			9,801.34	12,462	13,041.01	01–22/07/2020
छिंदवाडा	28/सीआरएफ/ 2016–17	20.4	20.4	विलंब से पूर्ण	289			4,905.38	5,690.72	5,883.01	49–19/05/2020
	कुल (2016–17)	**270.35**	**185.15**	**4**		**2**	**6**	**40,232.47**	**48,651.59**	**46,069.39**	
रतलाम	01/सीआरएफ/ 2017–18	28.7	28.7	विलंब से पूर्ण	244			4,948.10	4,441.56	3,322.01	42–21/03/20
रतलाम	02/2017–18	22.8	22.8	समय से पूर्ण	.			3,164.72	3,560.28	2,932.7	41–21/03/20
रतलाम	04/2017–18	42.5	34.70		501	जारी		5,420.64	6,793.11	4,501.59	8–15/09/20
रतलाम	05/2017–18	40.8	40.8	समय से पूर्ण	.			5,711.79	6,444.54	6,115.16	13–31/07/19
रतलाम	06/2017–18	30	30		515	जारी		3,912.26	4,796.25	3,948.24	09–04/03/20
रतलाम	07/सीआरएफ/2017–18	24.52	24.52	विलंब से पूर्ण	406			3,671.64	4,291.05	3,678.49	13–18/08/20
रायसेन	02/2017–18	32.6	30.97		455	जारी		4,618.01	4,798.5	5,566.23	33–27/04/20
रायसेन	03/2017–18	18.5	17.10		422	जारी		2,674.29	2,782.34	2,684.17	130–31/07/20

इकाई	अनुबंध क्रमांक	लंबाई (किमी में)	किए गए कार्य की लंबाई (किमी में)	कार्य की स्थिति			कुल	अनुबंध राशि	पीएसी (₹ लाख में)	कुल भुगतान राशि	वाउचर क्र./ दिनांक
				विलंब दिनों में							
उज्जैन	03/सीआरएफ/2017–18	35.7	35.7	विलंब से पूर्ण	316			4,884.54	5,646.87	5,330.83	24–29/08/20
उज्जैन	08/2017–18	39.6	39.6	समय से पूर्ण	.			4,848.68	5,640.79	5,121.51	15–21/06/20
उज्जैन	09/सीआरएफ/2017–18	27.9	27.9	विलंब से पूर्ण	193			4,215.36	4,687.55	4,782.03	18–24/08/20
उज्जैन	10/2017–18	21.2	21.2	समय से पूर्ण	.			2,892.20	3,286.73	3,575.93	15–21/06/20
इंदौर–I	01/2017–18	12.125	9.57		540	चलित		1,525.76	1,772.59	1,403.17	108–31/07/20
इंदौर–I	02/2017–18	40.485	21.65		662	चलित		5,520.94	6,567.32	4,307.8	61–10/11/20
इंदौर–II	04/सीआरएफ/2017–18	13.06	13.06	विलंब से पूर्ण	**500**			1,257.34	1,457.12	1,168.59	19–16/07/20
अशोकनगर	04/2017–18	44.88	14.36		466	चलित		6,955.00	8,249.82	4,979.32	25–22/07/2020
अशोकनगर	01/2017–18	28.26	9.04		608	चलित		1,976.00	2,326.22	2,246.44	12–02/07/2020
सतना	02/सीआरएफ/2017–18	20.66	20.66	विलंब से पूर्ण	208			2,474.43	2,956.33	2,618.03	29–27/03/2020
सतना	03/2017–18	46.7	36.89		.	चलित		5,798.26	8,412.1	5,010.08	08–12/10/20
सतना	01/2017–18	34.3	20.47		.	चलित		4,349.49	4,966.54	2,426.32	29–24/07/20
	कुल (2017–18)	**605.29**	**274.94**	**10**		**10**	**20**	**80,819.45**	**93,877.61**	**75,718.64**	
रतलाम	01/2018–19	47.5	0		.	चलित		3,586.96	4,570.15	663.76	50–10/07/20

इकाई	अनुबंध क्रमांक	लंबाई (किमी में)	किए गए कार्य की लंबाई (किमी में)	कार्य की स्थिति			कुल	अनुबंध राशि	पीएसी (₹ लाख में)	कुल भुगतान राशि	वाउचर क्र./ दिनांक
				विलंब दिनों में							
अशोकनगर	02/2018–19	50.85	0		.	चलित		3,813.00	5,084.65	406.96	23–28/10/2020
	कुल (2018–19)	**98.35**	**0**			**2**	**2**	**7,399.96**	**9,654.8**	**1,070.72**	
रतलाम	01/2019–20	20.9	8		.	चलित		2,134.67	2,405.56	174.78	04–15/09/20
छिंदवाड़ा	01/सीआरएफ/2019–20	14.145	0		.	चलित		1,479.00	1,702.54	107.56	20–29/09/20
छिंदवाड़ा	02/सीआरएफ/2019–20	35	0		.	चलित		2,699.00	3,112.69	387.98	14–24/10/20
छिंदवाड़ा	03/सीआरएफ/2019–20	16	0		.	चलित		1,099.00	1,283.37	111.48	59–31/07/20
छिंदवाड़ा	04/सीआरएफ/2019–20	20.22	0		.	चलित		2,659.00	3,087.46	111.48	60–31/07/20
	कुल (2019–20)	**106.265**	**0**			**5**	**5**	**10,070.67**	**11,591.62**	**893.28**	
11 संभाग				**19**		**21**	**40 कार्य**				

परिशिष्ट 5.23

(कंडिका 5.2.4.5 में संदर्भित)

निर्धारित समय में कार्य का आवंटन ना किया जाना (4 माह)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय अनुमोदन का दिनांक	4 माह की अवधि में कार्य का आवंटन	वास्तविक कार्य का आवंटन, (कार्य आदेश की तिथि)	कार्य आवंटन की निर्धारित तिथि के बाद से विलंब
1.	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रतलाम	01/2018–19	मावता–कालूखेड़ा–धोधर–कलालिया फैंटा रिंगनोद सडक का निर्माण, लंबाई 47.50 किमी	30/03/18	29/07/18	20/09/18	2 माह
2.	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर – I	03/2015–16	तराना–मंगलिया–व्यासखेड़ी सडक निर्माण	28/10/15	27/02/16	15/3/2016	1 माह
		02/2017–18	तिलोर खुर्द–पिपलादा–तनोरिया रोड के निर्माण	28/11/16	27/03/17	01/07/17	3 माह
		01/2017–18	खंडेल–सेमालिया–शदादेव–खरड़िया–मोरोदत–नेमावर सडक निर्माण	28/11/16	27/03/16	01/07/17	3 माह
3.	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर – II	04/2017–18	बरलाई जागीर–मुंडला हुसैन–धनखेड़ी फट्टा से धनखेड़ी–जैतपुरा–धरमपुरी सडक, सीआरएफ के तहत 13.06 किमी	28/11/16	27/03/17	29/06/17	4 माह
4.	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग, छिंदवाड़ा	01/सीआरएफ/2019–20	सरगना से उमरिया सडक का निर्माण, लंबाई 14.145 किमी	08/03/19	07/07/19	25/11/19	4 माह
		02/सीआरएफ/2019–20	उमरानाला–मोहखेड़–सवारी–मुजावर–मोराडोंगरी–उमरठ–खिरसाधो सड़क निर्माण, लंबाई 35.00 किमी	08/03/19	07/07/19	25/11/19	4 माह
		03/सीआरएफ/2019–20	राजडोंगरी–देवनाला–चटवा–पीपलपानी–तिगांव सडक का निर्माण, लंबाई 16.00 किमी	08/03/19	07/07/19	25/11/19	4 माह
		04/सीआरएफ/2019–20	रामगढ़ से अमरवाड़ा सडक का निर्माण, लंबाई 20.22 किमी	08/03/19	07/07/19	25/11/19	4 माह
			कुल नौ कार्य				

परिशिष्ट 5.24

(कंडिका 5.2.4.6 में संदर्भित)

10 प्रतिशत त्रैमासिक की दर से संचयी मोबिलाइजेशन अग्रिम को दर्शाने वाला विवरण

आरए बिल	वाउचर क्रमांक	दिनांक	मोबिलाइजेशन अग्रिम	मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूली	शेष राशि मोबिलाइजेशन अग्रिम	अवधि	दिन	10 प्रतिशत की दर से ब्याज दर	राशि	ब्याज राशि
1	15	14/09/2017	3,47,77,748	0	3,47,77,748	14/09/2017 से 30/09/2017	16	10	3,47,77,748	1,52,450.40
2	3	09/11/2017	0	0	3,47,77,748	01/10/2017 से 27/11/2017	58	10	3,49,30,198.4	5,55,055.21
3	50	28/11/2017	3,47,77,748	0	6,95,55,496	28/11/2017 से 11/12/2017	14	10	6,97,07,946.4	2,67,372.95
4	22	12/12/2017	0	16,00,000	6,79,55,496	12/12/2017 से 29/12/2017	18	10	6,81,07,946.4	3,35,874.80
5	119	30/12/2017	0	14,00,000	6,65,55,496	30/12/2017 से 31/12/2017	2	10	6,67,07,946.4	36,552.30
6	17	18/01/2018	0	0	6,65,55,496	01/01/2018 से 31/03/2018	90	10	6,79,02,801.66	16,74,315.66
10	3	19/04/2018	0	0	6,65,55,496	01/04/2018 से 08/05/2018	38	10	6,95,77,117.32	7,24,364.51
11	11	09/05/2018	0	55,00,000	6,10,55,496	09/05/2018 से 30/05/2018	22	10	6,40,77,117.32	3,86,218.24
12	65	31/05/2018	0	26,00,000	5,84,55,496	31/05/2018 से 30/06/2018	31	10	6,14,77,117.32	5,22,134.42
13	32	30/08/2018	0	10,00,000	5,74,55,496	01/07/2018 से 29/08/2018	60	10	6,31,09,834.49	10,37,421.94
14	38	16/10/2018	0	20,00,000	5,54,55,496	30/08/2018 से 30/09/2018	32	10	6,21,09,834.49	5,44,524.58
15	5	05/11/2018	0	50,00,000	5,04,55,496	01/10/2018 से 15/10/2018	15	10	6,36,91,781	2,61,747.05
16	43	7/12/2018	0	35,11,841	4,69,43,655	16/10/2018 से 04/11/2018	20	10	6,16,91,781	3,38,037.16
17	37	17/12/2018	0	25,48,073	4,43,95,582	05/11/2018 से 06/12/2018	32	10	5,66,91,781	4,97,023.83
18	9	07/03/2019	0	1,00,00,000	3,43,95,582	07/12/2018 से 16/12/2018	10	10	5,31,79,940	1,45,698.47
19	36	22/03/2019	0	50,00,000	2,93,95,582	17/12/2018 से 31/12/2018	15	10	5,06,31,867	2,08,076.17
20	59	28/03/2019	0	16,70,022	2,77,25,560	01/01/2019 से 06/03/2019	65	10	5,20,82,449.67	9,27,495.68
21	16	10/05/2019	0	55,00,000	2,22,25,560	07/03/2019 से 21/03/2019	15	10	4,20,82,449.67	1,72,941.57

आरए बिल	वाउचर क्रमांक	दिनांक	मोबिलाइजेशन अग्रिम	मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूली	शेष राशि मोबिलाइजेशन अग्रिम	अवधि	दिन	10 प्रतिशत की दर से ब्याज दर	राशि	ब्याज राशि
22	39	17/06/2019	0	0	2,22,25,560	22/03/2019 से 27/03/2019	6	10	3,70,82,449.67	60,957.45
23	26	27/07/2019	0	22,00,000	2,00,25,560	28/03/2019 से 31/03/2019	4	10	3,54,12,427.67	38,808.14
24	10	22/08/2019	0		2,00,25,560	01/04/2019 से 09/05/2019	39	10	3,66,12,630.51	3,91,203.45
25	35	30/08/2019	0	30,00,000	1,70,25,560	10/05/2019 से 30/06/2019	52	10	3,11,12,630.51	4,43,248.44
26	56	26/10/2019	0	10,00,000	1,60,25,560	01/07/2019 से 26/07/2019	26	10	3,19,47,082.39	2,27,568.26
27	42	13/12/2019	0	30,00,000	1,30,25,560	27/07/2019 से 29/08/2019	34	10	2,97,47,082.39	2,77,096.11
28	47	23/12/2019	0	30,00,000	1,00,25,560	30/08/2019 से 30/09/2019	32	10	2,67,47,082.39	2,34,494.97
29	52	31/12/2019	0	30,25,560	70,00,000	01/10/2019 से 25/10/2019	25	10	2,74,86,241.73	1,88,261.93
30	31	17/01/2020	0	0	70,00,000	26/10/2019 से 12/12/2019	48	10	2,64,86,241.73	3,48,312.22
31	2	13/02/2020	0	20,00,000	50,00,000	13/12/2019 से 22/12/2019	10	10	2,34,86,241.73	64,345.87
32	47	26/02/2020	0	5,00,000	45,00,000	23/12/2019 से 30/12/2019	9	10	2,04,86,241.73	50,514.02
33	2	06/03/2020	0	5,00,000	40,00,000	31/12/2019 से 31/12/2019	1	10	1,74,60,681.73	4,783.75
34	4	27/04/2020	0	0	40,00,000	01/01/2020 से 12/02/2020	43	10	1,81,16,899.52	2,13,431.97
35	35	15/06/2020	0	10,00,000	30,00,000	13/02/2020 से 25/02/2020	13	10	1,61,16,899.52	57,402.66
36	25	22/07/2020	0	0	30,00,000	26/02/2020 से 05/03/2020	9	10	1,56,16,899.52	38,507.42
			0	6,65,55,496		06/03/2020 से 31/03/2020	26	10	1,51,16,899.52	1,07,682.02
			0			01/04/2020 से 14/06/2020	75	10	1,55,33,923.59	3,19,190.21
						15/06/2020 से 30/06/2020	16	10	1,45,33,923.59	63,710.35
						01/07/2020 से 30/09/2020	92	10	1,49,16,824.15	3,75,985.71
						01/10/2020 से 31/10/2020	31	10	1,52,92,809.85	1,22,92,809.90

परिशिष्ट 5.25

(कंडिका 5.2.4.6 में संदर्भित)

ठेकेदार से रॉयल्टी की कम कटौती

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	इस्तेमाल की गई मेटल की मात्रा (घन मीटर)	इस्तेमाल की गई रेत की मात्रा (घन मीटर)	₹ 100 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी (राशि ₹ में)	आरए बिल से रॉयल्टी की कटौती	रॉयल्टी की कम कटौती	विभाग के पास/जमा शीर्ष में रखी रॉयल्टी की राशि
1	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, रायसेन	03/डी/2017–18	57,039.806	16,947.866	73,98,767.00	31,22,500.00	42,76,267.00	31,22,500
		04/सीई/ 2015–16	67,888.327	23,089.233	90,97,756.00	0	90,97,756.00	0
2	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, उज्जैन	08/सीआरएफ/2017–18	1,12,222.495	33,742.350	72,50,884.45	72,50,884.00	0.45	72,50,844.00
		09/सीआरएफ 2017–18	91,622.337	29,959.828	93,90,416.52	93,90,417.00	–0.48	93,90,417.00
		03/सीआरएफ 2017–18	69,212.226	34,606.113	31,97,015.35	31,97,015.00	0.35	31,97,015.00
3	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, इंदौर–I	02/सीआरएफ/2017–18	64,334.274	13,656.937	77,99,121.00	74,08,540.00	3,90,581.00	74,08,000.00
4	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, बैतूल	03/सीई/2017–18	2,56,428.245	79,112.536	3,35,54,078.00	3,32,63,353.00	2,90,725.00	1,29,75,607.00
		04/सीई/ 2016–17	2,49,396.439	77,703.409	3,27,09,985.00	2,89,69,496.00	37,40,489.00	2,44,79,580.00
5	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, छिंदवाड़ा	28/एमडीआर/2016–17	98,333.968	31,379.190	1,29,71,316.00	21,31,401.00	1,08,39,915.00	1,08,39,915.00
6	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग, सतना	02/सीआरएफ/2017–18	58,981.260	17,319.000	76,30,089.00	32,96,034.00	43,34,055.00	43,34,055
		10 कार्य	**11,25,459.38**	**3,57,516.46**	**13,09,99,428.48**	**9,80,29,640.00**	**3,29,69,788.32**	**7,86,63,878.00**

परिशिष्ट 5.26

(कंडिका 5.2.4.6 में संदर्भित)

सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने में अनियमितता

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक.	आइटम	भुगतान (₹ लाख में)	वाउचर क्रमांक–दिनांक
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. रतलाम	07/सीआरएफ/17–18	मेटल एग्रीगेट	203.66	6–05/02/18
		01/सीआरएफ/2017–18	मेटल एग्रीगेट	203.22	5–01/12/17
				237.45	32–04/01/19
		01/सीआरएफ/2018–19	मेटल एग्रीगेट	50.45	50–10/07/20
		01/सीआरएफ/2019–20	मेटल एग्रीगेट	103.23	4–15/09/20
		02/सीआरएफ/2017–18	मेटल एग्रीगेट	174.19	81–21/11/17
				93.60	306–31/03/18
		04/सीआरएफ/2017–18	मेटल एग्रीगेट	587.42	पहले, दूसरे, चौथे और सातवें आरए बिल द्वारा
		05/सीआरएफ/2017–18	मेटल एग्रीगेट	507.95	पहले, दूसरे, चौथे और 14वें आरए बिल द्वारा
		01/सीआरएफ/2015–16	मेटल, रेत, सीमेंट	148.39	86–14/10/16
		06/सीआरएफ/2017–18	मेटल एग्रीगेट	133.96	83–22/11/17
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. उज्जैन	03/सीआरएफ/2017–18	सीआरएम	171.00	105–30/12/17
3	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. होशंगाबाद	05/सीआरएफ/2016–17	सीआरएमबी, मेटल (40 मिमी, 20 मिमी)	331.67	23–04/06/20
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. अशोकनगर	04/सीआरएफ/2017–18	मेटल (26.5 मिमी, 22.4 मिमी, 11.2 मिमी) और नदी रेत	755.27	25–22/07/20
			12 कार्य	**3,701.46**	

परिशिष्ट 5.27

(कंडिका 5.2.5.1 में संदर्भित)

एनएबीएल से आवश्यक संख्या में परिक्षण कराने में विफलता (स्टील और सीमेंट)

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक.	निर्धारित परीक्षण सीमेंट/ स्टील	स्टील की उपयोग की गई मात्रा (मेट्रिक टन मैं)	सीमेंट की उपयोग की गई मात्रा (मेट्रिक टन)	स्टील / सीमेंट के निर्धारित परीक्षणों की संख्या	कुल निर्धारित परीक्षणों में से 20 प्रतिशत एनएबीएल द्वारा किए जाने निर्धारित	वास्तविक परीक्षण	कमी
1	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. रतलाम	02/सीआरएफ/2017–18	50 मेट्रिक टन पर एक परीक्षण / प्रत्येक 100 टन पर दो नमूने	294.24	16,302	6/326	1/65	0	1/65
		01/सीआरएफ/2017–18	उपरोक्त	352.14	18,790	8/376	2/75	0	2/75
2	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर –I	03/सीआरएफ/2115–16	उपरोक्त	521.03	30,646	10/613	2/123	0	2/123
		01/सीआरएफ/2017–18	उपरोक्त	171.54	396	4/8	1/2	0	1/2
3	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. बैतूल	03/सीआरएफ/2016–17	50 मेट्रिक टन पर एक परीक्षण / प्रत्येक 100 टन पर दो नमूने	1,660.00	65,615	34/1312	7/262	0	7/262
		04/सीआरएफ/2016–17		1,196.00	62,301	24/1246	5/249	0	5/249
4	ई.ई, लो.नि(बी/आर) संभाग. सतना	02//सीआरएफ/2017–18	50 मेट्रिक टन पर एक परीक्षण / प्रत्येक 100 टन पर दो नमूने	274.39	26,683	6/534	1/107	0	1/107
		03/सीआरएफ/2017–18		534.00	27,316	10/546	2/109	0	2/109
		01/सीआरएफ/2017–18	50 मेट्रिक टन पर एक परीक्षण / प्रत्येक 100 टन पर दो नमूने	148.14	14,011	4/280	1/56	0	1/56
	09 कार्य			**5,151.48**	**2,62,060**	**106/5241**	**23/1048**	**0**	**23/1048**

परिशिष्ट 5.28

(कंडिका 5.2.5.2 में संदर्भित)

क्रशर रन मैकेडम का प्लास्टिसिटी परीक्षण ना किया जाना

स.क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	राशि (₹ लाख में)	वाउचर क्रमांक / दिनांक
1	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग . रायसेन	मेसर्स एके बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	07/सीआरएफ/2015–16	160.54	01–02/07/18
		मेसर्स एके शिवहरे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	02/सीआरएफ/2017–18	344.16	33–27/04/20
		मेसर्स एके शिवहरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	04/सीआरएफ/2015–16	227.00	20–18/12/17
2	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग. रतलाम	मेसर्स जय गुरुदेव	07/सीआरएफ/2017–18	247.29	13–18/08/20
		मेसर्स भारती कंस्ट्रक्शन	01/सीआरएफ/2017–18	268.83	42–21/03/20
		मेसर्स वीवीसी रियल इंफ्रा	01/सीआरएफ/2015–16	262.51	50–15/3/18
		मैसर्स लताला कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर	06/सीआरएफ/2017–18	232.02	09–04/03/20
		मेसर्स भारती कंस्ट्रक्शन	02/सीआरएफ/2017–18	226.64	41–21/3/20
		मेसर्स वीवीसी रियल इंफ्रा	05/सीआरएफ/2017–18	380.89	13–31/7/19
3	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर –I	मेसर्स देव यश प्रोजेक्ट एंड इंफ्रा	01/सीआरएफ/2017–18	110.49	108–31/07/20
4	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर–II	मेसर्स केके गुप्ता कॉन्स्ट कंस्ट.	04/सीआरएफ/2017–18	114.51	19–16/7/20
5	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग. बैतूल	मेसर्स तिरुपति बिल्ड–कॉन प्रा. लिमिटेड	04/सीआरएफ 2016–17	948.70	01–22/07/20
6	ई.ई. लो.नि(बी/आर) संभाग. सतना	मेसर्स एबीसी एसोसिएट्स, सतना	01/सीआरएफ/2017–18	208.05	29–24/07/20
		13 कार्य		**3,731.63**	

परिशिष्ट 5.29

(कंडिका 5.2.5.3 में संदर्भित)

परीक्षण एवं बिल के बिना ह्यूम पाइप बिछाना

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मात्रा (आरएमटी में)	पाइप का व्यास	दर	भुगतान
1	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. रतलाम	02/ सीआरएफ /2017–18	340	1000 मिमी	5,598.29	19,03,534
			85	1000 मिमी	11,311.25	9,61,456
			15	1000 मिमी	22,602.95	3,39,044
		01/ सीआरएफ /2017–18	170	1000 मिमी	5,598.29	9,51,709
			82.5	1000 मिमी	11,311.25	9,33,178
			90	1000 मिमी	22,602.95	20,34,266
		06/ सीआरएफ /2017–18	287.5	1000 मिमी	5,000	14,37,500
			120	1000 मिमी	10,000	12,00,000
			100	1000 मिमी	15,000	15,00,000
2	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. रायसेन	07/ सीआरएफ /2015–16	175	1000 मिमी	6,000	10,50,000
			112.5	1000 मिमी	13,000	14,62,500
			37.5	1000 मिमी	15,000	5,62,500
			542.5	300 मिमी	750	4,06,875
		02/2017–18	1800	1000 मिमी	998	17,96,400
			222.5	1000 मिमी	5,670	12,61,575
			185	1000 मिमी	18,270	33,79,950
			202.5	1000 मिमी	12,000	24,30,000

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मात्रा (आरएमटी में)	पाइप का व्यास	दर	भुगतान
		04/2015–16	277.5	1000 मिमी	6,174	17,13,285
			75	1000 मिमी	12,475	9,35,625
			12.5	1000 मिमी	24,928	3,11,600
3	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. इंदौर –I	03/ सीआरएफ /2015–16	352.5	1000 मिमी	6,000	21,15,000
			215	1000 मिमी	12,000	25,80,000
		01/ सीआरएफ /2017–18	68	1000 मिमी	5,416	3,68,288
			24	1000 मिमी	10,943	2,62,632
4	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. बैतूल	03/सीई/2016–17	3370	300 मिमी	3,000	1,01,10,000
			690	1200 मिमी	9,522	65,70,180
			430	1200 मिमी	19,198	82,55,140
			90	1200 मिमी	28,565	25,70,850
		04/2016–17	180	1000 मिमी	4,913	8,84,340
			32.5	1000 मिमी	9,926	3,22,595
			60	1000 मिमी	19,834	11,90,040
			390	1200 मिमी	6,600	25,74,000
			155	1200 मिमी	13,300	20,61,500
			115	1200 मिमी	20,053	23,06,095
5	ईई, लो.नि(बी/आर) संभाग. सतना	02/डीएल/सीआरएफ/17–18	3045	300 मिमी	792	24,11,640
			477.5	1000 मिमी	5,000	23,87,500

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मात्रा (आरएमटी में)	पाइप का व्यास	दर	भुगतान
			75	1000 मिमी	11,000	8,25,000
		03/डीएल/सीआरएफ/17–18	3102.5	300 मिमी	1,280	39,71,200
		01/डीएल/सीआरएफ/17–18	567.5	1000 मिमी	5,000	28,37,500
			40	1000 मिमी	10,000	4,00,000
			97.5	1000 मिमी	15,000	14,62,500
कुल		**13 कार्य**				**8,30,36,997**

परिशिष्ट 5.30

(कंडिका 5.2.5.4 में संदर्भित)

परीक्षण किये बिना खुदी हुई मिट्टी का इस्तेमाल न किया जाना

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	खुदाई से प्राप्त मिट्टी (घन मीटर)	एंबेंकमेंट निर्माण में इस्तेमाल की गई मिट्टी (घन मीटर)	इस्तेमाल न की गई मिट्टी (घन मीटर)	दर	परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8=6×7
1	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग. रतलाम	01/सीआरएफ/2017–18	56,594	37,933	18,661	78.22	14,59,663
		02/सीआरएफ/2017–18	56,572	39,901	16,671	78.22	1,30,406
		05/सीआरएफ/2017–18	2,23,939.47	1,70,196.52	53,743	73.00	39,23,235
2	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग. उज्जैन	03/सीआरएफ/17–18	2,00,168.048	1,37,728.14	62,440	61.32	38,28,821
		08/सीआरएफ/2017–18	1,92,348.51	51,547.63	1,40,801	94.00	1,32,35,283
		09/सीआरएफ/2017–18	1,22,245.64	90,317	31,929	88.00	28,09,752
3	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग. इंदौर–I	03/सीआरएफ/2015–16	1,20,882.714	59,832.773	61,050	200.00	1,22,09,988
4	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग. इंदौर–II	04/सीआरएफ/2017–18	41,808	9,587.87	32,220	76	24,48,729.88
		8 कार्य	**10,14,558**	**5,97,043**	**4,17,515**		**4,00,45,877.88**

परिशिष्ट 5.31

(कंडिका 5.2.5.6 में संदर्भित)

निरीक्षण में कमी

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, अशोकनगर	4	9883.11	2017–18	24	0	24	12	1	11	4	0	4
				2018–19	24	3	21	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	2	22	12	0	12	4	7	0
			8249.82	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	1	23	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	4	20	12	0	12	4	5	0
			2326.22	2017–18	24	1	23	12	1	11	4	0	4
				2018–19	24	2	22	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	3	21	12	1	11	4	6	0
			5084.65	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	14	10	12	0	12	4	4	0
2	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, बैतूल	2	12462.7	2017–18	24	25	–1	12	0	12	4	16	0
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	26	0
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	7	0
			14492.6	2017–18	24	24	0	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
3	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, छिंदवाड़ा	5	5690.72	2017–18	24	12	12	12	0	12	4	7	0
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	4	0
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	3	1
			3087.46	2017–18	24	3	21	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			1283.37	2017–18	24	3	21	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			3112.69	2017–18	24	4	20	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			1702.54	2017–18	24	3	21	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, ग्वालियर	3	7548.95	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	1	23	12	0	12	4	0	4
			1338.7	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			8783.92	2017–18	24	0	24	12	1	11	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
5	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, होशंगाबाद	1	5883.65	2017–18	24	2	22	12	2	10	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	1	3
				2019–20	24	1	23	12	1	11	4	0	4
6	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, इंदौर –I	3	6495.33	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			1772.59	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6567.32	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
7	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, इंदौर– II	1	1457.12	2017–18	24	0	24	12	1	11	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	2	10	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	1	11	4	0	4
8	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, रतलाम	9	4291.05	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			2693.89	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4796.25	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4570.15	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6444.54	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			3798.02	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			6793.11	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4441.56	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			3560.28	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
9	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, रायसेन	4	2270.5	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4798.5	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			2270.5	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4798.5	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
10	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, सतना	3	2956.33	2017–18	24	0	24	12	8	4	4	4	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4966.54	2017–18	24	0	24	12	9	3	4	6	0
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			5412.1	2017–18	24	0	24	12	9	3	4	1	3
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	वर्ष	अधीक्षण यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			मुख्य यंत्री द्वारा निरीक्षण (दो निरीक्षण प्रतिमाह)			क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण (कार्यान्वयन के दौरान हर तिमाही)		
					निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी	निर्धारित निरीक्षण	किए गए निरीक्षण	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ईई, लो.नि (बी/आर) संभाग, उज्जैन	5	1563.29	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			5640.76	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			3286.73	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			4687.55	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
			5646.87	2017–18	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2018–19	24	0	24	12	0	12	4	0	4
				2019–20	24	0	24	12	0	12	4	0	4
11 संभाग		**40 कार्य**			**2,880**	**108**	**2,772**	**1,440**	**37**	**1,403**	**160**	**97**	**123**

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका 6.6.1.2 में संदर्भित)

अनुचित प्राक्कलन

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)	अंतिम देयक राशि (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त/अधिक मात्रा की राशि (₹ करोड़ में)	ठेकेदार प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	विचलन (प्रतिशत में)
1	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	8/15–16	48.62	44.18	47.42	9.47	–9.14	8.61	19.49
2	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	23/16–17	7.16	5.77	5.48	0.77	–19.36	0.62	10.78
		59/11–12	19.74	23.54	23.87	2.85	मद दर	3.40	14.46
		60/11–12	53.79	62.61	55.17	6.27		6.27	11.66
		61/11–12	37.31	39.97	42.10	8.97		8.97	24.04
3	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	10/14–15	2.47	2.67	2.81	0.17	8	0.18	6.82
4	कार्यपालन यंत्री, विद्युत संभाग, ग्वालियर	16/18–19	2.67	2.53	2.45	0.06	–5.07	0.06	2.31
5	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	26/15–16	5.51	4.67	5.39	1.27	–15.3	1.08	23.14
		30/15–16	12.18	9.74	10.70	0.81	–20.05	0.64	6.62
		19/14–15	9.97	9.02	11.19	2.46	–9.54	2.22	24.63
		46/17–18	1.04	0.59	0.78	0.25	–40.99	0.15	23.94
6	विद्युत संभाग, जबलपुर	115/15–16	3.99	3.77	4.72	0.40	–5.59	0.37	9.94
योग	**6 संभाग**	**12 अनुबंध**						**32.57**	

परिशिष्ट 6.2

(कंडिका 6.6.2.3 में संदर्भित)

विशिष्ट संयंत्र/मशीनरी का उपयोग न करने के कारण अधिक भुगतान का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद संख्या	की गई कार्य की मात्रा (घन मी. में)	भुगतान की गई दर (₹)	भुगतान योग्य दर (₹)	राशि (₹)	अनुबंध का प्रतिशत	अधिक भुगतान (₹)	टिप्पणी
1	संभाग क्रमांक 1, भोपाल	5/19/2020	6.1/डी.एल.सी.	128.38	2,199.00	2,049.00	19,257.00	–33.33	12,838.64	डी.एल.सी कार्य में सेंसर पेवर का उपयोग नहीं किया गया
		1/16/2017	6.4/पी.क्यू.सी.	2,541.08	5,977.00	5,627.00	8,89,378.00	–16.36	7,43,875.76	पी.क्यू.सी. कार्य में सेंसर पेवर का उपयोग नहीं किया गया
2	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15/2016	5.5(a)(ii) डी.बी.एम.	2,444.57	8,621.00	8,198.00	10,34,053.11	–12.44	9,05,416.90	उच्च क्षमता वाले प्लांट के दर से भुगतान किया गया
			5.6(a)(v) बी.सी.	1,246.69	10,129.00	9,696.00	5,39,816.77	–12.44	4,72,663.56	
		5/13/2014	5.6(a)(ii) डी.बी.एम.	1,132.01	7,415.00	7,032.00	4,33,559.83	–3.7	4,17,518.12	
			5.7(a)(v) एस.डी.बी.सी.	452.81	8,278.00	7,894.00	1,73,879.04	–3.7	1,67,445.52	
		8/14/2015	5.6(a)(ii) डी.बी.एम.	725.95	7,415.00	7,032.00	2,78,038.85	–9.1	2,52,737.31	
			5.7(a)(v) एस.डी.बी.सी.	362.98	8,278.00	7,894.00	1,39,384.32	–9.1	1,26,700.35	
3	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	41/18–19	3.12/तटबंध	1,64,745.17	127.6	97.6	49,42,355.10	–20.22	39,43,010.90	वाइब्रेटरी रोलर /मोटर ग्रेडर का उपयोग नहीं किया गया
4	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	46/17–18	6.8	791.39	2,110.00	1,970.00	1,10,794.60	–40.99	65,379.89	पेवर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग नहीं किया गया
			6.4	1,197.94	4,841.00	4,491.00	4,19,279.00	–40.99	2,47,416.54	
		38/17–18	6.1	336.21	2,443.00	2,293.00	50,431.95	–22.88	38,893.12	पेवर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद संख्या	की गई कार्य की मात्रा (घन मी. में)	भुगतान की गई दर (₹)	भुगतान योग्य दर (₹)	राशि (₹)	अनुबंध का प्रतिशत	अधिक भुगतान (₹)	टिप्पणी
										नहीं किया गया
			4.1	473.5	849	749	47,349.60	–22.88	36,516.01	वाइब्रेटरी रोलर /मोटर ग्रेडर का उपयोग नहीं किया गया
			6.3	519.87	5,726.00	5,376.00	1,81,955.90	–22.88	1,40,324.39	पेवर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग नहीं किया गया
योग	**4 संभाग**	**8 अनुबंध**		**1,77,098.55**	**74,408.60**	**70,398.60**	**92,59,533.07**		**75,70,737.01**	

परिशिष्ट 6.3

(कंडिका 6.6.2.4 में संदर्भित)

अनुबंध के कार्यक्षेत्र से बाहर भुगतान का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुबंध के कार्यक्षेत्र से बाहर भुगतान (₹ में)
1	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	अनुबंध क्रमांक 6/13–14	2,02,43,744.30
2	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	अनुबंध क्रमांक 61/11–12	8,96,77,198.00
		अनुबंध क्रमांक 23/16–17	77,21,741.00
		अनुबंध क्रमांक 59/11–12	2,85,44,291.00
		अनुबंध क्रमांक 60/11–12	6,27,40,863.00
योग	**2 संभाग**	**5 अनुबंध**	**20,89,27,837.30**

परिशिष्ट 6.4

(कंडिका 6.6.2.5 में संदर्भित)

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त मद के निष्पादन का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुमोदन के बिना कार्य का निष्पादन (₹ में)
1	मुरैना	07/18–19	47.82	6,01,14,738.00
		17/19–20	5.95	1,06,174.00
2	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	61/11–12	37.31	1,35,34,391.00
3	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	08/15–16	48.62	5,58,12,812.00
योग	**03 संभाग**	**04 अनुबंध**	**139.7**	**12,95,68,115.00**

परिशिष्ट 6.5

(कंडिका 6.6.2.6 में संदर्भित)

रॉयल्टी शुल्क की कटौती न करने का विस्तृत विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति	गिट्टी की मात्रा ₹ 100 प्रति घन मी.	रेत की मात्रा ₹ 100 प्रति घन मी.	स्टोन डस्ट की मात्रा ₹ 100 प्रति घन मी.	पत्थर की मात्रा ₹ 50 प्रति घन मी.	वसूली योग्य रॉयल्टी की राशि
1	संभाग क्रमांक 1, भोपाल	1/15–16	8.39	पूर्ण	2,205.31	5,015.00	227.44	0.00	7,44,775.00
2	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	36/15–16	106.21	प्रगति पर	33,922.96	30,125.77	0.00	0.00	64,04,873.00
		1/16–17	6.72	पूर्ण	1,522.70	1,735.20	0.00	0.00	3,25,792.00
		12/13–14	6.32	पूर्ण	3,619.04	1,809.52	0.00	0.00	5,42,856.00
3	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	7/16–17	60.12	प्रगति पर	15,135.00	56,761.00	0.00	0.00	71,89,597.00
4	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/13–14	17.46	पूर्ण	0.00	0.00	2,130.64	0.00	2,13,064.00
		5/13–14	11.22	पूर्ण	20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	25,00,000.00
		4/17–18	0.28	पूर्ण	141.49	111.43	0.00	0.00	25,292.00
5	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	23/16–17	7.15	प्रगति पर	2,442.00	2,239.00	0.00	0.00	4,68,100.00
		60/11–12	53.79	प्रगति पर	24,045.00	18,934.00	0.00	0.00	42,97,900.00
		61/11–12	37.31	प्रगति पर	15,307.12	11,817.00	0.00	862.48	27,55,537.00
6	संभाग, मुरैना	07/16–17	16.12	प्रगति पर	7,547.95	6,169.87	0.00	0.00	13,71,782.00
7	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	05/16–17	6.14	प्रगति पर	1,708.00	1,206.00	0.00	0.00	2,91,400.00
योग	**7 संभाग**	**13 अनुबंध**	**337.23**						**2,71,30,968.00**

परिशिष्ट 6.6

(कंडिका 6.6.2.6 में संदर्भित)

रॉयल्टी शुल्क की कम कटौती का विस्तृत विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति	वसूल की गई रॉयल्टी की राशि (₹ में)	वसूली योग्य रॉयल्टी की राशि (₹ में)	कम वसूल की गई रॉयल्टी की राशि (₹ में)
1	संभाग, मुरैना	8/15–16	15.41	पूर्ण	24,75,124.00	10,01,041.00	14,74,083.00
		7/15–16	2.56	पूर्ण	1,91,307.00	76,522.00	1,14,785.00
योग	**1 संभाग**	**2 अनुबंध**	**17.97**		**26,66,431.00**	**10,77,563.00**	**15,88,868.00**

परिशिष्ट 6.7

(कंडिका 6.6.2.6 में संदर्भित)

रॉयल्टी का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद (मात्रा घन मी. में)			राशि (₹ में)
			रेत	गिट्टी	ऐग्रि.	
1	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	1/16–17	1,735.22	1,522.70	–	3,25,792.00
		12/13–14	1,809.52	3,619.04	–	5,42,856.00
2	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/13–14	6,650.00	10,780.00	2,130.00	19,56,000.00
		5/13–14	4,500.00	20,500.00	–	25,00,000.00
		8/14–15	6,336.89	22,838.40	–	29,17,529.00
		4/17–18	111.43	141.49	–	25,292.00
3	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	10/18–19	279	332	–	61,100.00
		3/18–19	108	240	–	34,800.00
4	संभाग, मुरैना	8/15–16	6,445.31	9,689.12	–	16,13,443.00
		7/15–16	884	1,029.07	–	1,91,307.00
योग	**4 संभाग**	**10 अनुबंध**	**28,859.37**	**70,691.82**	**2,130.00**	**1,01,68,119.00**

परिशिष्ट 6.8

(कंडिका 6.6.2.8 में संदर्भित)

शास्ति के कम अधिरोपण का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	अनुबंध के अनुसार शास्ति	अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)	अंतिम देयक का भुगतान (₹ करोड़ में)	कार्य आदेश दिनांक	अनुबंध की समय अवधि (माह में)	पूर्ण करने का निर्धारित दिनांक	पूर्ण करने का वास्तविक दिनांक	कुल विलम्ब (माह में)	ठेकेदार की ओर से विलंब	शास्ति अधिरोपित योग्य राशि (अ) (₹ में)	अधिरोपित शास्ति (ब) (₹ में)	कम शास्ति (अ–ब) (₹ में)
1	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	20/16–17	विलंब के लिए ठेकेदार पर अनुबंधित राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत तक 0.05 प्रतिशत प्रति दिन की दर से तरल क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जाएगी।	4.61		21.11.16	15	21.02.18	19.02.19	12 माह	2 माह 15 दिन	12,61,108	10,000.00	12,51,108
2	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16		23.61	29.02	06.01.16	24	05.01.18	14.12.18	11 माह	1	35,42,490	10,000.00	35,32,490
3	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	59/11–12		23.54	22.52	08.02.12	24	07.02.14	30.09.16	33 माह 22 दिन	28 माह 9 दिन	2,25,20,000	3,50,000.00	2,21,70,000
4	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	1/16–17		32.52	30.34	02.05.16	24	01.05.18	25.03.19	10 माह 24 दिन	3	1,46,37,645	50,000.00	1,45,87,645
5	उपायुक्त, म. प्र.गृह निर्माण वृत्त, ग्वालियर	8t/17–18		0.84	0.7	21.04.17	3	26.07.17	10.10.18	13 माह 15 दिन	10 दिन	35,000	5,000.00	30,000
6	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	2/13–14	तरल क्षतिपूर्ति राशि प्रति सप्ताह अनुबंधित राशि के 1 प्रतिशत या अंतिम की गई कार्य की राशि, जो भी कम हो, पर अधिरोपित की जाएगी।	6.07	6.72	04.06.13	18	03.12.14	15.11.15	11 माह 12 दिन	3 माह 12 दिन	60,70,000	20,000.00	60,50,000
7	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/13–14		18.84	19.9	05.03.14	24	04.03.16	31.12.16	9 माह 27 दिन	8 माह 27 दिन	1,88,46,995	10,000.00	1,88,36,995
8	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	61/11–12		39.97		08.02.12	30	07.08.14	20.06.19	58 माह 13 दिन	51 माह 12 दिन	3,99,88,000	23,00,000.00	3,76,88,000
योग	**5 संभाग**	**8 अनुबंध**		**150**	**109.2**							**10,69,01,238**	**27,55,000.00**	**10,41,46,238**

परिशिष्ट 6.9

(कंडिका 6.6.2.9 में संदर्भित)

कार्य में अनिर्दिष्ट सामग्री के उपयोग का विवरण

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंध के अनुसार सामग्री (सीमेंट/स्टील)	वास्तव में उपयोग की गई सामग्री (सीमेंट/स्टील)
1	संभाग क्रमांक 1, भोपाल	1/15–16	8.39	डायमंड, जेपी, मास्टर बिल्डर, टाटा, अम्बुजा, एसीसी, एल. एण्ड टी, मोदी, विक्रम, प्रिज्म, एसीसी और माइसेम	केजेएस और जेके सीमेंट
		1/16–17	116.64	सेल, आरएनआरएल, टाटा, गोयल, कामधेनु	बंसल
2	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	10/14–15	2.47	जेपी, अम्बुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक और माइसेम	जेके
				टाटा, जिन्दल, सेल	एसएस टीएमटी
		1/16–17	6.72	जेपी/ अल्ट्राटेक/माइसेम/ अम्बुजा और एसीसी	केजेएस
		2/13–14	6.07	एसीसी सुरक्षा, अल्ट्राटेक, जेपी, माइसेम, मोदी, विक्रम, प्रिज्म	बिड़ला गोल्ड
		2/13–14	6.07	सेल, इस्को, टीस्को	कामधेनु स्टील, आदित्य टीएमटी बार
3	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	7/16–17	60.12	एसीसी बांगर, माइसेम, एल एण्ड टी, और रिलायंस	एमपी बिड़ला
		8/15–16	48.12	एसीसी बांगर, एल एण्ड टी, रिलायंस और माइसेम	बिड़ला गोल्ड
		8/15–16	48.12	सेल, कामधेनु, टाटा, बंसल	जिन्दल
		1/17–18	8.45	सेल, जेएसडब्ल्यू, नाकोडा, कामधेनु, टाटा, और बंसल	एसएस टीएमटी/ अलंकार
4	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16	25.46	सेल, इस्को, टीस्को	नाकोडा /बजरंग/ बिना ब्रान्ड के
		6/13–14	17.46	एसीसी सुरक्षा, अल्ट्राटेक, जेपी, माइसेम, मोदी, विक्रम, मधुर और प्रिज्म	बिड़ला गोल्ड /लाफार्ज

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंध के अनुसार सामग्री (सीमेंट/स्टील)	वास्तव में उपयोग की गई सामग्री (सीमेंट/स्टील)
				सेल, टीस्को, आरआइएनएल	सागर टीएमटी/तिरुपति/प्रकाश/वन्दना/एसएनबी इसपेट/हीटेक
		5/13–14	11.22	सेल, इस्को, टीस्को	एमएसपी थरमैक्स/पिलानीस इंड्रस्ट्रीज
		5/13–14	11.22	डायमंड, जेपी, मास्टर बिल्डर, टाटा, अम्बुजा (43 ग्रेड), एसीसी, एल एण्ड टी, मोदी, विक्रम, प्रिज्म (43 ग्रेड), एसीसी (सुरक्षा) और माइसेम	जेके लक्ष्मी/ बिड़ला
		8/14–15	21.22	डायमंड, जेपी, मास्टर बिल्डर, टाटा, अम्बुजा (43 ग्रेड), एसीसी, एल एण्ड टी, मोदी, विक्रम, प्रिज्म (43 ग्रेड), एसीसी (सुरक्षा) और माइसेम	जेके लक्ष्मी/ बिड़ला
		4/17–18	0.28	सेल, इस्को, टीस्को	गोयल
5	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	23/16–17	7.15	एसीसी, अल्ट्राटेक, बिड़ला, अम्बुजा, जेपी और जेके	माइसेम
		60/11–12	53.79	जेपी, अल्ट्राटेक, माइसेम, अम्बुजा, एसीसी	प्रिज्म
		61/11–12	39.97	जेपी, अल्ट्राटेक, माइसेम, अम्बुजा, एसीसी	प्रिज्म
6	संभाग, मुरैना	7/16–17	16.12	डायमंड/जेपी/मास्टर बिल्डर/ टाटा/ अम्बुजा / एसीसी/ एल एण्ड टी/ मोदी/ विक्रम/ प्रिज्म/ माइसेम	बिड़ला गोल्ड
7	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	1/16–17	35.59	जेके, केजेएस, रिलायंस	बिड़ला गोल्ड / जेपी/मैहर
		5/16–17	6.14	जेके, केजेएस, रिलायंस	जेपी
		2/17–18	0.4	जेके, केजेएस, रिलायंस	जेपी
		3/18–19	0.42	जेके, केजेएस, रिलायंस	जेपी
		14/18–19	2.49	जेके, केजेएस, रिलायंस	बिना ब्रान्ड के

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंध के अनुसार सामग्री (सीमेंट/स्टील)	वास्तव में उपयोग की गई सामग्री (सीमेंट/स्टील)
8	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	27/15–16	13.02	स्टील: टीस्को, सेल, मैग्नम या आईएसआई अनुमोदित	देयक में ब्रांड नाम का उल्लेख नहीं है। केवल एमएस स्टील बार और आकार का उल्लेख किया गया है।
		25/15–16	1.09	सीमेंटः डायमंड, जेपी, मास्टर बिल्डर, टाटा, अम्बुजा, एसीसी, एल एण्ड टी, मोदी, विक्रम, प्रिज्म, एसीसी और माइसेम	ठेकेदार द्वारा जमा किए गए सीमेंट के देयकों में ब्रांड के नाम का उल्लेख नहीं है।
योग	**8 संभाग**		**544.54**		

परिशिष्ट 6.10

(कंडिका 6.6.3.1 में संदर्भित)

संविदात्मक प्रावधान के संदर्भ में संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंध की अवधि (माह में)	अनुबंध की कंडिका	निरीक्षणों की संख्या जो किए जाने थे	किए गए निरीक्षणों की संख्या
1	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	45/15–16	2.64	12	एस.सी.सी. –10	2	0
2	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	7/16–17	60.12	33	एस.सी.सी. –12	5	0
		8/15–16	48.62	24	एस.सी.सी. –6	4	0
		1/17–18	8.45	23	एस.सी.सी. –10	4	0
3	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16	25.46	24	एस.सी.सी. –10	4	0
		1/16–17	2.97	24	एस.सी.सी. –6	4	0
		4/17–18	0.28	6	एस.सी.सी. –10	1	0
4	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	23/16–17	7.16	23	एस.सी.सी. –10	4	0
5	मुरैना, संभाग	8/15–16	15.41	18	एस.सी.सी. –6	3	0
		11/17–18	0.93	9	एस.सी.सी. –9	2	0
6	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	1/16–17	35.59	24	एस.सी.सी. –10	4	0
		10/18–19	0.79	9	एस.सी.सी. –6	1	0
		2/17–18	0.4	9	एस.सी.सी.	1	0

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	अनुबंध की अवधि (माह में)	अनुबंध की कंडिका	निरीक्षणों की संख्या जो किए जाने थे	किए गए निरीक्षणों की संख्या
					–6		
7	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	7/18–19	3.71	12	एस.सी.सी. –6	2	0
8	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	51/17–18	0.24	6	एस.सी.सी. –10	1	0
		30/15–16	12.19	12	एस.सी.सी. –6	2	0
		38/17–18	13.8	15	एस.सी.सी. –6	2	0
योग	**8 संभाग**	**17 अनुबंध**	**238.76**	**283**		**46**	**0**

परिशिष्ट 6.11

(कंडिका 6.6.3.2 में संदर्भित)

तकनीकी कर्मियों की पदस्थापना न किया जाना

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	पदस्थापित किए जाने वाले तकनीकी कर्मियों की संख्या	पदस्थापित किए गए तकनीकी कर्मियों की वास्तविक संख्या	तकनीकी कर्मियों की पदस्थापना में कमी
1	संभाग क्रमांक 1, भोपाल	1/15–16	8.39	6	0	6
		1/16–17	116.64	7	0	7
2	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	7/16–17	60.12	6	0	6
		8/15–16	48.62	3	0	3
		1/17–18	8.73	2	0	2
3	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16	25.46	3	0	3
		6/13–14	17.46	1	0	1
		5/13–14	11.22	1	0	1
		8/14–15	21.38	1	0	1
		1/16–17	2.97	2	0	2
4	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	60/11–12	53.79	1	0	1
		61/11–12	39.97	1	0	1
5	संभाग, मुरैना	8/15–16	15.41	6	3	3
		17/19–20	7.40	2	0	2
		7/15–16	2.56	6	0	6
6	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	1/16–17	35.59	3	0	3
		5/16–17	6.14	2	0	2
		10/18–19	0.79	1	0	1
		8/19–20	0.79	1	0	1

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	पदस्थापित किए जाने वाले तकनीकी कर्मियों की संख्या	पदस्थापित किए गए तकनीकी कर्मियों की वास्तविक संख्या	तकनीकी कर्मियों की पदस्थापना में कमी
7	कार्यपालन यंत्री विद्युत संभाग, ग्वालियर	16/18–19	2.67	2	0	2
		4/18–19	0.77	1	0	1
		8/18–19	1.14	1	0	1
		5/18–19	0.62	1	0	1
8	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	41/18–19	3.75	2	0	2
		7/18–19	3.71	2	0	2
		31/16–17	4.64	2	0	2
9	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	26/15–16	5.52	1	1	0
		30/15–16	12.19	3	1	2
		38/17–18	13.08	2	0	2
		19/14–15	9.97	1	1	0
योग	**9 संभाग**	**30 अनुबंध**	**541.49**	**73**	**6**	**67**

परिशिष्ट 6.12

(कंडिका 6.6.3.3 में संदर्भित)

ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना न किया जाना

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	कार्य आदेश दिनांक	अनुबंध की अवधि (माह में)	कार्यस्थल पर प्रयोगशाला स्थापित की गयी थी (हाँ/नहीं)	शास्ति ₹ 25,000 प्रति माह की दर से
1	संभाग क्रमांक 3, भोपाल	1/17–18	8.45	10.04.17	23	7 माह विलम्ब से	1,75,000
2	मुरैना	7/16–17	16.12	31.03.17	27	नहीं	6,75,000
		17/19–20	7.4	03.09.19	14	नहीं	3,50,000
3	संभाग क्रमांक 1, ग्वालियर	14/18–19	2.49	05.03.19	9	नहीं	2,25,000
4	संभाग क्रमांक 6, भोपाल	23/16–17	7.16	23.01.17	23	नहीं	5,75,000
5	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	3/19–20	7.43	18.12.19	18	20.02.20 को	50,000
		27/15–16	13.02	14.12.15	24	नहीं	6,00,000
		7/18–19	3.71	17.07.18	12	नहीं	3,00,000
6	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	26/15–16	5.52	29.07.15	18	नहीं	4,50,000
		38/17–18	13.08	26.08.17	15	नहीं	3,75,000
योग	**6 संभाग**	**10 अनुबंध**	**84.38**				**37,75,000**

परिशिष्ट 6.13

(कंडिका 6.6.3.4 में संदर्भित)

डिजाइन मिक्स/जॉब मिक्स अनुमोदन के बिना कार्य निष्पादित किया जाना

(राशि ₹ में)

स. क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद संख्या	मद का विवरण	बिना अनुमोदन के निष्पादित डिजाइन मिक्स/जॉब मिक्स की मात्रा घन मी. में (अ)	दर (ब)	राशि (अ x ब)	निविदा प्रतिशत	कार्य की लागत	टिप्पणी
1	एम.पी.एच.आई.डी.बी. संभाग क्रमांक 1, भोपाल	1/15–16	6.1	डी.एल.सी.	221.90	2,714.00	6,02,237	–19.11	4,87,149	अनुमोदित डिजाइन मिक्स नहीं पाया गया
			6.4	पी.क्यू.सी.	376.12	5,977.00	22,48,069	–19.11	18,18,463	
2	एम.पी.एच.आई.डी.बी. संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16	5.5(a)(ii)	डी.बी.एम.	2,444.57	8,621.00	2,10,74,638	–12.44	1,84,52,953	अनुमोदित जॉब मिक्स नहीं पाया गया
			5.6(a)(v)	बी.सी.	1,246.69	10,129.00	1,26,27,723	–12.44	1,10,56,834	
		6/13–14	5.26	एम–20	158.83	7,520.00	11,94,402	मद दर	11,94,402	निष्पादन के दौरान सीमेंट का ब्रांड परिवर्तित किया गया परंतु पुनः डिजाइन मिक्स अनुमोदित नहीं करवाया गया
			5.27	एम–25	760.62	7,381.00	56,14,136		56,14,136	
			5.28	एम–30	131.03	7,520.00	9,85,346		9,85,346	
		5/13–14	5.6a(ii)	डी.बी.एम.	1,132.01	7,415.00	83,93,854	–3.7	80,83,282	कार्य का निष्पादन बिना अनुमोदित जॉब मिक्स फार्मूला से किया गया
			5.7a(iv)	एस.डी.बी.सी.	452.80	8,278.00	37,48,278	–3.7	36,09,592	
			5.26	एम–20	5,362.83	5,014.00	2,68,89,230	–3.7	2,58,94,328	निष्पादन के दौरान सीमेंट का ब्रांड परिवर्तित किया गया परंतु पुनः डिजाइन मिक्स अनुमोदित नहीं करवाया गया
		8/14–15	5.6a(ii)	डी.बी.एम.	725.95	7,415.00	53,82,919	–9.1	48,93,073	कार्य का निष्पादन बिना अनुमोदित जॉब मिक्स/ डिजाइन मिक्स फार्मूला से
			5.7a(iv)	एस.डी.बी.सी.	362.98	8,278.00	30,04,748	–9.1	27,31,316	
				पी.क्यू.सी.	1,375.60	5,482.00	75,41,039	–9.1	68,54,805	

स. क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद संख्या	मद का विवरण	बिना अनुमोदन के निष्पादित डिजाइन मिक्स/जॉब मिक्स की मात्रा घन मी. में (अ)	दर (ब)	राशि (अ x ब)	निविदा प्रतिशत	कार्य की लागत	टिप्पणी
				एम–25	1,561.76	5,641.00	88,09,888	–9.1	80,08,188	किया गया
				एम–25	982.23	5,757.00	56,54,698	–9.1	51,40,121	
3	संभाग, मुरैना	2/16–17		डी.एल.सी.	310.93	2,714.00	8,43,864	–39.39	5,11,466	
4	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	31/16–17		एम–25	460.58	6,280.00	28,92,442	–14.85	24,62,915	
		27/15–16		एम–25	535.60	6,280.00	33,63,568	–16.2	28,18,670	
				एम–25	702.24	6,434.00	45,18,212	–16.2	37,86,262	
5	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	38/17–18		एम–40	519.87	5,726.00	29,76,776	–22.88	22,95,689	
योग	**5 संभाग**	**09 अनुबंध**			**19,825.14**	**1,30,576.00**	**12,83,66,068**		**11,66,98,990**	

परिशिष्ट 6.14

(कंडिका 6.6.3.5 में संदर्भित)

उपयोग की गई सामग्री का परीक्षण अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुमोदित प्रयोगशालाओं में और आवश्यक आवृत्तियों में नहीं किया गया

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद	प्रत्येक परीक्षण हेतु आवश्यक मात्रा	उपयोग की गई मात्रा	आवश्यक परीक्षणों की संख्या	परीक्षण (अ)	परीक्षण शुल्क (ब) (₹ में)	राशि (अxब) (₹ में)	अशाासकीय प्रयोगशालाओं के नाम जहाँ परीक्षण किये गये थे
1	संभाग क्रमांक 1, भोपाल	1/15–16	स्टील	20 टन	82.96 टन	82.96/204	4	1,110.00	4,440.00	मार्शल और यूनिक
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	2,205.31 घन मी.	2,205.31/45=49	49	1,070.00	52,430.00	
		5/19–20	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	499 घन मी.	499/45=11	11	1,070.00	11,770.00	कृष्णा डिजिटल
		1/16–17	स्टील	20 टन	3,198 टन	3,198/20=160	160	1,110.00	1,77,600.00	माइक्रोटेक टेस्टिंग
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	57,448.45 घन मी.	57,448.45/45=1277	1,277	1,070.00	13,66,390.00	
2	संभाग क्रमांक 4, भोपाल	6/15–16	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	23,454.73 घन मी.	23,454.73/45=522	522	1,070.00	5,58,540.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			स्टील	20 टन	174 टन	174/20=9	9	1,110.00	9,990.00	
		6/13–14	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	10,780 घन मी.	10,780/45=240	240	1,070.00	2,56,800.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			स्टील	20 टन	938 टन	938/20=47	47	1,110.00	52,170.00	
		5/13–14	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	20,500 घन मी.	20,500/45=456	456	1,070.00	4,87,920.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			स्टील	20 टन	293 टन	293/20=15	15	1,110.00	16,650.00	
		8/14–15	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	22,838 घन मी.	22,838/45=507	507	1,070.00	5,42,490.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			स्टील	20 टन	659 टन	659/20=33	33	1,110.00	36,630.00	

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद	प्रत्येक परीक्षण हेतु आवश्यक मात्रा	उपयोग की गई मात्रा	आवश्यक परीक्षणों की संख्या	परीक्षण (अ)	परीक्षण शुल्क (ब) (₹ में)	राशि (अxब) (₹ में)	अशासकीय प्रयोगशालाओं के नाम जहाँ परीक्षण किये गये थे
		4/17–18	स्टील	20 टन	11,312 कि.ग्रा. = 11 टन	11/20=1	1	1,110.00	1,110.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	141.49 घन मी.	142/45=4	4	1,070.00	4,280.00	
3	एम.पी.एच.आई.डी.बी. संभाग क्रमांक 3, भोपाल	7/16–17	स्टील	20 टन	941.35 टन	941.35/20=47	47	1,110.00	52,170.00	वीनस डी.सी.एम. एंड आर.सी.सी.पी. एल.
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	15,135 घन मी.	15,135/45=336	336	1,070.00	3,59,520.00	
		8/15–16	स्टील	20 टन	1,599.26 टन	1,599.26/20=80	80	1,110.00	88,800.00	माइक्रोटेक
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	13,038.87 घन मी.	13,038.87/45= 290	290	1,070.00	3,10,300.00	
		1/17–18	स्टील	20 टन	296.72 टन	296/20=15	15	1,110.00	16,650.00	वीनस लैब एंड माइक्रोटेक
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	360.78 घन मी.	361/45=8	8	1,070.00	8,560.00	
4	मुरैना	8/15–16	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	9,689.12 घन मी.	9,689.12/45= 215	215	1,070.00	2,30,050.00	पायनियर इंफ्रा कंसलटेन्ट्स
		7/16–17	स्टील	20 टन	4,34,363 कि.ग्रा. =434.36 टन	434/20=21	21	1,110.00	23,310.00	माइक्रोटेक टेस्टिंग
			ऐग्रिगेट	45 घन मी.	7,547.95 घन मी.	7,547.95/45= 168	168	1,070.00	1,79,760.00	
		7/18–19	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	15,974 घन मी.	15,974/45=355	355	1,070.00	3,79,850.00	माइक्रोटेक टेस्टिंग
			स्टील	20 टन	1,195 टन	1,195/20=60	60	1,110.00	66,600.00	
		7/15–16	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	1,029.07 घन मी.	1,029.07/45=23	23	1,070.00	24,610.00	वीनस लैब
5	संभाग क्रमांक 1,	1/16–17	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	17,038 घन मी.	17,038/45=379	379	1,070.00	4,05,530.00	पायनियर एंड

स.क्र.	इकाई का नाम	अनुबंध क्रमांक	मद	प्रत्येक परीक्षण हेतु आवश्यक मात्रा	उपयोग की गई मात्रा	आवश्यक परीक्षणों की संख्या	परीक्षण (अ)	परीक्षण शुल्क (ब) (₹ में)	राशि (अxब) (₹ में)	अशासकीय प्रयोगशालाओं के नाम जहाँ परीक्षण किये गये थे
	ग्वालियर		स्टील	20 टन	696.078 टन	696.078 / 20=35	35	1,110.00	38,850.00	वीनस लैब
		5 / 16–17	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	1,708 घन मी.	1,708 / 45=38	38	1,070.00	40,660.00	वीनस एंड भार्गव लैब
			स्टील	20 टन	183.826 टन	183.826 / 20=9	9	1,110.00	9,990.00	
		10 / 18–19	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	332 घन मी.	332 / 45=7	7	1,070.00	7,490.00	अलिगन आर्क टेस्टिंग लैब
6	संभाग क्रमांक 1, जबलपुर	3 / 19–20	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	992 घन मी.	992 / 45=22	22	1,070.00	23,540.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
		7 / 18–19	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	864.597 घन मी.	864.597 / 45=19	19	1,070.00	20,330.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
7	संभाग क्रमांक 2, जबलपुर	38 / 17–18	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	3,888.83 घन मी.	3,888.83 / 45=86	86	1,070.00	92,020.00	वीनस लैब
8	संभाग क्रमांक 2, भोपाल	1 / 16–17	ऐग्रिगेट	45 घन मी.	1,487.12 घन मी.	1,487.12 / 45=33	33	1,070.00	35,310.00	ठेकेदार की कार्यस्थल पर प्रयोगशाला
			स्टील	20 टन	146 टन	146 / 20=7	7	1,110.00	7,770.00	
योग	**8 संभाग**	**22 अनुबंध**							**60,00,880.00**	

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	
डी.पी.सी.	कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें
ए.एम.जी.	लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह
नि.प्रा.	निर्धारण प्राधिकारी
स.आ.वा.क.	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर
वा.क.अधि.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
सं.उ.वा.क.	उप आयुक्त वाणिज्यिक कर
उ.म.नि.पं.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन
एमपी	मध्य प्रदेश
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
म.नि.पं.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
सं.म.नि.पं.	संयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
वैट	मूल्य संवर्धन कर
एसडीवीसी	उप जिला मूल्यांकन समिति
डीवीसी	जिला मूल्यांकन समिति
सीवीबी	केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड
एसआरएस	सिस्टम आवश्यकता अध्ययन
सीएसटी	केन्द्रीय विक्रय कर
ईटी	आगत कर
जीटीओ	सकल टर्नओवर
वैटिस	वैट सूचना प्रणाली
जि.ख.अ.	जिला खनिज अधिकारी
स.ख.अ.	सहायक खनिज अधिकारी
ख.नि.	खनिज निरीक्षक
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ई.सी.	पर्यावरणीय अनुमति
सीटीई	स्थापना की अनुमति
सीटीओ	संचालन की सहमति
एमपीपीसीबी	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आर.क्यू.पी.	मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति

ई–टीपी	इलेक्ट्रानिक ट्रांजिट पास
डीटीएफ	जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
सिया	राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण
डिया	जिला पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in